न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2025/150

01. बलकौर सिंह पुत्र श्री गुरदेवसिंह आयु 50 वर्ष जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–19.11.25

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 22 के.एच.एम. (2) का मुरब्बा नं. 119/14 में 1 ता 25 की कुल 24.10 बीघा अनकमाण्ड 6.1960 हैक्टर भूमि खातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थी को उक्त भूमि वर्ष 2000 में विशेष आवंटन हुई। प्रार्थी अनपढ़ व निरक्षर व्यक्ति है इसलिए अपने हस्ताक्षर के अलावा अन्य कुछ पढ़ लिख नहीं सकता है। प्रार्थी अपने खेत में लाईट फाईल लगवाने के लिए लाईट बनवाने के लिए जमाबन्दी लेने हल्का पटवारी से मिला तो पटवारी ने कहा कि राजस्व रिकार्ड में आपका नाम बलवीर सिंह पुत्र श्री गुरदेवसिंह दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी को विधिवत विशेष आवंटन में आंवटित हुई थी जो कि आवंटन पत्रावली में प्रार्थी का नाम बलकौर सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ अंकन है जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सहवन से प्रार्थी का नाम बलकौर सिंह के स्थान पर प्रार्थी का नाम बलवीर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह हो गया। प्रार्थी अब राजस्व रिकार्ड में बलवीर सिंह पत्र गुरदेव सिंह के स्थान पर बलकौर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह की दुरूस्ती करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवंटन शुदा भूमि चक 22 केएचएम (2) का मुरब्बा नं. 119/14 में 1 ता 25 की कुल 24.10 बीघा अनकमाण्ड 6.1960 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में बलवीरसिंह पुत्र गुरदेवसिंह के स्थान पर बलकौर सिंह पुत्र गुरदेवसिंह की दुरूस्ती करने के आदेश का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, परिचय पत्र, जीए 55 रसीद, विशेष आवंटन पट्टा प्रति, इंतकाल सं. 33 की प्रति पंचायत प्रमाण पत्र संतपुरा प्रस्तुत किया। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकार्ड का चक नं. 22 केएचएम 2 का मु.नं. 119/14 का कि.नं. 1 ता 25 कुल रकबा 24.10 बीघा अनकमाण्ड भूमि का ना.सं. 14 उपनिवेशन तह0 पूगल द्वारा स्वीकृत दिनांक 16.01.2001 में उक्त रकबे का अराजीराज से बलकौरसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जटसिख सा. सन्तपुरा तह0 संगरिया विशेष आवंटन दर्ज रिकार्ड है व जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में आवंटी का नाम बलवीरसिंह पुत्र गुरदेवसिंह कौम जटसिख सा. सन्तपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ विशेष आवंटन दर्ज रिकार्ड है व ऑनलाईन जमाबंदी वर्ष 2020 में आवंटी का नाम बलवीर पुत्र गुरदेवसिंह हि. पूर्ण जाति जटसिख सा. सन्तपुरा विशेष आवंटन दर्ज रिकार्ड है। आवंटन आदेश प्रति का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम बलकौर सिंह अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 22 केएचएम (II) का मुरब्बा नं. 119/14 में 1 ता 25 की कुल 24.10 बीघा अनकमाण्ड 6.1960 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बलवीरसिंह पुत्र गुरदेवसिंह की जगह बलकौरसिंह पुत्र गुरदेवसिंह संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच बलवीरसिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का बलवीरसिंह नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम बलवीरसिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 2024/182

1. परमेश्वर पुत्र श्री भीयाराम जाति बावरी निवासी 19 एन.पी. तहसील पदमपुर हाल आबाद चक 1 के.जे.डी. (ए) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....वादी

बनाम

01. कृष्णराम पुत्र कानेाराम जाति बावरी निवासी 19 एन.पी. तहसील पदमपुर हाल चक 4 के.जे. डी. तहसील खाजूवाला जिला बीाकानेर।
02. कालूराम पुत्र कानेाराम जाति बावरी निवासी 19 एन.पी. तहसील पदमपुर हाल चक 4 के.जे. डी. तहसील खाजूवाला जिला बीाकानेर।
03. किस्तूरी पुत्री कानेाराम जाति बावरी निवासी 19 एन.पी. तहसील पदमपुर हाल चक 4 के.जे. डी. तहसील खाजूवाला जिला बीाकानेर।
04. जेती पुत्री कानेाराम जाति बावरी निवासी 19 एन.पी. तहसील पदमपुर हाल चक 4 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीाकानेर।
05. जीवणराम पुत्र कानेाराम जाति बावरी निवासी 19 एन.पी. तहसील पदमपुर हाल चक 4 के. जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीाकानेर।
06. मीरा पुत्री कानेाराम जाति बावरी निवासी 19 एन.पी. तहसील पदमपुर हाल चक 4 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीाकानेर।
07. श्रवणकुमार पुत्र कानेाराम जाति बावरी निवासी 19 एन.पी. तहसील पदमपुर हाल चक 4 के. जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीाकानेर।
08. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक :–19.11.2025

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र/प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम चक 1 के.जे.डी. ए तहसील खाजूवाला के मुरब्बा नं. 100/10 के किला नं. 1 तर 25 की कुल 6.0695 हैक्टेयर मय खाला कमाण्ड (24.00 बीघा) कृषि भूमि संयुक्त खाते की है। जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 प्रत्येक का 1/14– 1/14 हिस्सा रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 आपस में रिश्तेदार है। चक 1 के.जे.डी. ए तहसील खाजूवाला के मुरब्बा नं. 100/10 के किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.0695 हैक्टेयर मय खाला कमाण्ड (24.00बीघा) भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 आपस में घरेलू बंटवारा हुआ। जिसमें वादी को मुरब्बा नं. 100/10 के किला नं. 11/2 में 0.2023 है., 12 में 0.2529 है., 13 में 0.1517 है., 16 ता 19 प्रत्येक में 0. 2529–0.2529 है., 20/1 में 0.2023 है., 21/1 में 0.2.23 है., 22 ता 25 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है. इस प्रकार कुल 3.0347 हैक्टेयर मय खाला कमाण्ड (12.00बीघा) भूमि मुताबिक घरेलु बंटवारा में आई। मुताबिक घरेलू बंटवारा वादी अपने हिस्से आई भूमि पर काबिज होकर काश्त करने लगा। वादी द्वारा अपने हिस्से आई भूमि पर काफी रूपया–पैसा खर्च कर वा कड़ी मेहनत से भूमि को सुधार कर उपजाऊ

बनाया है तथा उक्त रकबा में अपने हिस्से में ढ़ाणी बनाकर अपने परिवार सहीत रहवास करने लगा तथा मौके पर वादी ने अपने हिस्से की भूमि में सरसों व चना की फसल काश्त कर रखी है। रकबा संयुक्त खाते में होने व खाता विभाजन नहीं होने के कारण वादी को पानी की बारी व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने में भारी परेशानी होने के कारण वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 ता 7 को पूर्व में हुए पंचायती व घरेलु बंटवारे के अनुसार बंटवारा को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए बार–बार प्रतिवादी सं. 1 ता 7 को कहा गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टालमटोल करते रहे। अब प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के मन में वादी की कड़ी मेहनत व

रूपया–पैसा खर्च कर उपजाऊ बनाई गई भूमि को लेकर लालच उत्पन्न हो गया है तथा वादी की उक्त 3.0347 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जबरन कब्जा करना चाहते है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर मौका पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि का कब्जा अनुसार अंकन नहीं होने से वादी को भूमि के लगान, कृषि ऋण, बीमा आदि अनेक कार्यों में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा भूमि के संयुक्त खाते में दर्ज होने के कारण कई बार पक्षकारो में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वादी ने उक्त भूमि के खाता विभाजन के लिए प्रतिवादीगण को कई बार कहा तो वह टालमटोल करते रहे है। ऐसी स्थिति तके वादी कि लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपनी कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि का खाता विभाजन करवाकर वास्तविक कब्जे अनुसार रिकॉर्ड में अलग से दर्ज करवावें। वादगत भूमि वाके चक 1 केजेडी ए मु0नं0 100/10 के किला नं0 11/2 में 0.2023 है0, 12 में 0.2529 है0, 13 में 0.1517, 16 ता 19 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0, 20/1 में 0.2023 है0, 21/1 में 0.2023 है0, 22 ता 25 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0 कुल तादादी 3.0347 हैक्टर मय खाला कमाण्ड भूमि जिसपर वादी का घरेलू बंटवारा के अनुसार लम्बे समय से कब्जा काश्त है का खाता विभाजन कर अलग से उक्त रकबा का वादी के नाम से अलग से लगान वसूलने एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 7 को नोटिस भिजवाने के बावजूद हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट/प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिसके अनुसार परमेश्वर पुत्र भींयाराम जाति बावरी निवासी 19 एनपी तहः पदमपुर हाल चक 4 केजेडी के हिस्से प्रस्ताव में चक 1 केजेडी ए मु0नं0 100/10 के किला नं0 11/2 में 0.2023 है0, 12 सालम, 13 में 0.1517 है0, 16 ता 19 सालम, 20/1 में 0.2023 है0, 21/1 में 0.2023 है0, 22 ता 25 सालम कुल 3.0347 हैक्टर दर्शाया है एवं कृष्ण, कालूराम, किस्तूरी, जेती, जीवणराम, मीरा, श्रवणकुमार पिसरान कानाराम जाति बावरी ब.हि.ब. निवासी 19 एनपी तहः पदमपुर हाल 4 केजेडी के हिस्से प्रस्ताव में चक 1 केजेडी ए मु0नं0 100/10 के किला नं0 1/1 में 0.2023 है0, 10/1 में 0.2023 है0, 13 में 0.1012 है0, 14 सालम, 15 सालम, कुल 3.0348 हैक्टर ब.हि.ब दर्शाया है। पत्रावली पर सुना गया। वादी अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार प्रस्ताव/रिपोर्ट का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। अतः वादी का वाद वादपत्र के कथनों व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा चक 1 केजेडी ए मु0नं0 100/10 के किला नं0 11/2 में 0.2023 है0, 12 सालम, 13 में 0.1517 है0, 16 ता 19 सालम, 20/1 में 0.2023 है0, 21/1 में 0.2023 है0, 22 ता 25 सालम कुल 3.0347 हैक्टर भूमि परमेश्वर पुत्र भींयाराम जाति बावरी निवासी 19 एनपी तहः पदमपुर हाल चक 4 केजेडी के हिस्से में तथा चक 1 केजेडी ए मु0नं0 100/10 के किला नं0 1/1 में 0.2023 है0, 10/1 में 0.2023 है0, 13 में 0.1012 है0, 14 सालम, 15 सालम, कुल 3.0348 हैक्टर भूमि कृष्ण, कालूराम, किस्तूरी, जेती, जीवणराम, मीरा, श्रवणकुमार पिसरान कानाराम जाति बावरी ब.हि.ब. निवासी 19 एनपी तहः पदमपुर हाल 4 केजेडी के हिस्से में ब.हि.ब. अलग–अलग राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को दिये जाते है। उक्त बंटवारा के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला वादगत भूमि के नक्शा, लगान का हिस्सा अलग–अलग दर्ज करें, तदानुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।निर्णय आज दिनांक 19.11.25 को सरे इजलास सुनाया गया। (पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 111/2024

1. बिशनाराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी 23 केवाईडी तहसील खाजूवाला

.....अपीलान्ट

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी 23 केवाईडी तहः खाजूवाला
2. मूली देवी पत्नी नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी 23 केवाईडी तहः खाजूवाला
3. मोतीराम पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी 23 केवाईडी तहः खाजूवाला
4. जेठाराम पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी 23 केवाईडी तहः खाजूवाला
5. बद्रीराम पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी 23 केवाईडी तहः खाजूवाला
6. पुष्पादेवी पुत्री नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी 23 केवाईडी तहः खाजूवाला
7. प्रेमीदेवी पुत्री नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी 23 केवाईडी तहः खाजूवाला
8. जमनादेवी पुत्री नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी 23 केवाईडी तहः खाजूवाला
9. खातूदेवी पुत्री नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी 23 केवाईडी तहः खाजूवाला
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट
आदेश दिनांक :– 19.11.25

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि अपीलांट के पिता मोडाराम के नाम चक 23 केवाईडी ए मु0नं0 79/57 के किला नं0 1 ता 13 की कुल 12.04 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि थी। अपीलांट के पिता का देहान्त हो जाने के बाद उक्त भूमि अपीलांट की माता सोनी व अपीलांट तथा रेस्पोडेंट सं0 01 के नाम इंतकाल दर्ज हो गया। उक्त भूमि का रेस्पोडेन्ट सं0 01 व अपीलांट की माता सोनी ने उक्त भूमि का हकत्याग (दस्तबरदारी) अपीलांट के पक्ष में दिनांक 24.04.2007 को कर दिया। जिसका नामान्तरण सं0 131 अपीलांट के पक्ष में दर्ज हो गया है। उक्त भूमि पर अपीलांट लगभग 20–25 वर्षो से काबिज काश्त है तथा ढाणी बनी हुई है और उक्त भूमि को काश्त करता आ रहा है। फिर भी इकतरफा तौर पर उक्त जैर अपील आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के हको पर कुठराघात किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जैर अपील आदेश पारित करते समय इंतकाल सं0 131 पर तनिक भी गौर नहीं किया और अधीनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में नियम कायदों को ताक पर रखकर उक्त जैर अपील आदेश पारित कर अपीलांट के हको पर कुठाराघात किया है। जो कतई मैन्टेन रखने योग्य नहीं है तथा रेस्पोडेंट सं0 01 ने अपने हिस्से की उक्त भूमि की रिलीजडीड (हकत्याग) अपीलांट के पक्ष में निष्पादित कर दी। जिसका नामान्तरण सं0 131 दर्ज भी हो गया। बावजूद इसके रेस्पोंडेट सं0 01 ने लालचवंश अपनी माता के फौत होने जाने के बाद उक्त भूमि का विरासतन नामान्तरण सं0 141 यह ध्यान होते हुए भी कि उक्त भूमि का नामान्तरण सं0 131 अपीलांट के नाम से दर्ज है फिर भी सांठ–गांठ कर जैर अपील आदेश पारित करवा लिया जो मजमे आम में पढ़कर नहीं सुनाया और वह स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में ही नहीं है जो कि काबिले निरस्ती के है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आनन–फानन में दर्ज कर दिया जबकि विरासतन इंतकाल मजमे आम में पढ़ा जाकर प्रस्ताव लिया जाकर पारित किया जाना चाहिए था तथा जैर अपील भूमि पर अपीलांट इंतकाल सं0 131 के अनुसार काबिज है तथा मकान बनाकर निवास कर रहा है। बावजूद इसके इंतकाल सं0 141 भर दिया गया। जो जैर अपील आदेश में लिख दिया जो स्पष्ट विधि विरूद्ध और शून्य आदेश है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है ताकि अपीलांट के हको पर कुठाराघात ना हो सके और इंतकाल सं0 131 के अनुसार उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा सके। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जैर अपील आदेश दिनांक 20.07.2007 इंतकाल सं0 141 को निरस्त कर अपीलांट के पक्ष में दिनांक 20.06.2007 इंतकाल सं0 131 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस भिजवाने के बावजूद हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली पर सुना गया। सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट ने बताया कि उक्त जैरअपील आदेश एकतरफातोर पर पारित हुआ है और जानकारी के अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाना है।

दौराने बहस अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुवे अपील अपीलांट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार इंतकाल सं0 131 दिनांक 20.06.2007 को स्वीकृत है जिसकी प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त नामान्तरण दर्ज होने के पश्चात दिनांक 20.07.2007 को इंतकाल सं0 141 दर्ज किया गया है जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार के काबिल है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरण सं0 141 दिनांक 20.07.2007 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस आशय से रिमान्ड की जाती है कि अपीलांट के साथ साथ रेस्पोडेंट्स को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत् आदेश पारित करें तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2025/192

01. बिरमादेवी पुत्री मंगतूराम जाति मेघवाल निवासी 14 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :–19.11.25

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र/प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादिया के नाम से चक 4 केजेडी का मु.नं. 81/27 का किला नं. 1 ता 25 बीघा (6.1960 है0) कमाण्ड भूमि वादिया के पिता मंगतूराम पुत्र नरसीराम जाति मेघवाल निवासी 4 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के नाम से भूमिहीन आवंटन हुआ जो कि उक्त रकबा वादिया के पिता के फौत पश्चात् वादिया के 2/9 हिस्सा भूमि राजस्व रिकॉर्ड दर्ज विरासतन में नाम बिरमादेवी पुत्री मंगतूराम की बजाए बिरमादेवी पत्नी मंगतूराम दर्ज हो गया है। उक्त रकबा का कब्जा वादिया के पिता मंगतूराम पुत्र नरसीराम के फौत पश्चात 2/9 हिस्सा विरासतन नामान्तरण से चला आ रहा है। वादिया बिल्कुल अनपढ़ व निरक्षर है इसलिए व कुछ पढ़लिख नहीं सकती है। जब उक्त रकबा के विरासतन इन्तकाल नामांकन के लिए दस्तावेज पटवारी को दिए तब उक्त वारिसनामा में वादिया का पिता–पुत्री के संबंध में पत्नी दर्ज हो गया जो कि वादिया का भूमि रिकॉर्ड में बिरमादेवी पत्नी मंगतूराम दर्ज हो गया है। वादिया अपने उक्त रकबे का अपने भाईयों के पक्ष में हकत्याग करवाने तहसील में आई तो पता चला कि वादिया का रिकॉर्ड में नाम बिरमादेवी पत्नी मंगतूराम दर्ज है जबकि वास्तविक संबंध में बिरमादेवी पुत्री मंगतूराम दस्तावेजों में दर्ज है जो कि सही व सत्य है। वादिया अपने नाम के उपरोक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर बिरमादेवी पत्नी मंगतूराम की घोषणा व दुरूस्त करवाकर बिरमादेवी पुत्री मंगतूराम करवाना चाहती है। अतः घोषणात्मक वाद पेश कर निवेदन किया है कि वादिया के नाम का रकबा चक 4 केजेडी तहसील खाजूवाला मु0नं0 81/27 के किला नं0 1 ता 25 की 6.1960 हैक्टर कमाण्ड भूमि में से 2/9 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में बिरमादेवी पत्नी मंगतूराम की बजाए बिरमादेवी पुत्री मंगतूराम की घोषणा व दुरूस्त कर अंकन करने का आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीया ने वादपत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, इंतकाल,जायज वारिसनामा, आधारकार्ड, जनाधार इत्यादि की प्रति व पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वारिसनामा में बिरमादेवी पुत्री मंगतूराम अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। वादिया अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादीया का वादपत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 4 केजेडी तहसील खाजूवाला मु0नं0 81/27 के किला नं0 1 ता 25 की 6.1960 हैक्टर कमाण्ड भूमि में से 2/9 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में बिरमादेवी पत्नी मंगतूराम की जगह बिरमादेवी पुत्री मंगतूराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया

यथावत रखी जावे। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादिया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार पालना/अमलदरामद करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :— 2025/197

वादी मय अधिवक्ता श्री मनीराम जाखड़ उपस्थित आकर वादपत्र आज की तारीख पेशी में लेकर विड्रॉ हेतु प्रा0पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। प्रा0पत्र अवलोकन किया गया। वादी का प्रा0पत्र विड्रॉ स्वीकार किया जाता है। अतः पत्रावली विड्रॉ के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :— 2025/198

पत्रावली मूलदावा में प्रा0पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। मूलदावा खारिज हो चुका है। अतः मूल पत्रावली भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2025/128

01. जसपाल पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी 2 केवाईएम हाल 29 केवाईडी बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :–19.11.25

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र/प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के दादा सुरजाराम पुत्र लिछमणराम के नाम चक 29 केवाईडी बी मु0नं0 238/63 के किला नं01 ता 20 की 16.10 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज थी तो दादा ने अपने जीवनकाल में दिनांक 29.06.98 को अपने पोते पालाराम पुत्र कृष्णलाल, श्रवणराम, राजूराम पुत्र हंसराज, भूपराम, कालूराम पुत्र जगदीश को बहिस्सा बराबर रजिस्ट्रर्ड वसीयत उपपंजीयक खाजूवाला में दी और उस समय दादा ने वादी के लाढ़ का नाम पालाराम पुत्र कृष्णलाल लिखा दिया और उनके फौत बाद इंतकाल सं0 28 दिनांक 16.08.2000 को मुताबिक वसीयत मु0नं0 238/63 के किला नं0 1 ता 5 तादादी 05.00 बीघा यानि 1.2645 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। उक्त भूमि पर लम्बे अरसे से वादी काबिज काश्त है तथा ढाणी व मकान बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रहा है। वादी का नाम अन्य कागजातों में जसपाल पुत्र कृष्णलाल दर्ज रहा और उसी मुताबिक मूलनिवास, परिचयपत्र, राशनकार्ड, वोटरलिस्ट सब में जसपाल पुत्र कृष्णलाल दर्ज रहा लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में पालाराम पुत्र कृष्णलाल ही दर्ज रहा अब सरकार की वितीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर गौर किया तो उक्त त्रुटि की जानकारी हुई। पालाराम ही जसपाल है चूंकि पालाराम घरेलू दादा द्वारा रखा हुआ था और दादा पालाराम के नाम से ही पुकारते थे। जिसका प्रमाण सरपंच, डारेक्टर व व्याख्याता द्वारा एवं मौजीज लोगो की ताईद है। वादी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक जरिये घोषणात्मक दुरूस्ती अपने नाम पालाराम की जगह राजस्व रिकॉर्ड में जसपाल दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। उक्त भूमि पर वादी ही काबिज काश्त है एवं समय–समय पर लगान एवं राजस्व वादी अदा करता रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम पालाराम दर्ज होने से काफी परेशानियां हो गई है तथा भविष्य में और दिक्कते ना आए न्यायहित में रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती आवश्यक है। वादी की खातेदारी भूमि चक 29 केवाईडी बी मु0नं0 238/63 के किला नं0 1 ता 5 तादादी 05.00 बीघा यानि 1.2645 हैक्टर भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम पालाराम दर्ज हुआ है की जगह जरिये घोषणात्मक दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादी का दस्तावेजी नाम जसपाल पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी चक 29 केवाईडी बी तहसील खाजूवाला खातेदार दर्ज करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी ने वादपत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, पैनकार्ड, जनाधार, परिचयपत्र, मूलनिवास, राशनकार्ड, प्रवेशपत्र, जमाबंदी, इंतकाल, वसीयतनामा, पंचायत समिति सदस्य तस्दीक, इत्यादि की प्रति व शपथपत्र श्रवणकुमार प्रस्तुत किया है। वादी का पहचान दस्तावेजों में नाम जसपाल अंकित है एवं वाद के भाई के पुत्र ने भी वादी के कथनों की तस्दीक की है। पत्रावली पर सुना गया। वादी अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को

दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी का वादपत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 29 केवाईडी बी मु0नं0 238/63 के किला नं0 1 ता 5 तादादी 05.00 बीघा यानि 1.2645 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड में पालाराम की जगह जसपाल उर्फ पालाराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच पालाराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का पालाराम नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी/प्रार्थी का नाम पालाराम ही लागू होगा। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार पालना/अमलदरामद करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2023/140

01. कनीराम पुत्र हनुमानराम जाति बिश्नोई निवासी 8 बीडी तहसील खाजूवाला
.....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला ।
.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–19.11.25

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 8 बीडी ए मु0नं0 153/57 के किला नं0 1 ता 20 प्रत्येक में 0.2529 हैक्टर की कुल तादादी 4.5522 हैक्टर कमाण्ड व खाता सं0 40, मु0नं0 153/50 के किला नं0 21 ता 25 में तादादी 1.2645 हैक्टर कमाण्ड इसप्रकार कुल तादादी 6.3225 हैक्टर कमाण्ड भूमि खातेदारीशुदा है। जिसमें खाता सं0 06 की 4.5522 हैक्टर कमाण्ड भूमि जरिये विनिमय दिनांक 22.04.2022 के खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है, तथा खाता सं0 40 की 1.2645 हैक्टर कमाण्ड भूमि जरिये दानपत्र दिनांक 20.12.2021 के दर्ज रिकॉर्ड है। जिसपर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी के उपरोक्त रकबा चक 8 बीडी ए खाता सं0 06 की 4.5522 हैक्टर कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी प्रविष्टि के समय सहवन व लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी का नाम कनीराम पुत्र हनुमानराम के बजाय कानीराम पुत्री हड़मानाराम व चक 8 बीडी ए के खाता सं0 40 की 1.2645 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी प्रविष्टि के समय सहवन व लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी का नाम कनीराम पुत्र हनुमानराम के बजाय कानीराम पुत्र हड़मानराम दर्ज हो गया, जो गलत है। जबकि प्रार्थी के आधारकार्ड, पहचानपत्र, राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम कनीराम पुत्र हनुमानराम है। प्रार्थी का नाम कनीराम पुत्र हनुमानराम के स्थान प्रार्थी का नाम कानीराम पुत्र हड़मानाराम व कानीराम पुत्र हड़मानराम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना एक लिपिकीय त्रुटि है जो कि सहवन से दर्ज हो चुकी है, जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है, जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाना चाहता है। चक 8 बीडी ए खाता सं0 06 मु0नं0 153/57 के किला नं0 1 ता 20 प्रत्येक में 0.2529 हैक्टर की कुल 4.5522 हैक्टर कमाण्ड व चक 8 बीडी ए खाता सं0 40 मु0नं0 153/50 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 0.2529 हैक्टर की कुल 1.2645 हैक्टर कमाण्ड इसप्रकार कुल तादादी 6.3225 हैक्टर कमाण्ड भूमि के खाता विभाजित राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी में दुरूस्त कर सहवन से लिखा गया प्रार्थी का नाम कानीराम पुत्र हड़मानाराम व कानीराम पुत्र हड़मानराम के बजाय कनीराम पुत्र हनुमानराम दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, पहचानपत्र, पैनकार्ड, मूलनिवास, निर्णय की इत्यादि की प्रति व शपथपत्र प्रस्तुत किया। निर्णय दिनांक 11.10.22 में भी कनीराम पुत्र हनुमानराम अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 8 बीडी ए खाता सं0 06 मु0नं0 153/57 के किला नं0 1 ता 20 प्रत्येक में 0.2529 हैक्टर की कुल 4.5522 हैक्टर कमाण्ड व चक 8 बीडी ए खाता सं0 40 मु0नं0 153/50 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 0.2529 हैक्टर की कुल

1.2645 हैक्टर कमाण्ड इसप्रकार कुल तादादी 6.3225 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कानीराम पुत्र हड़मानाराम व कानीराम पुत्र हड़मानराम की जगह कनीराम हनुमानराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच कानीराम पुत्र हड़मानाराम व कानीराम पुत्र हड़मानराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का कानीराम पुत्र हड़मानाराम व कानीराम पुत्र हड़मानराम नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम कानीराम पुत्र हड़मानाराम व कानीराम पुत्र हड़मानराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2024/82

01. परमवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी ढिमाऊ बडी तहसील राजगढ जिला चूरू।
02. शिवराज पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी ढिमाऊ बडी तहसील राजगढ जिला चूरू।

.....प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :–19.11.25

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थीगण चक 8 के वाई डी बी तह. खाजूवाला का निवासी है तथा पेशे से खेतीहर काश्तकार है। प्रार्थीगण के नाम से चक 8 के.वाई.डी बी के मु.नं. 175/18 के कि.नं. 1 ता 18, 20, 21, 23 ता 25 की कुल 5.8167 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थीगण खेती का कार्य करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थीगण के नाम से चक 8 के.वाई.डी. बी के मु.नं. 175/18 के किला नं. 1 ता 18, 20, 21, 23 ता 25 की 5.1867 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि खातेदारी जरिये बैयनामा दिनांक 13.04.1992 खरीदशुदा है। जरिये बैयनामा खरीद के पश्चात् उक्त आरजी का राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण संख्या 50 दिनांक 20.05.1992 से प्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर दिया गया। खरीद के दिन से प्रार्थीगण उक्त आरजी पर कब्जा काश्त है। जिसे प्रार्थीगण हर प्रकार से उपयोग एवं उपभोग करने के अधिकारी है। कम्प्यूटराईज्ड जमाबंदी बनाते समय राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की तहसील का नाम राजगढ के स्थान पर रतनगढ दर्ज कर दिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। यह लिपिकिय भूल रही है। जिसे दुरस्त करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त भूमि को खरीद के समय से काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने काफी धन एवं श्रम व्यय करके भूमि को काबिल काश्त बनाया है। प्रार्थीगण दिनांक 16.05.2024 को हल्का पटवारी के पास डिग्गी फाईल बनवाने गया तब पटवारी ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में आपकी तहसील का नाम रतनगढ है। उसी दिन हमें इसकी प्रथम बार जानकारी हुई। राजस्व कर्मचारियों की लिपिकिय भूल रही है जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि में तहसील राजगढ के नाम से बने हुए है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की तहसील का नाम रतनगढ दर्ज होने की वजह से प्रार्थीगण को राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली किसी भी सुविधा का लाभ प्राप्त नही कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र दुरूस्ती प्रस्तुत कर श्रीमान जी से अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को, प्रार्थीगण की चक 8 के. वाई. डी. बी के मु.नं. 175/18 के कि. नं. 1 ता 18, 20, 23 ता 25 की कुल 5.8167 हैक्टेयर कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की तहसील का नाम दुरूस्त कर रतनगढ के स्थान पर राजगढ दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, पहचानपत्र, इन्तकाल सं0 50, बैयनामा, राशनकार्ड की इत्यादि की प्रति प्रस्तुत किया। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 8 के.वाई.डी. बी के मु.नं. 175/18 के कि.नं. 1 ता 18, 20, 23 ता 25 की कुल 5.8167 हैक्टेयर कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की तहसील का नाम रतनगढ के स्थान पर राजगढ संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच परमवीरसिंह व शिवराजसिंह पुत्रगण उम्मेदसिंह निवासी ढिमाऊ बडी तहसील रतनगढ नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का परमवीरसिंह व शिवराजसिंह पुत्रगण उम्मेदसिंह निवासी ढिमाऊ बडी तहसील रतनगढ नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीगण की तहसील का नाम रतनगढ ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 2024/114

1. कृष्ण लाल पुत्र दाताराम जाति कुम्हार साकिन 14 के वाई डी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थी

1. विनोदकुमार पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई साकिन 14 के वाई डी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :– 26.11.2025

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी शांतिप्रिय काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है और यही एक मात्र जीविकोपार्जन का साधन है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके चक 14 के वाई डी के मु.नं. 136/22 के कि.नं. 16 ता 25 तादादी 1.5679 हैक्टर खातेदारी दर्ज कागजात है जिस पर प्रार्थी लम्बे अरसे से लेकर आज तक काबिज काश्त है। मौके पर नरमा, ग्वार एवं हरे चारे की फसल काश्त कर रखी है। चक 14 के वाई डी के मु.नं. 136/46 में आबादी बसी है और मु.नं. 136/30 के कि.नं. 21 ता 25 में कटानशुदा रास्ता है और मु.नं. 136/30 के कि.नं. 21 ता 25 में रास्ता कायम रहा है तथा रिकार्ड में अंकन हुआ है और प्रार्थी आबादी से मु.नं. 136/38, 30 के कि.नं. 21 ता 25 के कायम रास्ता से अपने खेत मु.नं. 136/22 के कि.नं. 25 में प्रवेश करता है उक्त रास्ता 30 वर्षो से चल रहा है। मु.नं. 136/30 के कि.नं. 21 की सींव पर वर्षो पुरानी पुलिया बनी है जो रास्ता कायम और चलने का सबूत है इसके अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है। फसल काश्त का समय है और रास्ता का अभाव है अपने खेत के कि.नं. 25 में पक्की शाख से नक्का खाला है और अपने खेत के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 पक्का खाला है उसके साथ कच्चा खाला से प्रार्थी के भाई बंधु अन्य काश्तकार निर्बाध रूप से पानी ले रहे है नक्शा मौका व फौटो मौका संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं. 1 की भूमि से रास्ता 30 वर्षो से चल रहा था तो मुताबिक प्रार्थी व अन्य सहखातेदारो ने खाता विभाजन कर अपने खेत मे जाने के लिए रास्ता तय किया और उसी मुताबिक आज रिकार्ड में दर्ज है लेकिन अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 10.06.24 को ट्रेक्टर से करावा चलाकर चलते रास्ते को समतल कर पानी लगा दिया जिससे प्रार्थी अपने वाहन सहित खेत में कैद होकर रह गया तो एक प्रार्थना पत्र सह काश्तकार ने अप्रार्थी सं. 2 को दिनांक 12.06.24 को दिया की चालू रास्ता को खुलवाया जावे तथा सम्पर्क पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई तो पटवारी हल्का ने रूबरूगवाहान मौका देखा और तहसीलदार खाजूवाला को चालू रास्ता बन्द किया है कि रिपोर्ट कर दी और तहसीलदार खाजूवाला ने प्रकरण दर्ज कर दौ माह बाद कहा कि सक्षम न्यायालय से रास्ता कटान करवावो मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है।

चक 14 के वाई डी के मु.नं. 136/38 के कि.नं. 21 ता 25 में कटानशुदा रास्ता है लेकिन मु.नं. 136/30 के कि.नं. 21 ता 25 का 0.02–0.02 बिस्वा अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है जो अक्सर राजनितिवश रास्तो को लेकर झगड़ा फसाद करता हैं जिससे वहां तनाव की स्थिति बनी रहती है क्योंकि रास्ता मंजूरशुदा नहीं है। इस कारण प्रार्थी को सुखाधिकारों का हनन होता है। प्रार्थी लगभग 30 साल से इस रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं और यही एक मात्र खेत में जाने का रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ने यदि दौराने विचारण रास्ता बन्द कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी और सुखाधिकारो का हनन होगा। जिसे न्यायहित में दौराने विचारण यथावत रखा जाना आवश्यक है ताकि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के चालू रास्ते के उपयोग–उपभोग में मदाखलत नहीं करे। प्रार्थी सहकाश्तकार ने तहसील में इस हेतु आवेदन भी किया था कि प्रार्थी मु.नं. 136/46 आबादी से मु.नं. 136/30 के किला नं0 21 ता 25 से 2–2 बिस्वा पूर्वी सींव पर रास्ता से अपने खेत के किला नं0 25 में प्रवेश करते है। उक्त रास्ता 30 वर्षो

से चल रहा है जिसको अप्रार्थी सं0 1 ने जबरन बंद कर दिया है को खुलवाकर रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। लेकिन इस और ध्यान नहीं दिया गया। फसल काश्त का समय है यदि अप्रार्थी सं0 1 ने रास्ता स्थायी बन्द कर दिया तो प्रार्थी के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी और सपरिवार वाहन सहित खेत में कैद होकर रह जाएगें एवं उनके सुखाधिकारों का हनन होगा जो वह लम्बे अरसे से प्राप्त कर रहे है। धारा 251 ए के तहत वर्तमान डीएलसी दर से 2–2 बिस्वा भूमि की कीमत देने को तैयार है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर चक 14 केवाईडी मु0नं0 136/38 के किला नं0 21 ता 25 के कटान रास्ता से मु0नं0 136/30 के किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा यानी 0.2530–0.2530 हैक्टर पूर्वी सींव पर रास्ता उतर से दक्षिण स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता खेत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष बिश्नोई हाजिर आए। प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गई रिपोर्ट के मुताबिक चक 14 केवाईडी मु0नं0 136/32 के किला नं0 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा रास्ता अराजीराज दर्ज है। मु0नं0 136/32 में दर्ज रास्ता आजतक चालू नहीं हुआ। प्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन हेतु चक 14 केवाईडी के मु0नं0 136/30 के किला नं0 21 ता 25 में अपनी सहमति से आवागमन कर रहे थे जो कि वर्तमान में मु0नं0 136/30 के किला नं0 21 ता 25 रास्ता बन्द कर काश्त कर दी गई है। वर्तमान में प्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन हेतु मु0नं0 136/38 के किला नं0 21 ता 25 में अराजीराज रास्ता से आते जाते है जो कि मु0नं0 136/30 के किला नं0 25 व मु0नं0 136/31 के किला नं0 5 के कोने से जुड़ता है। मु0नं0 136/23 को वर्तमान में कोई रास्ता नहीं लगता है न ही कोई अराजीराज रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मु0नं0 136/32 के ऑनलाईन जमाबन्दी में दर्ज रास्ते पर वर्तमान में काश्त व एक पक्का मकान बना हुआ है। अतः प्रार्थीगण के आवागमन हेतु वर्तमान में कोई सुगम रास्ता नहीं लगता है।

पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने खुद के रकबा में से रास्ता कटान नहीं करने का निवेदन करते हुवे प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को खारिज करने का निवेदन किया है।

पत्रावली के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा चक 14 केवाईडी मु0नं0 136/30 के किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि प्रार्थी से नियमानुसार जमा करवाकर अप्रार्थी को देवे एवं नियमानुसार उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिशिचत करें पत्रावली फैसल''ुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2025/205

01. लिछमणराम पुत्र नौरंगराम जाति मेघवाल निवासी रातुसर तहः सरदारशहर जिला चुरू ।
.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला ।
....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–26.11.25

यह वादपपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी/प्रार्थी की भूमि चक 19 केएलडी मु0नं0 54/22 में किलानं0 1 ता 15, 20 में 4.3735 हैक्टर भूमि है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी का नाम लिछीराम दर्ज है जबकि मुझ प्रार्थी के आधारकार्ड, भामाशाह, मूलनिवास इत्यादि समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम लिछमणराम है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लिछीराम दर्ज होने से प्रार्थी काफी परेशानी हो रही है इसलिए प्रार्थी अपने राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम लिछिराम की जगह लिछमणराम दर्ज करवाना चाहता है। अतः उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लिछमणराम दर्ज करने के आदेश फरवावें।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्रप्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, भामाशाह, मूलनिवास इत्यादि की प्रति व ग्राम पंचायत तस्दीक प्रस्तुत किया। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 19 केएलडी मु0नं0 54/22 में किलानं0 1 ता 15, 20 में 4.3735 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम लिछीराम की जगह लिछमणराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच लिछीराम नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का लिछीराम नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम लिछीराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

पुष्पा शर्मा बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः—प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट मु.नं.एवं सन 207/2025

समर्पित भूमि को राजस्व में रिकॉर्ड गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
27.11.25	प्रार्थीया का प्रार्थना समर्पित भूमि को राजस्व में रिकॉर्ड गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत् प्रस्तुत हुआ। प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थीया द्वारा चक 8 पीआरएम मु0नं0 17/10 के किला नं0 18 सालम, 19/1 में 0.2023 हैक्टर तादादी 0.4552 हैक्टर भूमि को अभिषेक गोयाल पुत्र प्रदीपकुमार से जरिये बैयनामा खरीद की गई थी। अभिषेक गोयल द्वारा पूर्व में उक्त खातेदारी भूमि को पेट्रोल पम्प प्रयोयज हेतु संपरिवर्तन करवाने के लिए कार्यवाही की गई थी। उक्त कार्यवाही में अभिषेक गोयल द्वारा चक 8 पीआरएम मु0नं0 17/10 के किला नं0 19 में 4 बिस्वा, 20 में 10 बिस्वा कुल 14 बिस्वा भूमि तहसीलदार खाजूवाला के आदेष क्रमांक 278 दिनांक 12.04.2017 के द्वारा निःषुल्क समर्पण स्वीकृत की गई। समर्पण आदेष के अनुसार उक्त भूमि को नामान्तरण सं0 62 दिनांक 25.04.2017 के द्वारा अराजीराज घोषित कर दी गई। प्रार्थीया अपने उपरोक्त वर्णित भूमि को वाणिज्यक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन करवाना चाहती है तथा उक्त पूर्व में समर्पण की गई राजस्व रिकॉर्ड में अराजीराज भूमि को गैरमुमकिन अंकन करवाना चाहती है। अतः निवेदन है कि उचित कार्यवाही कर उपरोक्त समर्पण की गई भूमि जो वर्तमान में अराजीराज है को गैरमुमकिन रास्ता घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का अनुतोष चाहा है। प्रकरण धारा 251 ए आरटीएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार खाजूवाला के समर्पण आदेष क्रमांक 278 दिनांक 12.04.2017 व समर्पण आदेष की पालना में स्वीकृत नामान्तरण सं0 62 दिनांक 25.04.2017, बैयनामा इंतकाल, आधारकार्ड, जमाबंदी, नक्षा आदि का अवलोकन किया गया। अवलोकनानुसार प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र में वर्णित चक 8 पीआरएम मु0नं0 17/10 के किला नं0 19 में 4 बिस्वा, 20 में 10 बिस्वा कुल 14 बिस्वा भूमि का समर्पण किया गया। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है। अतः उक्त चक 8 पीआरएम मु0नं0 17/10 के किला नं0 19 में 4 बिस्वा, 20 में 10 बिस्वा कुल 14 बिस्वा समर्पण भूमि(अराजीराज) को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेष की प्रति तहरीर जारी कर भिजवाई जावें। पत्रावली फैसलषुमार होकर दाखिलदफ्तर हो। आदेष आज सरे इजलास सुनाया।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

विक्रमसिंह बनाम शान्तिदेवी वगैरह

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 173/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
27.11.25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब आज शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने फॉर्म सं0 3 के साथ वादगत भूमि के बैयनामा की प्रति प्रस्तुत की जो शामिल मिसल की गई। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि उक्त वादगत भूमि पुष्तैनी है जिसमें प्रार्थीगण का हक निहित है इसलिए वाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई फरमाई जावे। अप्रार्थी सं01 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत बैयनामा अनुसार वादगत भूमि स्वअर्जित साबित है और स्वअर्जित भूमि में प्रार्थीगण/वादीगण का कोई हक निहित नहीं है। प्रार्थीगण को न्यायालय में वाद लाने का वाद हैतुक ही प्राप्त नहीं था। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन मूल बिन्दू/शर्त है कि प्रथमदृष्ट्या मामला, अपूर्णनीय क्षति, सुविधा का संतुलन है उक्त तीनों ही शर्त प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। वादगत भूमि अप्रार्थी सं0 1 की खरीदषुदा भूमि है जिसमें अन्य किसी का हक निहित नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र नियमानुसार न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू को साबित करने में असफल रहे है। अतः यह पत्रावली/प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है एवं दिनांक 08.10.25 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 27.11.25 सरे इजलास सुनाया गया।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

लुणाराम बनाम रामचन्द्र वगैरह

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 177/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
26.11.25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं0 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब आज शामिल मिसल किया गया। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं0 5 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 5 ने जरिये बैयनामा वादगत भूमि दिनांक 27.11.2012 को खरीद की है एवं मौके पर काबिज है। लूणाराम ने खातेदार गोपालराम के विरूद्ध इन्ही तथ्यों व इकरारनामा के आधार पर इसी न्यायालय में वाद सं0 37/12 दिनांक 15.05.12 को प्रस्तुत किया था जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.1.2012 को अन्तर्गत आदेष 7 नियम 11 सीपीसी के खारिज कर दिया था। जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के न्यायालय में लूणाराम ने अपील सं0 123/14 पेष की जो कि दिनांक 10.10.16 को खारिज कर दी थी तो लूणाराम ने न्यायालय व माननीय आरएए बीकानेर के आदेष की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील/डिक्री/टीए/7669/2016 बीकानेर की थी जो माननीय खण्डपीठ ने दिनांक 18.03.2021 को खारिज कर दी थी। अब लूणाराम ने गोपालराम के वारिसान के खिलाफ यह वाद समान तथ्यों व समान प्रकृति का पेषकर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर रहा है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः वादपत्र विधि द्वारा वर्जित है व रेस ज्यूडिकेटा से बाधित है इसलिए प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता है व ना ही उसे लोक्सस्टेण्डाई है। अतः प्रार्थनापत्र इसी स्तर पर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू को साबित करने में असफल रहे है। अतः यह पत्रावली/प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है एवं दिनांक 14.10.25 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 26.11.25 सरे इजलास सुनाया गया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 2024/174

1. राधेष्याम पुत्र पूर्णराम जाति बावरी निवासी ओडकी तहः व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 21 केवाईडी खाजूवाला
2. कृष्णलाल पुत्र पूर्णराम जाति बावरी निवासी ओडकी तहः व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 21 केवाईडी खाजूवाला

.....वादीगण

बनाम

01.राजू पुत्र पूर्णराम जाति बावरी निवासी ओडकी तहः व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 21 केवाईडी खाजूवाला

02. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक :–03.12.25 यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 एक ही कुटुम्ब के सदस्यगण है तथा उपर लिखा पता ही इनका रजिस्टर्ड पता हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एक कृषि भूमि तहसील खाजूवाला के चक 21 के.वाई.डी. का मुरब्बा नं. 118/11 के किला नं. 1 ता 25 की कुल 5.6905 है0 कमाण्ड कृषि भूमि संयुक्त रूप से सहिस्सेदारान के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 का उक्त भूमि में 1/3–1/3 हिस्सा का राजस्व रिकार्ड में अंकन है जो कि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त भौतिक व वास्तविक कब्जा होकर शांतिपूर्वक काष्त करते चले आ रहे है। उक्त रकबा में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का उक्त भूमि में 1/3–1/3 हिस्सा का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन है। जोकि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसपर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त भौतिक व वास्तविक काबिज होकर शांतिपूर्वक काष्त करते चले आ रहे है। उक्त रकबा में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 सभी का बराबर–बराबर हिस्सा निहित है जो कि संयुक्त सहिस्सेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चली आ रही है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 का आपस में उपरोक्त भूमि में काष्त एवं लगान को लेकर आपस में प्रतिदिन विवाद होता रहता है। प्रतिवादी सं0 1 अड़ियल प्रवृति का व्यक्ति है वह लगान नहीं अदा कर रहा है। उनको हम वादीगण ने संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का बंटवारा करने के लिए निवेदन किया लेकिन वह नहीं माना। दिनांक 15.12.25 को वादीगण प्रतिवादी सं0 1 के पास गये और उनको उक्त भूमि का रिकॉर्डेड बंटवारा करने एवं अलग–अलग लगान अदा करने का निवेदन किया तो वह स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया और उसने कहा कि मैं कोई लगान अदा नहीं करूगा व ना ही उक्त भूमि का रिकॉर्डेड बंटवारा करूंगा। इसलिए वादीगण को अपनी भूमि का बंटवारा करने एवं अपने हितो की रक्षा के लिए यह दावा पेष करना पड़ा और दिनांक 15.12.24 को कॉज ऑफ एक्षन प्राप्त होते ही वादीगण दावा पेष कर रहे है। उपरोक्त कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 प्रत्येक का बीघा एवं बिस्वा पर अपन–अपने हिस्से की हद तक काबिज है व रिकॉर्डेड सहिस्सेदार है एवं उनको अधिकार प्राप्त है। इसलिए वे अदालत से बाई म्यूटस एण्ड बाउण्ड खाता विभाजन करने के अधिकारी है इसलिए उन्होने दावा पेष किया है। वादगत भूमि चक 21 केवाईडी ए मु0नं0 118/11 के किला नं0 1 ता 25 की तादादी 5.6905 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि के हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा इसप्रकार कुल भूमि 5.6905 हैक्टर का खाता विभाजन कर, लगान तय कर प्रत्येक हिस्से को अलग–अलग कर दर्ज रिकॉर्ड करने के आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्रसिंह हाजिर आए। वादपत्र में अनेक अवसर के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट/प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिसके अनुसार चक 21 के.वाई.डी. का मुरब्बा नं. 118/11 के किला नं. 1 ता 25 की कुल 5.6905 है0 कमाण्ड कृषि भूमि में से राधेष्याम पुत्र पूर्णराम पुत्र पूर्णराम जाति बावरी निवासी ओडकी तहः व जिला श्रीगंगानगर हाल

आबाद चक 21 केवाईडी खाजूवाला के हिस्से प्रस्ताव में चक 21 केवाईडी मु0नं0 118/11 के किला नं0 1 में 0.1265 है0, 2 ता 5 सालम, 6 में 0.1739 है0, 7 में 0.1739 है0, 8 में 0.1738, 9 में 0.1738, 10 में 0.0633 तादादी कुल 1.8968 हैक्टर व कृष्णलाल पुत्र पूर्णराम जाति बावरी निवासी ओडकी तहः व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 21 केवाईडी खाजूवाला के हिस्से प्रस्ताव में चक 21 केवाईडी मु0नं0 118/11 के किला नं0 10 में 0.0632 है0, 6 में 0.0790 है0, 7 में 0.0790 है0, 8 में 0.0791 है0, 9 में 0.0791 है0, 11 में 0.1265 है0, 12 ता 15 सालम, 16 में 0.0790 है0, 17 में 0.0790 है0, 18 में 0.0790 है0, 19 में 0.0791 है0, 20 में 0.0633 हैक्टर तादादी कुल 1.8969 हैक्टर व राजूराम पुत्र पूर्णराम जाति बावरी निवासी ओडकी तहः व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 21 केवाईडी खाजूवाला चक 21 केवाईडी मु0नं0 118/11 के किला नं0 16 में 0.1739 है0, 17 में 0.1739 है0, 18 में 0.1739 है0, 19 में 0.1738 है0, 20 में 0.0632 है0, 21 में 0.1265 है0, 22 ता 25 सालम कुल तादादी 1.8968 हैक्टर ब.हि.ब दर्शाया है। पत्रावली पर सुना गया। वादी अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार प्रस्ताव/रिपोर्ट का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। अतः वादीगण का वाद वादपत्र के कथनों व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा राधेष्याम पुत्र पूर्णराम पुत्र पूर्णराम जाति बावरी निवासी ओडकी तहः व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 21 केवाईडी खाजूवाला के हिस्से में चक 21 केवाईडी मु0नं0 118/11 के किला नं0 1 में 0.1265 है0, 2 ता 5 सालम, 6 में 0.1739 है0, 7 में 0.1739 है0, 8 में 0.1738, 9 में 0.1738, 10 में 0.0633 तादादी कुल 1.8968 हैक्टर व कृष्णलाल पुत्र पूर्णराम जाति बावरी निवासी ओडकी तहः व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 21 केवाईडी खाजूवाला के हिस्से में चक 21 केवाईडी मु0नं0 118/11 के किला नं0 10 में 0.0632 है0, 6 में 0.0790 है0, 7 में 0.0790 है0, 8 में 0.0791 है0, 9 में 0.0791 है0, 11 में 0.1265 है0, 12 ता 15 सालम, 16 में 0.0790 है0, 17 में 0.0790 है0, 18 में 0.0790 है0, 19 में 0.0791 है0, 20 में 0. 0633 हैक्टर तादादी कुल 1.8969 हैक्टर व राजूराम पुत्र पूर्णराम जाति बावरी निवासी ओडकी तहः व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 21 केवाईडी खाजूवाला के हिस्से चक 21 केवाईडी मु0नं0 118/11 के किला नं0 16 में 0.1739 है0, 17 में 0.1739 है0, 18 में 0.1739 है0, 19 में 0.1738 है0, 20 में 0.0632 है0, 21 में 0.1265 है0, 22 ता 25 सालम कुल तादादी 1.8968 हैक्टर अलग–अलग राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को दिये जाते है। उक्त बंटवारा के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला वादगत भूमि के नक्षा, लगान का हिस्सा अलग–अलग दर्ज करें, तदानुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.25 को सरे इजलास सुनाया गया।((पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 2025/27

01. लिच्छुराम पुत्र श्री सहीराम जाति नायक निवासी 29 क.वाई.डी. बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व)खाजूवाला ।

....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–03.12.25

यह वादपपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के पिता सहीराम पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी साधूवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से चक 29 के.वाई.डी. का मुरब्बा नं. 18/39 के किला नं. 18/39 के किला नं. 1 ता 25 में 24.19 बीघा कमाण्ड रकबा आवंटन हुआ था। वादी के पिता उक्त रकबा के आवंटन के आवेदन पत्र में तत्कालीन समय अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक सम्मान के लिये जाति विषेष का नाम लिखकर हरिजन शब्द का उपयोग किया जाता था। सम्पूर्ण भारत वर्ष अनुसूचित को वर्गीकरण नहीं करके केवल एक वर्ग हरिजन अंकित की गई। जबकि वादी व उसके परिवार की मूल जाति नायक है। वादी ने नायक जाति में जन्म लिया है तथा वादी व उसके परिवार को नायक जाति से जाना पहचाना जाता है। आवंटन आदेषानुसार ही उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता की जाति हरिजन का इन्द्राज हो गया था। वादी के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात् उक्त रकबा वादी व उसकी बहन सावित्री के नाम से विरास्तन नामान्तरण दर्ज हुआ था। उक्त नामान्तरण में भी पूर्व की भांति ही वादी की जाति नायक के बजाय हरिजन दर्ज हो गया था। वादी की सहिस्सेदार उसकी बहन ने वादी के पक्ष में अपने हिस्सा का हक त्याग कर दिया। हक त्याग के पश्चात् उक्त रकबा का नामान्तरणकरण संख्या 138 दिनांक 14.11.2021 से वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया था। वादी के उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में जाति हरिजन दर्ज होने से वादी को काफी असुविधा हो रही है। राजस्व रिकार्ड में जाति हरिजन दर्ज होने से वादी को काफी असुविधा हो रही है। राजस्व रिकार्ड में जाति हरिजन होने से वादी की जाति की पहचान प्रभावित हो रही है। वादी व उसके परिवार के जातिगत पहचान के दस्तावेज नायक जाति के बने हुए है। वादी के स्वर्गीय पिता सहीराम का जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 635 दिनांक 16.09.1998 कार्यालय तहसीलदार खाजूवाला से जारी किया हुआ है तथा वादी स्वयं जाति प्रमाण पत्र क्रमांक आरजे/2017/राजस्व विभाग/जाति का प्रमाण पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.) 25651637447 दिनांक 14.01.2025 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला द्वारा जारी किया हुआ है। इस प्रकार वादी व उसके परिवार के सदस्यो के जाति प्रमाण पत्र नायक जाति के बने हुए है। वादी की जाति नायक होने से उसके जाति से संबंधित सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है तथा राजस्व रिकार्ड में वादी के दस्तावेजो में अलग–अलग जाति होने से वादी को काफी कठिनाईयों व परेषानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में अपनी जाति हरिजन से संषोधन करवाकर नायक करवाना चाहता है। वाद में राज्य सरकार आवष्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। राज्य सरकार के खिलाफ दावा पेष करने से पूर्व 80 सी.पी. सी. का नोटिस दिया जाना आवष्यक है। किन्तु वाद आवष्यक प्रकृति का है इसलिए धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेष किया जाकर वाद पेष किया जा रहा है। वादी का वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में पेष है। अतः घोषणात्मक वाद पेष कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी के नाम का रकबा वाके राजस्व तहसीलदार खाजूवाला के चक 29 के.वाई.डी. बी के मुरब्बा नं. 18/39 के किला नं. 1 ता 25 में कुल 6.3099 हैक्टेयर व मुरब्बा नं. 18/40 के किला नं. 3 ता 5 में 0.1265 हैक्टेयर इस प्रकार दोनो मुरब्बो में कुल 6.4363 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति हरजिन के बजाय नायक की घोषणा कर दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेष फरमावें।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी ने वादपत्र साबित करने के पक्ष में आवंटन आदेष, जाति प्रमाण पत्र लिच्छुराम व सहीराम, मूलनिवास, जमाबंदी इत्यादि की प्रति, ग्राम पंचायत तस्दीक व स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत

किया। पत्रावली पर सुना गया। वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी का वादपत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथपत्र के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 29 केवाईडी बी के मुरब्बा नं. 18/39 के किला नं. 1 ता 25 में कुल 6.3099 हैक्टेयर व मुरब्बा नं. 18/40 के किला नं. 3 ता 5 में 0.1265 हैक्टेयर इस प्रकार दोनों मुरब्बो में कुल 6.4364 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम लिच्छुराम पुत्र श्री सहीराम जाति हरिजन की जगह लिच्छुराम पुत्र श्री सहीराम जाति नायक संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच लिच्छुराम पुत्र श्री सहीराम जाति हरिजन नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का लिच्छुराम पुत्र श्री सहीराम जाति हरिजन नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम लिच्छुराम पुत्र श्री सहीराम जाति हरिजन ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.12.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 65/2023

01. चोखाराम पुत्र फकीराराम जाति मेघवाल निवासी थारूराम तहसील पूगल हाल आबाद चक 8 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75, 136 एल.आर.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 03.12.25**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल अन्तर्गत धारा 75 एल. आर एक्ट प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि अपीलांट के नाम से संयुक्त खाते की कृषि भूमि वाके चक 6 के.वाई.डी. बी का मु.नं. 176/59 का कि.नं. 1 ता 25 प्रत्येक में 0. 2529 है. कुल 6.3225 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि के 8/35 हिस्सा रकबा भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर सरसों, गेहूँ, चना की फसल काष्त कर रखी है। अपीलांट व अपीलांट के सहिस्सेदारान द्वारा उक्त भूमि पर के.सी.सी. ऋण लिया था जिसका अपीलांट ने के.सी.सी. ऋण चुकता कर नॉ–ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त कर रिकार्ड में रहन मुक्त का नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु नॉ–ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें पटवारी हल्का ने इन्तकाल सं. 82 रेस्पोडेन्ट के समक्ष स्वीकृत हेतु पेष किया, जिसमें अपीलांट का नाम चोखाराम के बजाय चोलाराम अंकित कर दिया, जिस पर रेस्पोडेन्ट ने इन्तकाल सं. 82 दिनांक 01.06.2000 में बिना दस्तावेजों की जांच किये, इन्तकाल सं. 82 दिनांक 01.06.2000 को स्वीकृत कर दिया। जबकि विरासतन इन्तकाल 56 दिनांक 23.05.1992 में अपीलांट का नाम चोखाराम पुत्र फकीराराम अंकित है। उक्त जैर अपील आदेष इकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुने या सुचना दिये बगैर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानुन से बाहर जाकर बगैर दस्तावेज निरिक्षण के उक्त ओदष पारित कर कानूनी भूल की है। उक्त जैर अपील आदेष स्वतः शुन्य एवं निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 05.04.2023 को अपीलांट तहसील कार्यालय में हल्का पटवारी से इन्तकाल नकल ली तब अपीलांट को इस जैरकार आदेष की जानकारी लगी तो तुरन्त नकल ली तब अपीलांट को इस जैरकार आदेष की जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील पेष कर रहे है। बीच में लगे समय के लिए लिये अपीलांट दोषी नहीं है क्योंकि उक्त जैर अपील आदेष इकतरफा तौर पर दर्ज किया गया है इसलिए मियाद कन्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद सुमार की जानी आवष्यक है। मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अपील पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट पेष कर अर्ज है कि अपील स्वीकार कर उक्त जैर अपील आदेष स्वीकृत दिनांक 01.06.2000 इन्तकाल सं. 82 दर्ज किया गया को निरस्त कर अपीलांट के नाम को चोलाराम के बजाया चोखाराम अंकित करने के आदेष प्रदान करें एवं अन्य जो भी दादरसी न्यायालय उचित समझे अपीलांट के पक्ष में प्रदान करें।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलांट/प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र व षपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी व मेरे सहिस्सेदारान के नाम से चक 6 केवाईडी बी मु0नं0 176/59 की 25.00 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें मुझ मिकर का 8/35 हिस्सा बनता है जो कि इंतकाल सं0 56 दिनांक 23.05.1992 से विरासतन दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल दर्ज करते समय पटवारी द्वारा दिनांक 23.05.1997 को भूमि का रहनमुक्त इंतकाल दर्ज करवाते समय इंतकाल संख्या 82 में मुझ प्रार्थी का नाम चोखाराम पुत्र फकीराराम की जगह चोलाराम पुत्र फकीराराम कर दिया था। जबकि मुझ प्रार्थी व मेरे अन्य सहिस्सेदारान के नाम से 8 केवाईडी बी के मु0नं0 176/18 के इंतकाल सं0 29 व चक 9 केवाईडी ए मु0नं0 155/64 इंतकाल सं0 37 में मुझ प्रार्थी का नाम चोखाराम पुत्र फकीराराम दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा श्रीमान न्यायालय उपखण्ड के समक्ष धारा 75 एलआरएक्ट अपील पेष कर रखी है जिसमें प्रार्थी इंतकाल निरस्त नहीं करवाकर आरटीएक्ट की धारा 136 में नाम दुरूस्त करवाना चाहता हूं। अपीलार्थी के तमाम दस्तावेजों व चक 8 केवाईडी बी की इंतकाल सं0 29 व 9 केवाईडी ए के इंतकाल सं0 37 में मेरा नाम चोखाराम पुत्र फकीराराम दर्ज है, जबकि इंतकाल सं0 82 में मुझ प्रार्थी का नाम चोलाराम पुत्र फकीराराम की जगह चोखाराम पुत्र फकीराराम करवाना चाहता हूं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुझ प्रार्थी का नाम चोलाराम पुत्र फकीराराम की जगह चोखाराम पुत्र फकीराराम करने की कृपा करें। पत्रावली पर सुना गया। अपीलांट/प्रार्थी अधिवक्ता ने अपील मीमों/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे अपील/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व शपथपत्र का गहन अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथपत्र के आधार पर धारा 75 व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे अपील/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 6 के.वाई.डी. बी का मु.नं. 176/59 का कि.नं. 1 ता 25 प्रत्येक में 0.2529 है. कुल 6.3225 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि के 8/35 हिस्सा रकबा भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम चोलाराम की जगह चोखाराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच चोलाराम नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का चोलाराम नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम चोलाराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.12.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 6/2024

01. उदराम पुत्र भूरीदेवी बेवा निकूराम जाति मेघवाल निवासी वक 8 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। .....अपीलान्ट

बनाम

02. चेतनराम पुत्र भूरीदेवी बेवा निकूराम जाति मेघवाल निवासी वक 8 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
03. सोहनराम पुत्र भूरीदेवी बेवा निकूराम जाति मेघवाल निवासी वक 8 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला। .... रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

आदेश दिनांक :– 05.12.25

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल अन्तर्गत धारा 75 एल. आर एक्ट प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि अपीलांट की माता स्व. भूरीदेवी बेवा निकूराम की वाके चक 8 बी.डी. 'बी' के मु.नं. 153/54 के किला नं. 1 ता 15 व 17 ता 23 प्रत्येक में 0.2529 है. कुल 5.5638 हैक्टेयर अनकमाण्ड व मु.नं. 153/62 के किला नं. 1 ता 10, 16, 24 प्रत्येक में 0.2529 हैक्टेयर कुल 3.2877 हैक्टेयर अनकमाण्ड इस प्रकार कुल तादादी 8. 8515 हैक्टेयर भूमि पुख्ता आवंटन शुदा दर्ज रिकार्ड थी। माता के जीवनकाल में उक्त भूमि उनके कब्जे में रही तथा उनके स्वर्गवास के पष्चात् आरजी का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से अपीलांट का नाम उदाराम के स्थान पर बुद्धाराम दर्ज कर दिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था, ना ही उक्त इन्तकाल भरते समय राजस्व कर्मचारियों ने कोई सूचना नहीं दी। रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने ना तो अपीलांट को व ना ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 2 को किसी तथ्य के बारे में जानकारी दी इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार कर वाके चक 8 बी.डी.(बी) का इन्तकाल नं. 35 दिनांक 24.11.2000 को निरस्त करते हुए अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज किया जावे। उक्त जैर अपील आदेष इकतरफा तौर बिना अपीलांट को सुने या सूचना दिये बगैर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून से बाहर जाकर बगैर निरिक्षण के उक्त आदेष पारित कर कानूनी भूल की है। उक्त जैर अपील आदेष निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 18.12.2023 को अपीलांट तहसील कार्यालय में पटवारी हल्का के पास अपने उपरोक्त रकबा की जमाबन्दी, गिरदावरी लेने गया तो पटवारी हल्का ने बताया की आपकी उपरोक्त वर्णित आरजी में उदाराम का नाम कहीं पर भी दर्ज नहीं है, और कहा कि आप जो नाम आपके अलावा बता रहे है वो तो सही है। बाकी एक नाम बुद्धराम दर्ज है तब मैनें पटवारी हल्का को कहा कि बुद्धराम नाम का हमारे कोई भाई नहीं है। तब पटवारी हल्का ने कहा कि आपका नाम तो नाम ही विरासतन इन्तकाल में ही गलत दर्ज है, इसलिए श्रीमान उपखण्ड अधिकारी से आदेष लेकर आओगे तभी नाम सही हो सकता है। तब अपीलांट ने इन्तकाल की नकल लेकर तुरंत जानकारी के दिन से अंदर मियाद अपील पेष कर रहा हूँ, बीच में लगे समय के लिये अपीलांट दोषी नहीं है क्योंकि उक्त जैर अपील आदेष इकतरफा तौर पर दर्ज किया गया है इसलिए मियाद कन्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद सुमार की जानी आवष्यक है। मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अपीलांट हितबद्ध एवं पीड़ित पक्षकार होने के नाते अपील पेष कर रहा है एवं उक्त भूमि के विरासतन मालिक काबिज काष्तकार व्यक्ति है अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 2 अनपढ़ व रिकार्ड की आवष्यकता नहीं होने के कारण उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड कभी भी जांच नहीं किया। इसलिए उक्त जैर अपील आदेष निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 2 औपचारिक पक्षकार है जिनका हित निहित है एवं विरासतन में मिली भूमि पर अपीलांट के साथ काबिज काष्त हैं। अपील पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद एवं न्यायालय के क्षैत्राधिकार में प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट पेष कर अर्ज है कि अपील स्वीकार कर उक्त जैर अपील आदेष राजस्व तहसीलदार खाजूवाला के इन्तकाल सं. 35 दिनांक 24.11.2000 जो विरास्तन दर्ज किया गया को निरस्त कर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 2 के नाम से इन्तकाल दर्ज करने के आदेष रेस्पोडेन्ट सं. 3 को प्रदान करें एवं अन्य जो भी दादरसी न्यायालय उचित समक्षे अपीलांट के पक्ष में प्रदान करें।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस भिजवाने के बावजूद हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री त्रिलोक सिंह ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वकालतनामा दिनांक 18.07.2024 को प्रस्तुत कर दिया किन्तु रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया। अतः एकपक्षीय कार्यवाही आदेष निरस्त फरमाया जावे। पत्रावली अवलोकन करने पर वकालतनामा पत्रावली में संलग्न है किन्तु रिकॉर्ड में अंकित नहीं है।

अप्रार्थी सं. 2 के हद तक एकपक्षीय कार्यवाही आदेष निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी सं. 1 द्वारा एक प्रार्थनापत्र व शपथपत्र पेष किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी व सहिस्सेदारान के नाम वाके चक 8 बीडी (बी) के मुरब्बा नं. 153/54 की 5.5638 हैक्टेयर व मुरब्बा नं. 153/62 की 3.2877 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। जिसमें मुझ मिकर का 1/3 हिस्सा बनता है। पटवारी हल्का द्वारा इन्तकाल दर्ज करते समय इन्तकाल सं. 35 दिनांक 24.11.2000 को राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। जिसमें मुझ मिकर का 1/3 हिस्सा बनता है। पटवारी हल्का द्वारा इन्तकाल दर्ज करते समय इन्तकाल संख्या 35 दिनांक 24.11.2000 को राजस्व रिकार्ड में मुझ मिकर का नाम बुद्धराम पुत्र निकूराम कर दिया है। जबकि मुझ मिकर के तमाम दस्तावेजों में नाम उदाराम पुत्र निकूराम है तथा कार्यालय ग्राम पंचायत 14 बीडी द्वारा दिनांक 24.06.2000 को वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें मुझ मिकर का नाम उदाराम दर्ज है। मैं मिकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बुद्धराम पुत्र निकूराम की जगह उदाराम पुत्र निकूराम करवाना चाहता हूं। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुझ प्रार्थी का नाम बुद्धराम पुत्र निकुराम की जगह उदाराम पुत्र निकूराम करने की कृपा करें।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व शपथपत्र का गहन अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथपत्र के आधार पर धारा 75 व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे अपील/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं वाके चक 8 बी.डी. 'बी' के मु.नं. 153/54 के किला नं. 1 ता 15 व 17 ता 23 प्रत्येक में 0.2529 है. कुल 5.5638 हैक्टेयर अनकमाण्ड व मु.नं. 153/62 के किला नं. 1 ता 10, 16, 24 प्रत्येक में 0.2529 हैक्टेयर कुल 3. 2877 हैक्टेयर अनकमाण्ड इस प्रकार कुल तादादी 8.8515 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बुद्धराम की जगह उदराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच बुद्धराम नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का बुद्धराम नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम बुद्धराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.12.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2025/55

01. सुरताराम पुत्र श्री मनफूलराम जाति जाट निवासी ततारसर तहसील श्रीगांगानगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–12.12.25

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 31 केवाईडी का मुरब्बा नम्बर 240/19 के किला नं. 1 ता 20 प्रत्येक में 0.2529 है0, 21/2, 22/2, 23/1, 24/1, 25/1 प्रत्येक में 0.2276 है0 इस प्रकार कुल 25 किता में 6.1960 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसका वह उपरोक्त कृषि भूमि का खातेदारी काष्तकार है। उक्त भूमि के संबंध में सभी उपयोग एवं उपभोग के अधिकार प्रार्थी को प्राप्त है। उपरोक्त भूमि प्रार्थी काबिज काष्त चला आ रहा है। उपरोक्त मुरब्बा नं0 240/19 की कृषि भूमि जरिये आलोटमेन्ट ऑर्डर में प्रार्थी का नाम सूरतसिंह पुत्र मनफूलराम अंकित हो गया है तथा उस समय आधार कार्ड नहीं बनते थे इसलिए जब मेरी उपरोक्त कृषि भूमि का पट्टा जारी किया गया व खातेदारी दी गई जिसमें मुझ मिकर का नाम सूरतसिंह अंकित हो गया तथा मुझ प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी के अनुसार प्रार्थी का नाम जमाबन्दी रिकार्ड में सूरतसिंह पुत्र मनफूलराम अंकित कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम सुरताराम पुत्र मनफूलराम है। प्रार्थी सुरताराम का नाम समस्त दस्तावेजो आधार कार्ड, परिवार राषन कार्ड, वोटर लिस्ट, परिचय पत्र इत्यादि में वास्तविक नाम सुरताराम पुत्र मनफूलराम दर्ज है कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में सुरताराम के स्थान पर सहवन से सूरतसिंह दर्ज हो गया चुंकि नामान्तरण दर्ज करते वक्त कोई सरकारी दस्तावेज सलंग्न नहीं होते थे। प्रार्थी का सरकारी दस्तावेजों में सुरताराम नाम दर्ज है लेकिन भूमि के राजस्व रिकार्ड में सूरतसिंह दर्ज चला आ रहा है इनके नाम रिकार्ड से विरोधाभाषी होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, बैंक के लेन देन में बार–बार बाधा उत्पन्न होती है तथा भूमि सम्बधित अन्य कार्यो में लैंड रिकार्ड से भिन्न नाम होने के कारण प्रार्थी को काफी परेषानी होती है। इसलिए हम प्रार्थी द्वारा अपने कृषि भूमि के रिकार्ड में अपना सही एवं वास्तविक नाम जो कि सभी सरकारी दस्तावेजों में अंकित है को अपनी भूमि के राजस्व रिकार्ड में संषोधन करवाकर सही एवं सत्य नाम जो कि आधार कार्ड, परिवार कार्ड इत्यादि में दर्ज है वह दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी के नाम संषोधन एवं शुद्धी पत्र हेतु अप्रार्थी को निवेदन किया था लेकिन वहां मुझे कोई न्याय नहीं मिला न ही मुझ प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में नाम संषोधन किया गया इसलिए ये संषोधन हेतु यह प्रार्थना पत्र अदालत हाजा में पेष किया जा रहा है। उपरोक्त कृषि भूमि खाजूवाला तहसील में होने के कारण क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फिस पर पेष किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का पेष कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि तहसील खाजूवाला का चक 31 के.वाई.डी. का मुरब्बा नम्बर 240/19 के किला नम्बर 1 ता 20 प्रत्येक में 0.2529 है0, 21/1, 22/2, 23/1, 24/1, 25/1 प्रत्येक में 0.2276 है0 इस प्रकार कुल 25 किता में 6.1960 है0 अनकमाण्ड के राजस्व रिकार्ड में संषोधन करके प्रार्थी का वास्तविक एवं रिकार्ड नाम सूरतसिंह के स्थान पर सुरताराम दर्ज करने के आदेष करने की कृपा करें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में राशनकार्ड, आधारकार्ड, जमाबंदी, जनआधार कार्ड, पहचानपत्र, पेन कार्ड बैंक डायरी इत्यादि की प्रति प्रस्तुत किया। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते

हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 31 के.वाई.डी. का मुरब्बा नम्बर 240/19 के किला नम्बर 1 ता 20 प्रत्येक में 0.2529 है0, 21/1, 22/2, 23/1, 24/1, 25/1 प्रत्येक में 0.2276 है0 इस प्रकार कुल 25 किता में 6.1960 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सूरतसिंहं की जगह सुरताराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सूरतसिंह नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सूरतसिंहं नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम सूरतसिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2025/206

01. मानकंवर पत्नि छगनसिंह जाति राजपूत निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर हाल अम्बाबाडी, जयपुर तहसील व जिला जयपुर राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला/दन्तौर ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–05.12.25

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थीया के नाम से कृषि भूमि वाके तहसील खाजूवाला उप तहसील दन्तौर का चक 5 पी.आर.एम. का मुरब्बा नं. 37/54 के किला नं. 1 ता 25 में कुल 6.1960 है0 जरिये बैयनामा खरीदषुदा है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड का ऑनलाईन करते समय मानकंवर की जगह भान कंवर दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीया का सही नाम मानकंवर है। प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक आदि में प्रार्थीया का सही नाम मानकंवर है। केवल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मानकंवर की जगह भान कंवर लिखा गया है जो कि काबिले दुरूस्ती है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मानकंवर की जगह भान कंवर दर्ज होने से प्रार्थीया को काफी कठिनाईयों व परेषानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे प्रार्थीया को अपूर्तनीया क्षति हो रही है। जिसका आंकलन रूपयों–पैसो में नहीं किया जा सकता है। जिसे प्रार्थीया जरिये प्रार्थना पत्र दुरूस्ती करवाना चाहती है जो कि अधिनस्थ न्यायालय दुरूस्त किये जाने योग्य है। मामला काबिले दुरूस्ती के है व प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में पूर्ण कोर्ट फीस पर पेष है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत पेष कर श्रीमानजी से अर्ज है कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम भानकंवर की जगह मान कंवर दुरूस्त किये जाने का आदेष फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, जमाबंदी, पेन कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि की प्रति व स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक नं. 5 पी.आर.एम. का मुरब्बा नं. 37/54 के किला नं. 1 ता 25 में कुल 6.1960 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम भानकंवर की जगह मान कंवर संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच भानकंवर नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का भानकंवर नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम भानकंवर ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 175/2025

01. परवीन बानो पत्नी शौकतअली कोहरी जाति मुसलमान निवासी रिडमलसर सिपाहीयान तहसील व जिला बीकानेर हाल निवासी चक 6 केजेडी ए खाजूवाला

.....अपीलान्ट

बनाम

01. मुकेषकुमार पुत्र हनुमानराम जाति बिष्नोई निवासी नई धान मण्डी गायत्री स्कूल के पास खाजूवाला
02. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला
03. उप–पंजीयक खाजूवाला .... रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

आदेश दिनांक :– 23.11.25

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री इमीचन्द गोदारा अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेष पारित करने से पूर्व रिकॉर्ड बैयनामा दिनांक 28.04.2025 का ना तो अवलोकन किया ना ही बैयनामा के मुताबिक बेचान रकबा का मिलान किया केवल मात्र सरसरी तौर पर बैयनामा दिनांक 28.04.2025 का नामान्तरण सं0 149 पटवारी हल्का द्वारा मिलीभगत कर गलत भर कर पेष किया बिना कोई जांच किये ही अपीलाधीन आदेष विद्युत की वेग की तरह नामान्तरण सं0 149 स्वीकृत कर घोर कानूनी गलती की है इसलिए आदेष अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। बैयनामा दिनांक 28.04.25 के अनुसार अपीलांट ने अपने नाम से चक 6 केजेडी ए के खाता सं0 31 के मु0नं0 81/29 के किला नं0 4 ता 6 में 0.2529 है0, 7/2 में 0.1265 है0 इसप्रकार कुल 4 किता में 0.8852 है0 मय खाला व खाता सं0 15 के मु0नं0 81/29 के किला नं0 13 ता 17 प्रत्येक में 0.2529 है0, 23/2 में 0.2276 है0, 24/2 में 0.2276 है0, 25/2 में 0.2276 हैक्टर इसप्रकार 8 किता में 1.9473 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनो मुरब्बों के खाता में कुल 12 किता में 2.8325 है0 रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें से अपीलांट से रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने चक 6 केजेडी ए के खाता सं0 31 मु0नं0 81/29 के किला नं0 4 ता 6 की कुल 0.7587 है0 मय खाला व खाता सं0 15 के मु0नं0 81/29 के किला नं0 15, 16, 25/2 में 0.0759 है0 इसप्रकार दोनो खाते में कुल 0.8346 है0 मय खाला रकबा का बेचान हुआ। बैयनामा दिनांक 28.04.25 के पंजीयन व मुद्रांक विभाग द्वारा पंजीयन चैक लिस्ट जी.आर.एन. नम्बर 25042843477 में भी अचल सम्पति विवरण के क्र0सं0 5 में खसरा सं0/भूखण्ड सं0 के कॉलम में मु0नं0 81/29 के किला नं0 15, 16, 25/2 तथा 81/29 के किला नं0 4, 5, 6 व ग्राम/कॉलोनी/षहर/तहसील/जिला के कॉलम में चक 6 केजेडी ए सिंचित नजदीक अन्य रोड खाजूवाला जिला बीकानेर व भूमि का क्षेत्रफल कॉलम में 0.8346 है0 दर्ज है तथा उसी अनुसार ऑनलाईन ई.ग्रास चालान बना और भुगतान हुआ अचल सम्पति के विवरण अनुसार ही पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा ऑनलाईन ई वेल्युवेषन रिपोर्ट बनती है जिसमें अचल सम्पति का पूरा विवरण जितनी सैल डीड होनी है उतना भरा जाता है जिसमें उसकी कुल भूमि के मुताबिक कुल राषि बनती है। अपीलांट की भूमि की सैलडीड के अनुसार ई वेल्युवेषन रिपोर्ट में क्र. सं. 1 सम्पति विवरण के सब कॉलम (ii) में सैलडीड वाली सम्पति का विवरण अंकित है व सब कॉलम (ii) में राज्य सरकार की जिला लेवल कमेटी द्वारा निर्धारित रेट डीएलसी का विवरण अंकित होता है व सब कॉलम (iii) में सम्पति का कुल क्षेत्रफल अंकित होता है जिससे अपीलांट के चक 6 केजेडी के मु0नं0 81/29 किला नं0 15, 16, 25/2 व मु0नं0 81/29 के किला नं0 4, 5, 6 में से कुल 0.8346 है0 रकबा डीएलसी के मुताबिक 1492181/– रूपये कुल कीमत बनकर 132112/– रूपये की स्टाम्प ड्यूटी पर दस्तावेज पंजीयन हुआ लेकिन पटवारी हल्का ने बैयनामा दिनांक 28.04.25 में विक्रीत भूमि 0.8346 है0 के स्थान पर रेस्पेडेन्ट के साथ सांठ–गांठ कर नामान्तरण सं0 149 में अपीलांट की पूरी भूमि खाता सं0 31 की 0.8852 का भरकर स्वीकृत करवा लिया है। जिससे अपीलांट की मु0नं0 81/29 के किला नं0 7 की 0.1265 है0 भूमि अधिक का नामान्तरणकरण गलत व सांठ गांठ कर स्वीकृत करवा लिया जो मुताबिक बैयनामा नहीं होने के कारण आदेष अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को बैयनामा दिनाक 28.04.25 में विक्रित भूमि 0.8346 है0 से अधिक का रिकॉर्ड में अंकन नहीं करना चाहिए बल्कि भूमि 0.8346 है0 से अधिक का रिकॉर्ड में अंकन नहीं करना चाहिए बल्कि बैयनामा दिनांक 28.04.25 को पूरी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय को जांच करने के बाद ही अपीलाधीन आदेष पारित

करना चाहिए था इसलिए बिना जांच किये व बिना मिलान किये विक्रीत भूमि 0.8346 है0 के स्थान पर 0.8852 है0 नामान्तरण सं0 149 दिनांक 05.06.25 स्वीकृत कर घोर कानूनी गलती की है इसलिए आदेष अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेष दिनांक 05.06.25 में खाता सं0 31 की कुल 0.8852 है0 भूमि का नामान्तरण सं0 149 से अंकन कर दिया तथा खाता सं0 15 मु0नं0 81/29 के किला नं0 15, 16, 25/2 की 0.0759 है0 भूमि का और अंकन कर दिया तो कुल भूमि 0.9611 है0 रिकॉर्ड में अंकन जाएगी तो अपीलांट के साथ साथ राज्य सरकार को भी 20207/– रूपये की भी हानि हुई है और अधीनस्थ न्यायालय ने ध्या नही दिया तथा बैयनामा से अधिक भूमि का नामान्तरण स्वीकृत का घोर लापरवाही व कानूनी गलती की है इसलिए आदेष अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम बैयनामा दिनांक 28.04.25 का अवलोकन व जांच करनी चाहिए थी जो नहीं की ना ही अपीलांट को सूचना दी की बैयनामा दिनांक 28.04.25 में कुल कितनी भूमि का बेचान हुआ ना ही बैयनामा दिनांक 28.04.25 को देखा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के प्रभाव में हल्का पटवारी द्वारा बैयनामा से अधिक का नामान्तरण भरकर पेष कर दिया और अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये स्वीकृत कर घोर कानूनी गलती की है इसलिए आदेष अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ने चक 6 केजेडी ए के खाता सं0 31 मु0नं0 81/29 के किला नं0 4 ता 6 प्रत्येक में 0.2529 है0 की कुल 0.7587 है0 व 6 केजेडी ए खाता सं0 15 के मु0नं0 81/29 के किला नं0 15, 16, 25/2 में 0.0759 है0 इसप्रकार दोनो खाते में कुल 0.8346 है0 का ही बैयनामा करवाया गया तथा 0.8346 है0 भूमि की स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार में अदा कर दी तो बैयनामा की 0.8346 है0 से अधिक भूमि का अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण दर्ज कर घोर कानूनी गलती की है इसलिए आदेष जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 सं0 1 दिनांक 04.10.25 को मौके पर ट्रेक्टर लेकर आया तथा अपीलांट की चक 6 केजेडी ए मु0नं0 81/29 के किला नं0 7 की 0.1265 है0 भूमि में बनी डिग्गी को तोड़ने लग गया। अपीलांट व उसके पिता ने कहा की हमने खाता सं0 31 की पूरी भूमि अपने नाम करवा ली है इसलिए डिग्गी तोड़ रहे है तो अपीलांट व उसके पिता ने रेस्पो0 1 को व उसके पिता को समझाया नहीं माने तो अपीलांट ने रेस्पो0 सं0 1 को वहा भूमि में तोड़फोड़ नहीं करने दी तो रेस्पो0 सं0 1 ने कहा की हल्का पटवारी से साठ–गांठ कर अपीलाधीन आदेष में भूमि बैयनामा से अधिक का नामान्तरण अपने नाम करवा लिया है। अपीलांट ने रेस्पो0 सं0 1 व उसके पिता को समझाया व गलत नामान्तरण क्यो करवाया तो रेस्पो0 सं0 1 व उसके पिता ने धमकी दी की हमने तो अपने नाम करवा ली तुम से जो बनता है कर लो पटवारी हल्का हमारा रिष्तेदार था इसलिए उसने नामान्तरण सं0 149 हमारे कहे अनुसार पूरी भूमि का नामान्तरण हमारे नाम कर दिया तो अपीलांट ने अपीलाधीन आदेष नामान्तरण व बैयनामा व अन्य दस्तावेज की नकलो बाबत् कार्यवाही की जो बाद तैयारी दिनांक 08.10.25 व नामान्तरण दिनांक 09.10.25 को अपीलांट को मिली अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियाद पेष है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेष अधीनस्थ न्यायालय नामान्तरण सं0 149 दिनांक 05.06.25 निरस्त फरमाये जाने के आदेष फरमावें।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस भिजवाने पर रेस्पो0 सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भीमसिंह डूकिया ने उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार चक 6 केजेडी ए मु0नं0 81/29 के किला नं0 4 ता 6, 7/2 में कुल 0.8852 है0 बैयनामा दिनांक 28.04.25 का तहसीलदार खाजूवाला द्वारा नामान्तरण सं0 149 दिनांक 05.06.25 के स्वीकृत आदेष के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला में पेष की है जबकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75(क) में स्पष्ट प्रावधान है कि भू–प्रबन्धक अथवा भूमि अभिलेख से संबंधित मामलों में तहसीलदारों द्वारा दी गई मूल आज्ञा से जिलाधीष को प्रथम अपील होगी। अपीलांट ने तहसीलदार खाजूवाला द्वारा नामान्तरण सं0 149 दिनांक 05.06.25 के स्वीकृत आदेष के विरूद्ध क्षेत्राधिकार के बाहर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष अपील की है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला को तहसीलदार खाजूवाला द्वारा नामान्तरण सं0 149 दिनांक 05.06.25 के स्वीकृत आदेष के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार नामान्तरण से संबंधित अपील सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को अधिसूचना से दिया हुआ है जो कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में जिलाधीष के क्षेत्राधिकार को उपखण्ड अधिकारी को दिया हुआ है। प्रार्थी ने नामान्तरण सं0 149 दिनांक 05.06.25 में विक्रिय किये गये रकबा चक 6 केजेडी ए मु0नं0 81/29 के किला नं0 4,5,6 की 03.00 बीघा व किला नं0

15, 16, 25/2 की 02–02 बिस्वा कुल 03.06 बिस्वा अर्थात 0.8346 हैक्टर का बेचान हुआ लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के पटवारी हल्का से साठ–गाठ कर मु0नं0 81/29 के किला नं0 4, 5, 6, 7/2 की कुल 0.8852 हैक्टर का नामान्तरण सं0 149 दिनांक 05.06.25 स्वीकार कर दिया जो कि बैयनामा से अधिक कर दिया उक्त का बैयनामा नहीं हुआ। अपील पूर्णरूप से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है तथा सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। जोकि अधिसूचना एफ(54)राज./ग्रुप 4/73/ दिनांक 05.05.1973 द्वारा क्षेत्राधिकार दिया हुआ है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेष कर अर्ज है कि प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जाने के आदेष फरमावें। पत्रावली में उक्त प्रार्थनापत्र के साथ अंतिम बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट ने बताया कि उक्त जैरअपील आदेष एकतरफातोर पर पारित हुआ है और जानकारी के अन्दरमियाद अपील पेषकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाना है।

दौराने बहस अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुवे अपील अपीलांट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है। रेस्पो0 सं0 अधिवक्ता ने निवेदन किया कि बैयनामा में किला नं0 7/2 अंकित है और बैयनामा के अनुसार ही इंतकाल दर्ज हुआ है और अपीलांट ने बैयनामा को कहीं चैंलेज नहीं किया है एवं बैयनामा आज भी कायम है इसलिए इंतकाल को खारिज करवाने की अपील न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं है और ना ही क्षेत्राधिकार में है इसलिए अपील अपलांट खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। अपीलांट ने बहस में निवेदन किया है कि किला नं0 7/2 रकबा 0.1265 है0 का बैयनामा नहीं करवाया है जबकि प्रस्तुत बैयनामा में किला नं0 7/2 रकबा 0.1265 है0 अंकित है एवं रेस्पो0 सं0 1 ने अपील में निवेदन किया है कि बैयनामा आज दिन तक कायम है जिसपर अपीलांट अधिवक्ता ने आपत्ति नहीं की है। इससे साबित होता है बैयनामा आज भी कायम है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवलोकनानुसार अपीलांट अपील मीमों को साबित करने में असफल रहा है। अतः अपील स्वीकार के काबिल नहीं है।

अतः अपील अपीलांट साबित करने में असफल रहा है इसलिए अपील सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैषल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

सुभाषचन्द्र वगै0 बनाम रायसिंह वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 191/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
23.12.25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं0 01, 04 जवाब शामिल मिसल हो चुके है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि उक्त वादगत भूमि पुष्तैनी है और अप्रार्थी सं0 1 को बंधक बनाकर धोखाधड़ी से बैयनामा अप्रार्थी सं0 04 ने करवा लिया है। वादगत भूमि में प्रार्थीगण का हक निहित है इसलिए वाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई फरमाई जावे। अप्रार्थी सं0 4 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादगत भूमि जरिये खरीदषुदा है और बैयनामा आज दिनांक तक कायम है इसलिए वादगत भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 का वर्तमान में कोई हक निहित नहीं रहा है। चूंकि अप्रार्थी सं0 4 द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की है इसलिए वादगत भूमि पर समस्त हक–अधिकार अप्रार्थी सं0 4 के है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 दुरभिसंधि करके स्थगन की आड़ में उक्त बैयनामा का इंतकाल रूकवाकर तंग–परेषान करना चाहते है। बैयनामा के विरूद्ध सुनने का क्षेत्राधिकार भी न्यायालय हाजा को नहीं है एवं प्रार्थीगण न्यायालय को गुमराह कर एकपक्षीय स्थगन आदेष जारी करवा लिया है। प्रार्थीगण को न्यायालय में वाद लाने का वाद हैतुक ही प्राप्त नहीं था। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन मूल बिन्दू/शर्त है कि प्रथमदृष्ट्या मामला, अपूर्णनीय क्षति, सुविधा का संतुलन है उक्त तीनों ही शर्त प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। वादगत भूमि अप्रार्थी सं0 4 की खरीदषुदा भूमि है जिसमें अन्य किसी का हक निहित नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र नियमानुसार न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू को साबित करने में असफल रहे है। अतः यह पत्रावली/प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है एवं दिनांक 03.11.25 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 23.12.25 सरे इजलास सुनाया गया।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

रमेषकुमार बनाम श्रवणकुमार वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 52/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
23.12.25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं0 01 जवाब शामिल मिसल हो चुका है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि उक्त वादगत भूमि का हक निहित है इसलिए बंटवारा कर दिया जाए एवं बिना खाता विभाजन किये स्थगन नहीं होने की स्थिति की अप्रार्थी भूमि को आगे बेचान कर देगें जिससे और अधिक वाद–विवाद बढ़ेगें। अतः वाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई फरमाई जावे। अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादगत भूमि स्थगन की आड़ में प्रार्थी तंग परेषान करता है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेषानी आती है। वादगत भूमि में अप्रार्थी सं0 1 का हक निहित है इसलिए प्रार्थी को स्थगन लेने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थी न्यायालय को गुमराह कर एकपक्षीय स्थगन आदेष जारी करवा लिया है। प्रार्थी को न्यायालय में वाद लाने का वाद हैतुक ही प्राप्त नहीं था। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन मूल बिन्दू/शर्त है कि प्रथमदृष्ट्या मामला, अपूर्णनीय क्षति, सुविधा का संतुलन है उक्त तीनों ही शर्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू को साबित करने में असफल रहे है। अतः यह पत्रावली/प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है एवं दिनांक 06.04.23 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 23.12.25 सरे इजलास सुनाया गया।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

नत्थासिंह बनाम सरजीतसिंह वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 29/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
23.12.25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं0 01 जवाब शामिल मिसल हो चुका है। प्रार्थी अधिवक्ता ने फॉर्म सं0 3 के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल मिसल किये गए। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि उक्त वादगत भूमि का हक–हिस्सा निहित है इसलिए खाता विभाजन कर दिया जाए एवं बिना खाता विभाजन किये स्थगन नहीं होने की स्थिति में अप्रार्थी भूमि को आगे बेचान कर देगें जिससे और अधिक वाद–विवाद बढ़ेगें। अतः वाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई फरमाई जावे। अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादगत भूमि स्थगन की आड़ में प्रार्थी तंग परेषान करता है। वादगत भूमि में अप्रार्थी सं0 1 का हक–हिस्सा निहित है इसलिए प्रार्थी को स्थगन लेने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थी को न्यायालय में वाद लाने का वाद हैतुक ही प्राप्त नहीं था। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन मूल बिन्दू/शर्त है कि प्रथमदृष्ट्या मामला, अपूर्णनीय क्षति, सुविधा का संतुलन है उक्त तीनों ही शर्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू को साबित करने में असफल रहे है। अतः यह पत्रावली/प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है एवं दिनांक 28.11.25 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 23.12.25 सरे इजलास सुनाया गया।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

नत्थासिंह बनाम सरजीतसिंह वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 29/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
23.12.25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं0 01 जवाब शामिल मिसल हो चुका है। प्रार्थी अधिवक्ता ने फॉर्म सं0 3 के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल मिसल किये गए। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि उक्त वादगत भूमि का हक–हिस्सा निहित है इसलिए खाता विभाजन कर दिया जाए एवं बिना खाता विभाजन किये स्थगन नहीं होने की स्थिति में अप्रार्थी भूमि को आगे बेचान कर देगें जिससे और अधिक वाद–विवाद बढ़ेगें। अतः वाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई फरमाई जावे। अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादगत भूमि स्थगन की आड़ में प्रार्थी तंग परेषान करता है। वादगत भूमि में अप्रार्थी सं0 1 का हक–हिस्सा निहित है इसलिए प्रार्थी को स्थगन लेने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थी को न्यायालय में वाद लाने का वाद हैतुक ही प्राप्त नहीं था। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन मूल बिन्दू/शर्त है कि प्रथमदृष्ट्या मामला, अपूर्णनीय क्षति, सुविधा का संतुलन है उक्त तीनों ही शर्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू को साबित करने में असफल रहे है। अतः यह पत्रावली/प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है एवं दिनांक 28.11.25 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 23.12.25 सरे इजलास सुनाया गया।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

हरबंषसिंह बनाम मो0 साबिर वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 64/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
23.12.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने फॉर्म सं0 3 के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल मिसल किये गए। अप्रार्थी सं0 01 जवाब का बंद किया जा चुका है। अप्रार्थी सं0 2 बावजूद तामिल पत्रावली पर हाजिर नहीं। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि उक्त वादगत भूमि प्रार्थी के कब्जा काष्त में है एवं अप्रार्थी सं0 2 ने कूटरचित मुख्त्यारनामा तैयारकर बेचान अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में कर दिया है इसलिए शुरू से ही शून्य दस्तावेज के आधार पर किये बैयनामा प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एफआईआर करवाई गई है। उक्त स्थगन स्थगन नहीं होने की स्थिति में अप्रार्थीगण भूमि को खुर्द–बुर्द कर देगें जिससे और अधिक वाद–विवाद बढ़ेगें एवं प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः वाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई फरमाई जावे। अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादगत भूमि स्थगन की आड़ में प्रार्थी तंग परेषान करता है। अप्रार्थी सं0 1 जरिये बैयनामा खरीदषुदा खातेदार है एवं बैयनामा उप–पंजीयक कार्यालय में हुआ है एवं आजदिनांक तक बैयनामा कायम है इसलिए वादगत भूमि पर समस्त हक अधिकार अप्रार्थी सं0 1 के है। प्रार्थी को स्थगन लेने का कोई विधिक अधिकार नहीं है एवं उक्त प्रकरण इस न्यायालय के श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार में नहीं है। प्रार्थी को न्यायालय में वाद लाने का वाद हैतुक ही प्राप्त नहीं था। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन मूल बिन्दू/शर्त है कि प्रथमदृष्ट्या मामला, अपूर्णनीय क्षति, सुविधा का संतुलन है उक्त तीनों ही शर्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। चूंकि वादगत भूमि का बैयनामा हो चुका है एवं जब तक बैयनामा कायम है, तब तक खरीददार को अपने हक–अधिकारों से वंचित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उचित नहीं है। प्रार्थी प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू को साबित करने में असफल रहे है। अतः यह पत्रावली/प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है एवं दिनांक 01.0725 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 23.12.25 सरे इजलास सुनाया गया।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

अमरसिंह बनाम मो0 साबिर वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 66/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
23.12.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने फॉर्म सं0 3 के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल मिसल किये गए। अप्रार्थी सं0 2 बावजूद तामिल पत्रावली पर हाजिर नहीं। अप्रार्थी सं0 01 जवाब का बंद किया जा चुका है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि उक्त वादगत भूमि प्रार्थी के कब्जा काष्त में है एवं अप्रार्थी सं0 2 ने कूटरचित मुख्त्यारनामा तैयारकर बेचान अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में कर दिया है जिसका अप्रार्थी सं0 2 को कोई अधिकार नहीं था, इसलिए शुरू से ही शून्य दस्तावेज के आधार पर किये बैयनामा प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एफआईआर करवाई गई है। उक्त स्थगन नहीं होने की स्थिति में अप्रार्थीगण भूमि को खुर्द–बुर्द कर देगें जिससे और अधिक वाद–विवाद बढ़ेगें एवं प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः वाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई फरमाई जावे। अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 जरिये बैयनामा खरीदषुदा खातेदार है एवं बैयनामा उप–पंजीयक कार्यालय में हुआ है एवं आजदिनांक तक बैयनामा कायम है इसलिए वादगत भूमि पर समस्त हक अधिकार अप्रार्थी सं0 1 के है। उक्त प्रकरण इस न्यायालय के श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार में नहीं है। प्रार्थी को न्यायालय में वाद लाने का वाद हैतुक ही प्राप्त नहीं था। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन मूल बिन्दू/शर्त है कि प्रथमदृष्ट्या मामला, अपूर्णनीय क्षति, सुविधा का संतुलन है उक्त तीनों ही शर्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। चूंकि वादगत भूमि का बैयनामा हो चुका है एवं जब तक बैयनामा कायम है, तब तक खरीददार को अपने हक–अधिकारों से वंचित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उचित नहीं है। प्रार्थी प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू को साबित करने में असफल रहे है। अतः यह पत्रावली/प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है एवं दिनांक 08.0725 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 23.12.25 सरे इजलास सुनाया गया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 2025/159

01. हरीराम पुत्र तोलाराम जाति मेघवाल निवासी 1 बीएम खाजूवाला

.....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला/दन्तौर ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :—16.12.25

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से 8 केजेडी ए मु0नं0 62/63 के किला नं0 4,6,7 प्रत्येक में 0.2529 है0, 8 में 0.1264 है0 (पूर्व पष्चित लंबाई दक्षिण दिषा यानी की किला नं0 13 की तरफ से) 13 ता 16 प्रत्येक में 0.2529 है0 की कुल 1.8967 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी भूमि जरिये बैयनामा खरीदषुदा है जो दिनांक 19.06.25 को पुस्तक सं0 1 जिल्द संख्या 257 में पृष्ठ सं0 23 क्रम सं0 20250323101017 अतिरिक्त पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 951 के पृष्ठ सं0 187 से 194 पर कार्यालय उपपंजीयक खाजूवाला से पंजीबद्ध है। चक 8 केजेडी ए मु0नं0 6263 के किला नं0 4,6,7 प्रत्येक में 0.2529 है0, 8 में 0.1264 है0 (पूर्व पष्चिम लंबाई दक्षिण दिषा यानी की किला नं0 13 की तरफ से) 13 ता 16 प्रत्येक में 0.2529 है0 की कुल 1.8967 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करते समय किला नं0 8 में 0.1264 है0 (पूर्व पष्चित लंबाई दक्षिण दिषा यानी की किला नं0 13 की तरफ से) को पटवारी हल्का द्वारा सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं किया गया तथा पटवारी हल्का द्वारा चक 8 केजेडी ए मु0नं0 62/63 के किला नं0 4, 6 व 7, 13 ता 16 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया गया। वादी के नाम से चक 8 केजेडी ए मु0नं0 62/63 के किला नं0 4,6,7 प्रत्येक में 0.2529 है0, 8 में 0.1264 है0 (पूर्व पष्चित लंबाई दक्षिण दिषा यानी की किला नं0 13 की तरफ से) 13 ता 16 प्रत्येक में 0.2529 है0 की कुल 1.8967 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी भूमि जरिये बैयनामा खरीदषुदा है और वादी का कब्जा काष्त में चली आ रही है। वादी की जरिये बैयनामा खरीदषुदा खातेदारी कृषि भूमि चक 8 केजेडी ए मु0नं0 62/63 के किला नं0 8 में 0.1264 है0 (पूर्व पष्चित लंबाई दक्षिण यानी की किला नं0 13 की तरफ से) का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर व वादी को खातेदार काष्तकार घोषित किया जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी/वादी ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में बैयनामा, नामान्तरण, जमाबंदी इत्यादि की प्रति व ज्ञानाराम बैयनामा कर्ता ने स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसमें उक्त संषोधन किये जाने पर अनाप्ति प्रस्तुत की। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। चूंकि बैयनामा में किला नं0 8 का वादगत रकबा अंकित है। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र/वादपत्र साक्ष्य—सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 8 केजेडी ए मु0नं0 62/63 के किला नं0 8 में 0.1264 है0 (पूर्व पष्चित लंबाई दक्षिण यानी की किला नं0 13 की तरफ से) कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में ज्ञानाराम पुत्र खेराजराम जाति मेघवाल निवासी मकान सं0 00 कॉलोनी—आठ केवाईडी शहर—खाजूवाला जिला बीकानेर की जगह हरीराम पुत्र तोलाराम जाति मेघवाल मकान सं0 00 कॉलोनी एक बीएम शहर खाजूवाला जिला बीकानेर संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला आदेष मुताबिक अमलदरामद करें। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं की जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :— 2025/211

01. सन्तनाथ पुत्र झंवरनाथ जाति नाथ निवासी जेलवेल तहसील व जिला बीकानेर
02. कमलादेवी पुत्री झंवरनाथ जाति जेलवेल तहसील व जिला बीकानेर
03. गुड्डीदेवी पुत्री झंवरनाथ जाति जेलवेल तहसील व जिला बीकानेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला/दन्तौर ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–16.12.25

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थीगण की माता रामेष्वरी पत्नी झंवरनाथ जाति नाथ निवासी जेलेवल बीकानेर के नाम दिनांक 23.12.95 को विषेष आवंटन में चक 30 केजेडी मु0नं0 187/8 तादादी 25.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन की गई थी उक्त आवंटन पट्टे में भी उक्त नाम व निवास स्थान अंकित है। चक 30 केजेडी के वर्तमान में नया चक 1 बीडब्ल्युएसएम ए मु0नं0 187/8 तादादी 6.3225 हैक्टर कृषि भूमि अंकित है। राजस्व कर्मचारियों को उक्त आवंटन आदेष की पालना में राजस्व रिकॉर्ड के नाम व निवास स्थान सही अंकित किये जाने चाहिए थे, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व गलती की वजह से प्रार्थीगण के पिता का नाम झंवर नाथ के स्थान पर भंवरनाथ अंकित कर दिया गया है व निवासी स्थान जेलवेल बीकानेर के स्थान पर जेल रोड़, बीकानेर अंकित कर दिया गया है जो राजस्व कर्मचारियों की घोर लापरवाही है। चक 1 बीडब्ल्युएसएम ए मु0नं0 187/8 तादादी 6.3225 है0 कृषि भूमि में प्रार्थीगण की माता रामेष्वरी पत्नी भंवरनाथ की जगह राजस्व रिकॉर्ड में रामेष्वरी पत्नी झंवरनाथ व निवास स्थान जेल रोड़ बीकानेर की जगह जेलवेल बीकानेर दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के आदेष फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबन्दी, आवंटन आदेष, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट, नामान्तरण, आधारकार्ड की प्रति प्रस्तुत की। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 1 बीडब्ल्युएसएम ए मु0नं0 187/8 तादादी 6.3225 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की माता रामेष्वरी पत्नी भंवरनाथ की जगह राजस्व रिकॉर्ड में रामेष्वरी पत्नी झंवरनाथ तथा निवास स्थान जेलरोड़ बीकानेर की जगह जेलवेल बीकानेर संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 119/2025

1. वसुंधरासिंह भाटी पुत्री निहालसिंह जाति राजपूत निवासी चौतीना कुआं, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर हाल चक 1 एसडब्ल्युएम बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

2. कपिल कुमारी पत्नी निहालसिंह जाति राजपूत निवासी चौतीना कुआं, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर हाल चक 1 एसडब्ल्युएम बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थीगण

1. दीतणखां उर्फ अलादीता पुत्र गुलमन्दखां जाति मुसलमान निवासी चक 1 एसडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

—: आदेश :— दिनांक :— 16.12.25

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीगण के नाम चक 1 एसडब्ल्युएम बी मु0नं0 199/48 के किला नं0 6,15,16,25 में कुल 1.0116 है0 कमाण्ड व मु0नं0 200/50 के किला नं0 16 ता 18, 23 ता 25 में कुल 1.5174 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 2.5290 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/2—1/2 हिस्सा रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबा मु0नं0 200/50 के किला नं0 23 में प्रार्थीगण अपनी ढ़ाणी बनाकर अपने परिवार सहित मय पशुधन निवास करती है। प्रार्थीगण को अपनी उक्त भूमि में आने—जाने व कृषि भूमि में काष्त करने के लिए ट्रेक्टर आदि साधन लाने के लिए कोई कटानषुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम चक 1 एसडब्ल्युएमएम बी मु0नं0 200/50 के किला नं0 19, 20/2 ,21/2, 22 में 0.9358 है0 कमाण्ड व मु0नं0 200/51 के किला नं0 15, 16/1 में कुल 0.3541 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 1.2899 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मु0नं0 200/50 के किला नं0 1,10,11,20,21 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा कटानषुदा रास्ता स्वीकृत है और प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने—जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी सं0 1 के मु0नं0 200/50 के किला नं0 21, 22 से होता हुआ प्रार्थीगण के मुरब्बा नं0 200/50 के किला नं0 23 से टच होता है तथा किला नं0 23 में प्रार्थीगण की ढ़ाणी बनी हुई है। जोकि उक्त रास्ता काफी समय से चालू है। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण काफी समय से करती आ रही है। प्रार्थी अपनी जोत में पहुंचने के लिए चक 1 एसडब्ल्युएम बी मु0नं0 200/50 के किला नं0 21, 22 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा यानि कुल 04 बिस्वा अर्थात 0.0506 हैक्टर रास्ता मन्जूर कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 को पक्ष रखने हेतु रजि0 डाक से नोटिस भिजवाया गया जिसपर अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जयवीरसिंह उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को वांछित रास्ता अप्रार्थी सं0 1 देने को सहमत है किन्तु उक्त रास्ता भूमि के प्रतिफल स्वरूप अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थीगण के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि चक 1 एसडब्ल्युएम बी मु0नं0 200/50 के किला नं0 18 में रास्ता में कटान भूमि के बदले बराबर भूमि किला नं0 19 की सींव के चिपते चिपते लेना चाहता है। प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री इमीचंद गोदारा ने अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि चक 1 एसडब्ल्युएम बी मु0नं0 200/50 के किला नं0 18 में से अप्रार्थी सं0 1 के किला नं0 19 के चिपते चिपते सींव पर 04 बिस्वा देने की सहमति दी। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट पत्रांक/तखा /राजस्व/1549 दिनांक 02.12.25 द्वारा प्रस्तुत हुई, जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता जोत में प्रवेष हेतु निकटतम रास्ता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। चूंकि पक्षकारों में सहमति बन गई है। अतः प्रकरण लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित किया जाता है। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 की सहमति के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंषिक स्वीकार किया जाता है। अतः चक 1 एसडब्ल्युएम बी मु0नं0 200/50 के किला नं0 21, 22 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा यानि कुल 04 बिस्वा अर्थात 0.0506 हैक्टर गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अंकन

के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते है एवं उक्त रास्ता के प्रतिफल के रूप में पक्षकारों की सहमति अनुसार प्रार्थीगण के किला नं0 18 में से 4 बिस्वा अर्थात 0.0506 हैक्टर (अप्रार्थी सं0 1 के किला नं0 19 के चिपती भूमि) अप्रार्थी सं0 1 दीतणखां उर्फ अलादीता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार दर्ज की जावें। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। पत्रावली फैसलषुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 126/2022

1. ओमप्रकाष पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी चक 5 केएलडी सीएडी कुण्डल तहः खाजूवाला
2. ज्ञानप्रकाष पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी चक 5 केएलडी सीएडी कुण्डल तहः खाजूवाला
3. टिकाराम पुत्र ज्ञानप्रकाष जाति जाट निवासी चक 5 केएलडी सीएडी कुण्डल तहः खाजूवाला

.....प्रार्थीगण

1. मोहनीदेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी चक 5 केएलडी सीएडी कुण्डल तहः खाजूवाला
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला
3. बंषीदेवी पत्नी रतीराम जाति जाट निवासी 3 केवाईडी खाजूवाला
4. अनिता पुत्री रतीराम जाति जाट निवासी 3 केवाईडी खाजूवाला
5. सुनिता पुत्री रतीराम जाति जाट निवासी 3 केवाईडी खाजूवाला
6. धर्मपाल पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी 3 केवाईडी खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

—: आदेश :— **दिनांक :— 23.12.25**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि चक 5 केएलडी सीएडी मु0नं0 236/24 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 23 तादादी 3.7935 हैक्टर संयुक्त खाता में 1/3 खातेदारी दर्ज कागजात है जिसपर प्रार्थीगण लम्बे अरसे से लेकर आजतक काबिजे काष्त है। मौके पर डिग्गी बनाकर का काष्त कर रहे है तथा नरमा, ग्वार एवं हरे चारे की फसल काष्त कर रखी है। चक 5 केएलडी सीएडी मु0नं0 236/32 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 में कटानषुदा पक्की डामर सड़क बनी हुई है तथा कटान रास्ता है जो चक 5 केएलडी से चक 3 केएलडी आबादी को जाता है। प्रार्थीगण मु0नं0 236/32 के किला नं0 1 के कटान रास्ता से अपने खेत के किला नं0 3 में प्रवेष करते है। उक्त रास्ता 20 वर्षो से चल रहा है और किला नं0 3 तक दो—दो फीट मिट्टी भर्ती कर रास्ता उंचा किया गया था इसके अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। रास्ता की अत्यांतिक आवष्यकता है। फसल पकाव पर है और रास्ता का अभाव है। अपने खेत के किला नं0 में पक्की शाख से नक्का खाला है और अपने किला नं0 1 ता 3 से सींव पर कच्चा खाला से अप्रार्थी सं0 1 व अन्य काष्तकार निर्बाधरूप से पानी ले रहे है। नक्षा मौका व फोटो मौका संलग्न प्रार्थनापत्र है। अप्रार्थी सं0 1 की सहमति से रास्ता 20 वर्षो से चल रहा था तो उसी मुताबिक प्रार्थीगण ने किला नं0 3 में उतरी सींव पर कच्चा खाला के अलावा 17—18 फीट भूमि छोड़कर पक्की डिग्गी का निर्माण कर लिया जहा से ट्रेक्टर द्वारा पम्प लगाकर पानी खेत में दिया जा रहा है। लेकिन अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 11.08.22 की रात्रि को ट्रेक्टर से करावा चलाकर चलते रास्ता को समतल कर दिया जिससे प्रार्थीगण अपने वाहन सहित खेत में कैद होकर रह गया तो एक प्रार्थनापत्र अप्रार्थी सं0 2 को दिनांक 12.08.22 को दिया की चालू रास्ता को खुलवाया जावे तथा सम्पर्क पोर्टल पर भी षिकायत दर्ज करवाई तो पटवारी हल्का ने रूबरूगवाहान मौका देखा और तहसीलदार खाजूवाला को रिपोर्ट कर दी और तहसीलदार खाजूवाला ने कहा सक्षम न्यायालय से रास्ता कटान करवावावें। चक 5 केएलडी सीएडी मु0नं0 236/32 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 में कटानषुदा पक्की डामर सड़क रास्ता है लेकिन मु0नं0 236/24 के किला नं0 4, 5 में 02—02 बिस्वा अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण मु0नं0 236/32 के किला नं0 1 के कटान रास्ता से मु0नं0 236/24 के किला नं0 4, 5 से 02—02 बिस्वा उतरादी सींव पर रास्ता से अपने खेत के किला नं0 3 में प्रवेष करते है। उक्त रास्ता 20 वर्षो से चल रहा है जिसको अप्रार्थी सं0 1 ने जबरन बंद कर दिया है। धारा 251 ए के तहत वर्तमान डीएलसी दर से 02—02 बिस्वा भूमि की कीमत देने को तैयार है। चक 5 केएलडी मु0नं0 236/32 के किला नं0 1 के कटान रास्ता से मु0नं0 236/24 के किलानं0 5,4 में 02—02 बिस्वा यानी 0.02530—0.02530 हैक्टर कुल 0.05060 हैक्टर उतरादी सींव पर रास्ता पूर्व से पष्चिम स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता खेत राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 को पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया गया जिसपर अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल हाजिर आकर जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थीगण लम्बे समय से अपनी वादगत भूमि में प्रवेष करने के लिए अपनी चिपती भूमि मु0नं0 236/23 जो इनके स्वंय के नाम होने व सहकाष्तकार होने से

मु0नं0 236/23 के किला नं0 24, 25 से होकर अपने खेत में प्रवेष करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने यहां से पंचायती कर रास्ता मांगा परन्तु हमारे परिवार की भूमि होने से किला नं0 24, 25 में 02–02 बिस्वा रास्ता देने को तैयार है तथा उक्त भूमि के बदले में भूमि लेना चाहते है परन्तु प्रार्थीगण ने इसी जगह रास्ता लेने की जिद कर रखी है। मु0नं0 236/24 के किला नं0 4,5 में सिंचाई हेतु खाला बना हुआ है। जिससे अप्रार्थीया व सह काष्तकारों को सिंचाई सुविधा में परेषानी का सामना करना पड़ेगा तथा प्रार्थीगण ने भी आगे डिग्गी बना रखी है। उसमें से आगे जाने में परेषानी का सामना करना पड़ेगा। उक्त वादगत भूमि को रास्ता या तो मु0नं0 236/23 के किला नं0 24, 25 में दिया जावे या हमारी इसी मुरब्बा के किला नं0 24, 25 जो मेरे पोते, पोती, बहु के नाम है। उसमें भूमि के बदले भूमि देकर कटान करने का आदेष प्रदान करावें। अप्रार्थी सं0 3, ता 6 बंषीदेवी, अनिता, सुनिता, धर्मपाल ने जरिये अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल प्रार्थनापत्र आदेष 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया जो स्वीकार कर पत्रावली में पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी सं0 3 ता 6 की ओर से अधिवक्ता ने सहमति पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा 236/24 के किला नं0 4, 5 प्रत्येक में 02–02 बिस्वा रास्ता हेतु मांग की गई है। लेकिन हम मिकरान के उक्त किला नं0 4,5 की सींव पर सिंचाई खाला बना हुआ है तथा फसल काष्त की हुई है, जिसके कारण यहां रास्ता कटाने किये जाने से हम मिकरान को सिंचाई सुविधा करने में भारी परेषानी का सामना करना पड़ेगा व खड़ी फसल नष्ट हो जाएगी तथा किला नं0 03 में प्रार्थीगण द्वारा पक्की डिग्गी मय खाला का निर्माण किया हुआ है, इसलिए उक्त रास्ता आगे नहीं जा सकता है इसलिए हम मिकरान अपने रकबा के किला नं0 25, 24 प्रत्येक में 02–02 बिस्वा यानि 0.0253– 0.0253 हैक्टर भूमि के बदले भूमि लेकर रास्ता हेतु भूमि देने को तैयार है, जिसके लिए सहमति पत्र लिखकर दे रहे है।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/रीडर/22/791 दिनांक 02.12.22 द्वारा रास्ता प्रस्ताव/रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें मु0नं0 236/24 के किला नं0 4, 5 में रास्ता प्रस्तावित किया। अप्रार्थीगण ने तहसीलदार खाजूवाला से दुबारा रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया जिसपर पुनः रिपोर्ट तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/राजस्व/2025/1043 दिनांक 31.07.25 द्वारा प्रस्तुत हुई जिसके अनुसार चक 5 केएलडी मु0नं0 236/24 के किला नं0 4, 5 में कुछ समय पूर्व रास्ता आम सहमति से सुचारू रूप से चलता था परंतु वर्तमान में मौके पर बंद है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ओमप्रकाष द्वारा चाहा गया किलानं0 4, 5 में रास्ता प्रार्थी के मु0नं0 236/24 के किला नं0 03 में बनी डिग्गी के नजदीक लगता है। मौके पर वर्तमान में मु0नं0 236/24 के किला नं0 24, 25 वर्तमान में खाली पड़त है। किला नं0 25 में पूर्व में दाह–संस्कार किया हुआ है। पत्रावली पर सुना गया प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि किला नं0 4, 5 में रास्ता पूर्व में चलता था वहीं रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटान किया जावें एवं रास्ता भूमि के प्रतिफल में भूमि देने का प्रावधान धारा 251 ए आरटीएक्ट के प्रावधानों में नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावें। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि किला नं0 24, 25 में सहमति से रास्ता कटान करवाने के लिए तैयार है एवं रास्ता भूमि के बदले प्रतिफल स्वरूप भूमि दे दी जावे। किला नं0 04, 05 में रास्ता कटान करने से वाद विवाद और बढेगे। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। चूंकि चक 5 केएलडी मु0नं0 236/24 के किला नं0 04 ,05 में पूर्व में रास्ता चलायमान रहा है और चलायमान रास्ते को बंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। धारा 251 ए आरटीएक्ट के रास्ता कटान प्रावधान में रास्ता भूमि के प्रतिफल में भूमि देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थनापत्र/सहमति पत्र स्वीकार के काबिल नहीं है। अतः अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया

जाता है तथा चक 5 केएलडी सीएडी मु0नं0 236/24 के किला नं0 04–05 में 02–02 बिस्वा उतरादी सींव पर पूर्व से पष्चिम रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला उक्त 2–2 बिस्वा कुल 04 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राषि प्रार्थी से नियमानुसार जमा करवाकर इस रास्ता के रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेष की पालना सुनिष्चित करें पत्रावली फैसलषुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 2025/115

01. सतपाल पुत्र बाबूराम निवासी बड़ा तहसील देहरा जिला कांगड़ा
02. बलदेव पुत्र बाबूराम निवासी बड़ा तहसील देहरा जिला कांगड़ा

.....प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–07.01.26

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता बाबूराम पुत्र श्यामा निवासी बड़ा तहसील देहड़ा को पोंगबांध विस्थापित के तौर पर तहसील खाजूवाला के चक 1 पीडब्ल्युएम बी मु0नं0 60/43 के किला नं0 1 ता 20 की कुल 20.00 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन की थी जो बाद में खातेदारी दर्ज हो गई। प्रार्थीगण के पिता के फौत हो जाने पर मुताबिक वारिस प्रमाण पत्र उक्त भूमि प्रार्थीगण व भाई रमेषचंद क नाम इंतकाल सं0 82 से विरासतन दर्ज कर दी गई थी। प्रार्थीगण के भाई रमेषचन्द्र ने अपने हिस्सा पांति की 1/3 भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 22.04.13 को विक्रय कर दी जिसका रिकॉर्ड में अंकन जरिये इंतकाल सं0 176 दिनांक 20.08.2013 को किया गया था जिसमें क्रेता गुरमीतसिंह की जाति जटसिख लिखी गई परन्तु उक्त इंतकाल का जमाबंदी में अंकन करते समय सहवन से प्रार्थीगण की जाति भी जटसिख अंकित कर दी जबकि उक्त इंतकाल या उससे पहले रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की कोई जाति नहीं अंकित है। प्रार्थीगण की जाति राजपूत है जिसका प्रमाणपत्र संलग्न है। प्रार्थीगण इंतकाल सं0 176 का जमाबंदी में अंकन विधिवत करवाने दुरूस्त करवाने के विधिक रूप से अधिकारी है जिसकी दुरूस्ती कर प्रार्थीगण की जमाबंदी से जाति हटाई जावे तथा अंकित करनी है तो राजपूत अंकित की जाए जो न्यायहित में अति आवष्यक है। प्रार्थीगण की विरासतन प्राप्त भूमि चक 1 पीडब्ल्युएम बी मु0नं0 60/43 के किला नं0 1 ता 20 की 20.00 बीघा कमाण्ड भूमि का इंतकाल सं0 176 दिनांक 20.08.2013 का जमाबंदी में अंकन करते समय सहवन से प्रार्थीगण की जाति जटसिख दर्ज कर दी है को हटाने के आदेष कर रिकॉर्ड मुताबिक इंतकाल सं0176 दुरूस्त करने के आदेष फरमावें तथा प्रार्थीगण की जाति राजपूत दर्ज करने के आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, इंतकाल, जाति प्रमाणपत्र, इत्यादि की प्रति प्रस्तुत की है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 1 पीडब्ल्युएम बी मु0नं0 60/43 के किला नं0 1 ता 20 की 20.00 बीघा कमाण्ड भूमि में से 2/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण बलदेव, सतपाल की जाति जटसिख हटाने का संषोधन आदेष किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार पालना/अमलदरामद करें। पत्रावली फैसलषुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.01.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 2024/180

01. मलकीतसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति जटसिख निवासी लिखमीसर हाल चक 32 केवाईडी तहसील खाजूवाला .....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला/दन्तौर ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–02.01.26

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी ने चक 32 केवाईडी ए मु0नं0 199/28 के किला नं0 17 ता 25 तादादी 2.5290 हैक्टर कमाण्ड भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 30.04.1994 का खातेदारी महेन्द्रकुमार वगैरह से खरीद की जिसका इंतकाल सं0 35 दिनांक 24.05.1994 से दर्ज हुआ है अन्य किला भाई बाबूसिंह व पिता मुख्त्यारसिंह के नाम खरीद किया। उक्त भूमि पर लम्बे अरसे से वादी काबिज काष्त है तथा ढ़ाणी व मकान बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रहा है मौके पर सरसों की खेती कर रखी है। वादी का नाम मलकीतसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह दर्ज रहा और उसी मुताबिक मूलनिवास, परिचयपत्र, राषनकार्ड, वोटरलिस्ट सब में मलकीतसिंह दर्ज रहा और उसी आधार पर बैयनामा करवा रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया लेकिन अनपढ़ व जारकारी के अभाव में ध्यान नहीं दिया चूंकि गांव लिखमीसर के ग्रामसेवक द्वारा अपनी रिपोर्ट में सहवन से मलकीतसिंह की जगह मलकीयतसिंह लिख देने से बैयनामा भी इसी नाम से हो गया और कालान्तर में कही दिक्कत भी नहीं आई अब रिकॉर्ड ऑनलाईन आधार से अपडेट हुआ तो बैंक अधिकारियों ने बताया की आपकी केसीसी अपडेट आधार मुताबिक नहीं हो रही नाम में दिक्कत है दुरूस्त करवावें तो वादी को जानकारी लगी। वादी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक जरिये घोषणात्मक दुरूस्ती अपने नाम मलकीयतसिंह की जगह राजस्व रिकॉर्ड में मलकीतसिंह दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। चक 32 केवाईडी ए मु0नं0 199/28 के किला नं0 17 ता 25 तादादी 2.5290 हैक्टर कमाण्ड भूमि के रिकॉर्ड में वादी का नाम मलकीयतसिंह दर्ज हुआ है की जगह जरिये घोषणात्मक दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में संषोधन कर वादी का दस्तावेजी नाम मलकीतसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति जटसिख निवासी लिखमीसर हाल चक 32 केवाईडी खाजूवाला जिला बीकानेर दर्ज करने के आदेष फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, प्रमाणपत्र पिछड़ा वगै, मूलनिवास प्रमाणपत्र, राषनकार्ड, जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, बैयनामा इंतकाल, नक्षा एवं खसरा गिरदावरी की प्रति प्रस्तुत की है व मलकीतसिंह के भाई बाबूसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह ने शपथपत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/राजस्व/25/1048 दिनांक 05.08.25 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसमें पटवारी हल्का ने लिखा है कि आधारकार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस व जनआधार में प्रार्थी का नाम मलकीतसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह दर्ज है। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के आधार पर नाम मलकीतसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह की शुद्धि की जानी उचित है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र/वादपत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 32 केवाईडी ए मु0नं0 199/28 के किला नं0 17 ता 25 तादादी 2.5290 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मलकीयतसिंह की जगह मलकीतसिंह संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला आदेष मुताबिक अमलदरामद करें। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं की जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 02.01.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 2024/179

01. मलकीतसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति जटसिख निवासी लिखमीसर हाल चक 32 केवाईडी तहसील खाजूवाला .....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला/दन्तौर ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–02.01.26

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी ने चक 30 केवाईडी मु0नं0 218/12 के किला नं0 1 ता 13 तादादी 3.1613 हैक्टर कमाण्ड भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 14.06.95 का खातेदार दाउलाल से खरीद की जिसका इंतकाल सं0 99 दिनांक 15.01.96 से दर्ज हुआ है अन्य किला भाई बाबूसिंह के नाम खरीद किया। उक्त भूमि पर लम्बे अरसे से वादी काबिज काष्त है तथा ढ़ाणी व मकान बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रहा है मौके पर सरसों की खेती कर रखी है। वादी का नाम मलकीतसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह दर्ज रहा और उसी मुताबिक मूलनिवास, परिचयपत्र, राषनकार्ड, वोटरलिस्ट सब में मलकीतसिंह दर्ज रहा और उसी आधार पर बैयनामा करवा रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया लेकिन अनपढ़ व जारकारी के अभाव में ध्यान नहीं दिया चूंकि गांव लिखमीसर के ग्रामसेवक द्वारा अपनी रिपोर्ट में सहवन से मलकीतसिंह की जगह मलकीयतसिंह लिख देने से बैयनामा भी इसी नाम से हो गया और कालान्तर में कही दिक्कत भी नहीं आई अब रिकॉर्ड ऑनलाईन आधार से अपडेट हुआ तो बैंक अधिकारियों ने बताया की आपकी केसीसी अपडेट आधार मुताबिक नहीं हो रही नाम में दिक्कत है दुरूस्त करवावें तो वादी को जानकारी लगी। वादी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक जरिये घोषणात्मक दुरूस्ती अपने नाम मलकीयतसिंह की जगह राजस्व रिकॉर्ड में मलकीतसिंह दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। चक 30 केवाईडी मु0नं0 218/12 के किला नं0 1 ता 13 की तादादी 3.1613 हैक्टर कमाण्ड भूमि के रिकॉर्ड में वादी का नाम मलकीयतसिंह दर्ज हुआ है की जगह जरिये घोषणात्मक दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में संषोधन कर वादी का दस्तावेजी नाम मलकीतसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति जटसिख निवासी लिखमीसर हाल चक 32 केवाईडी खाजूवाला जिला बीकानेर दर्ज करने के आदेष फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, प्रमाणपत्र पिछड़ा वगै, मूलनिवास प्रमाणपत्र, राषनकार्ड, जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, बैयनामा इंतकाल, नक्षा एवं खसरा गिरदावरी की प्रति प्रस्तुत की है व मलकीतसिंह के भाई बाबूसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह ने शपथपत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/राजस्व/25/1049 दिनांक 05.08.25 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसमें पटवारी हल्का ने लिखा है कि आधारकार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस व जनआधार में प्रार्थी का नाम मलकीतसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह दर्ज है। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के आधार पर नाम मलकीतसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह की शुद्धि की जानी उचित है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र/वादपत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 30 केवाईडी मु0नं0 218/12 के किला नं0 1 ता 13 की तादादी 3.1613 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मलकीयतसिंह की जगह मलकीतसिंह संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला आदेष मुताबिक अमलदरामद करें। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं की जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 02.01.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 81/2024

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1 अरशद खां पुत्र फिराद खां जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला
2 आमन्ना पुत्री फिराद खां जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला
3 इन्द्र पत्नी फिराद खां जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला
4 ताज मोहम्मद पुत्र बच्ची जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला
5 नजीर खां पुत्र बच्ची जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला
6 मनवर पुत्र बच्ची जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला
7 मो0 हारून पुत्र फिराद खां जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला
8 शाहिद खां पुत्र फिराद खां जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला
9 साबिर खां पुत्र बच्ची जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला
10 हुसन खातुन पुत्री बच्ची जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला

..........प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–ःनिर्णयः–   दिनांक :– 07.01.26

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 102/17 के किला नं0 02 ता 25 की 5.8041 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादीगण द्वारा किला नं0 02 ता 25 की 5.8041 हैक्टर भूमि पर 15–20 अवैध मकानों का निर्माण किया जा रहा है। रकबे में अवैध आवासीय उपयोग की अनुमति नहीं है। इसप्रकार अवैध आवासीय उपयोग करने से खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तो को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी को भूमि का आवंटन कृषि कार्य के लिए किया गया है। अवैध रूप से मकान निर्माण किया जाकर आवासीय उपयोग करने के लिए नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार स्वीकार किया जावें। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर मकानों का निर्माण कर आवासीय उपयोग कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावें।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 05 की ओर अधिवक्ता श्री दिलीप शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। उसके पश्चात प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीशप्रसाद ने वकालतनामा मय जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की माता बच्ची के नाम से कृषि भूमि का आवंटन किया गया था जिनके फौत होने पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज किया जाना शेष है एवं खातेदारी ली जानी शेष है। प्रार्थीगण की माता औरत जात होने के कारण उक्त भूमि की सही से सार संभाल नहीं कर सकी तथा जिसकारण कुछ भूमाफिओं ने उक्त भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर लगभग 08–10 मकान निर्माण कर कब्जा कर लिया है। जिसे हटवाने हेतु प्रार्थीगण की माता ने पुलिस थाना में कई बार प्रार्थनापत्र दिए किन्तु पुलिस थाना ने कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की। अब प्रार्थीगण की माता फौत होने के बाद प्रार्थीगण द्वारा भी पुलिस थाना व तहसील में अतिक्रमण हटवाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किए किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हम प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि भूमाफिआयों को खाली करने का निवेदन करने पर उक्त भूमाफिया हम प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को धमकी देते है कि हमने तुम्हारी माता से बरगलाकर खातेदारी दिलवाने के बहाने कुछ खाली कागजात व स्टाम्प पेपर पर उनके जाली व बईमानी से अंगूठा निशानी लगवा रखी है। अब तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते है और वो भूमाफिया थोड़े पैसे का लालच देकर हमें भी कहते है तुम खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर कर दो वरना तुम्हे झूठे मुकदमों में फंसा देगें। यह सही है कि उक्त कृषि भूमि का अकृषि कार्य प्रयोग हुआ है किन्तु हम प्रार्थीगण की माता या हम प्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है, यह अवैध अतिक्रमण भूमाफियाओं द्वारा किया गया है। उक्त भूमि अभी गैरखातेदार है एवं आवंटन राशि भी जमा नहीं है इसलिए उक्त भूमि को हस्तारन्तरण करने का अधिकार किसी को नहीं था एवं यदि कोई फर्जी कागज या स्टाम्प पर फर्जी तरीके से धोखे में रखकर बेईमानी से प्रार्थीगण की माता या किसी अन्य सदस्य से हस्ताक्षर करवाकर कोई हस्तांतरण भूमाफियाओं द्वारा बताया जाता है तो वह गैरकानूनी है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के इसलिए यदि उक्त भूमि से अतिक्रमण हटवाकर

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के नाम नियमन किया जाता है तो प्रार्थीगण समस्त पैनेल्टी राशि राजकोष में जमा करवाने के लिए तैयार है। अतः यह वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

अतः तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः–

1. आया कि वादगत कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अवैध आवासीय उपयोग कर मकानों का निर्माण कर आवंटन शर्तो को भंग किया गया है इसलिए आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटन निरस्त कर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावें।

.....जिम्मे वादी

1. आया कि वादगत कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अकृषि उपयोग एवं अतिक्रमण नहीं किया गया है इसलिए वादगत भूमि का नियमन अप्रार्थीगण के नाम किया जावे एवं वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

.....जिम्मे प्रतिवादी

तनकीयात कायम के बाद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य बंद किये गए। पत्रावली पर सुना गया। राज पैरोकार ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद ने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया। अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 जिम्मे वादी को सिद्ध करने का भार था जिसको साबित करने में आंषिक सफल रहा है किन्तु वादगत भूमि में से आंशिक भूमि का बिना विधिक आधार के कृषि भूमि का अकृषि प्रयोग करने को अनदेखा नहीं किया जा सकता है एवं प्रतिवादी द्वारा तनकी सं0 2 साबित करने में असफल रहा है किन्तु तहसीलदार/राज पैरोकार ने स्वंय ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जिस रकबे का अकृषि प्रयोग हुआ है उस रकबा की खातेदारी निरस्त करते हुए, उक्त अकृषि प्रयोग हुए रकबो को अराजीराज दर्ज करने के आदेश फरमावें जाए। वादगत भूमि का अकृषि प्रयोग हुआ है को नियमानुसार अराजीराज करने के आदेश किये जाने उचित प्रतीत होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, 63 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज वादगत भूमि चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 102/17 के किला नं0 02 ता 25 की 5.8041 हैक्टर भूमि को राजकीय भूमि/अराजीराज घोषित/दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार आगामी कार्यवाही करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.01.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढवाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2024/146

01. बंषीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट उम्र 64 वर्ष साकिन भोजरासर हाल चक 38 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादिया

बनाम

01. अधिषांषी अभियन्ता सार्वजनिक निमार्ण विभाग वृत द्वितिय बीकानेर।
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व)खाजूवाला ।

....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :–07.01.26

यह वादपपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादीया शांतिप्रिय काष्तकार पेषा महिला है, जो अपनी खरीद शुदा भूमि पर काबिज काष्त है और यही एकमात्र जिविकोपार्जन का साधन है। वादीया ने हरीराम पुत्र झींटाराम ब्राह्मण से उसकी खातेदारी भूमि विधिवत दिनांक 25.10.1989 को चक 38 के.वाई.डी. के मु.नं. 180/24 के कि.नं. 16 ता 20, 21 ता 25 प्रत्येक में 10–10 बिस्वा कुल तादादी 07.10 बीघा कमाण्ड भूमि जरिये बैयनामा खरीद की थी जिसका रिकॉर्ड में इन्तकाल सं. 41 दिनांक 16.09.1993 से दर्ज हो गया और इन्तकाल सं. 152 दिनांक 18.02.2009 से उक्त समस्त भूमि रहन दर्ज हो गई। जिसपर वादीया खरीद से लेकर आज तक काबिज काष्त है एवं काफी खर्चा कर उक्त भूमि को खेती के लायक बनाया है मौके पर ढाणी बनाकर सपरिवार मय पषुधन रहवास कर रही है एवं समस्त भूमि वादिया के उपयोग–उपभोग में है। वर्तमान में हरे चारे एवं सरसों की खेती कर रखी है। वादीया को वरवक्त खरीद 7.10 बीघा का कब्जा दिया गया एवं वादीया

निरन्तर उसी पर काबिज काष्त है तथा आवंटी हरिराम को कुल 16 ता 25 तादादी 10.00 बीघा भूमि आवंटन होकर इन्तकाल सं. 40 दिनांक 16.07.93 को खातेदार दर्ज हुई जबकि खातेदारी सनद दिनांक 18. 02.1989 से जारी हो चुकी थी जिसमें दिनांक 18.12.1987 को भूमि आवाप्ति अधिकारी ने सड़क निमार्ण के लिए मु.नं. 180/24 के कि.नं. 21 ता 25 में 10–10 बिस्वा भूमि आवाप्त कर रिकॉर्ड में कटान के आदेष दिए जिस पर हरीराम की खातेदारी में 2.10 बीघा कम कर दर्ज कर दी और उसी मुताबिक मौके पर सड़क बनी जो वादिया के खरीद से पूर्व बनी हुई थी। हरीराम पुत्र झींटाराम ब्राह्मण बेचान बाद इधर कभी नहीं आया 30–32 वर्षों में उसका कोई लेना देना नहीं रहा जानकारी की तो पता चला वर्तमान में फौत हो चुका है, चूंकि उसने अपनी भूमि बेचान कर दी शेष रकबा 2.10 बीघा सड़क में कटान हो गया तो केवल मात्र वादिया ही रही जिसे सुना जाना न्यायसंगत है। मु.नं. 180/24 के कि.नं. 21 ता 25 में 04–04 बिस्वा पहले से कटान रास्ता रिकार्ड में था और आदेष दिनांक 18.12.87 की पालना में 06–06 बिस्वा कटान और करना था वो भी हरीराम के खाते से चूंकि वादीया ने 10–10 बिस्वा रास्ता भूमि छोड़ कर शेष रकबा 07.10 बीघा खरीद किया था। हरीराम ने 2.10 बीघा भूमि रास्ता के लिए छोड़ दी थी लेकिन प्रतिवादी सं. 2 ने सहवन से इन्तकाल 136 दिनांक 31.07.2006 से वादिया के खाते से 06–06 बिस्वा भूमि कटान कर दी और उसके खाते में केवल 06.00 बीघा ही दर्ज रही 01.10 बीघा और कम कर दी जबकि उक्त भूमि हरिराम पुत्र झींटाराम के खाते से कटान करनी थी जो आज भी उसके खाते में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड के साधारण के वक्त सहवन से प्रतिवादी सं. 2 द्वारा भूल से भूमि पुनः हरीराम के नाम कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.06– 0.06 बिस्वा कुल 1.10 बिघा खाता सं. 88 सम्मत 2071 से 2074 में दर्ज कर दी जबकि उसका उक्त भूमि बाबत् कोई हक एवं अधिकार नहीं था। वादिया आज भी उक्त भूमि पर काबिज काष्त है और मौके पर उक्त भूमि सड़क से बाहर है। केवल कि.नं. 21 ता 25 में 10–10 बिस्वा भूमि सड़क में आई है। बाकि 01. 10 बीघा सड़क से बाहर है और वादिया के कब्जा काष्त में है। वादिया उक्त रोंगफुल प्रविष्टि को जरिये घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती से हरिराम पुत्र झींटाराम के खाता सं. 88 से नाम हटवाकर 01.10 बीघा भूमि को पुनः अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की विधिक अधिकारी है। वादिया अनपढ़ वृद्ध महिमा है तथा ज्ञान का अभाव रहा है। जानकारी में आते ही दिनांक 08.06.22 को प्रषासन गांव के संग अभियान में प्रार्थना पत्र दिया जिसमें लम्बे अरसे बाद दिनांक 20.10.24 को बताया गया की उक्त त्रुटी सरसरी कार्यवाही से दुरूस्त नहीं होगी तुम्हें सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी होगी तब जानकारी कर कानूनी राय लेकर वाद पेष किया जा रहा है ताकि न्याय मिल सके। दिनांक 20.10.24024 की घटना से वादिया की षांतिप्रिय कब्जा काष्त पर आक्रमण हुआ है और यही घटना से वादिया को वाद–हैतुक प्राप्त हुआ है। मामला आवष्यक प्रकृति का है। प्रतिवादी ने स्पष्ट बेदखली की धमकी दी है। यदि वादिया दो माह का नोटिस देने का इन्तजार करेगी तो वाद का मकसद ही खत्म हो जाएगा इसलिए वादिया दो माह का नोटिस की छूट के साथ वाद पेष करने की अनुमति चाहती है। धारा 80(2) कर प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। अतः वाद वादिया निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेंः– इस आष्य की घोषणा की जावे कि वादिया की कब्जेकाष्त खरीद शुदा भूमि चक 38 के.वाई.डी. के मु.नं. 180/24 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 06–06 बिस्वा कुल तादादी 01.10 बीघा जो राजस्व रिकॉर्ड मे सहवन से हरीराम पुत्र झींटाराम के खाता में खाता सं. 88 सम्मत 2071–74 से दर्ज कर दी को घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती हटाकर वादिया के नाम पुनः इन्तकाल सं. 41 दिनांक 16.09.1993 के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेष फरमाकर खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 के नाम वादिया की भूमि गैरमुमकिन सड़क दर्ज होकर कम की गई है जो दुरूस्त हो सके। अन्य जो भी दादरसी न्यायालय को उचित समझे वादीया के पक्ष में प्रदान की जावे।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादिया ने वादपत्र साबित करने के पक्ष में इन्तकाल, खातेदारी, जमाबन्दी, जनआधार, बैंक केसीसी, पास बुक, चक नक्षा, बैयनामा, तहसीलदार रिपोर्ट एवं पुख्ता आंवटी पत्रावली इत्यादि की प्रति प्रस्तुत किया। तहसीलदार खाजूवाला से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान ऑनलाईन जमाबन्दी अनुसार चक 38 केवाईडी के मु.नं. 180/24 के कि.नं. 16 ता 25 में कुल 1.5175 है0 कमाण्ड भूमि बंषीदेवी पत्नि भंवरलाल जाति जाट सा. भोजरासर खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नामान्तरण सं0 40 दिनांक 16.09.1993 से जरिये बैयनामा के अनुसार प्रार्थीया बंषीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट खातेदार के नाम मु0नं0 180/24 किला नं0 16 ता 25 में कुल 07.10 बीघा दर्ज है। इंतकाल सं0 40 दिनांक 16.09.93 से मु0नं0 180/24 के किला नं0 16 ता 25 कुल 09.00 बीघा कमाण्ड हरिराम पुत्र झीटाराम जाति ब्राह्मण खातेदार दर्ज हुआ। तहसीलदार खाजूवाला के आदेष क्रमांक/632 दिनांक 30.06.2006 एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम बीकानेर के पत्रांक/139 दिनांक 24.03.2004 के मुताबिक मु0नं0 180/24 हरिराम पुत्र झींटाराम ब्राह्मण के खाते में से पीडब्ल्युडी के नाम किला नं0 21 ता 25 में 02.10 बीघा कटान करना था जिसमें से प्रत्येक किला नं0 21 ता 25 में 04–04 बिस्वा रास्ता पूर्व से ही कटान का था। अतः प्रत्येक किला नं0 21 ता 25 में 06–06 बिस्वा कुल 01.10 बीघा का ओर कटान (रास्ते हेतु) पीडब्ल्युडी के नाम करना था। नामान्तरण सं0 136 दिनांक 31.07.2006 दर्ज करते समय किला नं0 21 ता 25 में कुल 01.10 बीघा भूमि हरिराम पुत्र झींटाराम के खाते में से कटान करने के बजाय सहवन से बंषीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट के खाते में से मु0नं0 180/24 के किला नं0 21 ता 25 में कुल 01.10 बीघा कटान हो गई जबकि हरिराम

पुत्र झींटाराम जाति ब्राह्मण के नाम खाता सं0 98 में मु0नं0 180/24 के किला नं0 21 ता 25 में 01.10 बीघा अभी तक दर्ज है। अतः उपरोक्त वर्णित रकबा बंषीदेवी पत्नी भंवरलाल के रकबे में से कटान के बजाय हरिराम पुत्र झींटाराम के रकबे में से कटान किया जाता है तो प्रार्थीया का उसके क्रय की गई 01.10 बीघा भूमि वापिस मिल सकती है जो किया जाना उचित है।

पत्रावली पर सुना गया। वादिया अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादीया का वादपत्र साक्ष्य–सबूतों व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथपत्र के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 38 केवाईडी के खाता सं0 98 मु0नं0 180/24 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 06–06 बिस्वा कुल तादादी 01.10 बीघा(0.3795 है0) भूमि हरीराम पुत्र झींटाराम जाति ब्राह्मण सा. देह के नाम से हटाकर, वादिया बंषीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी भोजरासर हाल चक 38 केवाईडी तहः खाजूवाला के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज के दुरूस्ती आदेष किये जाते है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादिया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.01.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2024/145

01. जगुराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी बडेरण हाल चक 38 केवाईडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
02. किषन पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी बडेरण हाल चक 38 केवाईडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादीगण

बनाम

01. अधिषांषी अभियन्ता सार्वजनिक निमार्ण विभाग वृत द्वितिय बीकानेर।
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व)खाजूवाला ।

....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :–07.01.26

यह वादपपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादीगण के पिता ने मोतीराम पुत्र धुड़ाराम सुथार से उसकी खातेदारी भूमि विधिवत दिनांक 14.03.1989 को खरीद कर बैयनामा वादीगण के पक्ष में करवाया जिसमें वादी सं0 1 को चक 38 केवाईडी के मु0नं0 180/16 के किला नं0 7 सालम, 13 ता 17 सालम, 24 में 5 बिस्वा, 25 में 10 बिस्वा कुल तादादी 06.15 बीघा कमाण्ड व वादी सं0 2 को चक 38 केवाईडी मु0नं0 180/16 के किला नं0 11, 12 सालम, 18 ता 20 सालम, 21 ता 23 प्रत्येक में 10–10 बिस्वा, 24 में 5 बिस्वा, 25 में 5 बिस्वा कुल 06.15 बीघा कमाण्ड भूमि जरिये बैयनामा खरीद की थी जिसका रिकॉर्ड में इंतकाल सं0 62 दिनांक 02.06.1995 से दर्ज हो गया जिसपर वादीगण खरीद से लेकर आज तक काबिज काश्त रहे और रकबा किला नं0 21 ता

25 में 01.10 बीघा सड़क के चिपती स्वंय रखकर बाकी रकबा सीताराम पुत्र मामराज को बेचान कर दिया एवं काफी खर्चा कर उक्त भूमि को खेती लायक बनाया है मौके पर ढ़ाणी बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रही है एवं समस्त भूमि वादीगण के उपयोग–उपभोग में है। वर्तमान में हरे चारे एवं सरसों की खेती कर रखी है। वादीगण को वरवक्त खरीद 06.15–06.15 बीघा का कब्जा दिया गया एवं वादीगण निरन्तर उसी पर काबिज काष्त है तथा आवंटी मोतीराम को कुल तादादी 16.00 बीघा भूमि आवंटन होकर खातेदारी सनद दिनांक 04.03.1989 से जारी हो चुकी थी जिसमें दिनांक 18.12.1987 को भूमि आवाप्ति अधिकारी ने सड़क निर्माण के लिए मु0नं0 180/16 के किला नं0 21 ता 25 में 10–10 बिस्वा भूमि आवाप्ति कर रिकॉर्ड में कटान के आदेष दिए जिसपर मोतीराम की खातेदारी में 02.10 बीघा कम कर दर्ज कर दी और उसी मुताबिक मौके पर सड़क बनी जो वादीगण के खरीद से पूर्व बनी हुई थी। मोतीराम पुत्र धुड़ाराम सुथार बेचान बाद इधर कभी नहीं आया 30–32 वर्षो में उसका कोई लेना देना नहीं रहा जानकारी की तो पता चला वर्तमान में फौत हो चुका है चूंकि उसने अपनी भूमि बेचान कर दी शेष रकबा 02..10 बीघा सड़क में कटान हो गया तो केवल मात्र वादीगण ही रहे जिसे सुना जाना न्यायसंगत है। मु0नं0 180/16 के किला नं0 21 ता 25 में 04–04 बिस्वा पहले से कटान रास्ता रिकॉर्ड में था और आदेष दिनांक 18.12.87 की पालना में 06–06 बिस्वा कटान और करना था वो भी मोतीराम के खाते से चूंकि वादीगण ने 10–10 बिस्वा रास्ता भूमि छोड़ कर शेष रकबा 13.10 बीघा खरीद किया था। मोतीराम ने 02.10 बीघा भूमि रास्ता के लिए छोड़ दी थी लेकिन प्रतिवादी सं0 2 ने सहवन से इन्तकाल सं0 135 दिनांक 31. 7.2006 से वादीगण के खाते से 06–06 बिस्वा भूमि कटान कर दी जिसमें वादी जगुराम के खाते में किला नं0 24 में 1 बिस्वा, 25 में 6 बिस्वा कुल 7 बिस्वा तथा वादी किषन के खाते में किला नं0 21 ता 23 में 6–6 प्रत्येक में, 24 में 5 बिस्वा कुल 1.03 बिस्वा कुल 01.10 बीघा और कम कर दी जबकि उक्त भूमि मोतीराम पुत्र धुड़ाराम के खाते से कटान करनी थी जो आज भी उसके खाता सं0 60 व 93 में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड के संधारण के वक्त सहवन से प्रतिवादी सं0 2 द्वारा भूल से प्रतिवादी सं0 1 का नाम दर्ज कर दिया जबकि उसका उक्त भूमि बाबत् कोई हक एवं अधिकार नहीं था। वादीगण आज भी उक्त भूमि पर काबिज काष्त है और मौके पर उक्त भूमि सड़क में आई है बाकि 01.10 बीघा सड़क से बाहर है और वादीगण के कब्जा काष्त में है। वादीगण उक्त रोंगफुल प्रविष्टि को जरिये घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती से मोतीराम पुत्र धुड़ाराम के खाता सं0 60 व 93 से नाम हटाकर का नाम हटवाकर 01.10 बीघा भूमि को पुनः वादीगण अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की विधिक अधिकारी है तथा गैर मुमकिन सड़क पीडब्ल्युडी से दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। वादीगण अनपढ़ खेतीहर व्यक्ति है तथा ज्ञान का अभाव रहा है जानकारी में आते ही दिनांक 08.06.22 को सीताराम से प्रषासन गांव के संग अभियान में प्रार्थनापत्र दिया जिसमें लम्बे अरसे बाद दिनांक 21.10.24 को बताया गया की उक्त त्रुटि सरसरी कार्यवाही से दुरूस्त नहीं होगी तुम्हे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी होगी। तब जानकारी कर कानूनी राय लेकर वाद पेष किया जा रहा है ताकि न्याय मिल सके। अतः इस आष्य की घोषणा की जावे कि वादीगण की कब्जेकाष्त खरीदषुदा भूमि चक 38 केवाईडी के मु0नं0 180/16 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 06–06 बिस्वा कुल तादादी 01.10 बीघा जो राजस्व रिकॉर्ड में जो सहवन से मोतीराम पुत्र धुड़ाराम के नाम खाता सं0 60 में किला नं0 25 में 2 बिस्वा, खाता सं0 93 में किला नं0 21 में 04 बिस्वा, 22 ता 25 प्रत्येक में 06–06 बिस्वा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम गैरमुमकिन सड़क दर्ज हो गई है को, घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती हटाकर वादीगण के नाम पुनः इंतकाल सं0 62 दिनांक 20.06.1995 के मुताबिक किला नं0 21 ता 25 की हद तक 01.10 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेष फरमाकर खातेदार घोषित किया जावे।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण ने वादपत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, जमाबंदी, तहसीलदार रकबे में दुरूस्ती रिकॉर्ड इंतकाल, जमाबंदी खातेदारी, बैयनामा, फर्दअहकाम इत्यादि प्रति प्रस्तुत किया। तहसीलदार खाजूवाला से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान ऑनलाईन जमाबन्दी अनुसार चक 38 केवाईडी के मु.नं. 180/16 के किला नं0 7, 11 ता 25 कुल रकबा 2.9084 हैक्टर कमाण्ड सीताराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी 40 केवाईडी तहः खाजूवाला खातेदार व मु0नं0 180/16 के खाता सं0 102 किला नं0 21 ता 25 में 0.3289 है0 कमाण्ड व खाता सं0 64 किला नं0 25 में 0.0253 है0 कमाण्ड भूमि मोतीराम पुत्र धुड़ाराम जाति सुथार निवासी खेजड़ा पुख्ता आवंटी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नामान्तरण सं0 62 दिनांक 03.061995 से जरिये बैयनामा अनुसार प्रार्थी जगुराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी बडेरन तहः लूणकरनसर खातेदार के मु0नं0 180/16 के किला नं0 7, 13 ता 17, 24, 25 इसप्रकार कुल 06.15 बीघा व प्रार्थी किषनाराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी हाल आबाद बडेरन तहः लूणकरनसर खातेदार मु0नं0 180/16 किला नं0 11 ता 24 में 06.11 बीघा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। तहसीलदार खाजूवालाके आदेष क्रमांक 632 दिनांक 30.06.06 एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड–1 बीकानेर के पत्रांक 138 दिनांक 24.03.2004 के मुताबिक मु0नं0 180/16 मोतीराम पुत्र धूड़ाराम जाति सुथार के खाते में से पीडब्ल्युडी के नाम किला नं0 21 ता 25 में 02. 10 बीघा का कटान करना था जिसमें से प्रत्येक के किला नं0 21 ता 25 में 04–04 बिस्वा रास्ता पूर्व से ही कटान का था। अतः प्रत्येक के किला नं0 21 ता 25 में 06–06 बिस्वा कुल 01.10 बीघा का ओर कटान रास्ते हेतु पीडब्ल्युडी के नाम करना था। नामान्तरण सं0 135 दिनांक 31.07.2006 दर्ज करते समय यह 01.

10 बीघा भूमि मोतीराम पुत्र धूड़ाराम जाति जाट के खाते में से कटान करने के बजाय सहवन से किषनाराम पुत्र भागीरथ जाति जाट के खाते में से मु0नं0 180/16 किला नं0 21 ता 24 में 1.03 बीघा व जगुराम पुत्र भागीरथ जाति जाट के खाते में से किला नं0 24 व 25 में 0.07 बीघा कुल 01.10 बीघा भूमि कटान हो गई जबकि मोतीराम पुत्र धूड़ाराम जाति सुथार के नाम खाता सं0 102 के मु0नं0 180/16 किला नं0 21 ता 25 व खाता सं0 64 के मु0नं0 180/16 किला नं0 25 में इसप्रकार कुल 01.10 बीघा भूमि अभी तक दर्ज है। उपरोक्त वर्णित रकबा जगुराम पुत्र भागीरथ व किषनाराम पुत्र भागीरथ जाति जाट के रकबे में से कटान के बजाय मोतीराम पुत्र धूड़ाराम जाति सुथार के रकबे में से कटान किया जाता हो तो प्रार्थीगणों का उसके द्वारा क्रय की गई भूमि 01.10 बीघा वापिस मिल सकती है, जो किया जाना उचित है।

पत्रावली पर सुना गया। वादीगण अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादीगण का वादपत्र साक्ष्य–सबूतों व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथपत्र के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 38 केवाईडी खाता सं0 102, 64 मु0नं0 180/16 के किला नं0 21 ता 25 की 01.08 बीघा भूमि मोतीराम पुत्र धुड़ाराम जाति सुथार साकिन खेजड़ा के नाम से हटाकर वादी सं0 1 जगुराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी बडेरण हाल चक 38 केवाईडी तहसील खाजूवाला के नाम 38 केवाईडी मु0नं0 180/16 के किला नं0 21 ता 24 की 01.01 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज के दुरस्ती आदेष किये जाते है एवं वादी सं0 2 किषन पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी बडेरण हाल चक 38 केवाईडी तहसील खाजूवाला के नाम 38 केवाईडी मु0नं0 180/16 के किला नं0 24, 25 की 0.07 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज के दुरस्ती आदेष किये जाते है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.01.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 152/2024

01. सुनीलकुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी चक 6 केजेडी ए तहसील खाजूवाला

.....अपीलान्ट

बनाम

01. अमितादेवी पुत्र नत्थुराम पत्नी गोरधनराम जाति जाट निवाी मघेवाल ढाणी उप तहसील जैतसर जिला श्रीगंगानगर
02. ओमप्रकाष पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी चक 6 केजेडी ए तहसील खाजूवाला
03. मायादेवी पुत्री नत्थूराम पत्नी हरिराम गोदारा जाति जाट निवासी दक्षिण विस्तार पवनपुरी बीकानेर
04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 07.01.26**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री पुरूषोतम सारस्वत अन्तर्गत धारा 75 एल. आर एक्ट प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि अपीलांट के पिता नत्थूराम पुत्र नानकराम के नाम चक 4 केजेडी मु0नं0 81/4 के किला नं0 16, 23 ता 25 तादादी 04.00 बीघा व चक 6 केजेडी ए मु0नं0 81/5 के किला नं0 4 ता 6 तादादी 03.00 बीघा, मु0नं0 81/12 के किला नं0 23 ता 25 तादादी 03.00 बीघा, मु0नं0 81/13 के किला नं0 1 ता 5, 8 में 10 बिस्वा, 9, 10, 12 सालम, 13 में 10 बिस्वा तादादी 09.00 बीघा, मु0नं0 81/14 के किला नं0 3 तादादी 01.00 बीघा कुल तादादी 20.00 बीघा स्वअर्जित खातेदारी दर्ज कागजात थी। पिता ने अपने

जीवनकाल में पारिवारिक व्यवस्था अनुसार चार वारिसो में सम्पति का बंटवारा कर दिया। बड़े पुत्र ओमप्रकाष को अलग से भूमि दे दी और दोनो पुत्रियों को सामर्थ्य अनुसार दान दहेज देकर शादियां कर दी तथा पुत्र सुनील अपीलांट व पत्नी रामेष्वरी को जैर अपील भूमि का कब्जा जीवनकाल में ही दे दिया तथा पिता व माता की अंतिम समय तक सेवा सुषमा अपीलांट ने ही की तो पिता ने खुष होकर उक्त भूमि की नोटेरी रजिस्टर्ड वसीयत अपीलांट व अपीलांट की माता रामेष्वरी के पक्ष में दिनांक 31.05.2008 को दो गवाहो की मौजूदगी में की थी। जिसमें अपीलांट को चक 4 केजेडी के मु0नं0 81/4 के किला नं0 16, 23 ता 25 तादादी 04.00 बीघा एवं 6 केजेडी ए मु0नं0 81/5 के किला नं0 4 ता 6 तादादी 03.00 बीघा, मु0नं0 81/12 के किला नं0 23 ता 25 तादादी 03.00 बीघा कुल तादादी 10.00 बीघा की वसीयत कर दी और शेष 10.00 बीघा की वसीयत माता रामेष्वरी के पक्ष में की और माता ने अपने हिस्से से अपने जीवनकाल में अपीलांट को 1/4 यानि मु0नं0 81/13 के किला नं0 1, 2 में 10 बिस्वा, 10 सालम, कुल 02.10 बीघा का कब्जा दे दिया और और का देहान्त मार्च 24 व पिता का देहान्त दिनांक 10.05.2018 को हो गया। जैर अपील भूमि पर अपीलांट लगभग 20–22 सालों से लगातार उक्त भूमि पर काबिज काष्त है। फिर भी इकतरफा तौर पर उक्त जैर अपील आदेष पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के हको पर कुठाराघात किया है। वसीयतकर्ता ने वसीयत में साफ लिख दिया था कि मेरी खातेदारी भूमि है तथा मैं स्वेच्छा से अपने पुत्र व पत्नी को किला नं0 खोलते हुए वसीयत की थी। कुल 20.00 बीघा की वसीयत रूबरू गवाहान अपने पुत्र व पत्नी को जैर अपील भूमि के एकमात्र मालिक काबिज अधिकारी घोषित कर दिया था। अन्य किसी का कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं होगा तथा रेस्पो0 को इस बात की जानकारी रही है और अपीलांट ने माता के जीवनकाल में उक्त वसीयत की पेरोकारी नहीं कर सका और अब जब माता का देहान्त हुआ और परिवार में सुगबुहाहट हुई तो दिनांक 24.10.24 को प्रार्थनापत्र तहसीलदार को देकर वसीयतन इन्तकाल दर्ज करवाने का निवेदन किया और दिनांक 11.11.24 को पटवारी रिपोर्ट करवाने गया तो पटवारी हल्का ने कहा उक्त भूमि पर विरासतन इन्तकाल दिनांक 14.10.24 को दर्ज हो गया है और अन्य वारिस रहन के कागजात बनवा रहे है जानकारी में आया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण जैरकार रहते, बिना काबिज काष्तकार को सुने, सूचना दिये इकतरफातौर पर उक्त जैर अपील आदेष पारित कर दिया और जैर अपील आदेष से सबके नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कर दी गयी जो आदेष स्वतःषुन्य, निष्प्रभावी एवं खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जैर अपील आदेष पारित करते समय वसीयत पर तनिक भी गौर नहीं किया और अधीनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में नियम कायदों को ताक पर रखकर उक्त जैर अपील आदेष पारित कर अपीलांट के हको पर कुठाराघात किया है जो कतई मैण्टेन रखने योग्य नहीं है तथा रेस्पो0 सं0 2 को पिता ने अलग से भूमि दे दी और वह कभी माता पिता के जीवित अवस्था में भी उनके दुख–सुख में हिस्सेदार नहीं बने और ना ही कभी मौका कब्जा पर आये और ना ही सुधार कार्यो पर धन खर्च किया। अब लालचवष इस बात का ध्यान होते हुए भी कि उक्त भूमि की वसीयत अपीलांट के नाम फिर भी साठ–गांठ कर जैर अपील आदेष पारित करवा लिया जो मजमेआम में पढ़कर नहीं सुनाया और वह स्पीकिंग आदेष की श्रेणी में ही नहीं है काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेष अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आनन–फानन में दर्ज कर दिया जबकि विरासतन का इन्तकाल मजमेआम में पढ़ा जाकर प्रस्ताव लिया जाकर पारित किया जाना चाहिए था तथा जैर अपील भूमि पर अपीलांट वसीयत अनुसार काबिज है। राजस्व लैण्ड मैन्युवल में ग्राम पंचायत या तहसीलदार को प्रस्ताव लेकर आम सभा लेकर सभा में पढ़कर इन्तकाल स्वीकृत करने का अधिकार है तथा राजस्व ग्रुप 6 विभाग राज. जयपुर के पत्रांक/एफ–6 8 राज–6/98 दिनांक 15.03.08 से निर्देष्ट किया गया है कि अधिसूचित क्षेत्रों में नामान्तरण खोलने से पूर्व राज. भू राजस्व भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 133 क की पूर्णतः पालना की जावे एवं केवल रजिस्ट्रीशुदा दस्तावेजों में कब्जा स्थानांतरण का अंकन हो जाने मात्र को कब्जे का वास्तविक हस्तानान्तरण नहीं माना जावे। अपितु पटवारी मौके की स्थिति के अनुसार कब्जा दिये जाने की जांच पक्की तरह से कर लेवे। यदि कब्जा सिद्ध नहीं होता है तो नामान्तरण निरस्त कर दिया जाना चाहिए और उक्त प्रकरण में कब्जा आज दिनांक तक अपीलांट के पास है जो स्पष्ट विधि विरूद्ध और शून्य आदेष है जिसे निरस्त किया जाना आवष्यक है ताकि अपीलांट के हको पर कुठाराघात ना हो सके और वह वसीयत अनुसार दर्ज करवाने के हकदार है। अपीलांट निरन्तर प्रयासरत रहा है तथा जैर अपील आदेष विवाद रहते विधिविरूद्ध दर्ज किया गया है और वसीयत प्रकरण आज दिनांक पेण्डिंग है ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेष कायम रखे जाने योग्य नहीं है काबिल खारिजी है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेष स्वीकृत दिनांक 14.10.24 इ.सं0 144 दिनांक 30.09.24 को निरस्त कर अपीलांट के नाम वसीयत

दिनांक 31.05.2008 के अनुसार इंतकाल दर्ज करने के आदेष प्रदान करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस भिजवाने पर रेस्पो0 सं0 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भीमसिंह डूकिया ने उपस्थित आए। पत्रावली पर सुना गया।

सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट ने बताया कि उक्त जैरअपील आदेष एकतरफातोर पर पारित हुआ है और जानकारी के अन्दरमियाद अपील पेषकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाना है।

दौराने बहस अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुवे अपील अपीलांट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है। रेस्पो0 अधिवक्ता ने वसीयत निरस्तीकरण प्रलेख की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वसीयत प्रकरण पर तहसील खाजूवाला सुनवाई होकर प्रकरण निरस्त किया जा चुका है। चूंकि अपीलांट द्वारा वर्णित वसीयत निरस्त की जा चुकी थी इसलिए वसीयत के आधार पर कोई कार्यवाही संभव नहीं थी। अपीलांट ने न्यायालय को गलत तथ्य प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर उक्त अपील प्रस्तुत की जो कि खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवलोकनानुसार अपीलांट अपील मीमों को साबित करने में असफल रहा है। अतः अपील सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैषल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 153/2024

01. सुनीलकुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी चक 6 केजेडी ए तहसील खाजूवाला

.....अपीलान्ट

बनाम

01 अमितादेवी पुत्र नत्थुराम पत्नी गोरधनराम जाति जाट निवाी मघेवाल ढाणी उप तहसील जैतसर जिला श्रीगंगानगर
02. ओमप्रकाष पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी चक 6 केजेडी ए तहसील खाजूवाला
03. मायादेवी पुत्री नत्थूराम पत्नी हरिराम गोदारा जाति जाट निवासी दक्षिण विस्तार पवनपुरी बीकानेर
04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट
आदेश दिनांक :– 07.01.26

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री पुरूषोतम सारस्वत अन्तर्गत धारा 75 एल. आर एक्ट प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि अपीलांट के पिता नत्थूराम पुत्र नानकराम के नाम चक 4 केजेडी मु0नं0 81/4 के किला नं0 16, 23 ता 25 तादादी 04.00 बीघा व चक 6 केजेडी ए मु0नं0 81/5 के किला नं0 4 ता 6 तादादी 03.00 बीघा, मु0नं0 81/12 के किला नं0 23 ता 25 तादादी 03.00 बीघा, मु0नं0 81/13 के किला नं0 1 ता 5, 8 में 10 बिस्वा, 9, 10, 12 सालम, 13 में 10 बिस्वा तादादी 09.00 बीघा, मु0नं0 81/14 के किला नं0 3 तादादी 01.00 बीघा कुल तादादी 20.00 बीघा स्वअर्जित खातेदारी दर्ज कागजात थी। पिता ने अपने

जीवनकाल में पारिवारिक व्यवस्था अनुसार चार वारिसो में सम्पति का बंटवारा कर दिया। बड़े पुत्र ओमप्रकाष को अलग से भूमि दे दी और दोनो पुत्रियों को सामर्थ्य अनुसार दान दहेज देकर शादियां कर दी तथा पुत्र सुनील अपीलांट व पत्नी रामेष्वरी को जैर अपील भूमि का कब्जा जीवनकाल में ही दे दिया तथा पिता व माता की अंतिम समय तक सेवा सुषमा अपीलांट ने ही की तो पिता ने खुष होकर उक्त भूमि की नोटेरी रजिस्टर्ड वसीयत अपीलांट व अपीलांट की माता रामेष्वरी के पक्ष में दिनांक 31.05.2008 को दो गवाहो की मौजूदगी में की थी। जिसमें अपीलांट को चक 4 केजेडी के मु0नं0 81/4 के किला नं0 16, 23 ता 25 तादादी 04.00 बीघा एवं 6 केजेडी ए मु0नं0 81/5 के किला नं0 4 ता 6 तादादी 03.00 बीघा, मु0नं0 81/12 के किला नं0 23 ता 25 तादादी 03.00 बीघा कुल तादादी 10.00 बीघा की वसीयत कर दी और शेष 10.00 बीघा की वसीयत माता रामेष्वरी के पक्ष में की और माता ने अपने हिस्से से अपने जीवनकाल में अपीलांट को 1/4 यानि मु0नं0 81/13 के किला नं0 1, 2 में 10 बिस्वा, 10 सालम, कुल 02.10 बीघा का कब्जा दे दिया और और का देहान्त मार्च 24 व पिता का देहान्त दिनांक 10.05.2018 को हो गया। जैर अपील भूमि पर अपीलांट लगभग 20–22 सालों से लगातार उक्त भूमि पर काबिज काष्त है। फिर भी इकतरफा तौर पर उक्त जैर अपील आदेष पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के हको पर कुठाराघात किया है। वसीयतकर्ता ने वसीयत में साफ लिख दिया था कि मेरी खातेदारी भूमि है तथा मैं स्वेच्छा से अपने पुत्र व पत्नी को किला नं0 खोलते हुए वसीयत की थी। कुल 20.00 बीघा की वसीयत रूबरू गवाहान अपने पुत्र व पत्नी को जैर अपील भूमि के एकमात्र मालिक काबिज अधिकारी घोषित कर दिया था। अन्य किसी का कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं होगा तथा रेस्पो0 को इस बात की जानकारी रही है और अपीलांट ने माता के जीवनकाल में उक्त वसीयत की पेरोकारी नहीं कर सका और अब जब माता का देहान्त हुआ और परिवार में सुगबुहाहट हुई तो दिनांक 24.10.24 को प्रार्थनापत्र तहसीलदार को देकर वसीयतन इन्तकाल दर्ज करवाने का निवेदन किया और दिनांक 11.11.24 को पटवारी रिपोर्ट करवाने गया तो पटवारी हल्का ने कहा उक्त भूमि पर विरासतन इन्तकाल दिनांक 28.10.24 को दर्ज हो गया है और अन्य वारिस रहन के कागजात बनवा रहे है जानकारी में आया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण जैरकार रहते, बिना काबिज काष्तकार को सुने, सूचना दिये इकतरफातौर पर उक्त जैर अपील आदेष पारित कर दिया और जैर अपील आदेष से सबके नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कर दी गयी जो आदेष स्वतःषुन्य, निष्प्रभावी एवं खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जैर अपील आदेष पारित करते समय वसीयत पर तनिक भी गौर नहीं किया और अधीनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में नियम कायदों को ताक पर रखकर उक्त जैर अपील आदेष पारित कर अपीलांट के हको पर कुठाराघात किया है जो कतई मैण्टेन रखने योग्य नहीं है तथा रेस्पो0 सं0 2 को पिता ने अलग से भूमि दे दी और वह कभी माता पिता के जीवित अवस्था में भी उनके दुख–सुख में हिस्सेदार नहीं बने और ना ही कभी मौका कब्जा पर आये और ना ही सुधार कार्यो पर धन खर्च किया। अब लालचवष इस बात का ध्यान होते हुए भी कि उक्त भूमि की वसीयत अपीलांट के नाम फिर भी साठ–गांठ कर जैर अपील आदेष पारित करवा लिया जो मजमेआम में पढ़कर नहीं सुनाया और वह स्पीकिंग आदेष की श्रेणी में ही नहीं है काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेष अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आनन–फानन में दर्ज कर दिया जबकि विरासतन का इन्तकाल मजमेआम में पढ़ा जाकर प्रस्ताव लिया जाकर पारित किया जाना चाहिए था तथा जैर अपील भूमि पर अपीलांट वसीयत अनुसार काबिज है। राजस्व लैण्ड मैन्युवल में ग्राम पंचायत या तहसीलदार को प्रस्ताव लेकर आम सभा लेकर सभा में पढ़कर इन्तकाल स्वीकृत करने का अधिकार है तथा राजस्व ग्रुप 6 विभाग राज. जयपुर के पत्रांक/एफ–6 8 राज–6/98 दिनांक 15.03.08 से निर्देष्ट किया गया है कि अधिसूचित क्षेत्रों में नामान्तरण खोलने से पूर्व राज. भू राजस्व भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 133 क की पूर्णतः पालना की जावे एवं केवल रजिस्ट्रीशुदा दस्तावेजों में कब्जा स्थानांतरण का अंकन हो जाने मात्र को कब्जे का वास्तविक हस्तानान्तरण नहीं माना जावे। अपितु पटवारी मौके की स्थिति के अनुसार कब्जा दिये जाने की जांच पक्की तरह से कर लेवे। यदि कब्जा सिद्ध नहीं होता है तो नामान्तरण निरस्त कर दिया जाना चाहिए और उक्त प्रकरण में कब्जा आज दिनांक तक अपीलांट के पास है जो स्पष्ट विधि विरूद्ध और शून्य आदेष है जिसे निरस्त किया जाना आवष्यक है ताकि अपीलांट के हको पर कुठाराघात ना हो सके और वह वसीयत अनुसार दर्ज करवाने के हकदार है। अपीलांट निरन्तर प्रयासरत रहा है तथा जैर अपील आदेष विवाद रहते विधिविरूद्ध दर्ज किया गया है और वसीयत प्रकरण आज दिनांक पेण्डिंग है ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेष कायम रखे जाने योग्य नहीं है काबिल खारिजी है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेष स्वीकृत दिनांक 28.10.24 इ.सं0 320 दिनांक 30.09.24 को निरस्त कर अपीलांट के नाम वसीयत

दिनांक 31.05.2008 के अनुसार चक 4 केजेडी मु0नं0 81/4 के किला नं0 16, 23 ता 25 तादादी 04.00 बीघा का इंतकाल दर्ज करने के आदेष प्रदान करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस भिजवाने पर रेस्पो0 सं0 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भीमसिंह डूकिया ने उपस्थित आए। पत्रावली पर सुना गया।

सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट ने बताया कि उक्त जैरअपील आदेष एकतरफातोर पर पारित हुआ है और जानकारी के अन्दरमियाद अपील पेषकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाना है।

दौराने बहस अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुवे अपील अपीलांट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है। रेस्पो0 अधिवक्ता ने वसीयत निरस्तीकरण प्रलेख की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वसीयत प्रकरण पर तहसील खाजूवाला सुनवाई होकर प्रकरण निरस्त किया जा चुका है। चूंकि अपीलांट द्वारा वर्णित वसीयत निरस्त की जा चुकी थी इसलिए वसीयत के आधार पर कोई कार्यवाही संभव नहीं थी। अपीलांट ने न्यायालय को गलत तथ्य प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर उक्त अपील प्रस्तुत की जो कि खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवलोकनानुसार अपीलांट अपील मीमों को साबित करने में असफल रहा है। अतः अपील सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैषल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 35/2025

1. निखिल स्वामी पुत्र महावीर स्वामी जाति स्वामी निवास जसरासर तहसील नोखा हाल निवासी डी–321 मुरलीधर व्यास कॉलोनी बीकानेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र हीराराम जाति साद (स्वामी) निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर
2. मांगीलाल पुत्र हीराराम जाति साद (स्वामी) निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर
3. द्रौपदी पुत्री हीराराम जाति साद (स्वामी) निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर
4. सरपंच ग्राम पंचायत गुल्लूवाली तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट
आदेश दिनांक :– 08.01.26

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री भीमसिंह डुकिया अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी का हीराराम को पुख्ता आवंटित थी हीराराम व अपीलांट के दादा मोहनलाल पॉच भाई व एक बहिन है मेरे पिता महावीर प्रसाद के चाचा उदयराम कार्ट बीकानेर में अरजिनिवेष का कार्य करता था जब

मेरे दादा पॉच भाई अलग अलग हुए तो सम्पति का बंटवारा कर दिया। जब सम्पति का बंटवारा कार्ट परिसर बीकानेर अरजिनिवेष द्वारा लिखा गया तब उदयराम ने कुछ सादे कागजो पर हस्ताक्षर करवा लिये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 अपने पिता के जीवनकाल में ही अलग हो गये थे। हीराराम पारिवारीक परिस्थतियों के कारण अपीलांट के दादा मोहनलाल के पास रहते थे अपीलांट की सेवा चाकरी की भावना से प्रसन्न होकर हीराराम ने अपने जीवन काल में अपनी अन्तिम वसीयत दिंनाक 30/05/2005 को तहसील खाजूवाला की चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी अपीलांट के नाम बरूबरू गवाहन नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कर पंजीबद्व करवाया। हीराराम की चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 स्वयं अर्जित सम्पति है, हीराराम का देहान्त दिंनाक 09/02/2006 हो चुका है। हीराराम के जीवनकाल तक तथा उनका देहान्त होने के बाद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 उक्त वसीयत भली भांती परिचित थे। हीराराम के देहान्त के बाद उदयराम के दोनो पुत्र ओम प्रकाष, विजय कुमार ने रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के समक्ष एक वसीयत दिनांक 19/11/1990 की बताकर वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का प्रकरण दिनांक 28/06/2006 को दर्ज करवाया जिसका समाचार में प्रकाषन होने पर अपीलांट ने अपनी अन्तिम वसीयत दिंनाक 30/05/2005 पर प्रार्थना पत्र पेष किया प्रकरण जैरकार था। तब ओम प्रकाष, विजय कुमार ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28/02/2012 को रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के समक्ष पेष किया कि उक्त प्रकरण की कृषि भूमी के सम्बन्ध में न्यायालय जिला एवं सैषन न्यायाधीष बीकानेर में उतराधिकार अधिनियम का प्रकरण जैरकार लम्बित है उक्त प्रकरण को जिला एवं सैषन न्यायाधीष बीकानेर द्वारा पारित निर्णय तक लेटर आफ एडमिनिस्ट्रेषन अंतिम व सर्व मान्य होगा तब तक वसीयत प्रकरण की कार्यवाही रोक दी जावे। इसी प्रकरण जैरकार के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के मन में बेईमानी व लालच आ गया तो उन्होने हीराराम का मृत्यू का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर वारिसान के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने प्रार्थना पत्र पेष किया जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने दिनांक 31/08/2012 को हीराराम के वारिसान की पुष्टि हेतु जसरासर भेजा वारिसान की बाद पुष्टि कार्यालय तहसीलदार से दिनांक 06/09/2012 को हल्का पटवारी के पास गया तब अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के समक्ष

राजस्व रेकार्ड में वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 जैरकार होने वारिसान नामान्तरण रोकने का प्रार्थना पत्र दिनांक 07/09/2012 प्रस्तुत किया जिस पर कार्यालय तहसीलदार द्वारा क्रम संख्या 12/168 दिनांक 07/09/2012 पर दर्ज रजिर्स्टड कर हल्का पटवारी को भेज दिया हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 जैरकार होने का अंकन कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का वारिसान के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने प्रार्थना पत्र व हल्का पटवारी रिपोर्ट को सामील मिसल कर दिया गया। बाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 में दिनांक 18/09/2014 को चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी पर वसीयत व हीराराम के वारिसो द्वारा विरासत नामान्तरणकरण पर न्यायालय जिला एवं सैषन न्यायाधीष बीकानेर के निर्णय तक स्थगित रखने का आदेष कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने चारी छिपे अति गोपनीय ढंग से फिर से दिनांक 10/10/2024 को चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी पर वारिसान के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेष प्रार्थना पत्र के साथ फर्जी कुटरचित हीराराम की मृत्यू दिनांक 30/01/2005 का बनाकर प्रस्तुत किया जिस रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने हीराराम के वारिसान की पुष्टि करवाकर इन्तकाल संख्या 205 दिनांक 24/12/2024 को की चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी पर वारिसान रेस्पोडेन्टान सं. 1 ता 3 के नाम से ग्राम पंचायत गुल्लूवाली तहसील खाजूवाला में स्वीकृत करवा लिया गया जिसमे अपीलांट के पक्ष में वसीयत की चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि सम्मिलित है। इन्तकाल प्रविष्टि संख्या 205 दिनांक 24/12/2024 खिलाफ कानून, सहेदाद मिसल, प्राकृतिक नियमों के विरूद्ध तथा एक पक्षीय होने के कारण काबिले निरस्ती के है। लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिर्कोर्डस) नियम 1957 के नियम 121 (4) ने स्पष्ट प्रावधान है कि इन्तकाल की कार्यवाही के समय सम्बधिंत पक्षकार को सुनवाई का एवं उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जावेगा अन्यथा भी यह विधि का मूलभूत सिद्धान्त है कि कोई भी आदेष किसी व्यक्ति के विरूद्ध उसकी बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये

पारित नहीं किया जावेगा। न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 में दिनांक 18/09/2014 को चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी पर वसीयत व हीराराम के वारिसो द्वारा विरासत नामान्तरणकरण पर न्यायालय जिला एवं सैषन न्यायाधीष बीकानेर के निर्णय तक स्थगित रखने का आदेष कर दिया गया। लेकिन आदेष दिनांक 18/09/2014 की ग्राम पंचायत गुल्लूवाली द्वारा कानूनी प्रावधानों की स्पष्ट अनदेखी करके अपीलांट की गैरहाजरी में एवं अपीलांट को किसी प्रकार को कोई नोटिस दिये बिना अपीलाधीन आदेष पारीत किया गया है, जो काबिले निरस्त के है। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावघानो के अन्तर्गत केवल माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित न्यायदृष्टान्त के मघ्यनजर इन्तकाल दर्ज करने के पूर्व कब्जा कास्त के सम्बन्ध में जांच करना अति आवष्यक है। लेकिन अपिलाधीन आदेष पारित करने से पूर्व मौका पर कब्जा कास्त के सम्बन्ध में कोई भी जॉच नही की गई। हीराराम ने अपने जीवन काल में ही स्वेच्छा से उक्त कृषि भूमि का कब्जा वसीयत अनुसार अपीलांट को सौंप दिया था। जिसका वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 में हल्का पटवारी की रिर्पोट में अपीलांट कब्जा का अंकन था जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 में अपीलांट कब्जा का अंकन था इस कृषि भूमि पर निरन्तर कब्जा कास्त अपीलांट का चला आ रहा है। जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्टान सं. 1 ता 3 को वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 में दायर पेष प्रार्थना पत्र व उस पर न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा पारित आदेष दिनांक 18/09/2014 से थी इन तथ्यो की जांच किये बिना ही अपिलाधीन आदेष पारित करने में ग्राम पंचायत गुल्लूवाली द्वारा भारी भूल की गई हैं। अत आदेष दिनांक 24/12/2024 काबिल निरस्ती के हैं। अपीलांट के अपील में वर्णित संक्षेप्त तथ्यो में अपनी वसीयत प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य दर्ज किये हैं। तथ्यों कि पुनरावृति से बचने के लिए उन दर्ज तथ्यो को इस मद में पढे जाने का निवेदन हैं। हीराराम ने अन्तिम वसीयत अपीलांट के पक्ष में दिंनाक 30/05/2005 को नोटेरी से तस्दीक करवाया हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 पिता के जीवनकाल में ही अलग हो गये थे। हीराराम पारिवारीक परिस्थतियों के कारण अपीलांट के दादा मोहनलाल के पास रहते थे अपीलांट की सेवा चाकरी की भावना से प्रसन्न होकर हीराराम ने अपने

जीवन काल में अपनी अन्तिम वसीयत निखिल स्वामी के पक्ष में वसीयत की हीराराम मेरे मरने के बाद कृर्षि भूमि के निखिल स्वामी मालिक होगे। इस प्रकार हीराराम की मृत्यु के रोज से ही उक्त कृर्षि भूमि के वसीयत दिनांक 30/05/2005 के आधार पर तमाम अधिकार व हित हम अपीलांट में निहित हो चुके थे। इसलिए वसीयत के आधार उक्त कृर्षि भूमि का इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवाने का केवल मात्र अपीलांट ही अधिकारी हैं। जिसका वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 जैरकार था वसियत प्रकरण में दिनांक 18/09/2014 को चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी पर वसीयत व हीराराम के वारिसो द्वारा विरासत नामान्तरणकरण पर न्यायालय जिला एवं सैषन न्यायाधीष बीकानेर के निर्णय तक स्थगित रखने का आदेष कर दिया गया। अतः अपीलाधीन आदेष दिनांक 24/12/2024 काबिल निरस्ती के हैं। अपीलाधीन आदेष पारित करने से पूर्व वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 की पत्रावली मूर्तीब नही की गई है बल्कि नामान्तरणकरण रजिस्टर प्रतिपरत के कॉलम में महज हल्का पटवारी ने पुख्ता आवंटी हीराराम के फौत होने का प्रमाण पत्र व षपथ पत्र व वारिस प्रमाण पत्र बाबत रिर्पोट की है, जो हल्का पटवारी द्वारा की गई है तथा हल्का पटवारी ने कॉलम में जायज वारिसान के प्रमाण पत्र पर दर्ज कर राजस्व अधिकारी की जॉच निर्णय दिनांक 18/12/2024 स्वीकृती कर दी गई। और दिनांक 24/12/2024 को ग्राम पंचायत गुल्लुवाली द्वारा इन्तकाल स्वीकृत किया गया है। इस तमाम कार्यवाही से स्पष्ट है वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 में दिनांक 18/09/2014 के निर्णय के आदेष का खुला उल्लघन कर विधि के स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करके अपीलाधीन आदेष पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेष दिनांक 24/12/2024 काबिले निरस्ती के है। नामान्तरणकरण रजिस्टर की प्रति परत के कालॅम में हल्का पटवारी द्वारा इस आषय की रिर्पोट की गई है कि श्रीमानजी मुताबिक जायज वारिसान के अनुसार एवं मृत्यु प्रमाण पत्र व षपथ पत्र के आधार पर व कॉलम में जायज वारिस के आधार पर जायज वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज कर वास्ते जॉच एंव आदेषार्थ स्वीकृती प्रस्तुत है। हल्का पटवारी द्वारा इन्तकाल दर्ज करते समय तहसील कार्यालय द्वारा क्रमांक 12/168 दिनांक 07/09/2012 के राजस्व रेकॉर्ड में वसीयत प्रकरण जैरकार अंकन करने के नोट की व पूर्व राजस्व रेकॉर्ड में अंकन वसीयत प्रकरण कब्जा के नोट की ना जॉच की और ना ही पूर्व राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में अंकन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के वारिस नामान्तरण पर रोक की जॉच की यहॉ गौरतलब तथ्य यह कि जब हल्का पटवारी नामान्तरण करण दर्ज ही कर दिया तब उसके उपरान्त

स्वीकृत के पेष हेतू निवेदन करने का औचित्य ही समाप्त हो जाता है जिस पर भी हल्का पटवारी द्वारा वास्ते स्वीकृती के पेष है निवेदन किये जाने के उपरान्त बिना कोई उचित कार्यवाही किये ही अपीलाधीन आदेष पारित करने में बड़ी कानूनी भूल की है। अतः अपीलाधीन आदेष दिनांक 24/12/2024 काबिल निरस्ती के है। हीराराम की मृत्यु के रोज से अपीलान्ट का वसीयत से चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी पर कब्जा काष्त चला आ रहा है। इसलिए अपीलान्ट अपनी उपरोक्त आरजी को हर प्रकार से उपयोग एवं उपभोग करने के अधिकारी है तथा न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 में दिनांक 18/09/2014 को चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी पर वसीयत व हीराराम के वारिसो द्वारा विरासत नामान्तरणकरण पर न्यायालय जिला एवं सैषन न्यायाधीष बीकानेर के निर्णय तक स्थगित रखने का आदेष कर दिया गया। न्यायालय जिला एवं सैषन न्यायाधीष बीकानेर के निर्णय के बाद की न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला की वसीयत आदेष की अनुपालना में अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतः अपीलाधीन आदेष दिनांक 24/12/2024 काबिल निरस्ती के है। अपीलान्ट को वसीयत में प्राप्त भूमी पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 3 का विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 ने बिना किसी प्रकार की पूर्व आदेषित वसीयत प्रकरण की जॉच किये इन्तकाल सं. 205 रेस्पोडेन्टान 1 ता 3 के नाम दर्ज कर दिया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। जो निरस्त करके अपीलान्ट मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी हीराराम के नाम से उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। अपीलांट के पास तहसील कार्यालय खाजूवाला के वसीयत प्रकरण की नकल थी रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 3 मौके पर आये कहॉ कि कि उक्त कृर्षि भूमि पर हमारा हिस्सा है तब अपीलांट ने कहॉ कि उक्त भूमि की वसीयत हमारे नाम से हें। जिसका वसीयत प्रकरण पर न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा दिनांक 18/09/2014 से वसीयत व हीराराम के वारिसो द्वारा विरासत नामान्तरणकरण पर न्यायालय जिला एवं सैषन न्यायाधीष बीकानेर के निर्णय तक स्थगित रखने का आदेष कर दिया गया। आपका कोई हक नही बनता है। तो अपीलांट ने वसीयत प्रकरण नकल रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 3 को दिखाई जिसमें वसीयत प्रकरण में वारिसान नामान्तरण पर रोक लगी थी रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 3 चले गये अपीलांट को न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला के आदेष विष्वास था इसलिए हल्का पटवारी से नही मिला रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 3 दिनांक 10/03/2025 को फिर आये धमकी दी कहा कि उक्त जमीन हमारे नाम से रिकार्ड में दर्ज है तो अपीलांट तहसील कार्यालय हल्का पटवारी में दिनांक 10/03/2025 को पता करने गये तो पता चला कि उक्त भूमी रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 3 के नाम से रिकार्ड में अमलदरामद की जा चुकी है। तो अपीलांट ने दिनांक 10/03/2025 को नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जो बाद तैयारी दिनांक 11/03/2025 को वापिस प्राप्त हुई, नकल वाद प्राप्ति वकील साहब से सलाह मषविरा किया व पैसों का प्रबन्ध कर अपने वकील से अपील करने के लिए कहा। अपील पेष करने में जो देरी हुई है, वो उपरोक्त अधीनस्थ न्यायालय के आदेष की जानकारी ना होने के कारण हुई है। अपील इल्म से अन्दर मियाद पेष है। अपीलांटान पूर्ण कोर्ट फीस पर एवं सुनवाई का क्षैत्राधिकार अदालतवाला को प्राप्त है एवं श्रवणाधिकार भी अदालतवाला को प्राप्त है। अपील अपीलांटान इल्म के रोज से अन्दर मियाद पेष है, जिस बाबत अलग से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेष है। अपील पेष कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्काल प्रविष्टी 205 दिनांक 24/12/2024 को निरस्त फरमाया जाकर चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी हीराराम के नाम से दर्ज करने के आदेष करे बाद वसीयत प्रकरण संख्या 19/2006 निर्णय इन्तकाल अपीलांट के नाम से वसीयत के आधार पर किये जाने का आदेष प्रदान करने का निवेदन किया है। सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस भिजवाने पर रेस्पो0 सं0 2, 4 हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो0 सं0 1, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह हाजिर आकर फॉर्म सं0 3 के साथ जमाबंदी व न्यायालय जिला न्यायधीष बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.05.25 की प्रति प्रस्तुत की। पत्रावली पर सुना गया। सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट ने बताया कि उक्त जैरअपील आदेष एकतरफातोर पर पारित हुआ है और जानकारी के अन्दरमियाद अपील पेषकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेंट ने

कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाना है।

दौराने बहस अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा वसीयत प्रकरण सं0 19/2006 में दिनांक 18.09.2014 को चक 24 केजेडी मु0नं0 224/12 के किला नं0 1 ता 14, 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि पर वसीयत व हीराराम के वारिसों द्वारा विरासत नामान्तरणकरण पर न्यायालय जिला एवं सेषन न्यायाधीष बीकानेर के निर्णय तक स्थगित रखने के आदेष कर दिये गए। इसके बावजूद रेस्पों0 सं0 1 ता 3 ने दिनांक 10.10.2024 को प्रष्नगत भूमि पर वारिसान के आधार पर नामान्तरण ग्राम पंचायत गुल्लूवाली तहसील खाजूवाला में स्वीकृत करवा लिया गया जिसमें अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रष्नगत भूमि पर अपीलांट का कब्जा है। हीराराम की अंतिम वसीयत अपीलांट के पक्ष में दिनांक 30.05.2005 को नोटेरी से तस्दीक करवाया है और यह वसीयत हीराराम की अंतिम इच्छा थी। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल प्रविष्टि 205 दिनांक 24.12.2024 को निरस्त फरमाया जाकर चक 24 केजेडी मु0नं0 224/12 के किला नं0 1 ता 14, 17 ता 20 की तादादी 4.3498 हैक्टर कृषि भूमि हीराराम के नाम से दर्ज करने के आदेष करे बाद वसीयत प्रकरण सं0 19/2006 निर्णय इंतकाल अपीलांट के नाम से वसीयत के आधार पर किये जाने का आदेष करने का निवेदन किया है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया है कि माननीय न्यायाधीष जिला न्यायाधीष बीकानेर ने अनवानी प्रकरण मृतक ओमप्रकाष वगैरह बनाम सर्वसाधारण वगैरह में दिनांक 28.05.2025 को अंतिम निर्णय में अपीलांट निखिल स्वामी को हीराराम की वसीयत के अनुसार सम्पति का एकमात्र मालिक व काबिज नहीं माना है एवं निर्णय निखिल स्वामी के विरूद्ध किया है। साथ ही वसीयत खातेदारी भूमि होने पर ही की जा सकती है जबकि प्रष्नगत भूमि वसीयत के समय गैरखातेदार थी इसलिए वसीयत शून्य है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा वसीयत प्रकरण सं0 19/2006 में दिनांक 18.09.2014 को चक 24 केजेडी मु0नं0 224/12 के किला नं0 1 ता 14, 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि पर वसीयत व हीराराम के वारिसों द्वारा विरासत नामान्तरणकरण पर न्यायालय जिला एवं सेषन न्यायाधीष बीकानेर के निर्णय तक स्थगित रखने के आदेष थे और माननीय न्यायालय के निर्णय से पूर्व ही हितबद्ध/संबंधित पक्षकार को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप सुनवाई का अवसर नहीं देकर एकतरफा फैसला किया गया है जो न्यायालय आदेष की अवहेलना दर्षाता है। पक्षकारों को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई व सबूत हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलांट आंषिक स्वीकार की जाकर चक 24 केजेडी मु0नं0 224/12 के किला नं0 1 ता 14, 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि का अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरण सं0 205 दिनांक 24.12.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस आषय से रिमान्ड की जाता है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स को सुनवाई व सबूत का उचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत् आदेश पारित करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैषल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.01.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2026/217

01. इस्माईल खां पुत्र नाजू खां जाति मुसलमान निवासी चक 15 केजेडी सामरदा तहसील खाजूवाला .....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला/दन्तौर ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–08.01.26

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से चक 17 केजेडी ए मु0नं0 105/28 के किला नं0 1 ता 20 की तादादी 4.8431 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि पुख्ता आवंटन हुई थी तथा उक्त रकबाा राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से दर्ज हो गया जो कि राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम इस्माईल खां पुत्र नाजू खां के बजाय अस्मील खां पुत्र नाजू खां दर्ज है व उक्त रकबा का कब्जा वादी का आवंटन से लेकर आज दिनांक तक चलता आ रहा है। जब उक्त रकबा के आवंटन के लिए आवेदन किया गया था। उस वक्त वादी को उसके गांव में आम बोलचाल में इस्माईल खां के बजाय अस्मील खां के नाम से पुकारते थे तथा उस समय आम आदमी का कोई फोटो पहचान व अन्य दस्तावेज जिन्हे पूर्णतया पहचान के रूप में प्रयोग लाया जा सके। फोटो पहचान पत्र दस्तावेज नहीं होने के कारण भूमि आवंटन आवेदन में वादी का नाम अस्मील खां भरा गया था तथा मुताबिक आवंटन वादी को उक्त रकबा अस्मील खां के नाम से आवंटन हो गया। जो कि आज दिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में अस्मील खां के नाम से दर्ज है। वादी को उसके गांव सामरदा में अस्मील खां पुत्र नाजू खां व इस्माईल खां पुत्र नाजू खां दोनों ही नाम से जानते व पहचानते है तथा वादी ही इस्माईल खां पुत्र नाजू खां व अस्मील खां पुत्र नाजू खां है। ये दोनो नाम वादी के ही है तथा वादी को इन दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है। वादी अपने नाम के उपरोक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अस्मील खां पुत्र नाजू खां की घोषणा व दुरूस्त करवाकर इस्माईल खां पुत्र नाजू खां करवाना चाहता है। वादी का नाम रकबा चक 17 केजेडी ए मु0नं0 105/28 के किला नं0 1 ता 20 तादादी 4.8431 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड में अस्मील खां पुत्र नाजू खां के बजाय इस्माईल खां पुत्र नाजू खां की घोषणा कर दुरूस्त कर अंकन करने का आदेष फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, पेनकार्ड, राषनकार्ड की प्रतिया व ग्राम पंचायत नौसेरा सामरदा की तस्दीक, प्रार्थी/वादी का स्वंय का शपथपत्र प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त प्रष्नगत रकबा के अलावा रकबा चक 14 केजेडी ए मु0नं0 124/63 रकबा 5.8167 हैक्टर की जमाबंदी भी प्रस्तुत की जिसमें वादी/प्रार्थी का नाम ईस्माईल खां अंकित है। ग्राम पंचायत तस्दीक में लिखा है कि इस्माईल खां व अस्मील खां एक ही आदमी है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र/वादपत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 17 केजेडी ए मु0नं0 105/28 के किला नं0 1 ता 20 तादादी 4.8431 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अस्मील खां की जगह इस्माईल खां संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला आदेष मुताबिक अमलदरामद करें। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच अस्मील खां नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का अस्मील खां नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम अस्मील खां ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 08.01.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2026/22

01. पांचदान पुत्र गोकलदान जाति चारण निवासी हरसानी तहसील षिव जिला बाड़मेर हाल चक 3 एसएलएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–04.02.26

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के पिता गोकलदान के नाम से चक 3 एसएलएम मु0नं0 235/55 रकबा 6.3225 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि थी। प्रार्थी के पिता के देहान्त के बाद उक्त कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाया था। विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम पायदान पुत्र गोकलदान अंकन हो गया। प्रार्थी का समस्त दस्तावेजों में नाम पांचदान ही अंकन है जबकि जमाबंदी में पायदान अंकित हो गया है जो काबिल दुरूस्ती है। प्रार्थी के पिता का देहान्त हो चुका है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पांचदान की जगह पायदान दर्ज होने के कारण प्रार्थी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत पेषकर निवेदन किया है कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पायदान की जगह पांचदान कर दुरूस्त किये जाने का आदेष फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, पहचानपत्र, मूलनिवास, पैनकार्ड इत्यादि की प्रति प्रस्तुत किया। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 3 एसएलएम मु0नं0 235/55 रकबा 6.3225 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पायदान की जगह पांचदान संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच पायदान नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का पायदान नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम पायदान ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 04.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 74/2025

1. पदमाराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड सं0 10 तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र मंगतुराम जाति मेघवाल निवासी 4 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. बिरमादेवी पत्नी मंगतुराम जाति मेघवाल निवासी 4 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. विजयपाल पुत्र मंगतुराम जाति मेघवाल निवासी 4 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :— 04.02.26

यह वादपत्र वादी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 के नाम से संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि चक 4 केजेडी खाजूवाला मु0नं0 81/27 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 6.1960 हैक्टर कमाण्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा बनता है। वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 के बीच मौखिक वाहमी बंटवारा हो चुका है। वादी मौखिक बंटवारे अनुसार चक 4 केजेडी मु0नं0 81/27 के किला नं0 1 में 0.2529 है0, 9 में 0.0885 है0, 10 ता 12 सालम, 19 ता 20 सालम, 21/2 में 0.2276 है0, 22/1 में 0.2276 है0 कुल तादादी 2.0611 हैक्टर कमाण्ड भूमि पर वादी का कब्जा काष्त है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का कब्जा काष्त चले आ रहे है तथा इसी अनुसार विधिक रूप से वादी बंटवारा करवाना चाहता है। दिनांक 28.05.26 को वादी ने प्रतिवादी सं0 1 ता से अपनी भूमि को विधिक रूप से बंटवारा करवारकर राजस्व रिकॉर्ड अलग—अलग अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने स्पष्ट मना कर दिया। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि चक 4 केजेडी मु0नं0 81/27 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 6.1960 हैक्टर में से किला नं0 1 में 0.2529 है0, 9 में 0.0885 है0, 10 ता 12 सालम, 19 ता 20 सालम, 21/2 में 0.2276 है0, 22/1 में 0.2276 है0 कुल तादादी 2.0611 हैक्टर भूमि पर वादी का कब्जा काष्त है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का कब्जा काष्त चले आ रहे हैं तथा इसी अनुसार विधिक रूप से वादी बंटवारा करवाना चाहता है। इसी अनुसार खाता विभाजन की डिक्री जारी कर प्रतिवादी सं0 4 को आदेष करें कि राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम से अलग—अलग दर्ज कर तथा उसी अनुसार खाता तकसीम कर लगान कायम करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस/समन तलबी करवाई गई। बावजूद सूचना प्रतिवादी सं0 1 ता 3 गैरहाजिर रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवला से रिपोर्ट/प्रस्ताव पत्रांक/तखा/भूअ/26/348 दिनांक 04.02.26 प्रस्तुत हुई जिसके अनुसार पदमाराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड सं0 10 खाजूवाला के हिस्सा 1/3 चक 4 केजेडी मु0नं0 81/27 के किला नं0 1 में 0.2529 है0, 9 में 0.0885 है0, 10 ता 12 सालम, 19 ता 20 सालम, 21/2 में 0.2276 है0, 22/1 में 0.2276 है0 कुल तादादी 2.0611 हैक्टर कमाण्ड तथा कृष्णलाल, विजयपाल पुत्र मंगतूराम, बिरमादेवी पत्नी मंगतूराम जाति मेघवाल निवासी 4 केजेडी खाजूवाला के हिस्सा 2/3 चक 4 केजेडी मु0नं0 81/27 के किला नं0 2 ता 8 सालम, 9 में 0.1644 है0, 13 ता 18 सालम, 23/1 में 0.2276 है0, 24/2 में 0.2276 है0, 25/1 में 0.2276 कुल तादादी 4.1349 हैक्टर का प्रस्ताव बनाया गया है। बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

अदालत द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो पर अध्ययन व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीया के वाद वादपत्र के कथनों की पुष्टि तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट दिनांक 04.02.26 से हो रही है। मुरब्बे के किला की पांचों लाईन में नक्शे अनुसार सड़क लगती है और वादगत भूमि पूरी कमाण्ड है इसलिए बाई मिटस एण्ड बाई बाउन्डस अनुसार बंटवारा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है। अतः तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट अनुसार वादपत्र स्वीकार के काबिल पाया जाता है।

अतः वादी का वाद वादपत्र के कथनों व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि चक 4 केजेडी मु0नं0 81/27 के किला नं0 1 ता 25 की तादादी 6.1960 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि में से पदमाराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड सं0 10 खाजूवाला के हिस्सा 1/3 चक 4 केजेडी मु0नं0 81/27 के किला नं0 1 में 0.2529 है0, 9 में 0.0885 है0, 10 ता 12 सालम, 19 ता 20 सालम, 21/2 में 0.2276 है0, 22/1 में 0.2276 है0 कुल तादादी 2.0611 हैक्टर तथा कृष्णलाल, विजयपाल पुत्र मंगतूराम, बिरमादेवी पत्नी मंगतूराम जाति मेघवाल निवासी 4 केजेडी खाजूवाला के हिस्सा 2/3 चक 4 केजेडी मु0नं0 81/27 के किला नं0 2 ता 8 सालम, 9 में 0.1644 है0, 13 ता 18 सालम, 23/1 में 0.2276 है0, 24/2 में 0.2276 है0, 25/1 में 0.2276 कुल तादादी 4.1349 हैक्टर कमाण्ड अलग–अलग राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को दिये जाते है। उक्त बंटवारा के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला वादगत भूमि के नक्षा, लगान का हिस्सा अलग–अलग दर्ज करें, तदानुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2025/44

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

कलवन्त कौर पत्नी मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी 19 एपीडी तहः व जिला अनुपगढ़

अवतारसिंह पुत्र मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी 19 एपीडी तहः व जिला अनुपगढ़
गुरदीपसिंह पुत्र मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी 19 एपीडी तहः व जिला अनुपगढ़
जसविन्द्र कौर पुत्री मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी 19 एपीडी तहः व जिला अनुपगढ़
रूघवीरसिंह पुत्र मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी 19 एपीडी तहः व जिला अनुपगढ़
हरविन्द्र कौर पुत्र मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी 19 एपीडी तहः व जिला अनुपगढ़

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः दिनांकः— 03.02.26

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 7 पीआरएम मु0नं0 17/37 के किला नं0 1 ता 21 कुल 5.3109 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्जषुदा है। उक्त प्रतिवादीगणों द्वारा मु0नं0 17/37 के किला नं0 9, 10 कृषि भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है। रकबे में खनन की अनुमति नहीं है। इसप्रकार अवैध खनन उपयोग करने से खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तो को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी को भूमि का आवंटन कृषि कार्य के लिए किया गया है। अवैध खनन करने के लिए नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावें। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध खनन कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावें।

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला व रजि0 डाक नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादीगण हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी/राजपैरोकार ने वादपत्र कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज व मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकारी कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार इस भूमि के किला नं0 09, 10 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 7 पीआरएम मु0नं0 17/37 के किला नं0 09, 10 रकबा 0.5058 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 03.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :—2025/44

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

कलवन्त कौर पत्नी मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी 19 एपीडी तहः व जिला अनुपगढ़

अवतारसिंह पुत्र मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी 19 एपीडी तहः व जिला अनुपगढ़
गुरदीपसिंह पुत्र मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी 19 एपीडी तहः व जिला अनुपगढ़
जसविन्द्र कौर पुत्री मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी 19 एपीडी तहः व जिला अनुपगढ़
रूघवीरसिंह पुत्र मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी 19 एपीडी तहः व जिला अनुपगढ़
हरविन्द्र कौर पुत्र मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी 19 एपीडी तहः व जिला अनुपगढ़

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः दिनांकः— 03.02.26

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 7 पीआरएम मु0नं0 17/37 के किला नं0 1 ता 21 कुल 5.3109 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्जषुदा है। उक्त प्रतिवादीगणों द्वारा मु0नं0 17/37 के किला नं0 9, 10 कृषि भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है। रकबे में खनन की अनुमति नहीं है। इसप्रकार अवैध खनन उपयोग करने से खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तो को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी को भूमि का आवंटन कृषि कार्य के लिए किया गया है। अवैध खनन करने के लिए नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावें। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध खनन कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावें।

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला व रजि0 डाक नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादीगण हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी/राजपैरोकार ने वादपत्र कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज व मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकारी कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार इस भूमि के किला नं0 09, 10 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 7 पीआरएम मु0नं0 17/37 के किला नं0 09, 10 रकबा 0.5058 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 03.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :—2025/130

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

हीराराम पुत्र गोपाराम जाति जाट निवासी बंगलानगर बीकानेर हाल चक 18 बीएलडी खाजूवाला

.....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः दिनांकः— 03.02.26

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 18 बीएलडी मु0नं0 13/48 के किला नं0 3 ता 7 में 1.2645 हैक्टर व मु0नं0 13/56 के किला नं0 1, 5 ता 10 में 1.3911 है0 तथा मु0नं0 13/64 के किला नं0 1 ता 15 में 3.4143 हैक्टर इसप्रकार कुल 6.0699 हैक्टर भूमि हीराराम पुत्र गोपाराम जाति जाट निवासी बंगलानगर बीकानेर हाल चक 18 बीएलडी खाजूवाला के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी चक 18 बीएलडी मु0नं0 13/56 के किला नं0 6 ता 8 में चिमनी बनी हुई है जो मौके पर चालू है। मु0नं0 13/56 के किला नं0 5, 6 में श्रमिकों के कमरे बने हुए है। मु0नं0 13/64 के किला नं0 1, 10 में ऑफिस व बाग है। मु0नं0 13/64 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15 में लेबर हेतु कमरे, मिट्टी व ईंट थपाई का कार्य किया जा रहा है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मु0नं0 13/56, 48 में 6326.45 वर्गफीट रकबा चुना भट्टी हेतु संपरिवर्तन है। लेकिन मौके पर ईंट भट्टा चालू है। शेष उपर वर्णित भूमि पर गैर कृषि कार्य किया जा रहा है। रकबे में ईंट भट्टा संचालन की अनुमति नहीं है। इसप्रकार खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तो को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावें। अप्रार्थी की खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावें।

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला व रजि0 डाक नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादी हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी/राजपैरोकार ने वादपत्र कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज व मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। पटवारी ने रिपोर्ट में चक 18 बीएलडी मु0नं0 13/48 के किला नं0 02 रकबा 0.2529 व मु0नं0 13/56 के किला नं0 6/1 में 0.1265 है0, 7/1 में 0.1265 है0, /1 में 0.1265 कुल रकबा 0.6324 हैक्टर औधोगिक प्रयोजनार्थ चुना भट्टी हेतु संपरिवर्तन है। शेष रकबा पर बिना कोई विधिक दस्तावेज/संपरिवर्तन अकृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त रिपोर्ट को बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अकृषि कार्य न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अकृषि कार्य होना दर्शाया है। भूमिधारक सरकारी कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार वादगत भूमि के चक 18 बीएलडी मु0नं0 13/48 के किला नं0 3 ता 7 रकबा 1.2645 है0 व मु0नं0 13/56 के किला नं0 1, 5, 9, 10 रकबा 1.0116 है0 व मु0नं0 13/64 के किला नं0 1 ता 15 रकबा 3.4143 है0 में अकृषि कार्य उपयोग हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए कृषि भूमि का अकृषि कार्य हेतु उपयोग पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 18 बीएलडी मु0नं0 13/48 के किला नं0 3 ता 7 रकबा 1.2645 है0 व मु0नं0 13/56 के किला नं0 1, 5, 9, 10 रकबा 1.0116 है0 व मु0नं0 13/64 के किला नं0 1 ता 15 रकबा 3.4143 है0 कृषि भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 03.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :—2025/154

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

बषीरखां पुत्र शेरे खां जाति मुसलमान निवासी केला तहः छतरगढ़ जिला बीकानेर

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः दिनांकः— 03.02.26

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 2 एचडब्ल्युएम मु0नं0 26/33 के किला नं0 1 ता 17 रकबा 4.2993 हैक्टर बषीरखां पुत्र शेरे खां जाति मुसलमान निवासी केला तहः छतरगढ़ जिला बीकानेर के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबे के किला नं0 2,3,4,7,8,9 कुल 1.5174 हैक्टर भूमि पर अवैध जिप्सम खनन किया गया है। उक्त रकबे से संबंधित काष्तकार को खनन से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया लेकिन कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। उक्त रकबे के किला नं0 2,3,4,7,8,9 कुल 1.5174 हैक्टर भूमि पर अवैध जिप्सम खनन किया जा रहा है जो कि बिना किसी सक्षम स्वीकृति के किया जा रहा है। इसप्रकार खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तो को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी को भूमि का आवंटन कृषि कार्य के लिए किया गया है। अवैध रूप से अकृषि कार्य करने के लिए नहीं किया गया है। प्रार्थी को न्याय प्रक्रिया में जो भी अनुतोष देय है वो दिलवाया जावें। प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावें। अप्रार्थी की खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावें।

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला व रजि0 डाक नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादीगण हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी/राजपैरोकार ने वादपत्र कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज व मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकारी कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार इस भूमि के किला नं0 2 ता 4, 7 ता 9 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 2 एचडब्ल्युएम मु0नं0 26/33 के किला नं0 2 ता 4 , 7 ता 9 रकबा 1.5174 हैक्टर कृषि भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 03.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :—2025/40

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

अमराराम पुत्र लाधूराम जाति बिष्नोई निवासी पीलवा तहः फलौदी जिला जोधपुर

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः दिनांकः— 03.02.26

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 19 बीएलडी मु0नं0 35/7 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 कमाण्ड अमराराम पुत्र लाधूराम जाति बिष्नोई निवासी पीलवा तहः फलौदी जिला जोधपुर खातेदार रहन आरएमजीबी दन्तौर दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर उक्त रकबे के किला नं0 17, 18 में कुल 0.5058 हैक्टर रकबे पर जिप्सम का अवैध खनन किया जा रहा है। रकबे में अवैध खनन की अनुमति नहीं है। इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तो को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन चक 19 बीएलडी मु0नं0 35/7 के किला नं0 1 ता 25 सालम में कुल 6.3225 हैक्टर निरस्त योग्य है। आवंटी को भूमि का आवंटन कृषि कार्य के लिए किया गया है। अवैध रूप से जिप्सम का खनन करने के लिए नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावें। अप्रार्थी की खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावें।

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला व रजि0 डाक नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादीगण हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी/राजपैरोकार ने वादपत्र कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज व मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकारी कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार इस भूमि के किला नं0 17,18 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 19 बीएलडी मु0नं0 35/7 के किला नं0 17 ,18 रकबा 0.5058 हैक्टर कृषि भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 03.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :—2025/42

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

सुभाषचन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति मोची निवासी वार्ड सं0 20 तहः भादरा जिला हनुमानगढ़

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः दिनांकः— 03.02.26

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 22 केएचएम II मु0नं0 119/27 के किला नं0 1 ता 25 रकबा 6.3225 हैक्टर सुभाषचन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति मोची निवासी वार्ड सं0 20 तहः भादरा जिला हनुमानगढ़ खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी द्वारा इसी रकबे के किला नं0 1 ता 25 सम्पूर्ण भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है। रकबे में अवैध खनन की अनुमति नहीं है। इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तो को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी को भूमि का आवंटन कृषि कार्य के लिए किया गया है। अवैध रूप से जिप्सम का खनन करने के लिए नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावें। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः 22 केएचएम II मु0नं0 119/27 के किला नं0 1 ता 25 रकबा 6.3225 हैक्टर रकबे की खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावें।

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला व रजि0 डाक नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादीगण हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी/राजपैरोकार ने वादपत्र कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज व मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकारी कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार इस भूमि के किला नं0 1 ता 25 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 22 केएचएम II मु0नं0 119/27 के किला नं0 1 ता 25 रकबा 6.3225 हैक्टर कृषि भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 03.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 2026/04

01. राजगुरदीप सिंह पुत्र गुलजार सिंह जाति जटसिख निवासी 13 एमडी तहः अनुपगढ़
..... प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :–03.02.26**

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी शुदा रकबा चक 6 डीडब्ल्युडी तहसील खाजूवाला के खाता सं0 88 मुनं0 109/42 के किला नं0 5,6,15 व 16 प्रत्येक में 0.2529 है0, 17/1 में 0.0632 है0, 24/2 में 0.2276 है0, 25 में 0.2529 है0 कुल तादादी 1.5553 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा काष्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि की हल्का पटवारी द्वारा जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 बनाते समय लिपिकीय त्रुटि एवं सहवन से प्रार्थी का नाम राजगुरदीपसिंह की जगह गुरदीपसिंह दर्ज कर दिया गया जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। उक्त रकबा पर प्रार्थी का कब्जा लगातार आज दिन तक निर्बाध रूप से चला आ रहा है। इसप्रकार उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजगुरदीपसिंह दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थी के उपरोक्त रकबा चक 6 डीडब्ल्युडी तहसील खाजूवाला के खाता सं0 88 मुनं0 109/42 के किला नं0 5,6,15 व 16 प्रत्येक में 0.2529 है0, 17/1 में 0.0632 है0, 24/2 में 0.2276 है0, 25 में 0.2529 है0 कुल तादादी 1.5553 हैक्टर कमाण्ड के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गुरदीपसिंह की जगह राजगुरदीपसिंह दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, बैयनामा, इंतकाल, पैनकार्ड, परिचयपत्र आदि की प्रति प्रस्तुत की है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत बैयनामा की छायाप्रति में राजगुरदीपसिंह नाम अंकित है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 6 डीडब्ल्युडी तहसील खाजूवाला के खाता सं0 88 मुनं0 109/42 के किला नं0 5,6,15 व 16 प्रत्येक में 0.2529 है0, 17/1 में 0.0632 है0, 24/2 में 0.2276 है0, 25 में 0.2529 है0 कुल तादादी 1.5553 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गुरदीपसिंह की जगह राजगुरदीप सिंह संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच गुरदीपसिंह नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का गुरदीपसिंह नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम गुरदीपसिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं की जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 03.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2026/03

01 मदनलाल शर्मा पुत्र बालकराम जाति ब्राह्मण निवासी सेक्टर नं0 41 ए चंडीगढ़ हाल चक केवाईडी बी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर .....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :—03.02.26**

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी व भाई के नाम से चक 6 केवाईडी मु0नं0 175/51 के किला नं0 2 ता 9, 11, 12 ता 19, 20, 21, 22 ता 25 तादादी 5.7408 हैक्टर संयुक्त खाता में बतौर विरासतन दर्ज रिकॉर्ड है और तब से लेकर आजतक प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काष्त ह एवं ढ़ाणी बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रहा है। यही उसके जीविकोपार्जन का साधन है। पिता के फौत पश्चात विरासतन इंतकाल सं0 20 दर्ज हुआ तो पिता का नाम बालकराम ही दर्ज हुआ इसके बाद ऑनलाईन के वक्त पिता का नाम बालकनाथ दर्ज हो गया जबकि हिमाचल के सभी दस्तावेजों में पिता का नाम बालकराम ही है तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में बालकराम दर्ज है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज यथा आधारकार्ड, पेनकार्ड, जनआधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र में बालकराम दर्ज रहा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवा संषोधित नाम दर्ज करवाना चाहता है। उक्त सभी दस्तावेज संलग्न पत्रावली है। रिकॉर्ड में बालकनाथ होने की वजह से प्रार्थी सरकार वितीय सहायता और किसान कार्ड नहीं बना पा रहा है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में बालकनाथ है और अन्य रिकॉर्ड में बालकराम है जिसके जरिये रिकॉर्ड दुरूस्ती कर रिकॉर्ड में बालकनाथ को हटाकर बालकराम दर्ज करवाकर प्रार्थी खातेदार दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। अतः प्रार्थनापत्र पेषकर अर्ज है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार कर रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता के पुराने नाम बालकनाथ को हटाकर बालकराम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। अतः प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट को पेषकर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि राजस्व तहसील खाजूवाला की के पटवार हल्का 8 केवाईडी का चक 6 केवाईडी बी मु0नं0 175/51 में 5.7408 हैक्टर के राजस्व रिकॉर्ड में संषोधन कर विरासतन इंतकाल सं0 20 में हम प्रार्थी के पिता का नाम बालकनाथ की जगह बालकराम करने के आदेष करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, इंतकाल, वारिस प्रमाणपत्र, आवंटन रसीद, एवार्ड रसीद आदि की प्रति प्रस्तुत की है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत आवंटन रसीद, वारिसनामा में प्रार्थी के पिता का नाम बालकराम अंकित है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र साक्ष्य—सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 6 केवाईडी मु0नं0 175/51 के किला नं0 2 ता 9, 11, 12 ता 19, 20, 21, 22 ता 25 तादादी 5.7408 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम बालकनाथ की जगह बालकराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के पिता का नाम बालकनाथ नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का बालकनाथ नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी के पिता का नाम बालकनाथ ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं की जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 03.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 2025/201

01. महेन्द्र शर्मा पुत्र ईषरराम जाति ब्राह्मण निवासी 66 आरडी गंगाजली तहसील पूगल हाल चक 14 बीएलडी बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला/दन्तौर ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–03.02.26

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी ने चक 14 बीएलडी बी मु0नं0 94/38 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 तादादी 3.6417 हैक्टर भूमि को जरिये बैयनामा खरीद किया था जिसपर खरीद दिन से लेकर आजतक वादी काबिज काष्त है, मौके पर सरसों की खेती कर रखी है। वादी का नाम महेन्द्र शर्मा ही रहा लेकिन बैयनामा या नामान्तरण के समय में ही त्रुटि से महेन्द्रसिंह नाम दर्ज हो गया और उसी अनुरूप रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी का नाम परिचयपत्र, राषनकार्ड, आधारकार्ड, पेनकार्ड, वोटरलिस्ट व परिवार पहचान कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस सब में महेन्द्र शर्मा पुत्र ईषरराम निवासी 66 आरडी गंगाजली दर्ज रहा लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में महेन्द्रसिंह पुत्र ईषरराम ही दर्ज रहा अब सरकार की वित्तीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर गोर किया तो उक्त त्रुटि की जानकारी हुई। वादी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक जरिये घोषणात्मक दुरूस्ती अपने नाम महेन्द्रसिंह पुत्र ईषरराम की जगह राजस्व रिकॉर्ड में महेन्द्र शर्मा पुत्र ईषरराम दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। उक्त भूमि पर वादी ही काबिज कास्त है एवं समय–समय पर लगान एवं राजस्व वादी अदा करता रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम महेन्द्रसिंह पुत्र ईषरराम दर्ज होने से काफी परेषानियां हो गई है तथा भविष्य में और दिक्कतें ना आये न्यायहित में रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती आवष्यक है। वादी की खातेदारी भूमि चक 14 बीएलडी बी मु0नं0 94/38 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 तादादी 3.6417 हैक्टर भूमि के रिकॉर्ड में वादी का नाम महेन्द्रसिंह पुत्र ईषरराम दर्ज हुआ है की जगह जरिये घोषणात्मक दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में संषोधन कर वादी का आधार दस्तावेजी नाम महेन्द्र शर्मा पुत्र ईषरराम जाति ब्राह्मण निवासी 66 आरडी गंगाजली तहसील पूगल हाल चक 14 बीएलडी बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर खातेदार दर्ज करने के आदेष करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, पेनकार्ड, भामाषाह कार्ड, मूलनिवास, राषनकार्ड, परिचय पत्र इत्यादि की प्रति प्रस्तुत की जिनमें वादी का नाम महेन्द्र शर्मा ही अंकित है एवं ग्राम पंचायत गंगाजली की तस्दीक प्रस्तुत की जिसमें लिखा है कि महेन्द्र शर्मा पुत्र ईषरराम जाति ब्राह्मण निवासी 66 आरडी 25 वर्षो से निवासी है। महेन्द्र शर्मा व महेन्द्रसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र/वादपत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 14 बीएलडी बी मु0नं0 94/38 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 तादादी 3.6417 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम महेन्द्रसिंह की जगह महेन्द्र शर्मा संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला आदेष मुताबिक अमलदरामद करें। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच महेन्द्रसिंह नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का महेन्द्रसिंह नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम महेन्द्र सिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2025/225

01 गुरजन्टसिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 3 केएलडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर .....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :—03.02.26**

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 3 केएलडी के खाता सं0 6 मु0नं0 236/18 के किला नं0 13/2 में 0.1265 है0, 14 ता 20 प्रत्येक में 0.2529 है0, 21/2 में 0.2276 है0, 22/1 में 0.2276 है0, 23/2 में 0.2276 है0, 24/2 में 0.2276 है0, 25/2 में 0.2276 है0 तादादी 3.0348 हैक्टर कमाण्ड व मु0नं0 236/26 के किला नं0 13/2 में 0.1265 है0, 14 ता 19 सालम, 20/2 में 0.2276 है0, 21/1 में 0.2276 है0, 22 ता 25 सालम तादादी 3.1107 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बों में कुल तादादी 6.1455 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा काष्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि की हल्का पटवारी द्वारा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 बनाते समय लिपिकीय त्रुटि एवं सहवन से प्रार्थी के पिता का नाम गुरदयालसिंह की जगह गुरदयाल दर्ज कर दिया गया जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। उक्त रकबा पर प्रार्थी का कब्जा लगातार आजदिन तक निर्बाध रूप से चला आ रहा है। इसप्रकार उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी अपने पिता का नाम गुरदयालसिंह दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थी के उपरोक्त रकबा चक 3 केएलडी खाता सं0 6 मु0नं0 236/18 के किला नं0 13/2 में 0.1265 है0, 14 ता 20 प्रत्येक में 0.2529 है0, 21/2 में 0.2276 है0, 22/1 में 0.2276 है0, 23/2 में 0.2276 है0, 24/2 में 0.2276 है0, 25/2 में 0.2276 है0 तादादी 3.0348 हैक्टर कमाण्ड व मु0नं0 236/26 के किला नं0 13/2 में 0.1265 है0, 14 ता 19 सालम, 20/2 में 0.2276 है0, 21/1 में 0.2276 है0, 22 ता 25 सालम तादादी 3.1107 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बों में कुल तादादी 6.1455 हैक्टर कमाण्ड के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गुरदयाल की जगह गुरदयालसिंह दर्ज करवाना चाहता हूँ। अतः प्रार्थी के नाम का रकबा चक 3 केएलडी के खाता सं0 6 मु0नं0 236/18 व मु0नं0 236/26 की 6.1455 हैक्टर कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम गुरदयाल की जगह गुरदयाल सिंह अंकन करने के आदेष का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, राषनकार्ड, पहचानपत्र, पैनकार्ड, इंतकाल प्रतिलिपि आदि की प्रति प्रस्तुत की है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत इंतकाल में प्रार्थी के पिता का नाम गुरदयाल सिंह अंकित है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र साक्ष्य—सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 3 केएलडी के खाता सं0 6 मु0नं0 236/18 के किला नं0 13/2 में 0.1265 है0, 14 ता 20 प्रत्येक में 0.2529 है0, 21/2 में 0.2276 है0, 22/1 में 0.2276 है0, 23/2 में 0.2276 है0, 24/2 में 0.2276 है0, 25/2 में 0.2276 है0 तादादी 3.0348 हैक्टर कमाण्ड व मु0नं0 236/26 के किला नं0 13/2 में 0.1265 है0, 14 ता 19 सालम, 20/2 में 0.2276 है0, 21/1 में 0.2276 है0, 22 ता 25 सालम तादादी 3.1107 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बों में कुल तादादी 6.1455 हैक्टर कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गुरदयाल की जगह गुरदयाल सिंह संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के पिता का नाम गुरदयाल नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का गुरदयाल नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी के पिता का नाम गुरदयाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं की जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 03.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 2025/221

01. जगदीषसिंह पुत्र करनेलसिंह जाति मजहबी जिनवासी 4 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला/दन्तौर ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :–03.02.26**

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी ने वादी के नाम से चक 4 केजेडी मु0नं0 81/51 के किला नं0 3,4,7,8,13,14,17,18 में तादादी 2.0232 हैक्टर कमाण्ड भूमि जरिये वसीयत वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें वादी का नाम जगदीष सिंह पुत्र करनेल सिंह की बजाय जगदीष कुमार पुत्र करनेल सिंह दर्ज है व उक्त रकबा का कब्जा वादी का निरंतर आज दिनांक तक चलता आ रहा है। वादी अनपढ़ व निरक्षर है इसलिए वह कुछ पढ़ लिख नहीं सकता है। जब उक्त रकबा की वसीयत लिखी गई थी। उस समय वादी को उसके गांव में आम बोलचाल भाषा में जगदीष नाम से ही पुकारते थे इसलिए वसीयत लिखते समय वादी का नाम जगदीष ही लिख दिया गया तथा उक्त वसीयत का नामान्तरण सं0 257 भी जगदीष नाम से दर्ज हो गया लेकिन उक्त राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाईन करते समय वादी का नाम जगदीष कुमार कर दिया गया। वादी अपने उक्त रकबा की फार्मर आईडी बनवाने के लिये गया तो पटवारी हल्का ने कहा की राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम जगदीष सिंह पुत्र करनेल सिंह है इसलिए आप अपने नाम की रिकॉर्ड में शुद्धि करवा लेवें, तब वादी को राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम जगदीष कुमार पुत्र करनेल सिंह होने की जानकारी मिली जबकि वादी के समस्त दस्तावेज जगदीष सिंह पुत्र करनेल सिंह नाम से बने हुए है। वादी को उसके चक में जगदीष पुत्र करनेल सिंह व जगदीष सिंह पुत्र करनेल सिंह दोनो ही नामों से जानते व पहचानते है तथा वादी ही जगदीष सिंह पुत्र करनेल सिंह व जगदीष कुमार पुत्र करनेल सिंह है। ये दोनो नाम वादी के ही है तथा वादी को इन दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है। वादी के नाम का रकबा चक 4 केजेडी मु0नं0 81/51 के किला नं0 3,4,7,8,13,14,17,18 में तादादी 2.0232 हैक्टर कमाण्ड के राजस्व रिकॉर्ड में जगदीष कुमार की जगह जगदीष सिंह की घोषणा कर दुरूस्त कर अंकन करने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में पटवारी रिपोर्ट, आधारकार्ड, वसीयत , नामान्तरण, जमाबंदी इत्यादि की प्रति प्रस्तुत की। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों वसीयत नामा, रसीद में जगदीष सिंह नाम अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र/वादपत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 4 केजेडी मु0नं0 81/51 के किला नं0 3,4,7,8,13,14,17,18 में तादादी 2.0232 हैक्टर कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जगदीष कुमार की जगह जगदीष सिंह संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला आदेष मुताबिक अमलदरामद करें। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जगदीष कुमार नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का जगदीष कुमार नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम जगदीष कुमार ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।
निर्णय आज दिनांक 03.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

प्रकरण समर्पित भूमि को राजस्व में रिकॉर्ड गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत् मु0नं0 36/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए

12.02.26	श्रीमानजी, प्रार्थी धर्मपाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी दन्तौर ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है कि चक 6 पीआरएम मु0नं0 36/51 के किला नं0 18/2 में कुल 25 गुणा 40 वर्गमीटर भूमि को समर्पण किया गया है। जिसको में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थनापत्र के साथ तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/राजस्व/25/1517–20 दिनांक 19.11.25 समर्पण आदेष की प्रति प्रस्तुत की। उक्त प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है। एसडीओ सा0	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र सं0 36/2026
क्रमांक/एसडीओ/खाजू/राजस्व/26/ दिनांक

आदेश

प्रार्थी धर्मपाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी दन्तौर ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है कि चक 6 पीआरएम मु0नं0 36/51 के किला नं0 18/2 में कुल 25 गुणा 40 वर्गमीटर भूमि को समर्पण किया गया है। जिसको में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थनापत्र के साथ तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/राजस्व/25/1517–20 दिनांक 19.11.25 समर्पण आदेष की प्रति प्रस्तुत की। उक्त आदेष अनुसार सुरजाराम पुत्र किस्तुराम निवासी चक 6 पीआरएम, दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के नाम से चक 6 पीआरएम मु0नं0 36/51 के किला नं0 18/2, 22, 23 में कुल 03.00 बीघा खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी उक्त भूमि मु0नं0 36/51 किला नं0 18/2 में 25 गुणा 40 वर्गमीटर भूमि को रास्ता हेतु राजहक में समर्पण कर अराजीराज घोषित करवाना चाहता है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड चक 6 पीआरएम मु0नं0 36/51 के किला नं0 18/2 में 0.2403 हैक्टर, 22 व 23 सालम इसप्रकार कुल 0.7461 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि सुरजाराम पुत्र किस्तुराराम जाति नायक निवासी गली नं0 03 इन्दिरा कॉलोनी, श्रीगंगानगर हॉल आबाद चक 6 पीआरएम, दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी उक्त भूमि मु0नं0 36/51 के किला नं0 18/2 में 25 गुणा 40 वर्गमीटर भूमि को रास्ते हेतु समर्पण करना चाहता है। उक्त भूमि मौके पर खाली है तथा स्थगन/विवाद आदि से प्रभावित नहीं है। चक 6 पीआरएम मु0नं0 36/51 के किला नं0 18/2 में कुल 25 गुणा 40 वर्गमीटर भूमि को रास्ता हेतु राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के तहत अराजीराज घोषित किया जाता है तथा उक्त रकबाराज का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि को अराजीराज दर्ज किया जावे। पत्रावली पर सुना गया।

पत्रावली के अध्ययन अवलोकन बहस पर मनन किया गया। उक्त अवलोकनानुसार प्रष्नगत रकबा चक 6 पीआरएम मु0नं0 36/51 के किला नं0 18/2 में कुल 25 गुणा 40 वर्गमीटर रास्ता हेतु समर्पण किया गया जिसकी पालना में समर्पण भूमि अराजीराज दर्ज की गई। अतः उक्त चक 6 पीआरएम मु0नं0 36/51 के किला नं0 18/2 में कुल 25 गुणा 40 वर्गमीटर भूमि (अराजीराज) को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें।

(पंकज गढ़वाल)
उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

क्रमांक/सम/26/ दिनांक

प्रतिलिपिः– तहसीलदर खाजूवाला को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–2024/52

1. श्योपतराम पुत्र हंसराज जाति बिष्नोई निवासी हिन्दौर हाल आबाद चक 6 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थी

1. मनीराम पुत्र हंसराज जाति बिष्नोई निवासी हिन्दौर हाल आबाद चक 6 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
2. वेदप्रकाष पुत्र हंसराज जाति बिष्नोई निवासी हिन्दौर हाल आबाद चक 6 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
3. दर्षनलाल पुत्र हंसराज जाति बिष्नोई निवासी हिन्दौर हाल आबाद चक 6 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :— 17.02.26

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी शांतिप्रिय काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है और यही एक मात्र जीविकोपार्जन का साधन है। प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि चक 6 पीएचएम बी मु0नं0 139/64 के किला नं0 19 ता 23 सालम तादादी 1.2645 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी सपरिवार लम्बे अरसे से आजतक काबिज काष्त है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम से कृषि भूमि चक 6 पीएचएम बी मु0नं0 139/64 के किला नं0 2 ता 10 सालम तादादी 2.2761 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि तथा अप्रार्थी सं0 2 के नाम से चक 6 पीएचएम बी मु0नं0 139/64 के किला नं0 11 ता 14, 18 सालम तादादी 1.2645 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि व अप्रार्थी सं0 3 के नाम से चक 6 पीएचएम बी मु0नं0 139/64 के किला नं0 15 ता 17, 24, 25 सालम तादादी 1.2645 हैक्टर क0/अ0क0 कृषि भूमि है। प्रार्थी अपने रकबा मु0नं0 139/64 की तादादी 1.2645 हैक्टर कृषि है एवं अपने परिवार सहित उक्त कृषि भूमि पर काष्त करता आ रहा है। उक्त भूमि में आने—जाने व काष्त कार्य करने के लिए अप्रार्थी सं0 1 के किला नं0 2 में 12 फीट (पष्चिम दिषा में उत्तर से दक्षिण) व किला नं0 10 में 24 फीट (उत्तर दिषा में पूर्व से पष्चिम 12 फीट व पष्चिम दिषा में उत्तर से दक्षिण 12 फीट) इसप्रकार कुल 36 फीट व अप्रार्थी सं0 2 के किला नं0 11 ता 13 प्रत्येक में 12—12 फीट (उत्तर दिषा में 4 फीट छोड़ते हुए पूर्व से पष्चिम) व किला नं0 14 में 12 फीट (पष्चिम दिषा में उत्तर से दक्षिण) इसप्रकार कुल तादादी 48 फीट भूमि व अप्रार्थी सं0 3 के किला नं0 17 में 12 फीट (पष्चिम दिषा में उत्तर से दक्षिण) भूमि में रास्ता हेतु उपयोग ली जाती रही है तथा उक्त रास्ता निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा था, तथा जिसे प्रार्थी लगातार उपयोग व उपभोग करता रहा था। जिस बाबत् प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से रास्ता कटान बाबत् एक—दूसरे को भूमि की एवंज में भूमि प्रदान कर दिनांक 16.01.2018 को एक दस्तावेज निष्पादित करवाया था। अब कुछ दिन पहले अप्रार्थी सं0 1 ता 3 से प्रार्थी की अनबन हो गई तो अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने मेरा रास्ता बन्द कर दिया व रास्ता में बाड़ कर दी है, जिससे मुझे आने जाने में मुष्किल हो रही है, जब भी अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के मन में आती है, तो मेरा रास्ता बन्द कर देते है, उक्त रास्ते के अलावा मेरी कृषि भूमि में जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है तथा अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने मेरे चालू रास्ते में बाड़ कर दी, जब मैनें बाड़ को हटाना चाहा तो उन्होनें मुझे धमकी दी की आयन्दा यहा से गुजरा तो हम तेरी टांगे तोड़ देगें। इसलिए प्रार्थी क्षुब्ध होकर अपने अधिकारों की रक्षा हेतु उक्त प्रार्थनापत्र पेष कर रहा है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट में पेषकर निवेदन है कि अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि (चालू रास्ता) तहसील खाजूवाला चक 6 पीएचएम बी मु0नं0 139/64 के किला नं0 2 में 0.0184 है0 (पष्चिम दिषा में उत्तर से दक्षिण,)किला नं0 10 में 0.0368 है0(उत्तर दिषा में पूर्व से पष्चिम 0.0184 है0 व पष्चिम दिषा में उत्तर से दक्षिण 0.0184 है0) व अप्रार्थी सं0 2 के किला नं0 11 ता 13 प्रत्येक में 0.0184—0.0184 हैक्टर (प्रत्येक में उत्तर दिषा में 4 फीट जगह छोड़ते हुए पूर्व से पष्चिम) व किला नं0 14 में 0.0184 है0 (पष्चिम दिषा में उत्तर से दक्षिण) तथा अप्रार्थी सं0 3 के किला नं0 17 में 0.0184 है0 (पष्चिम दिषा में उत्तर से दक्षिण) भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम कर अंकन दर्ज करने के आदेष अप्रार्थी सं0 4 को दिये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थीगण को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी सं0 2, 3 हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम खीचड़ हाजिर आकर जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के मध्य प्रार्थनापत्र की मद सं0 4 में वर्णित तथाकथित दस्तावेज दिनांक 16.01.2018 जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से रास्ता

कटान बाबत् अप्रार्थी सं0 1 के किला नं0 1 व 10 में रास्ते की एवंज में भूमि प्रदान करने के दस्तावेज के निष्पादन का कथन किया है जो कि अप्रार्थी सं0 1 की सहमति से कभी हुआ ही नहीं है। ऐसे तथाकथित दस्तावेज के निष्पादन जो कि हुआ ही नहीं अस्वीकार है। ना ही प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 3 द्वारा रास्ता हेतु भूमि उपयोग में ली जाती रही है ना ही प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 3 के द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को तथाकथित रास्ता भूमि के बदले में भूमि ही दी गयी है। प्रार्थी के द्वारा किला नं0 1 व 10 में रास्ता निरंत निर्बाध रूप से चलने का कथन भी पूर्णतया असत्य वर्णित किया गया होने से अस्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 3 द्वारा तथाकथित दस्तावेज दिनांक 16.01.2018 अप्रार्थी सं0 1 की बिना सहमति के छल कपट से कूटरचना कर तैयार कर इस प्रार्थनापत्र के साथ उपयोग में लिया गया है, ऐसे षड्यंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेज से अप्रार्थी सं0 1 अपनी खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता देने को पाबंद नहीं है। प्रार्थनापत्र की मद सं0 5 में वर्णित प्रार्थनापत्र को रंगत देने के उद्देष्य से असत्य वर्णित कर किय गए होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में बतलाया गया कोई रास्ता चालू नहीं है, तो बाड़ करने व हटाने का प्रष्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थनापत्र में वर्णित अप्रार्थी सं0 1 की मु0नं0 139/64 के किला नं0 2 ता 10 सालम कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसका अप्रार्थी सं0 1 मालिक व काबिज काष्तकार है। प्रार्थनापत्र की मद सं0 6 में वर्णित कथन असत्य वर्णित किए गए होने से अस्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 3 की उक्त प्रकरण में व इससे पूर्व रास्ता बिना कीमत लेने को लेकर दुर्भिसंधि रही है। राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज होने का प्रार्थी का कथन गलतबयानी होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि के अप्रार्थीगण खातेदार मालिक काबिज काष्तकार है। स्वीकृतषुदा खेत रास्ता नियमानुसार प्रत्येक 2 मुरब्बा पर होता है। इसके अतिरिक्त खेत रास्ता काष्तकारान/पक्षकारान की आपसी सहमति से कीमतन प्राप्त करने का प्रावधान है, जिसमें कम से कम भूमि उपयोग होकर अधिक से अधिक काष्तकार लाभान्वित हो। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 की कृषि भूमि मु0नं0 139/64 में स्थित है। उक्त मुरब्बा के दक्षिण दिषा में मुरबा नंबर 140/57 के किला नं0 4 ता 7 की 04.00 बीघा भूमि रकबाराज व शेष भूमि जालूराम के वारिसान के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मु0नं0 140/57 के किला नं0 21 ता 25 में स्वीकृत शुदा रास्ता है, जिसमें पक्की रोड़ बनी हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 3 की मु0नं0 139/64 में क्रमषः किला नं0 23 व 24 में ढ़ाणी बनी हुई है व प्रार्थी चिपता हुआ किला नं0 18 अप्रार्थी सं0 2 का है। इसप्रकार मु0नं0 140/57 के किला नं0 25, 16, 15, 6, 5 की पूर्व दिषा में पक्का खाला के चिपता हुआ व किला नं0 5, 4 की उत्तर दिषा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो रास्ता मु0नं0 140/57 की किला नं0 21 ता 25 में बनी डामर रोड़ से जुड़ेगा जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 3 की ढ़ाणी सीधे पक्की रोड़ से जुड़ जाएगी व अप्रार्थी सं0 2 को भी 140/57 से जोड़ेगी, जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 व 3 को कम खर्च पर सुगम रास्ता प्राप्त होगा तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2, 3 को पक्की रोड़ से जोड़ेगा । अतः उक्त रास्ता स्वीकृत होने पर कम से कम भूमि रास्ता में उपयोग होकर अधिक से अधिक काष्तकारान को रास्ता प्राप्त होगा। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के मु0नं0 139/64 के उत्तर दिषा मु0नं0 139/63 के किला नं0 21 ता 25 में भी खेत रास्ता है। मु0नं0 139/64 के किला नं0 2 ता 10 की कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी है जिसके किला नं0 5, 6 की पूर्व दिषा में सिंचाई खाला के साथ साथ अस्थाई रास्ता अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ,3 को दे रखा है जो कि अप्रार्थी सं0 3 के किला नं0 15 से जाकर मिलता है। जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। **तहसीलदार खाजूवाला** के पत्रांक/4761 दिनांक 18.12.25 द्वारा रिपोर्ट/प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसके अनुसार चक 6 पीएचएम बी मु0नं0 139/64 में अप्रार्थी मनीराम के पास किला नं0 2 ता 10 है व वेदप्रकाष के पास किला नं0 11 ता 14, 18 दर्षनलाल के पास किला नं0 15 ता 17, 24, 25 है। प्रार्थी श्योपतराम के पास किला नं0 19 ता 23 है जिसमें रास्ता की मांग की गई है। आरटीएक्ट की धारा 251 ए के प्रावधानुसार वादी को निकटतम दूरी से रास्ता उपलब्ध करवाना होता है। मुरब्बाबंदी के अनुसार प्रार्थी को किला नं0 1,10,11 (पष्चिम दिषा में) प्रत्येक 2–2 बिस्वा निकटतम रास्ता बनता है। परन्तु किला नं0 1 में डिग्गी व ढ़ाणी बने होने के कारण किला नं0 1 में रास्ता का विकल्प उपलब्ध नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के रूप में निकटतम का रास्ता किला नं0 2 में 0.0253 है0(किला नं0 1 के चिपते), किला नं0 9 में 0.0253 है0(कोना), किला नं0 10 में 0.0253 है0 (किला नं0 1 के चिपते), किला नं0 10 में 0.0253 है0 (पष्चिम दिषा में उत्तर से दक्षिण), किला नं0 11 में 0.0253 है0 (पष्चिम दिषा में उत्तर से दक्षिण) प्रत्येक में 16.5 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। मौके पर मु0नं0 139/64 में किला नं0 5, 6 में रास्ता स्थित है (रिकॉर्ड में दर्ज नहीं)। प्रार्थी श्योपतराम पुत्र हंसराज द्वारा प्रस्तुत दावे में मु0नं0 139/64 में किला नं0 2 (पष्चिम में उत्तर से दक्षिण) किला नं0 10 में (उत्तर में पूर्व से पष्चिम व

पष्चिम में उत्तर से दक्षिण), किला नं0 11 ता 13 (उत्तर दिषा में पूर्व से पष्चिम) व किला नं0 14 (पष्चिम में उत्तर से दक्षिण) किला नं0 17 में (पष्चिम में उत्तर से दक्षिण) प्रत्येक में 0.0184 हैक्टर रास्ता चाहा गया है।

पत्रावली पर सुना । अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसके अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के मध्य प्रार्थनापत्र की मद संख्या 4 में वर्णित तथाकथित दस्तावेज सहमति पत्र व समर्पणनामा दिनांक 16.01.2018 जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से रास्ता कटान बाबत् अप्रार्थी सं0 1 के किला नं0 1 ता 10 में रास्ते की एवज में कृषि भूमि प्रदान करने के दस्तावेज के निष्पादन का कथन किया है जो कि अप्रार्थी सं0 1 सहमति से हुआ ही नही ंना ही किला नं0 1 व 10 की भूमि रास्ता हेतु उपयोग में ली जाती रही है और ना ही प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 व 3 के द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को तथाकथित रास्ता भूमि के बदले में कभी कही भूमि ही दी गयी थी। इसलिए प्रार्थी के किला नं0 1 व 10 में रास्ता निरन्तर निर्बाध रूप से चलने का कथन भी पूर्णत्या असत्य वर्णित किया गया होने से अस्वीकार है। इसप्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 व 3 द्वारा कूटरचित दस्तावेज दिनांक 16.01.2018 जो कि अप्रार्थी सं0 1 की बिना सहमति व बिना जानकारी के षड्यंत्र पूर्वक तैयार किया गया होने से अप्रार्थी सं0 1 अपनी खातेदारी कृषि भूमि के किला नं0 1 व 10 में से रास्ता देने के लिए पाबन्द नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में बतलाया गया किला नं0 1 व 10 में कोई रास्ता कभी चालू नहीं रहा तो अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा बाड़ करने व हटाने का प्रष्न नहीं पैदा नहीं होता है बाड़ करने व हटाने का कथन पूर्णत्या असत्य वर्णित किया गया होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र की मद सं0 6 में वर्णित कथन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 के नाम दर्ज होने के कारण वह प्रतिदिन मेरे से झगड़ा करते है व मनमर्जी से रास्ता बाधित कर देते है पूर्णत्या असत्य वर्णित किया गया होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं0 1 की भूमि के किला नं0 1 व 10 में ना कभी रास्ता था ना वर्तमान में प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में दिनांक 16.01.2018 को निष्पादित दस्तावेज के अनुसार किला नं0 1 व 10 में रास्ता देने को तैयार होने का कथन अस्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2, 3 की आपस में दुर्भिसंधि से तथाकथित दस्तावेज सहमति पत्र व समर्पणनामा दिनांक 16.01.2018 के आधार पर प्रार्थी ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र पेष कर मु0नं0 139/64 के किला नं0 1 व 10 में रास्ता देने, रास्ता चालू होने व रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का मनगढत कथन किया है। अप्रार्थी सं0 2, 3 की उपरोक्त प्रार्थनापत्र को लेकर आपस में दुर्भिसंधि होने के कारण न्यायालय में हाजिर होकर जवाब प्रार्थनापत्र अप्रार्थी सं0 2, 3 द्वारा जानबुझकर पेष नहीं किया गया है जबकि अप्रार्थी सं0 2, 3 प्रार्थी के साथ तहसील कार्यालय व हल्का पटवारी के समक्ष उपरोक्त प्रकरण में हाजिर आते रहे है। अप्रार्थी सं0 2, 3 प्रार्थी को अप्रार्थी सं0 1 से उसकी भूमि किला नं0 1 व 10 में रास्ता न्यायालय से स्वीकृत करवाकर बाद निर्णय अप्रार्थी सं0 1 की अधिक से अधिक भूमि रास्ता में गैरमुमकिन रास्ता भूमि करवाकर भूमि के टुकड़े टुकड़े करवाने के प्लान में प्रार्थी के साथ शामिल है। प्रार्थी के चिपते हुए मु0नं0 140/57 के किला नं0 4 ता 7 की भूमि रकबा राज है व शेष भूमि जालूराम के वारिसान के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मु0नं0 140/57 के किला नं0 5,6,25,16,25 के चिपता हुआ पक्का खाला है। उक्त खाला के चिपते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2, 3 को खेत रास्ता दिया जा सकता है जो कि कम से कम भूमि खर्च कर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2, 3 के लिए सबसे सुलभ रास्ता साबित होगा। उक्त रास्ता प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2, 3 के खेत ढ़ाणी को मु0नं0 140/57 के किला नं0 21 ता 25 में बनी पक्की डामर रोड़ से जोड़ेगा। मु0नं0 140/57 के किला नं0 5,6,15,16,25 के चिपता हुआ रास्ता यदि स्वीकृत किया जाता है तो यह रास्ता अप्रार्थी सं0 3 के किला नं0 25 को जायेगा। किला नं0 24 में अप्रार्थी सं0 3 की ढ़ाणी व किला नं0 23 में प्रार्थी की ढ़ाणी बनी हुई है, प्रार्थी के चिपता हुआ किला नं0 18 अप्रार्थी सं0 2 की भूमि है जिससे वे अपने अपने खेतो में आसानी से आ जा सकता है। अप्रार्थी सं0 1 के किला नं0 1 व 10 में किला नं0 2 के चिपते हुए किला नं0 10 में से यदि प्रार्थी को यदि खेत रास्ता दिया जाता है तो रास्ता में बार बार मोड़ आएगें व कृषि भूमि भी अधिक से अधिक खर्च होगी जो कि धारा 251 ए आरटीएक्ट की मंषा पूरी नहीं करता है इसलिए प्रार्थी यदि इन्ही किला नं0 1 व 10 में से ही रास्ता चाहता है तो किला नं0 1 व 10 की पत्थर लाईन पर रास्ता अप्रार्थी सं0 1 को कृषि भूमि के बदले कृषि भूमि देकर दिया जावे। यदि मु0नं0 139/64 के किला नं0 1 व 10 की पत्थर लाईन पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो रास्ता में अनावष्क रूप से आने वाले मोड़ से बचा जा सकेगा और अनाष्यक भूमि खर्च नहीं होगी। अनवानी प्रकरण से पूर्व अप्रार्थी सं0 2, 3 ने खेत रास्ता हेतु एक प्रार्थनापत्र अनवान वेदप्रकाष वगै0 बनाम मनीराम आदि पेष किया था। इसप्रकार मु0नं0 139/64 के चारो काष्तकारों को खेत रास्ता की आवष्यक है। अप्रार्थी सं0 1 को उसकी खातेदारी कृषि भूमि के किला नं0 1 ता 5 के पिता हुआ

रास्ता उपलब्ध है जो कि काष्तकारान के लिए सबसे किफायती खेत रास्ता मु0नं0 140/57 के किला नं0 5,6,15,16,25 से होकर मु0नं0 139/64 के किला नं0 25, 24 में से दिया जा सकता है जिसमें कम से कम भूमि खर्च कर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2, 3 के लिए सबसे सुलभ व सुगम रास्ता साबित होगा। यदि प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 के खेत से ही रास्ता चाहता है तो प्रार्थी अपनी खेत के किला नं0 4, 5 के चिपते हुए सिंचाई खाला के समान्तर खेत रास्ता भूमि के बदले भूमि लेकर देने को तैयार है जो कि अप्रार्थी सं0 3 के किला नं0 15 को जोड़ेगा जहां से आगे किला नं0 14, 18 से होकर प्रार्थी के किलए नं0 23 को जाएगा। जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 , 3 को खेत रास्ता प्राप्त हो जाएगा। मु0नं0 139/64 के समस्त काष्तकारों को खेत रास्ता धारा 251 ए आरटीएक्ट की मंषा को मध्यनजर रखते हुए रास्ता कटान के आदेष फरमावें ताकि कम से कम भूमि खर्च कर अधिक से अधिक काष्तकारान को खेत रास्ता उपलब्ध हो। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहाते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थनपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया साथ ही निवेदन किया कि अप्रार्थी ने अपनी बहस अलग–अलग प्रकार के विकल्प बताए है जबकि माननीय न्यायालय को विकल्प बताने का अप्रार्थी को अधिकार नहीं है। साथ ही अप्रार्थी अधिवक्ता के जवाब व बहस से साबित होता है कि प्रार्थी को वर्तमान में कटानषुदा रास्ता मौजुद नहीं है एवं रास्ता की अत्यांतिक आवष्यकता है एवं वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमान जावें एवं रास्ता भूमि के प्रतिफल के रूप में नियमानुसार डीएलसी राषि भरवाई जावें।

पत्रावली के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। चूंकि तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के वर्तमान में कोई कटानषुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिए तहसीलदार रिपोर्ट में अंकित रास्ता विकल्प के अनुसार रास्ता कटान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंषिक स्वीकार किया जाता है तथा चक 6 पीएचएम बी मु0नं0 139/64 के किला नं0 2 में 0.0253 है0(किला नं0 1 के चिपते), किला नं0 9 में रास्ते के सामने 16.5 चौड़ा व 16.5 लम्बा(कोना), किला नं0 10 में 0.0253 है0 (किला नं0 1 के चिपते), किला नं0 10 में 0.0253 है0 (पष्चिम दिषा में उत्तर से दक्षिण), किला नं0 11 में 0.0253 है0 (पष्चिम दिषा में उत्तर से दक्षिण) रास्ता भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि प्रार्थी से नियमानुसार जमा करवाकर अप्रार्थीगण को देवे एवं नियमानुसार उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिशिचत करें पत्रावली फैसल''ुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2024/175

01. संदीप राय पुत्र गुलषन राय जाति अरोड़ा निवासी सेक्टर 9, हनुमानगढ़ जक्षन तहसील एवं जिला हनुमानगढ़

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व)खाजूवाला ।

....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–17.02.26

यह वादपपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना छतरगढ़ के अन्तर्गत चक 16 बीएलडी ए मु0नं0 54/59 के किला नं0 10 ता 12, 20 तादादी 04.00 बीघा कमाण्ड व 13 ता 19, 21 ता 25 कुल 12.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित हुई थी तथा वादी से तमाम 16.00 बीघा की राषि भरवाई गई तथा आवंटन आदेष 16.00 बीघा का जारी किया गया। मु0नं0 54/59 का किला नं0 20 वादी के नाम राजस्व अभिलेख में सहवन से दर्ज नहीं हुआ। वादी को आवंटित मु0नं0 54/59 के किला नं0 10 ता 12 व 20 कुल 04.00 भूमि कमाण्ड हुई थी व किला नं0 13 ता 19, 21 ता 25 तादादी 12.00 बीघा अनकमाण्ड हुई थी, लेकिन सहवन से मु0नं0 54/59 का किला नं0 24 जो कि तत्कालीन समय में अनकमाण्ड था, का कमाण्ड व अनकमाण्ड 2 बीघों के रूप मे गलत रूप से अंकन हो गया जबकि किला नं0 24 कमाण्ड के स्थान पर किला नं0 20 अंकन होना चाहिए था। उक्त त्रुटि सहवन से हुई है। तत्कालीन समय में किला नं0 20 ही कमाण्ड था। किला नं0 10 ता 12 व 20 तादादी 04.00 बीघा कमाण्ड व किला नं0 13 ता 19 व 21 ता 25 तादादी 12.00 बीघा अनकमाण्ड कुल 16.00 बीघा भूमि बनती है। रिकॉर्ड में मु0नं0 54/59 का किला नं0 20 कमाण्ड अराजीराज के रूप में दर्ज है जबकि उपरोक्त भूमि वादी को आवंटनषुदा है तथा वादी के आधिपत्य व धारण में चला आ रहा है। उक्त परिस्थितिओं में रिकॉर्ड में मुरब्बा नं0 54/59 का किला नं0 20 अराजीराज दर्ज है, को दुरूस्त किया जाकर उपरोक्त किला नं0 20 वादी के नाम दर्ज करने के आदेष दिये जावें। वादी ने प्रतिवादी से गत सप्ताह निवेदन किया कि वह रिकॉर्ड में मुरब्बा नं0 54/59 का किला नं0 20 अराजीराज दर्ज है, को दुरूस्त कर उपरोक्त किला नं0 20 वादी के नाम दर्ज देवें तो वह इन्कार हो गया। यही वाद कारण है। चक 16 बीएलडी ए मु0नं0 54/59 का किला नं0 20 कमाण्ड जो रिकॉर्ड में अराजीराज के रूप में दर्ज है, को दुरूस्त किया जाकर उपरोक्त किला नं0 20 वादी के नाम दर्ज करने के आदेष दिये जावें।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी ने वादपत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी की प्रति व मूल आवंटन पत्रावली की प्रतिलिपि प्रस्तुत की। उक्त मूल आवंटन पत्रावली में संलग्न आवंटन आदेष में चक 16 बीएलडी मु0नं0 54/59 के किला नं0 10 ता 12 तादादी 04.00 बीघा कमाण्ड व किला नं0 13 ता 19, 21 ता 25 तादादी 12.00 बीघा अनकमाण्ड इसप्रकार कुल तादादी 16.00 बीघा रकबा सन्दीप राय पुत्र गुलषन राय अरोड़ा साकिन झण्डावाली तहसील हनुमानगढ़ का नाम अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि मूल आवंटन पत्रावली में संलग्न आवंटन आदेष में किला नं0 24 को सहवन से दो बार अंकित किया है जबकि किला नं0 24 कमाण्ड अंकित किया है उसकी जगह किला नं0 20 अंकित किया जाना था। चूंकि किला नं0 24 तत्कालीन समय में अनकमाण्ड ही थ एवं दुबारा अंकित किया है वह भी कमाण्ड अंकित किया है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि किला नं0 24 कमाण्ड की जगह किला नं0 20 कमाण्ड अंकित किया जाना था। एवं आवंटन पत्रावली में तत्कालीन समय में अराजीराज/रकबाराज भी किला नं0 20 अंकित किया है एवं किला नं0 20 को कुल आवंटन तादादी 16.00 बीघा में शामिल किया गया है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जावें एवं चक 16 बीएलडी ए मु0नं0 54/59 के किला नं0 20 को अराजीराज के स्थान पर वादी के नाम दर्ज करने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है। वादी का वादपत्र साक्ष्य–सबूतों व आवंटन पत्रावली के अवलोकन के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 16 बीएलडी ए मु0नं0 54/59 के किला नं0 20 को अराजीराज के स्थान पर वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज के दुरूस्ती आदेष किये जाते है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 17.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 14/2025

1. राजेष पुत्र शीषपालसिंह जाति जाट निवासी 26 केएनडी बी तहः खाजूवाला

.....प्रार्थी

1. निषानसिंह पुत्र तोतासिंह जाति मजहबी निवासी 10 बी.डी. तहः खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :– **दिनांक :– 17.02.26**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि चक 5 केएलडी सीएडी मु0नं0 236/24 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 23 तादादी 3.7935 हैक्टर संयुक्त खाता में 1/3 खातेदारी दर्ज कागजात है जिसपर प्रार्थीगण लम्बे अरसे से लेकर आजतक काबिजे काष्त है। मौके पर डिग्गी बनाकर का काष्त कर रहे है तथा नरमा, ग्वार एवं हरे चारे की फसल काष्त कर रखी है। चक 5 केएलडी सीएडी मु0नं0 236/32 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 में कटानषुदा पक्की डामर सड़क बनी हुई है तथा कटान रास्ता है जो चक 5 केएलडी से चक 3 केएलडी आबादी को जाता है। प्रार्थीगण मु0नं0 236/32 के किला नं0 1 के कटान रास्ता से अपने खेत के किला नं0 3 में प्रवेष करते है। उक्त रास्ता 20 वर्षो से चल रहा है और किला नं0 3 तक दो–दो फीट मिट्टी भर्ती कर रास्ता उंचा किया गया था इसके अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। रास्ता की अत्यांतिक आवष्यकता है। फसल पकाव पर है और रास्ता का अभाव है। अपने खेत के किला नं0 में पक्की शाख से नक्का खाला है और अपने किला नं0 1 ता 3 से सींव पर कच्चा खाला से अप्रार्थी सं0 1 व अन्य काष्तकार निर्बाधरूप से पानी ले रहे है। नक्षा मौका व फोटो मौका संलग्न प्रार्थनापत्र है। अप्रार्थी सं0 1 की सहमति से रास्ता 20 वर्षो से चल रहा था तो उसी मुताबिक प्रार्थीगण ने किला नं0 3 में उतरी सींव पर कच्चा खाला के अलावा 17–18 फीट भूमि छोड़कर पक्की डिग्गी का निर्माण कर लिया जहा से ट्रेक्टर द्वारा पम्प लगाकर पानी खेत में दिया जा रहा है। लेकिन अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 11.08.22 की रात्रि को ट्रेक्टर से करावा चलाकर चलते रास्ता को समतल कर दिया जिससे प्रार्थीगण अपने वाहन सहित खेत में कैद होकर रह गया तो एक प्रार्थनापत्र अप्रार्थी सं0 2 को दिनांक 12.08.22 को दिया की चालू रास्ता को खुलवाया जावे तथा सम्पर्क पोर्टल पर भी षिकायत दर्ज करवाई तो पटवारी हल्का ने रूबरूगवाहान मौका देखा और तहसीलदार खाजूवाला को रिपोर्ट कर दी और तहसीलदार खाजूवाला ने कहा सक्षम न्यायालय से रास्ता कटान करवावावें। चक 5 केएलडी सीएडी मु0नं0 236/32 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 में कटानषुदा पक्की डामर सड़क रास्ता है लेकिन मु0नं0 236/24 के किला नं0 4, 5 में 02–02 बिस्वा अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण मु0नं0 236/32 के किला नं0 1 के कटान रास्ता से मु0नं0 236/24 के किला नं0 4, 5 से 02–02 बिस्वा उतरादी सींव पर रास्ता से अपने खेत के किला नं0 3 में प्रवेष करते है। उक्त रास्ता 20 वर्षो से चल रहा है जिसको अप्रार्थी सं0 1 ने जबरन बंद कर दिया है। धारा 251 ए के तहत वर्तमान डीएलसी दर से 02–02 बिस्वा भूमि की कीमत देने को तैयार है। चक 5 केएलडी मु0नं0 236/32 के किला नं0 1 के कटान रास्ता से मु0नं0 236/24 के किलानं0 5,4 में 02–02 बिस्वा यानी 0.02530–0.02530 हैक्टर कुल 0.05060 हैक्टर उतरादी सींव पर रास्ता पूर्व से पष्चिम स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता खेत राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 को पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया गया जिसपर अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल हाजिर आकर जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थीगण लम्बे समय से अपनी वादगत भूमि में प्रवेष करने के लिए अपनी चिपती भूमि मु0नं0 236/23 जो इनके स्वंय के नाम होने व सहकाष्तकार होने से मु0नं0 236/23 के किला नं0 24, 25 से होकर अपने खेत में प्रवेष करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने यहां से पंचायती कर रास्ता मांगा परन्तु हमारे परिवार की भूमि होने से किला नं0 24, 25 में 02–02 बिस्वा रास्ता देने को तैयार है तथा उक्त भूमि के बदले में भूमि लेना चाहते है परन्तु प्रार्थीगण ने इसी जगह रास्ता लेने की जिद कर रखी है। मु0नं0 236/24 के किला नं0 4,5 में सिंचाई हेतु खाला बना हुआ है। जिससे अप्रार्थीया व सह काष्तकारों को सिंचाई सुविधा में परेषानी का सामना करना पड़ेगा तथा प्रार्थीगण ने भी आगे डिग्गी बना रखी है। उसमें से आगे जाने में परेषानी का सामना करना पड़ेगा। उक्त वादगत भूमि को रास्ता या तो मु0नं0 236/23 के किला नं0 24, 25 में दिया जावे या हमारी इसी मुरब्बा के किला नं0 24, 25 जो मेरे पोते, पोती, बहु के नाम है। उसमें भूमि के बदले भूमि देकर कटान करने का आदेष प्रदान करावें। अप्रार्थी सं0 3, ता 6 बंषीदेवी, अनिता, सुनिता, धर्मपाल ने जरिये अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल प्रार्थनापत्र आदेष 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया जो स्वीकार कर पत्रावली में पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी सं0 3 ता 6 की ओर से अधिवक्ता ने सहमति पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा 236/24 के किला नं0 4, 5 प्रत्येक में 02–02 बिस्वा रास्ता हेतु मांग की गई है। लेकिन हम मिकरान के उक्त किला नं0 4,5 की सींव पर सिंचाई खाला बना हुआ है तथा फसल काष्त की हुई है, जिसके कारण यहां रास्ता कटाने किये जाने से हम मिकरान को सिंचाई सुविधा करने में भारी परेषानी का सामना करना पड़ेगा व खड़ी फसल नष्ट हो जाएगी तथा किला नं0 03 में प्रार्थीगण द्वारा पक्की डिग्गी मय खाला का निर्माण किया हुआ है, इसलिए उक्त रास्ता आगे नहीं जा सकता है इसलिए हम मिकरान अपने रकबा के किला नं0 25, 24 प्रत्येक में 02–02 बिस्वा यानि 0.0253– 0.0253 हैक्टर भूमि के बदले भूमि लेकर रास्ता हेतु भूमि देने को तैयार है, जिसके लिए सहमति पत्र लिखकर दे रहे है।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/रीडर/22/791 दिनांक 02.12.22 द्वारा रास्ता प्रस्ताव/रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें मु0नं0 236/24 के किला नं0 4, 5 में रास्ता प्रस्तावित किया। अप्रार्थीगण ने तहसीलदार खाजूवाला से दुबारा रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया जिसपर पुनः रिपोर्ट तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/राजस्व/2025/1043 दिनांक 31.07.25 द्वारा प्रस्तुत हुई जिसके अनुसार चक 5 केएलडी मु0नं0 236/24 के किला नं0 4, 5 में कुछ समय पूर्व रास्ता आम सहमति से सुचारू रूप से चलता था परंतु वर्तमान में मौके पर बंद है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ओमप्रकाष द्वारा चाहा गया किलानं0 4, 5 में रास्ता प्रार्थी के मु0नं0 236/24 के किला नं0 03 में बनी डिग्गी के नजदीक लगता है। मौके पर वर्तमान में मु0नं0 236/24 के किला नं0 24, 25 वर्तमान में खाली पड़त है। किला नं0 25 में पूर्व में दाह–संस्कार किया हुआ है। पत्रावली पर सुना गया प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि किला नं0 4, 5 में रास्ता पूर्व में चलता था वहीं रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटान किया जावें एवं रास्ता भूमि के प्रतिफल में भूमि देने का प्रावधान धारा 251 ए आरटीएक्ट के प्रावधानों में नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावें। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि किला नं0 24, 25 में सहमति से रास्ता कटान करवाने के लिए तैयार है एवं रास्ता भूमि के बदले प्रतिफल स्वरूप भूमि दे दी जावे। किला नं0 04, 05 में रास्ता कटान करने से वाद विवाद और बढेगे। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। चूंकि चक 5 केएलडी मु0नं0 236/24 के किला नं0 04 ,05 में पूर्व में रास्ता चलायमान रहा है और चलायमान रास्ते को बंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। धारा 251 ए

आरटीएक्ट के रास्ता कटान प्रावधान में रास्ता भूमि के प्रतिफल में भूमि देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थनापत्र/सहमति पत्र स्वीकार के काबिल नहीं है। अतः अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा चक 5 केएलडी सीएडी मु0नं0 236/24 के किला नं0 04–05 में 02–02 बिस्वा उतरादी सींव पर पूर्व से पष्चिम रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला उक्त 2–2 बिस्वा कुल 04 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राषि प्रार्थी से नियमानुसार जमा करवाकर इस रास्ता के रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेष की पालना सुनिष्चित करें पत्रावली फैसलषुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2025/201

01. महेन्द्र शर्मा पुत्र ईषरराम जाति ब्राह्मण निवासी 66 आरडी गंगाजली तहसील पूगल हाल चक 14 बीएलडी बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला/दन्तौर ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–17.02.26

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी ने चक 14 बीएलडी बी मु0नं0 94/38 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 तादादी 3.6417 हैक्टर भूमि को जरिये बैयनामा खरीद किया था जिसपर खरीद दिन से लेकर आजतक वादी काबिज काष्त है, मौके पर सरसों की खेती कर रखी है। वादी का नाम महेन्द्र शर्मा ही रहा लेकिन बैयनामा या नामान्तरण के समय में ही त्रुटि से महेन्द्रसिंह नाम दर्ज हो गया और उसी अनुरूप रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी का नाम परिचयपत्र, राषनकार्ड, आधारकार्ड, पेनकार्ड, वोटरलिस्ट व परिवार पहचान कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस सब में महेन्द्र शर्मा पुत्र ईषरराम निवासी 66 आरडी गंगाजली दर्ज रहा लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में महेन्द्रसिंह पुत्र ईषरराम ही दर्ज रहा अब सरकार की वित्तीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर गोर किया तो उक्त त्रुटि की जानकारी हुई। वादी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक जरिये घोषणात्मक दुरूस्ती अपने नाम महेन्द्रसिंह पुत्र ईषरराम की जगह राजस्व रिकॉर्ड में महेन्द्र शर्मा पुत्र ईषरराम दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। उक्त भूमि पर वादी ही काबिज कास्त है एवं समय–समय पर लगान एवं राजस्व वादी अदा करता रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम महेन्द्रसिंह पुत्र ईषरराम दर्ज होने से काफी परेषानियां हो गई है तथा भविष्य में और दिक्कतें ना आये न्यायहित में रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती आवष्यक है। वादी की खातेदारी भूमि चक 14 बीएलडी बी मु0नं0 94/38 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 तादादी 3.6417 हैक्टर भूमि के रिकॉर्ड में वादी का नाम महेन्द्रसिंह पुत्र ईषरराम दर्ज हुआ है की जगह जरिये घोषणात्मक दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में संषोधन कर वादी का आधार दस्तावेजी नाम महेन्द्र शर्मा पुत्र ईषरराम जाति ब्राह्मण निवासी 66 आरडी गंगाजली तहसील पूगल हाल चक 14 बीएलडी बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर खातेदार दर्ज करने के आदेष करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, पेनकार्ड, भामाषाह कार्ड, मूलनिवास, राषनकार्ड, परिचय पत्र इत्यादि की प्रति प्रस्तुत की जिनमें वादी का नाम महेन्द्र शर्मा ही अंकित है एवं ग्राम पंचायत गंगाजली की तस्दीक प्रस्तुत की जिसमें लिखा है कि महेन्द्र शर्मा पुत्र ईषरराम जाति ब्राह्मण निवासी 66 आरडी 25 वर्षो से निवासी है। महेन्द्र शर्मा व महेन्द्रसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र/वादपत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 14 बीएलडी बी मु0नं0 94/38 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 तादादी 3.6417 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम महेन्द्रसिंह की जगह महेन्द्र शर्मा संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला आदेष मुताबिक अमलदरामद करें। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच महेन्द्रसिंह नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का महेन्द्रसिंह नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम महेन्द्र सिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

दिनेष कुमार बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः—प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट मु.नं.एवं सन 56/2026

समर्पित भूमि को राजस्व में रिकॉर्ड गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
06.03.26	प्रार्थी का प्रार्थना समर्पित भूमि को राजस्व में रिकॉर्ड गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत् प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के नाम से चक 7 एसएसएम मु0नं0 47/52 के किला नं0 21/2 में 0.223 है0, 22 में 0.2529 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जिसमें से प्रार्थी ने मु0नं0 47/52 के किला नं0 22 में 0.1371 है0 अर्थात 1371 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु राजहक में समर्पण कर अराजीराज दर्ज करवा दिया है तथा प्रार्थी के द्वारा समर्पण भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित करवाना चाहता है। प्रार्थी के तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए उक्त समर्पण भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित करने का निवेदन किया है। प्रकरण धारा 251 ए आरटीएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार खाजूवाला के समर्पण आदेष क्रमांक 1492 दिनांक 11.11.25, आधारकार्ड, जमाबंदी आदि का अवलोकन किया गया। अवलोकनानुसार प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित चक 7 एसएएसएम मु0नं0 47/52 के किला नं0 22 में 0.1371 है0 भूमि का समर्पण किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है। अतः उक्त चक 7 एसएएसएम मु0नं0 47/52 के किला नं0 22 में 0.1371 है0 समर्पण भूमि(अराजीराज) को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेष की प्रति तहरीर जारी कर भिजवाई जावें। पत्रावली फैसलषुमार होकर दाखिलदफ्तर हो। आदेष आज सरे इजलास सुनाया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 2026/50

01. प्रेम चौधरी पुत्री पीथाराम जाति जाट निवासी अम्बाया तहः डीडवाना जिला नागौर हाल आबाद चक 11 एसएसएम तहः खाजूवाला जिला बीकानेर

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला/दन्तौर ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–13.03.26

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादीया के नाम चक 11 एसएसएम मु0नं0 8/2 व 8/51 में9.6354 हैक्टर कृषि भूमि है जो मुझे विरासत में मेरे पिता से मिली थी, जिसमें मेरे सह हिस्सेदारों द्वारा अपना हक मेरे पक्ष में हक त्याग कर दिया था। उक्त भूमि का विरासत नामान्तरण दर्ज किया उस समय वादीया का नाम प्रेमदेवी पुत्री पीथाराम दर्ज कर दिया गया जबकि वादीया के तमाम दस्तावेज प्रेम चौधरी के नाम के है जिसके कारण मुझे केसीसी बनवाने व अन्य राजकीय लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इसकारण वादीया अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रेमदेवी पुत्री पीथाराम के स्थान पर प्रेम चौधरी पुत्री पीथाराम शुद्ध/दुरूस्त करवाना चाहती है। वादीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर वादीया का राजस्व रिकॉर्ड में नाम प्रेमदेवी पुत्री पीथाराम के स्थान पर प्रेम चौधरी पुत्री पीथाराम दुरूस्त करने के आदेष प्रदान करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया/वादीया ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, पेनकार्ड, शपथपत्र स्वंय व भाई का शपथपत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट में लिखा है कि प्रार्थीया के दस्तावेज में नाम प्रेम चौधरी है जिसके आधार पर नाम शुद्धि करवाना चाहती है। प्रेम चौधरी व प्रेमदेवी दोनों इन्ही के नाम है। एक ही महिला है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थीया/वादीया अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थीया/वादीया का प्रार्थनापत्र/वादपत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादीया/प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 11 एसएसएम मु0नं0 8/2 व 8/51 में 9.6354 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम प्रेमदेवी की प्रेम चौधरी संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला आदेष मुताबिक अमलदरामद करें। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रेम देवी नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रेम देवी नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम प्रेमदेवी ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 2025/14

1. राजेष पुत्र शीषपालसिंह जाति जाट निवासी 26 केएनडी बी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. निषानसिंह पुत्र तोतासिंह जाति मजहबी निवासी 10 बीडी तहः खाजूवाला
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :— 13.03.26

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी शांतिप्रिय काष्तकार पेषा व्यक्ति है। जो अपनी उक्त कृषि भूमि में खेती का कार्य करके अपना व अपने परिवार का जीवन निर्वहन करता है। प्रार्थी के नाम से चक 26 केएनडी बी मु0नं0 132/10 के किला नं0 22 ता 25 की 04.00 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड व खातेदारी दर्ज है। जिसमें प्रार्थी को आने जाने के लिए अपनी खातेदारी कृषि भूमि के मु0नं0 132/10 के किला नं0 21 में से अस्थाई रास्ता है जो प्रार्थी पिछले 10—15 वर्ष से आजतक उपयोग व उपभोग कर रहा है। प्रार्थी के पास अपने खेत चक 26 केएनडी बी मु0नं0 132/10 के किला नं0 22 ता 25 की 04.00 बीघा कृषि भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई सुलभ कटानषुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थी सं0 1 के चक 26 केएनडी बी मु0नं0 132/10 के किला नं0 21 में बने अस्थाई मार्ग का उपयोग एवं उपभोग लम्बे समय से कर रहा है। यही सबसे सुगम व छोटा रास्ता है। इसका प्रयोग प्रार्थी शुरू से करता आ रहा है। जिसमें अप्रार्थी को बाधा उत्पन्न करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थी के नाम चक 26 केएनडी बी मु0नं0 132/10 के किला नं0 22 ता 25 की 04.00 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें आने—जाने के लिए चक 26 केएनडी बी मु0नं0 132/10 के किला नं0 21 में 02 बिस्वा रास्ता मौके पर चालू है यही सबसे सुलभ व छोटा रास्ता है, जो मुख्य सड़क से मिलता है। जिसे प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाने का अधिकारी है। दिनांक 16.12.24 को प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य के लिए अपने खेत जा रहा था। उसी समय अप्रार्थी सं0 1 मौके पर आया और कहने लगा की मैं यह रास्ता बंद करूंगा, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है और उक्त भूमि मेरी खातेदारी भूमि है तब प्रार्थी ने अप्रार्थी को कहा की मेरे पास खेत जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है और उक्त भूमि मेरी खातेदारी भूमि है। तब प्रार्थी ने अप्रार्थी को कहा की मेरे पास खेत जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 कहने लगा कि इससे मुझे क्या मैं तो रास्ता बंद करके ही रहूंगा। इतने में हल्ला सुनकर आसपास के लोग आ गये उन्होनें अप्रार्थी सं0 1 को समझाया तो अप्रार्थी सं0 1 ने कहा कि आज तो मैं जा रहा हूं लेकिन 10—15 दिन में ट्रैक्टर से रास्ते की भूमि को जोतकर फसल काष्त कर दूंगा। और मौके पर चालू रास्ता भी बंद कर दूंगा। इसकारण प्रार्थी चक 26 केएनडी बी मु0नं0 132/10 के किला नं0 21 में 2 बिस्वा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थी चक 26 केएनडी बी मु0नं0 132/10 के किला नं0 22 ता 25 की 04.00 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग के लिए चक 26 केएनडी बी मु0नं0 132/10 के किला नं0 21 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने के आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी सं0 1 हाजिर नहीं। पत्रावली में तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गई रिपोर्ट के मुताबिक चक 26 केएनडी बी मु0नं0 132/10 के किला नं0 22 ता 25 की 04.00 बीघा यानि 1.0116 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि वादी राजेष पुत्र शीषपाल सिंह जाति जाट के नाम दर्ज है। इसी मु0नं0 132/10 के किला नं0 1 ता 19 सालम, 20 में 0.1138 है0, 21/1 में 0.2276 है0 कुल तादादी 1.3530 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि प्रतिवादी निषानसिंह पुत्र तोतासिंह के नाम दर्ज है। मु0नं0 132/10 के किला नं0 1,10,11,20,21 में 02—02 बिस्वा कटानी रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु वादी को अपने खेत में आवागमन हेतु किला नं0 21/1 में 0.0253 है0 भूमि (पूर्व में पष्चिम) किले के दक्षिण हिस्से में रास्ते हेतु प्रस्ताव तैयार करवा गया है।

पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा चक चक 26 केएनडी बी मु0नं0 132/10 के किला नं0 21/1 में 02 बिस्वा यानि 0.0253 है0 भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि प्रार्थी से नियमानुसार जमा करवाकर अप्रार्थी को देवे एवं नियमानुसार उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिशिचत करें पत्रावली फैसल''ुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

मदनलाल बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट मु.नं.एवं सन 66/2026
समर्पित भूमि को राजस्व में रिकॉर्ड गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
13.03.26	प्रार्थी का प्रार्थना समर्पित भूमि को राजस्व में रिकॉर्ड गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत् प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार मदनलाल पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी चक 13 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 9 पीआरएम मु0नं0 15/32 के किला नं0 16 ता 25 में कुल तादादी 2.5290 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि को औधोगिक/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु सपरिवर्तन करवाई है। प्रार्थी अपनी भूमि में से चक 9 पीआरएम मु0नं0 15/32 के किला नं0 16 में चौड़ाई 10 मीटर गुणा लम्बाई 7.5 कुल 75 वर्गमीटर व किला नं0 25 में चौड़ाई 10 मीटर गुणा लम्बाई 7.5 मीटर कुल 75 वर्गमीटर इसप्रकार दोनों किला में कुल तादादी 150 वर्गमीटर भूमि को अकृषि औधोगिक/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन भूमि के लिए गैरमुमकिन रास्ता हेतु राजहक में निःषुल्क समर्पण कर रास्ता हेतु समर्पण कर दिया गया है व तहसीलदार खाजूवाला द्वारा दिनांक 18.02.26 को उक्त भूमि को अराजीराज में घोषित के आदेष प्रदान कर दिये थे। चूंकि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का समर्पण गैरमुमकिन रास्ता बाबत् किया गया है। प्रार्थी द्वारा समर्पण भूमि को अराजीराज के स्थान पर गैरमुकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेष प्रदान का निवेदन किया है। प्रकरण धारा 251 ए आरटीएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार खाजूवाला के समर्पण आदेष क्रमांक 121 दिनांक 18.02.26, शपथपत्र आदि का अवलोकन किया गया। अवलोकनानुसार प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित चक चक 9 पीआरएम मु0नं0 15/32 के किला नं0 16 में चौड़ाई 10 मीटर गुणा लम्बाई 7.5 कुल 75 वर्गमीटर व किला नं0 25 में चौड़ाई 10 मीटर गुणा लम्बाई 7.5 मीटर कुल 75 वर्गमीटर इसप्रकार दोनों किला में कुल तादादी 150 वर्गमीटर भूमि का समर्पण किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है। अतः उक्त चक 9 पीआरएम मु0नं0 15/32 के किला नं0 16 में चौड़ाई 10 मीटर गुणा लम्बाई 7.5 कुल 75 वर्गमीटर व किला नं0 25 में चौड़ाई 10 मीटर गुणा लम्बाई 7.5 मीटर कुल 75 वर्गमीटर इसप्रकार दोनों किला में कुल तादादी 150 वर्गमीटर समर्पण भूमि(अराजीराज) को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेष की प्रति तहरीर जारी कर भिजवाई जावें। पत्रावली फैसलषुमार होकर दाखिलदफ्तर हो। आदेष आज सरे इजलास सुनाया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 26/2026

1. सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष जाति जाट निवसी शोभा का बास हाल आबाद 30 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....वादिया

बनाम

1. सुगनीदेवी बेवा रामकुमार जाति जाट निवासी ढिलसर(झुझनू) हाल आबाद 30 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
2. हुणताराम पुत्र बक्साराम निवासी कालेरा की ढाणी पोस्ट कालीयासर तहसील मलसीसर जिला झूंझनू
3. फूलचन्द उर्फ फूलाराम पुत्र बक्साराम निवासी कालेरा की ढाणी पोस्ट कालीयासर तहसील मलसीसर जिला झूंझनू
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए आर.टी. एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :— 17.03.26

यह वादपत्र वादिया की ओर से अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 में किला नं0 9/1 में 0.0253 है0, व मु0नं0 186/62 के किला नं0 17 ता 25 में 2.2225 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बों में 2.2508 है0 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 6.3225 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के पति रामकुमार पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी ढिलसर द्वारा खरीदषुदा एवं कब्जा काष्त में थी, रामकुमार की मृत्यु दिनांक 15.01.26 को हो चुकी है। उपरोक्त भूमि आवंटन के बाद मृतक रामकुमार काबिज काष्त होकर इस भूमि पर काष्त करने लगा लेकिन उपरोक्त भूमि में रहने के लिए मकान नहीं था व रामकुमार की अर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए वह अपने भाई राजूराम के साथ ही रहता था। प्रतिवादीया भी उसको संभालने नहीं आती थी। वह रूस कर अपने पीहर रहने लगी या कभी—कभार ग्राम ढिलसर में आ जाती थी। प्रतिवादी सं. 01 का अपने मृतक पति रामकुमार में मनमुटाव चलता था इसलिए वह यहा नहीं आती थी रामकुमार यहा अकेला रहता था उसकी कोई संतान नहीं थी। वादीया की शादी दिनांक 26.05.2000 को हुई, प्रतिवादी संख्या 01 वादीया की काकेर सास लगती है व मृतक रामकुमार जी उसके काकेर ससुर लगते थे। श्रीमान जी 2002 में वादीया के घर लड़के का जन्म हुआ तो जून 2002 में प्रतिवादीया संख्या 01 ने वादीया को कहा की तुम मेरे साथ खाजूवाला (30 केजेडी) चलों और जैसे तैसे तुम मिया—बीबी मेरे साथ चल कर मेरा राजीनामा करवाओं तो वादीया अपने नवजात षिषु को लेकर अपने पति एंव प्रतिवादी संख्या 01 को साथ जून 2001 में मृतक रामकुमार जी जो कि मेरे रिस्ते में काकेर ससुर भी थे के घर 30 केजेडी आई रहने को उनके पास मकान नहीं था और कच्चा झोपड़ा था मैने व मेरे पति ने प्रतिवादीया व उसके पति का राजीनामा करवाया व घर बैठ कर बातचीत की तो मृतक रामकुमार ने वादीया को कहा की तुम्हे धर्म की बेटी मानता हूं और मै इसी शर्त पर सुगनी देवी को साथ रख रहा हूं कि तुम्हे गोद ले रहा हूं व तुम ही वृद्धा अवस्था में हम दोनों की सेवा करोगी व सार सार संभाल करोगी तथा मैं मेरे नाम से जो कृषि भूमि भविष्य में आपके ही नाम करवाउगा। वादीया यहा पर काफी दिन रूकी व प्रतिवादीया संख्या 01 को मृतक रामकुमार के घर समझा बुझा

कर छोड़ गई ताकि वे दोनों एक साथ रह सकें। उसके बाद प्रतिवादीगण संख्या 01 व उसके पति ग्राम शोभा का बास गये वहा पर मेरे ससुर व उसके भाईयों सारें परिवार मौजूदगी में मौखिक रूप से मुझे अपनी दतक पुत्री के रूप में स्वीकार किया और मुताबिक हिन्दू धर्म एवं जातिय रिजी रिवाज अनुसार गुड बंटवाकर गीत गायें गये तथा कहा की भविष्य में लिखित एवं रिकार्ड में अन्य दस्तावेजों आपका नाम और लिखवा दूंगा और मेरी मृत्यु के बाद तुम ही मेरी सेवा करोगी एवं तुम ही मुझे संभालोगी। वर्ष 2001 से 2006 तक लगातार नहर में पानी नहीं चलने के कारण नहरी क्षेत्र में अकाल पड़ गया था इसलिए जब भी प्रतिवादीगण सं0 1 व उसके पति को रूपयों की आवष्यकता होती तो वादीया या तो स्वंय के पास से या अपने पीहर से रूपयो उधार लाकर उनको दे देती वादीया ने एक बार अपनी ननद सावित्रि से भी तीन लाख रूपये उधार लेकर बनवारी लाल के मार्फत मृतक रामकुमार को दिये जिससे पानी डिग्गी बनवाई व उस वक्त दो लाख रूपये अपनें पीहर से लाकर मेरे काकेर ससुर जो कि मेरा धर्म का पिता भी था तो उन्होने रहने के लिए दो पक्के कमरे व चार दिवारी बनवाई। वर्ष 2015 में वादीया ने मृतक रामकुमार जी जो कि उसका दतक पिता भी था को रहने के लिए चक 30 केजेडी का मुरब्बा नम्बर 186/62 पक्का आलीषान मकान बनाने के लिए 25,00,000/– रूपये मेरे रियल ससुर(बजरंग लाल) से लाकर दिये दस लाख रूपये मेरे पिता से उधार लाकर रामकुमार जी को सौप दिये तथा मेरी शादी में जो करीब 40 तोला सोना था उसमे से 35 तौला सोना के जेवरात मृतक रामकुमार जी सौंप दिये जो कि उन्होने सोना को बेच कर जो पैसा प्राप्त हुआ व भी मकान निर्माण में लगा दिया और लाखों रूपये का वादीया ने जामनगर गुजरात से मकान में लगाने के लिए कुण्डे, सांकल, गेट इत्यिादी सुरेष लोहार के साथ में भिजवाये व मकान में जो टाईल लगी थी वे मोरवी गुजरात से मंगवाकर लगवाई गई व दिहाड़ी मजदूरी अन्य खर्च करके वादीया ने अपने दतक पिता मृतक रामकुमार व माता प्रतिवादी सं. 01 के रहने के लिए आलीषान मकान जो की पचास लाख में बनाकर दिया ताकि वे अपना उच्च स्तर का जीवन यापन कर सके। मकान निर्माण करने में वादीया ने करीब चालीस लाख रूपये कर्जा कर लिया व उसका 35 तोला सोना रामकुमार जी को दिया जो उन्होने बेच कर मकान में लगा दिया वादीया अपने पुत्री धर्म का पालन करती रही ताकि प्रतिवादीगण सं. 01 उनके पति को संतान ना होने के बात नहीं खले। वादीया कई बार मृतक दतक पिता रामकुमार को रजि. गोदनामा एंव तस्दीक करवाने का निवेदन किया तो वह कहता की इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे मरने के बाद में सभी कुछ आपका ही है आप ही का मकान बनाया व डिग्गी बनाई है व मैने तुम्हे धर्म की बेटी मानकर गोद लिया है मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही है वादीया एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 मृतक रामकुमार जी जो कि उनके दंतक पिता थे उनका आपस में परिवारीक खून का रिष्ता होने के कारण अविष्वास की कोई जगह नही थी वादीया भी उन पर बहुत अधिक स्नेह और विष्वास करती थी इसलिए लिखित रूप से गोदानामा अन्य रजि. दस्तावेजों की आवष्यकता महसूस नही की और सब कुछ गुड फेथ मे चलता रहा। धार्मिक एंव जातिय रिती रिवाज से वादीया को मेरे काकेर ससुर (मृतक) व प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा गोद लेने उपरांत उनकी विधिक रूप से दतक पुत्री हो गई तथा वह उन दोनों की देखभाल करती यह उनके साथ आंकर

महिने–महिने रूकती तथा अपनी पुत्री धर्म के दायित्वों का निर्वाह करती इस प्रकार वह उनकी गोद पुत्री होने के कारण मृतक रामकुमार की समस्त चल ओर अचंल सम्पति में वादीया को मुताबिक हिन्दू विधी पुत्री के रूप मे हक हकूक पैदा हो गया है तथा वह मृतक की वादगत कृषि भूमि मे, प्रतिवादी संख्या 01 के साथ 1/2 हिस्सा ब0हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 जो कि प्रतिवादी संख्या 01 के सगे भाई है उनके मन में लालच आ गया है वह प्रतिवादीगण संख्या 01 को उकसाते है और मुझे वादगत भूमि के कब्जा काश्त से बेदखल करने की धमकी देते है। मेरे द्वारा आगे भूमि काश्त दे रखी है उस काश्तकार को धमकी मारते है तुम्हे भूमि खाली करनी पडेगी व तुम्हे हिस्सा नही देगें तथा प्रतिवादीया संख्या 01 को प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके वे सभी मिलकर मेरे हक एंव हकूक मे आई कृषि भूमि को हडपना चाहते है व पचास लाख का जो मकान मेरे द्वारा जेवरात बेच कर व पैसे उधार लाकर बनाया था उस पर वे कब्जा जमाना चाहते है मुझे अपने हक से वंचित करने पर आमदा है। दिनांक 27.01.2026 को वादीया ने प्रतिवादी संख्या 04 को गोदनामें के आधार पर वादगत भूमि मुरब्बा नम्बर 186/30, 186/62 व 226/19 की 8.5733 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड का विरास्तन नामान्तरण दर्ज हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व सभी स्थिति से अवगत करवाया तो प्रतिवादीगण संख्या 04 द्वारा कहा गया की हम मौखिक एवं रिती रिवाज के अनुसार गोदनामें को हम नहीं मानते व ना ही हम तुम्हारे नाम से भूमि का विरास्तन नामांतरण करेगें उन्होने स्पष्ट तौर से मना कर दिया इसलिए वादीया को अपने अधिकारों की घोषणा हेतु उपरोक्त दावा अदालत हाजा में प्रस्तुत हो गया। दिनांक 28.01.2026 को वादीया अपने ढाणी मे बैठी हुई थी वही पर प्रतिवादीगण सं. 02 व प्रतिवादीगण संख्या 03 भी आये हुए है। उन्होने वादीया को कहा की तुम इस भूमि में क्या मांगते हो हम कोई दतक पुत्री वगैरह नही मानते, तुम यहा से भाग जाओं, हम दोनों भाई इस भूमि को प्रतिवादीगण सं.01 अपनी बहन के नाम दर्ज रिकार्ड करवाकर ढाणी, डिग्गी सहित किसी अन्य को विक्रय करके जायेगें तुम्हारे से जो बनता है करते रहना, श्रीमान जी इस प्रकार दिनांक 28.01.2026 को प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से वादीया को उसके कब्जा काष्त भूमि एवं ढ़ाणी से बेदखल करने एवं भूमि अपने अकेले प्रतिवादीया संख्या 01 के नाम से दर्ज करवाकर आगे अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय करने की ऐलानिया धमकी दी है, यही कॉज ऑफ एक्षन है। वादीया को अपने हक एंव हकूको की रक्षा हेतू प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना अति आवष्यक हो गया है। प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 षड़यंत्र पूर्वक प्रतिवादी संख्या 01 को बहला फुसलाकर अकेले–अकेले प्रतिवादी संख्या 01 के ही नाम दर्ज करवाना चाहते है जबकि वादीया मृतक खातेदार की विधिक रूप से दत्तक पुत्री है इसलिए उक्त समस्त कृषि भूमि में उसका 1/2 हिस्सा निष्चित एंव निहित है इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के विरूद्ध वह दावा पेष कर अपने अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 04 राज्य सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने से दो माह का 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन दावा आवश्यक प्रकृति का होने के कारण दो माह का नोटिस दिया जाकर इन्तजार किया गया प्रतिवादी संख्या 01 अपने अकेले ही सम्पूर्ण भूमि नाम करवाकर भूमि का आगे बैयनामा किसी तीसरे व्यक्ति

के पक्ष मे पंजीबद्ध कर दिया जायेगा तो वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए 80 (2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ दावा पेश करने की अनुमति चाही गई। वादीया द्वारा कॉज ऑफ ऐक्षन प्राप्त होते ही अपने अधिकारो के लिए वादगत भूमि में 1/2 हिस्सा का घोषणात्मक का पेष किया गया है जो दो प्रतियों मे पेष है तथा दावा स्वीकार योग्य है। दावा श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे है। वादगत तहसील खाजूवाला का चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 में किला नं0 9/1 में 0.0253 है0, व मु0नं0 186/62 के किला नं0 17 ता 25 में 2.2225 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बों में 2.2508 है0 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 6.3225 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि इस प्रकार तीनों मुरब्बों में 8.5733 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 व 1/2 हिस्सा स्वंय वादीया को खातेदारी अभिधारी घोषित किया जावें व उसी अनुसार 1/2 हिस्सा वादीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज किया जावें। चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के खिलाफ इस अमर की जारी की जावें कि वह वादीया को वादगत भूमि मय ढाणी से बेदखल ना करें ना ही ऐसा अन्य कोई कृत्य ना करें जिससे वादगत भूमि के संबंध मे विपरित असर पड़ता हो।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाने पर प्रतिवादी सं0 1, 2 के अधिवक्ता श्री रहमान खां ने जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रतिवादी सं0 1 के पति रामकुमार ने वादीया सुमित्रा को समाज के सामन अपने धर्म की बेटी माना था व वह हमारे पास चक 30 केजेडी में आकर रहती भी थी व मृतक रामकुमार व सुगनीदेवी की सेवा भी करती थी और प्रतिवादीगण सं0 1 व समाज के लोगों के सामने मृतक रामकुमार कहता भी था कि मैं सुमित्रा को गोद की बेटी मानता था और कहता भी था कि मैं सुमित्रा को चल–अचल सम्पति में हक व हिस्सा दूंगा। मेरे पति ने सुमित्रादेवी से कितना तौला सोना व कितने रूपये प्राप्त किये थे वो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इतना पता है कि चक 30 केजेडी का मु0नं0 186/62 में बनी ढ़ाणी (पक्का मकान) में जो भी पैसा, सामान, टाईल्स, वगेरह लगा था वो सुमित्रा ने ही अपने ससुर व पीहर पक्ष से लाकर लगाए थे और सुमित्रा का पति जो कि मेरा भतीजा भी लगता है उसी ने अपनी देखरेख में ये मकान बनाया था। वादीया व प्रतिवादीगण का आपसी सामाजिक दृष्टि से आपसी समझौता हो गया है जिसमें प्रतिवादीगण सं0 1 के पति मृतक रामकुमार जाट की धारित कृषि भूमि में से चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 की किला नं0 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 इसप्रकार कुल 15.00 बीघा यानि 3.7935 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि वादीया के नाम से दर्ज रिकॉर्ड करवाने पर समझौता हुआ है जो कि उसके नाम से दर्ज की जाती है तो मुझे आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादीया को यह कहा था कि आपकी भूमि कहीं नहीं जाएगी। कुछ दिन इन्तजार करों आपके नाम से दर्ज करवा देगें लेकिन वादीया ने जल्दबाजी में उपरोक्त दावा पेष कर दिया। प्रतिवादीगण ने षड्यंत्र नहीं रचा बल्कि वादीया को कहा की कुछ दिन बाद मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाकर पहले विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाएगें फिर तुम्हारे हक की भूमि देगें लेकिन वादीया ने दावा पेषकर दिया और लोकअदालत की भावना से इसमें समाज के लोगों ने हमारा राजीनामा करवा दिया और सामाजिक समझौते में 15.00 भूमि वादीया के नाम से दर्ज करने हेतु प्रतिवादीगण सहमत है व हमें कोई उज्र व एतराज नहीं है। वादीया को प्रतिवादी सं0 1 का पति व प्रतिवादी सं0 2 का जीजा रामकुमार पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी ढिलसर झूंझनू अपनी धर्म की

बेटी मानता था व सुमित्रादेवी गोद पुत्री थी। उसने ही खेत में बनी ढ़ाणी पर रूपये लगाया था व वह 30 केजेडी में आती जाती थी। रामकुमार की मृत्यु होने के बाद हम दोनों का आपस में मनमुटाव हो गया व वादीया ने उपरोक्त भूमि पर वाद पेष कर दिया, जिसपर हमारे समाज की पंचायत हुई जिसमें हमने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया व इस बात पर समझौता हुआ की चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 इसप्रकार कुल 15.00 बीघा यानि 3.7935 हैक्टर कमाण्ड भूमि वादीया के नाम से दर्ज रिकॉर्ड किया जाए व इसको मालिक घोषित कर दिया तो प्रतिवादीगण को उज्र व एतराज व आपत्ति नहीं होगी व शेष भूमि चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 के किला नं0 09 का 0.0253 है0 मु0नं0 186/62 के किला नं0 17 ता 25 में 2.2225 है0 इसप्रकार कुल दोनो मुरब्बों में कुल 2.2508 है0 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 का किला नं0 1 ता 4, 8 ता 12, 20 इसप्रकार कुल 10 बीघा यानि की 2.5290 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि मैने मेरे जीवनयापन के लिए मेरे पास रख ली है वो मेरे नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किये जाने का निवेदन करती है। उपरोक्त सामाजिक समझौते से हम सभी सहमत है। जवाब दावा प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत कर अर्ज है कि उपरोक्त वादपत्र जवाबदावे के अनुसार स्वीकार करने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0 1 सुगनादेवी ने शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मुझ मिकरा के पति रामकुमार ने सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष जाति जाट को दत्तक पुत्री मानता था व सामाजिक रीति रिवाज से सुमित्रादेवी को गोद ले रखा था। रामकुमार की मृत्यु होने के बाद में उसकी धारित कृषि भूमि 28 केजेडी व 30 केजेडी बाबत् मेरा व सुमित्रादेवी का आपस में विवाद हो गया था इसलिए हमारे समाज के मौजूजान व्यक्तियों व रिष्तेदारों ने जिसमें मेरा सगा भाई हणुताराम मौजूद था ने आपसी पारिवारिक समझौता करवा दिया हमने भी लोकअदालत की भावना से राजीनामा कर लिया जिसमें समझौते अनुसार चक 28 केजेडी का मु0नं0 226/19 की किला नं0 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 इसप्रकार कुल 15.00 बीघा यानि की 3.7935 है0 कमाण्ड भूमि वादीया (सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष) के नाम से दर्ज रिकॉर्ड किया जाए व उसको उक्त भूमि का मालिक घोषित कर दिया जाता है तो मुझ मिकरा को उर्ज व एतराज व आपत्ति नहीं होगी। चक 30 केजेडी मु0नं0 196/30 के किला नं0 9 का 0.0253 है0 व मु0नं0 186/62 का किला नं0 17 ता 25 में 2.2255 है0, इसप्रकार कुल दोनों मुरब्बों में 2.2508 है0 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी का मु0न0 226/19 के किला नं0 1 ता 4, 8 ता 12 व 20 इसप्रकार कुल 10.00 बीघा यानि 2.5290 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि मुझ मिकरा ने मेरे जीवनयापन के लिए मेरे पास रख ली है जो कि मैं मिकरा तहसील व कोर्ट से अपने नाम दर्ज करवा सकेगी। राकेषकुमार पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी 28 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान ने शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार रामकुमार जाट मेरा सगा चाचा था मैं रामकुमार के बड़े भाई राजूराम का लड़का हूं। रामकुमार के कोई संतान नहीं थी। इसलिए उसने सुमित्रादेवी को गोद ले रखा है। वह यहां ढ़ाणी में आती है और रामकुमार व उसकी पत्नीी सुगनादेवी को संभालती भी है तथा पक्की ढ़ाणी में उसी का रूपया लगा है। मेरे चाचा रामकुमार पिछले महीने जनवरी में अचानक मृत्यु हो गई उसके बाद सुमित्रादेवी व सुगनादेवी इत्यादि में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद पैदा हो गया तो हमने व दोनों के रिष्तदारों ने आपसी समझाईष की व इन दोनो पक्षों ने भी लोक अदालत की भावना से दिनांक 22.02.26 को राजीनामा करवा दिया जिसमें यह तय हुआ की चक 28 केजेडी का मु0नं0 226/19 की किला नं0 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 इसप्रकार कुल 15.00 बीघा यानि की 3.7935 है0 कमाण्ड भूमि वादीया (सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष) के नाम से तहसील/अदालत के मार्फत दर्ज रिकॉर्ड किया

जाए तो सुगनादेवी कोई एतराज व आपति नहीं होगी व ना ही भविष्य में कभी आपत्ति करेगें। चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 के किला नं0 9 का 0.0253 है0 व मु0नं0 186/62 के किला नं0 17 ता 25 में 2.2255 है0 इसप्रकार कुल दोनों मुरब्बों में कुल 2.2508 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 किला नं0 1 ता 4, 8 ता 12 व 20 इसप्रकार कुल 10.00 बीघा यानि की 2.5290 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि सुगनादेवी ने अपने जीवनयापन के लिए अपने पास रख ली है जिसको अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवा सकेगी। प्रतिवादी सं0 2 हुणताराम पुत्र बक्साराम जाति जाट निवासी कालेरा निवासी ढाणी(कालीयासर) झूंझनू राजस्थान ने शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार मुझ मिकर के सगे जीजा रामकुमार सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष जाति जाट को दत्तक पुत्री मानता था व सामाजिक रीति रिवाज से उसको गोद ले रखा था चूंकि मेरे जीजा व मेरी बहन के कोई संतान नहीं थी। सुमित्रादेवी ही उनकी देखरेख करती थी तथा सुमित्रादेवी ने ही अपने माता–पिता, ससुर आदि से पैसे उधार लेकर उनको रहने के लिए पक्का मकान बनाकर दिया था। रामकुमार की मृत्यु होने के बाद में उसकी धारित कृषि भूमि 28 केजेडी व 30 केजेडी बाबत् सुगनीदेवी व सुमित्रादेवी का आपस में विवाद हो गया था व एसडीओ खाजूवाला में सुमित्रादेवी ने दावा पेष कर दिया इसलिए हमारे समाज के मौजूजान व्यक्तियों व रिष्तेदारों ने जिसमें मैं भी मौजूद था तथा कई अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे। हम सभी ने इनका आपसी पारिवारिक समझौता करवा दिया हमने भी लोकअदालत की भावना से राजीनामा कर लिया जिसमें समझौते अनुसार चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 इसप्रकार कुल 15.00 बीघा यानि की 3.7935 है0 कमाण्ड भूमि वादीया (सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष) के नाम से दर्ज रिकॉर्ड किया जाए व उसको उक्त भूमि का मालिक घोषित कर दिया जाता है तो मुझ मिकर को उज्र व एतराज व आपत्ति नहीं होगी। चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 किला नं0 9 का 0.0253 है0 व मु0नं0 186/62 के किला नं0 17 ता 25 में 2.2255 है0 इसप्रकार कुल दोनो मुरब्बों में कुल 2.2508 है0 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 1 ता 4, 8 ता 12 व 20 इसप्रकार कुल 10.00 बीघा यानि की 2.5290 अनकमाण्ड कृषि भूमि मुझ मिकर की बहन सुगनादेवी ने अपने जीवनयापन के लिए अपने पास रख ली है तथा वह अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारी होगी। प्रतिवादी सं0 3 फूलाराम उर्फ फूलचन्द पुत्र बक्साराम जाति जाट निवासी कालेरा की ढाणी (कालीयासर) झूंझनू राजस्थान ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि मुझ मिकर के सगे जीजा रामकुमार सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष जाति जाट को दत्तक पुत्री मानता था व सामाजिक रीति रिवाज से उसको गोद ले रखा था चूंकि मेरे जीजा व मेरी बहन के कोई संतान नहीं थी। सुमित्रादेवी ही उनकी देखरेख करती थी तथा सुमित्रादेवी ने ही अपने माता–पिता, ससुर आदि से पैसे उधार लेकर उनको रहने के लिए पक्का मकान बनाकर दिया था। रामकुमार की मृत्यु होने के बाद में उसकी धारित कृषि भूमि 28 केजेडी व 30 केजेडी बाबत् सुगनीदेवी व सुमित्रादेवी का आपस में विवाद हो गया था व एसडीओ खाजूवाला में सुमित्रादेवी ने दावा पेष कर दिया इसलिए हमारे समाज के मौजूजान व्यक्तियों व रिष्तेदारों ने जिसमें मैं भी मौजूद था तथा कई अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे। हम सभी ने इनका आपसी पारिवारिक समझौता करवा दिया हमने भी लोकअदालत की भावना से राजीनामा कर लिया जिसमें समझौते अनुसार चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 इसप्रकार कुल 15.00 बीघा यानि की 3.7935 है0 कमाण्ड भूमि वादीया (सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष) के नाम से दर्ज रिकॉर्ड किया जाए व उसको उक्त भूमि का मालिक घोषित कर दिया जाता है तो मुझ मिकर को उज्र व एतराज व आपत्ति नहीं होगी। चक 30 केजेडी

मु0नं0 186/30 किला नं0 9 का 0.0253 है0 व मु0नं0 186/62 के किला नं0 17 ता 25 में 2.2255 है0 इसप्रकार कुल दोनो मुरब्बों में कुल 2.2508 है0 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 1 ता 4, 8 ता 12 व 20 इसप्रकार कुल 10.00 बीघा यानि की 2.5290 अनकमाण्ड कृषि भूमि मुझ मिकर की बहन सुगनादेवी ने अपने जीवनयापन के लिए अपने पास रख ली है तथा वह अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारी होगी। इसके अतिरिक्त वादीया के पक्ष में राकेषकुमार, सुरेषकुमार, सांवरमल, बजरंगलाल , दषरथ इत्यादि ने शपथपत्र प्रस्तुत किये है। साथ ही पंचायती तौर पर पक्षकारों में राजीनामा दिनांक 22.02.26 की प्रति प्रस्तुत की। जिसके अनुसार सुगनीदेवी/प्रतिवादी सं0 1 ने वादीया सुमित्रादेवी को चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 की 15.00 बीघा व 10.00 बीघा अनकमाण्ड कुल 25.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि में से 15.00 बीघा कमाण्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीया के नाम दर्ज करवाने हेतु सहमति दी गई है।

प्रतिवादी सं0 4/तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट हेतु पत्र जारी होने पर तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/186 दिनांक 17.03.26 द्वारा जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसके अनुसार चक 28 केजेडी में मु0नं0 226/19 में कुल रकबा 6.3225 हैक्टर रकबा तथा चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 में किला नं0 9 में 0.0253 है0 एवं मु0नं0 186/62 में किला नं0 17 ता 19 सालम, 20/1 में 0.2276 है0, 21/2 में 0.2276 है0, 22 ता 25 सालम में कुल क्षेत्रफल 2.2508 हैक्टर कृषि भूमि रामकुमार पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी ढोलसर तहसील झूंझनू खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त दोनों खातों पर उपखण्ड न्यायालय खाजूवाला द्वारा स्थगन का नोट अंकित है। रकबे पर रामकुमार द्वारा काष्त किया जाता रहा है। अब रामकुमार का देहान्त पश्चात रामकुमार की पत्नी सुगनादेवी द्वारा काष्त किया जाता है। पत्रावली पर सुना गया। दौराने बहस वादीया अधिवक्ता ने निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से सहमति हो गई है एवं पंचायतीतौर पर लिखित राजीनामा भी हो गया है। अतः प्रतिवादी सं0 1 द्वारा दिये गए जवाबदावा मय शपथपत्र अनुसार वादपत्र स्वीकार फरमाया जावें एवं चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 इसप्रकार कुल 15.00 बीघा यानि की 3.7935 है0 कमाण्ड भूमि वादीया (सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष) के नाम से दर्ज रिकॉर्ड किया जाए व वादीया को उक्त भूमि का जरिये घोषणात्मक खातेदार घोषित किया जावें। शेष भूमि चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 किला नं0 9 का 0.0253 है0 व मु0नं0 186/62 के किला नं0 17 ता 25 में 2.2255 है0 इसप्रकार कुल दोनो मुरब्बों में कुल 2.2508 है0 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 1 ता 4, 8 ता 12 व 20 इसप्रकार कुल 10.00 बीघा यानि की 2.5290 अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 (सुगनादेवी पत्नी रामकुमार) के नाम से दर्ज रिकॉर्ड किया जाए व प्रतिवादी सं0 1 को उक्त भूमि का जरिये घोषणात्मक खातेदार घोषित किया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीया व प्रतिवादी सं0 1 में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। वादीया व प्रतिवादीगण लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा के आधार पर प्रकरण को निस्तारण करवाना चाहते है। प्रतिवादी सं0 1 ने अपने पति रामकुमार की दत्तक पुत्री के रूप में वादिया सुमित्रादेवी को स्वीकार किया है। अतः वादीया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 आरटीएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त प्रावधानों शक्तियों/प्रावधानों के अन्तर्गत व लोक अदालत की भावना से पक्षकारों

के आपसी राजीनामा के आधार पर आंषिक स्वीकार किया जाता है तथा रामकुमार पुत्र गोपालराम जाति निवासी ढीलसर तह/जिला झूंझनू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 में किला नं0 9/1 में 0.0253 है0, व मु0नं0 186/62 के किला नं0 17 ता 25 में 2.2225 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बों में 2.2508 है0 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 6.3225 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड वादगत भूमि **में से** चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 25 इसप्रकार कुल 15.00 बीघा यानि की 3.7935 है0 कमाण्ड भूमि वादीया (सुमित्रादेवी पत्नी जगदीष) के नाम से दर्ज रिकॉर्ड करने तथा चक 30 केजेडी मु0नं0 186/30 किला नं0 9 का 0.0253 है0 व मु0नं0 186/62 के किला नं0 17 ता 25 में 2.2255 है0 इसप्रकार कुल दोनो मुरब्बों में कुल 2.2508 है0 कमाण्ड तथा चक 28 केजेडी मु0नं0 226/19 के किला नं0 1 ता 4, 8 ता 12 व 20 इसप्रकार कुल 10.00 बीघा यानि की 2.5290 अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 (सुगनादेवी पत्नी रामकुमार) के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के घोषणात्मक आदेष किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेष मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेष की पालना हेतु अलग से तहरीर जारी हो तथा दिनांक 30.01.26 को जारी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

कालूराम बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः—प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट मु.नं.एवं सन 70/2026
समर्पित भूमि को राजस्व में रिकॉर्ड गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
17.03.26	प्रार्थी का प्रार्थना समर्पित भूमि को राजस्व में रिकॉर्ड गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत् प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 6 पीआरएम मु0नं0 36/59 के किला नं0 22/3 में 0.1265 है0, 23/1 में 0.1391 है0 कुल 0.2656 हैक्टर भूमि के उतर की तरफ दन्तौर पूगल सड़क के चिपती भूमि को रास्ते हेतु राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के तहत अराजीराज घोषित करवाया जा चुका है इसलिए उक्त भूमि के अराजीराज के किला नं0 22/3, 23/1 को गैरमुमकिन रास्ते के नाम दर्ज करने का निवेदन किया है। प्रकरण धारा 251 ए आरटीएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार खाजूवाला के समर्पण आदेष क्रमांक 190 दिनांक 17.03.26 का अवलोकन किया गया। अवलोकनानुसार प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित चक 6 पीआरएम मु0नं0 36/59 के किला नं0 22/3 में 0.1265 है0, 23/1 में 0.1391 है0 कुल 0.2656 हैक्टर भूमि का समर्पण किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है। अतः उक्त चक 6 पीआरएम मु0नं0 36/59 के किला नं0 22/3 में 0.1265 है0, 23/1 में 0.1391 है0 कुल 0.2656 हैक्टर समर्पण भूमि(अराजीराज) को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेष की प्रति तहरीर जारी कर भिजवाई जावें। पत्रावली फैसलषुमार होकर दाखिलदफ्तर हो। आदेष आज 17.03.26 सरे इजलास सुनाया।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

कृष्णराम बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :—प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट

मु.नं. एवं सन 69/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
17-03-26	प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अधिवक्ता श्री दलीपसिंह द्वारा प्रस्तुत हुआ जिसे अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र का संक्षिप्त विवरण प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि मुझ प्रार्थी व मेरे सहिस्सेदारान के नाम से चक 18 केएलडी मु0नं0 34/21 में कुल 6.1960 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के पिता के देहान्त बाद उक्त भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम कृष्णराम की जगह किसनलाल अंकित हो गया। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम किसनलाल की जगह कृष्णराम दुरूस्त करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड की प्रति व सहिस्सेदार तीजा (प्रार्थी की माता) का शपथपत्र प्रस्तुत हुआ जिसमें लिखा है कि किसनलाल व कृष्णराम दोनों नाम मुझ मिकर के पुत्र के ही है और प्रार्थी (पुत्र) का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किसनलाल की जगह कृष्णराम दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का उज्र एतराज नहीं है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है। पत्रावली अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी की सहिस्सेदार माता ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है व पहचान दस्तावेज आधारकार्ड में प्रार्थी का नाम कृष्णराम अंकित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट व 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे स्वीकार किया जाता है एवं चक 18 केएलडी मु0नं0 34/21 में कुल 6.1960 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी का नाम किसनलाल की जगह कृष्णराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच किसनलाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का किसनलाल नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम किसनलाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 52/2025

01. बषीर मोहम्मद पुत्र गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी 23 केजेडी/ 7 एसएसएम हाल चक 21 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर .....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....प्रतिवादी **वादपत्र**

अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :–13.03.26**

यह वादपपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम चक 21 केजेडी मु0नं0 4/63 के किला नं0 1 ता 10, 13 ता 16 में कुल 2.5670 हैक्टर क0/अ0क0 व चक 23 केजेडी मु0नं0 4/63 के किला नं0 10 ता 13, 17 ता 25 की कुल तादादी 1.4540 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि बसूखां पुत्र गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 23 केजेडी/7 एसएसएम के नाम खातेदार राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। वादी को उक्त भूमि विरासतन प्राप्त हुई है। वादी ज्यादा पढा लिखा नहीं होने के कारण वादी का नाम विरासतन दर्ज करते समय पटवारी द्वारा वादी का अधूरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में बसूखां/बसू दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का पूरा नाम बषीर मोहम्मद है। वादी के सभी पहचान दस्तावेजों में वादी का नाम बषीर मोहम्मद है, जैसे आधारकार्ड, पेनकार्ड, राषनकार्ड, परिचयपत्र, मूलनिवास सभी दस्तावेजों में बषीर मोहम्मद है। वादी अपने उक्त सभी दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम बसूखां/बसू से बषीर मोहम्मद की घोषणात्मक दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है। अतः चक 21 केजेडी मु0नं0 4/63 के किला नं0 1 ता 10, 13 ता 16 में कुल 2.5670 हैक्टर क0/अ0क0 व चक 23 केजेडी मु0नं0 4/63 के किला नं0 10 ता 13, 17 ता 25 की कुल तादादी 1.4540 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी/वादी का नाम बसूखां/बसू की जगह बषीर मोहम्मद दुरूस्त किये जाने के आदेष प्रदान करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्रप्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, पैनकार्ड, मूलनिवास, बैक डायरी, वोटरकार्ड, राषनकार्ड इत्यादि की प्रति व ग्राम पंचायत सियासन चौगान की तस्दीक प्रस्तुत की जिसके अनुसार बसु, बसूखां निवासी 23 केजेडी/7 एसएसएम हाल 21 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर का मूल निवासी है। सही नाम बषीर मोहम्मद पुत्र गुलाम मोहम्मद है तीनों नाम इनके ही है। अन्य इस नाम का कोई व्यक्ति नही है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 21 केजेडी मु0नं0 4/63 के किला नं0 1 ता 10, 13 ता 16 में कुल 2.5670 हैक्टर क0/अ0क0 व चक 23 केजेडी मु0नं0 4/63 के किला नं0 10 ता 13, 17 ता 25 की कुल तादादी 1.4540 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम बसूखां/बसु की जगह बषीर मोहम्मद संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच बसूखां/बसु नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का बसूखां/बसु नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम बसूखां/बसु ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 13.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :–पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :–53/2025

01. बीनादेवी पत्नी कृष्णलाल जाति अरोड़ा निवासी 25 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर .

.....प्रार्थीया

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–13.03.26

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थीया के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 25 के. वाई.डी.–बी का मुरब्बा नं0 58/23 के किला नं0 1, 2/1, 9/2, 10, 11, 12/1, 19/2, 20, 21/2, 22/3 में 1.9726 है0 इसप्रकार कुल 10 किता में 1.9726 है0 कमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका वह खातेदारी काष्तकार है। उक्त भूमि के संबंध में सभी उपयोग व उपभोग के अधिकार प्रार्थीया को प्राप्त है। उपरोक्त भूमि प्रार्थीया काबिज काष्त चली आ रही है। प्रार्थीया की उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे सहवन से बीना देवी के स्थान पर वीनारानी दर्ज हो गया जो कि काफी वर्षो से वीनारानी के नाम से दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीया को यह पहले पता नहीं था ना ही उसने ध्यान दिया अभी प्रार्थीया ग्रहणी एवं पर्दानषीन औरत है जो कि अपनी भूमि के संबंध में के.सी.सी. जारी करवानी थी। उस समय प्रार्थीया को पता चला कि उसके राजस्व रिकॉर्ड विरास्तन नामान्तरण दर्ज होते समय बीनादेवी पत्नी कृष्णलाल के स्थान पर वीनारानी पत्नी कृष्णलाल चल रहा है जो गलत दर्ज है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम बीनादेवी ही है बचपन में उसे ग्रामीण भाषा में वीनारानी के नाम से पुकारते थे इसलिए उसके रिकॉर्ड में भी वीनारानी ही दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया के सभी रिकॉर्ड दस्तावेजों एवं समस्त आईडी इत्यादी जैसे आधारकार्ड, परिचय पत्र, राषन कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटरलिस्ट वगैरह से प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम बीनादेवी ही दर्ज है। श्रीमान जी बीनादेवी व वीनारानी मुझ प्रार्थीया को ही दोनो नाम से गांव में पुकारा जाता है जबकि वास्तविक एवं रिकॉर्डेड मेरा नाम बीनादेवी ही है अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का पेष कर निवेदन है कि प्रार्थीया की कृषि भूमि राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 25 के.वाई.डी.–बी का मुरब्बा न. 58/23 के किला नं. 1, 2/1, 9/2, 10, 11, 12/1, 19/2, 20, 21/2, 22/3 में 1.9726 है0 इस प्रकार कुल 10 किता में 1.9726 है. कमाण्ड है। इस प्रकार कुल 10 किता में 1.9726 है0 कमाण्ड के राजस्व रिकॉर्ड में संषोधन करके प्रार्थीया का वास्तविक एवं रिकॉर्ड नाम वीनारानी के स्थान पर बीनादेवी दर्ज करने के आदेष करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, पहचानपत्र, जनआधार, वोटरलिस्ट, गिरदावरी इत्यादि की प्रति व ग्राम पंचायत 25 केवाईडी की तस्दीक प्रस्तुत की जिसके अनुसार बीनादेवी व बीनारानी दोनो एक ही औरत के नाम है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र /प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 25 के.वाई.डी.–बी का मुरब्बा न. 58/23 के किला नं. 1, 2/1, 9/2, 10, 11, 12/1, 19/2, 20, 21/2, 22/3 में 1.9726 है0 इस प्रकार कुल 10 किता में 1.9726 है. कमाण्ड है। इस प्रकार कुल 10 किता में 1.9726 है0 कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम वीनारानी की जगह बीनादेवी संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वीनारानी नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी

संस्था का वीनारानी नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम वीनारानी ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 13.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :–पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :–53/2025

01 दत राम पुत्र मनफूल राम जाति मेघवाल निवासी चक 17 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर .

.....प्रार्थी

बनाम

01 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–13.03.26

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी व सहिस्सेदारान के नाम से चक 18 केवाईडी मु0नं0 97 /30 के किला नं0 1 ता 25 की 6.3225 हैक्टर मय खाला कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें मुझ प्रार्थी का 1/6 हिस्सा रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा उक्त भूमि मुझ प्रार्थी ने जरिये दानपत्र प्राप्त की है। राजस्व रिकॉर्ड में ऑनलाईन करते समय दताराम दर्ज हो गया। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज में नाम दत राम अंकित है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दताराम की जगह दत राम दुरूस्त करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, जाति प्रमाणपत्र, मूलनिवास, दानपत्र की प्रति प्रस्तुत की है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य –सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 18 केवाईडी मु0नं0 97 /30 के किला नं0 1 ता 25 की 6.3225 हैक्टर कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दताराम की जगह दत राम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच दताराम नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का दताराम नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम दताराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 13.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 45/2026

01. बनवारी लाल पुत्र षिवपाल जाति मेघवाल निवासी मानकवास तहसील उदयपुरवाटी हाल चक 5 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर .

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–19.03.26

यह वादपपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि चक 4 केवाईडी मु0नं0 217/2 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 24.10 बीघा कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त कृषि भूमि वादी के पिता षिवपाल पुत्र रामनाथ जति मेघवाल निवासी बामनवास तहसील उदयपुरवाटी जिला झूंझनू को चक 4 केवाईडी मु0नं0 217/2 में कुल 24.10 बीघा कमाण्ड आवंटन हुई थी। वादी के पिता की जाति मेघवाल थी जबकि आवंटन आदेष में वादी के पिता की जाति हरिजन दर्ज कर दी गई। वादी के पिता द्वारा अपनी जाति हरिजन से मेघवाल दर्ज करवाने के आवेदन कई बार किये गये लेकिन वादी के पिता की जाति हरिजन से मेघवाल दर्ज नहीं हो पाई। वादी व उसके सहिस्सेदारान के पिता एक अनपढ़ व्यक्ति होने के कारण व कानूनी दस्तावेजों का ज्ञान नहीं होने के कारण जाति की दुरूस्ती की पेचिदगीयों में नहीं पड़े। वादी के पिता द्वारा उक्त कृषि भूमि की समस्त किष्ते खजानाराज में जमा करवा दी गई। वादी व उसके सहिस्सेदारान के पिता षिवपाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि जरिये विरासतन वादी व उसके सहिस्सेदारान के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। लेकिन सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करते समय वादी व उसके सहिस्सेदारान की जाति कुचबन्द दर्ज कर दी गई। बाद विरासतन उक्त कृषि भूमि पर वादी व उसके सहिस्सेदारान की काबिज काष्त है। वादी व उसके सहिस्सेदारान के पिता की मृत्यु के बाद विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु दस्तावेज दिये तो वादी को पता चला की वादी के पिता षिवपाल की जाति राजस्व रिकॉर्ड में मेघवाल की जगह हरिजन दर्ह है जो कि गलत है। लेकिन उसके बाद वादी व वादी के हरिजन दर्ज है जो कि गलत है। लेकिन उसके बाद वादी व वादी के सहिस्सेदारान ने अपने पिता की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरण 293 दिनांक 21.01.2026 को अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। बाद विरासतन नामान्तरण वादी ने उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी की नकल निकलवाई तो वादी को पता चला की राजस्व रिकॉर्ड में उनकी जाति हरिजन से कुचबन्द दर्ज कर दी गई है जो कि गलत है। क्योंकि वादी के पिता की जाति राजस्व रिकॉर्ड में हरिजन दर्ज थी तथा विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय वादी व वादी के सहिस्सेदारान की जाति कुचबन्द दर्ज कर दी गई है। जबकि वादी व वादी के सहिस्सेदारान के पिता व हमारी सही जाति मेघवाल है। जिसको दुरूस्त करवाने का वादी विधिक अधिकारी है। वादी के पिता की जाति मेघवाल के स्थान पर हरिजन व वादी व वादी के सहिस्सेदारान की जाति मेघवाल के स्थान पर कुचबन्द अंकित हो गई है जो कि गलत जिसे वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। गलत जाति अंकन होने के कारण वादी व वादी के सहिस्सेदारान को काफी परेषानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा वादी व वादी के सहिस्सेदारान को राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं व सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। जिसके कारण वादी व सहिस्सेदारान को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। जिसका आंकलन रूपयों–पैसों में नहीं किया जा सकता है। इसलिए वादी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में जाति कुचबन्द के स्थान पर मेघवाल दुरूस्त करवाने का विधिक अधिकारी है। अतः घोषणात्मक वादपत्र प्रस्तुत कर वादी का वादपत्र स्वीकार कर तहसीलदार खाजूवाला के चक 4 केवाईडी मु0नं0 217/2 में 24.10 बीघा कमाण्ड भूमि जो कि वादी के पिता को आवंटनषुदा है, उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता षिवपाल की जाति हरिजन दर्ज थी लेकिन विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय वादी व वादी के सहिस्सेदारान की जाति कुचबंद दर्ज कर दी गई। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी व वादी के सहिस्सेदारान की जाति कुचबंद दर्ज की जगह जाति मेघवाल दर्ज किये जाने की घोषणा करने के आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में खातेदारी सनद, मूलनिवास, जाति प्रमाणपत्र, नामान्तरण, जमाबंदी, आधारकार्ड, पहचानपत्र इत्यादि प्रस्तुत की व सहमति पत्र बजरंगलाल (वादी का सहिस्सेदार भाई) प्रस्तुत किया जिसके अनुसार जिसके अनुसार बनवारीलाल मेरा भाई है व जाति दुरूस्ती हेतु वाद दायर करने की पूर्ण व स्वतन्त्र सहमति प्रदान करता हूं। मेरा भाई बनवारीलाल न्यायालय आदेष से रिकॉर्ड में जाति मेघवाल दर्ज करवाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ग्राम पंचायत 5 केवाईडी की तस्दीक प्रस्तुत की जिसके अनुसार बनवारीलाल पुत्र षिवपाल जाति मेघवाल निवासी 5 केवाईडी तहः खाजूवाला का मूल निवासी है और प्रार्थी बनवारीलाल जाति मेघवाल के नाम से चक 5 केवाईडी खाजूवाला में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है

बनवारीलाल मेघवाल एक ही व्यक्ति है। इनको व्यक्तिगत रूप से जानती व पहचानजी हूं। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 4 केवाईडी मु0नं0 217/2 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 24.10 बीघा कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी व सहिस्सेदारों की जाति कुचबंद की जगह मेघवाल संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जाति कुचबंद नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का जाति कुचबंद नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए जाति कुचबंद ही लागू होगा। अगर जाति संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 46/2026

01. रामेष्वर गोदारा पुत्र मनीराम गोदारा जाति जाट निवासी चक 34 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर .....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–17.03.26

यह वादपपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से चक 34 केवाईडी मु0नं0 202/20 के किला नं0 16 ता 25 रकबा 2.5290 हैक्टर भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें वादी का नाम रामेष्वर गोदारा पुत्र मनी राम गोदारा की बजाय रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम दर्ज है व उक्त रकबा पर कब्जा वादी का निरंतर आज दिनांक तक चलता आ रहा है। वादी साक्षर है तथा केवल हस्ताक्षर करना जानता है। जब उक्त रकबा का दानपत्र लिखा गया उस समय वादी को रामेष्वरल लाल पुत्र मनीराम के नाम से ही पुकारते थे इसलिए दानपत्र लिखते समय वादी का नाम रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम ही लिख दिया गया तथा उक्त दाननपत्र का नामान्तरण सं0 404 दिनांक 05.07.22 में भी रामेष्वरलाल पुत्र मनीराम के नाम से दर्ज हो गया। वादी अपने उक्त रकबा की फार्मर आईडी बनवाने के लिये गया तो पटवारी हल्का ने कहा की राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम रामेष्वरलाल पुत्र मनीराम है व फोटो पहचान दस्तावेजों में आपका नाम रामेष्वर गोदारा पुत्र मनी राम गोदारा है इसलिए आप अपने नाम की रिकॉर्ड में शुद्धि करवा लेवें, तब वादी को राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम होने की जानकारी मिली जबकि वादी के समस्त दस्तावेज रामेष्वर गोदारा पुत्र मनी राम गोदारा नाम से बने हुए है। वादी को उसके चक में रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम व रामेष्वर गोदारा पुत्र मनी राम गोदारा दोनों ही नामों से जानते व पहचानते है तथा वादी ही रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम व रामेष्वर गोदारा पुत्र मनी राम गोदारा है ये दोनों नाम वादी के ही है तथा वादी को इन दोनों नामों से जाना पहचाना जाता है तथा वादी के समस्त पहचान दस्तावेजें जैसे आधारकार्ड, पैनकार्ड, मतदाता परिचयपत्र, मूलनिवास आदि में भी वादी का नाम रामेष्वर गोदारा पुत्र मनी राम गोदारा ही अंकित है तथा वादी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने का विधिक अधिकारी है तथा मामला काबिले दुरूस्ती के है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गलत होने के कारण वादी को अनेक परेषानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गलत अंकन होने के कारण वादी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की सरकारी योजनाओं, अनुदान आदि का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है तथा ना ही वादी को बैंक द्वारा केसीसी ऋण दिया जा रहा है। जिस कारण वादी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान हो रहा है। अतः घोषणात्मक वाद पेष कर निवेदन है कि वादी के नाम चक 34 केवाईडी मु0नं0 202/20 के किला नं0 16 ता 25 रकबा 2.5290 हैक्टर भूमि अनकमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम की जगह रामेष्वर गोदारा पुत्र मनी राम गोदारा की घोषणा कर दुरूस्त कर अंकन करने का आदेष फरमावें।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्रप्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, पहचानपत्र, मूलनिवास इत्यादि की प्रति प्रस्तुत की। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 34 केवाईडी मु0नं0 202/20 के किला नं0 16 ता 25 रकबा 2.5290 हैक्टर भूमि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम की जगह रामेष्वर गोदारा पुत्र मनी राम गोदारा संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो

प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 17.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :–पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :–47/2026

01 सोमा पत्नी श्रवणकुमार जाति बिष्नोई निवासी खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थीया

बनाम

01 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :–17.03.26**

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थीया के नाम से खातेदारी शुदा रकबा चक 7 केएलडी खाता सं0 49 मु0नं0 152/21 के किला नं0 18 में 0.2529 है0, 21/2, 22/2 व 23/2 प्रत्येक में 0.2276 है0 कुल तादादी 0.9357 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रार्थीया का निर्बाध रूप से कब्जा काष्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि की हल्का पटवारी द्वारा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 बनाते समय लिपिकीय त्रुटि एवं सहवन से प्रार्थीया का नाम सोमा की जगह सीमा दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम सीमा की जगह सोमा दर्ज करवाना चाहती है। अतः प्रार्थीया का नाम सीमा की जगह सोमा अंकन करने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, बैयनामा, आधारकार्ड, पैनकार्ड की प्रति प्रस्तुत की। प्रस्तुत बैयनामा में प्रार्थीया का नाम सोमा अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र /प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 7 केएलडी खाता सं0 49 मु0नं0 152/21 के किला नं0 18 में 0.2529 है0, 21/2, 22/2 व 23/2 प्रत्येक में 0.2276 है0 कुल तादादी 0.9357 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम सीमा की जगह सोमा संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सीमा नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सीमा नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम सीमा ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 17.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 59/2026

01. जोव कटारिया पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी चक 2 डीडब्ल्युडी तहः खाजूवाला
....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :–19.03.26**

यह वादपपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से चक 2 डीडब्ल्युडी मु0नं0 129/53 में रकबा 1.9979 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूम का 1/2 हिस्सा सहिस्सेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि मुझ मिकर द्वारा 1/2 सहिस्सेदारी के रूप में खरीदषुदा है। बैयनामा करते वक्त मुझ मिकर का नाम अरविन्दकुमार पुत्र हनुमान दर्ज था। उक्त कृषि भूमि पर मुझ मिकर का कब्जा बैयनामा की दिनांक 16.01.2009 से आजतक लगातार चला आ रहा है। मुझ मिकर ने जरिये भारत का राजपत्र द्वारा अपना नाम अरविन्दकुमार की जगह जोव कटारिया करवा लिया है। वादी के अन्य दस्तावेजों आधारकार्ड, जनआधार कार्ड, आदि में जोव कटारिया अंकित है। वादी राजस्व कार्य करवाने में नाम अरविन्द कुमार के काफी परेषानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके लिये वादी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अरविन्द कुमार की जगह जोव कटारिया करवाना चाहता है। वादी उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अरविन्दकुमार की जगह जोव कटारिया की घोषणा व दुरूस्त करवाना चाहता है। अतः घोषणात्मक वाद पेष कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी के नाम का रकबा तहसील खाजूवाला उप तहसील दन्तौर की चक 2 डीडब्ल्युडी मु0नं0 129/53 में कुल रकबा 1.9979 हैक्टर कमाण्ड है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा बनता है। राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अरविन्दकुमार की जगह जोव कटारिया की घोषणा कर दुरूस्त कर अंकन करने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में भारत का राजपत्र, आधारकार्ड, जनआधारकार्ड, पैनकार्ड, बैयनामा इत्यादि की प्रति प्रस्तुत की व भाई मनीष पुत्र हनुमान का शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसमें लिखा है कि राजस्व रिकॉर्ड में मेरे भाई के नाम में शुद्धिकरण करने हेतु शपथपत्र तस्दीक कर रहा हूं। मुझ मिकर के भाई के तमाम दस्तावेज में नाम जोव कटारिया अंकित है। मुझ मिकर के भाई अरविन्दकुमार का नाम जोव कटारिया है। उक्त नाम का संषोधन जरिये राजपत्र द्वारा करवा गया है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 2 डीडब्ल्युडी मु0नं0 129/53 में रकबा 1.9979 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम अरविन्दकुमार की जगह जोव कटारिया संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच अरविन्दकुमार नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का अरविन्दकुमार नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम अरविन्दकुमार ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी /वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 48/2026

01. बद्रीप्रसाद पुत्र मनफूलराम जाति मेघवाल निवासी चक 17 केवाईडी तहः खाजूवाला

....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट
निर्णय **दिनांक :–19.03.26**

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी व मेरे सहिस्सेदारान के नाम से चक 18 केवाईडी मु0नं0 97/30 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर मय खाला कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा उक्त भूमि मुझ प्रार्थी ने जरिये दानपत्र से प्राप्त की है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे ऑनलाईन दर्ज करते समय बद्रीराम दर्ज हो गया जबकि मुझ प्रार्थी का नाम बद्रीप्रसाद है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत पेष कर निवेदन है कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी का नाम ब्रदीराम की जगह बद्रीप्रसाद कर दुरूस्त किये जाने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, गिफ्टडीड की प्रति प्रस्तुत की। उक्त गिफ्टडीड में प्रार्थी का नाम बद्रीप्रसाद ही अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 18 केवाईडी मु0नं0 97/30 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर मय खाला कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम बद्रीराम की जगह बद्रीप्रसाद संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच बद्रीराम नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का बद्रीराम नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम बद्रीराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 15/2026

01. देवीलाल पुत्र श्योचन्द जाति निवासी चक 13 केएनडी तहः रावला जिला श्रीगंगानगर हाल चक 17 केवाईडी (सी) तहः खाजूवाला जिला बीकानेर .....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :–19.03.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से चक 17 केवाईडी सी मु0नं0 117/12 में कुल 2.5291 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि जरिये बैयनामा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि के बैयनामा करते समय मुझ प्रार्थी के पिता का नाम भयोचंद लिखा गया था जबकि मुझ प्रार्थी के द्वारा जो दस्तावेज बैयनामा करते वक्त पेष किये गये थे उसमें श्योचंद अंकित है। उक्त रकबा का कब्जा वादी के पास बैयनामा दिनांक 13.10.2020 से आजतक लगातार चला आ रहा है। वादी अनपढ है इसलिए उक्त गलत लिखे गये नाम का पता नहीं चला और इसप्रकार बैयनामा करते समय वादी के पिता का नाम त्रुटिवष भयोचंद लिखा गया। वादी अपने उक्त रकबा पटवारी हल्का के पास केसीसी के दस्तावेज बनवाने गया तो पटवारी हल्का ने कहा की राजस्व रिकॉर्ड में पिता का नाम भयोचंद अंकित है जबकि मेरे सभी दस्तावेजों में पहचानपत्र, वोटरलिस्ट व मूलनिवास प्रमाणपत्र में श्योचंद अंकित है। वादी ने जानबूझ कर अपने पिता का नाम गलत नहीं लिखा है व लिपिकीय त्रुटि की वजह से पिता का नाम गलत दर्ज हो गया है। जिससे वादी को काफी परेषानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके लिये वादी राजस्व रिकॉर्ड में पिता का नाम शुद्ध करवाना चाहता है। वादी अपने उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर भयोचंद की जगह श्योचंद की घोषणा व दुरूस्त करवाना चाहता है। अतः घोषणात्मक वाद पेषकर श्रीमानजी निवेदन है कि वादी के नाम का रकबा तहसील खाजूवाला का चक 17 केवाईडी सी मु0नं0 117/2 में 2.5291 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम भयोचंद की जगह श्योचंद की घोषणा कर दुरूस्त कर अंकन करने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में पहचानपत्र, वोटरलिस्ट, मूलनिवास प्रमाण की प्रति प्रस्तुत की जिसमें प्रार्थी के पिता नाम श्योचंद ही अंकित है एवं बैयनामा में भयोचंद ही लिखा है किन्तु उसमें जो शपथपत्र है वह देवीलाल पुत्र श्योचंद नाम से ही लिया गया है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/ शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 17 केवाईडी सी मु0नं0 117/12 में कुल 2.5291 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी के पिता का नाम भयोचंद की जगह श्योचंद संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच भयोचंद नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का भयोचंद नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम भयोचंद ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी /वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 14/2026

01. बिषनाराम मेघवाल पुत्र आषुराम मेघवाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड सं0 7 राणासर हंसावतान तहसील व जिला बीकानेर .....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट
निर्णय **दिनांक :–19.03.26**

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र/प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के पिता के नाम से चक 39 केजेडी मु0नं0 28/62 के किला नं0 6, 14 ता 25 में कुल 3.1612 हैक्टर कमाण्ड आवंटनषुदा कृषि भूमि है। मुझ प्रार्थी के पिता का स्थाई पता राजस्व रिकॉर्ड में ऑनलाईन करते समय रानासर की जगह राजासर दर्ज हो गया जबकि मुझ प्रार्थी के पिता का स्थाई पता रानासर तहसील श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर है। मुझ प्रार्थी के पिता के समस्त दस्तावेजों खातेदारी सनद, आवंटन आदेष, राषनकार्ड, आधारकार्ड में स्थाई पता रानासर है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी के पिता का स्थाई पता राजासर लिखा गया है जो काबिले दुरूस्ती है। प्रार्थी के पिता का देहान्त हो चुका है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी के पिता का स्थाई पता रानासर की जगह राजासर दर्ज होने से मुझ प्रार्थी को विरासतन नामान्तरण दर्ज करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे मुझ प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति हो रही है जिसका आंकलन रूपयों से नहीं किया जा सकता है। जिस मैं प्रार्थी जरिये प्रार्थनापत्र दुरूस्ती करवाना चाहता हूं जोकि अधीनस्थ न्यायालय दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत पेषकर निवेदन है कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का स्थाई पता राजासर की जगह रानासर कर दुरूस्त किया जाने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में राषनकार्ड, आधारकार्ड, खातेदारी सनद, आवंटन आदेष, मृत्यु प्रमाणपत्र, जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत की जिसमें स्थाई पता रानासर की अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 39 केजेडी मु0नं0 28/62 के किला नं0 6, 14 ता 25 में कुल 3.1612 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी के पिता का स्थाई पता राजासर की जगह रानासर संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच में के प्रार्थी के पिता का स्थाई पता राजासर नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी के पिता का स्थाई पता राजासर नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी के पिता का स्थाई पता राजासर ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी /वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 39/2026

01. ईष्वरसिंह पुत्र भानसिंह जाति निवासी दन्देउ सुल्तान सिंह तहसील राजगढ़ जिला चुरू
02. महावीरसिंह पुत्र भानसिंह जाति निवासी दन्देउ सुल्तान सिंह तहसील राजगढ़ जिला चुरू
03. रामकुमार पुत्रभानसिंह जाति निवासी दन्देउ सुल्तान सिंह तहसील राजगढ़ जिला चुरू
04. वेदपाल पुत्र भानसिंह जाति निवासी दन्देउ सुल्तान सिंह तहसील राजगढ़ जिला चुरू

.....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–19.03.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र/प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता को तहसील खाजूवाला के चक 5 केएलडी के मु0नं0 131/60 के किला नं0 1 ता 19 की 19.00 बीघा भूमि सन् 1976 में आवंटन हुई थी। आवंटन पत्रावली में पिता का नाम भान सिंह पुत्र छेलूराम जाति जाट निवासी देन्दउ सुलतानसिंह तहसील राजगढ़ के नाम से आवंटन हुई थी। बाद आवंटन से ही प्रार्थीगण के पिता का कब्जा काष्त व वर्तमान में प्रार्थीगण का कब्जा काष्त है। प्रार्थीगण उक्त भूमि को कब्जा काष्त करके परिवार का भरणपोषण कर रहे है। प्रार्थीगण के पिता का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए पटवारी के पास दिनांक 02.02.26 को गया तो पटवारी ने कहा कि रिकॉर्ड में तुम्हारे पिता का नाम भानसिंह की जगह मानसिंह व साकिन देन्दउ की जगह देन्देड़ हो गया है। इसलिए आप रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाओ। उक्त दिनांक को प्रार्थी को रिकॉर्ड में नाम गलत होने की जानकारी प्राप्त हुई। तब प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र तहसीलदार कार्यालय खाजूवाला में रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती हेतु प्रार्थनापत्र पेष किया। उक्त प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थीगण के पिता के आवंटन पत्रावली व समस्त दस्तावेजों में प्रार्थीगण के पिता का नाम भान सिंह पुत्र छेलूराम जाति जाट साकिन देन्दउ सुलतान सिंह तहसील राजगढ़ अंकित है जबकि वर्तमान जमाबंदी में सहवन से प्रार्थीगण के पिता का नाम मानसिंह व साकिन दन्देड़ अंकित हो गया है कि गलत है। प्रार्थीगण मान सिंह की जगह भान सिंह व साकिन दन्देड़ की देन्दउ दुरूस्त करवाना चाहते है। ऐसी गलती को दुरूस्ती करवाने के मात्र प्रार्थीगण मुस्तहक हकदार है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का शांतिपूर्वक कब्जा काष्त है व इस भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीगण उक्त भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाना चाहते है। केवल मात्र प्रार्थीगण के पिता का नाम भान सिंह की जगह मान सिंह अंकित है व साकिन देन्दउ की दन्देड़ अंकित है। जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त करवाना चाहते है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेषानी हो रही है। जिसे दुरूस्त करवाने के मस्तहक हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसील खाजूवाला के चक 5 केएलडी मु0नं0 131/60 किला नं0 1 ता 19 की कुल 4.8051 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के पिता को आवंटन शुद्धा है। इस आवंटन शुद्धा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम भान सिंह व साकिन देन्दउ किये जाने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आवंटन आदेष, मृत्यु प्रमाणपत्र, आधारकार्ड की प्रति प्रस्तुत की। आवंटन आदेष में वादी के पिता का नाम भान सिंह व निवासी दन्देउ अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 5 केएलडी के मु0नं0 131/60 के किला नं0 1 ता 19 की 19.00 बीघा कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी के पिता का नाम मान सिंह की जगह भान सिंह व निवासी दन्देड़ की जगह दन्देउ संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच में के प्रार्थी के पिता का नाम व निवासी मान सिंह व दन्देड़ नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का के प्रार्थी के पिता का नाम व निवासी मान सिंह व दन्देड देय बकाया हो तो उसके लिए के प्रार्थी के पिता का नाम व निवासी मान सिंह व दन्देड ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी /वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को

निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 40/2026

01. अब्दुल सतार पुत्र खुदाबक्स जाति मुसलमान निवासी सियासर हाल चक 37 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर .....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :–19.03.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से चक 37 केवाईडी खाता सं0 53 मु0नं0 142/33, 41, 42, 50 की कुल 17.7535 हैक्टर में 3/4 हिस्सा भूमि सतार पुत्र खुदाबक्स जाति मुसलमान निवासी सियायर चौगान के नाम से खातेदार राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। वादी को उक्त भूमि विरासतन प्राप्त हुई। वादी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण वादी का नाम विरासतन दर्ज करते समय पटवारी द्वारा वादी का अधूरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में सतार दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का पूर्ण नाम अब्दुल सतार है। वाद के सभी पहचान दस्तावेजों में वादी का नाम अब्दुल सतार है, जैसे आधारकार्ड, पैनकार्ड, राषनकार्ड, परिचयपत्र, मूलनिवास सभी दस्तावेजों में अब्दुल सतार है। वादी अपनी उक्त भूमि पर केसीसी ऋण लेने के लिये बैंक गया तो बैंक द्वारा वादी को लोन देने से मना कर दिया की राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम सतार खां दर्ज है। वादी ने पटवारी से रिकॉर्ड में दर्ज नाम के बारे पूछा तो पटवारी ने कहा की सहवन से आपका नाम विरासतन दर्ज करते समय अब्दुल सतार की जगह अधूरा नाम सतार हो गया है। वादी अपने उक्त सभी दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम सतार से अब्दूल सतार की घोषणात्मक दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है। उक्त भूमि पर वादी का शान्तिपूर्वक कब्जा काष्त है एवं उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वादी के नाम से उक्त भूमि दर्ज है। केवल मात्र अब्दुल सतार की जगह सतार अंकित है। जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाना चाहता है। नाम गलत इन्द्राज होने के कारण वादी को काफी परेषानियां हो रही है। जिसे वादी दुरूस्त करवाने का मुस्तहक हकदार है। वादी का वादपत्र स्वीकार तहसील खाजूवाला के चक 37 केवाईडी खाता सं0 53 मु0नं0 142/33, 41, 42, 50 की कुल 17.7535 हैक्टर में 3/4 हिस्सा भूमि जो कि प्रार्थी के नाम से है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सतार खां दर्ज है की जगह अब्दुल सतार किये जाने के आदेष प्रदान करें ताकि तमाम रिकॉर्ड में वादी का नाम दुरूस्त हो सके। अतः वादपत्र पेषकर श्रीमान से निवेदन है कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सतार की जगह अब्दुल सतार दुरूस्त करने के आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में अब्दुल सतार, निर्वाचन नामावली, मूलनिवास, राषनकार्ड, आधारकार्ड, पैनकार्ड, जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत की। ग्राम पंचायत 40 केवाईडी तस्दीक प्रस्तुत की जिसमें लिखा है कि सतार व अब्दुल सतार दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/ शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 37 केवाईडी खाता सं0 53 मु0नं0 142/33, 41, 42, 50 की कुल 17.7535 हैक्टर में 3/4 हिस्सा कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी के पिता का नाम सतार की जगह अब्दुल सतार संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सतार नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सतार नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम सतार ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 35/2026

01. अब्दुल सतार पुत्र मीरणखां जाति मुसलमान निवासी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर .....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :–19.03.26**

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से चक 6 केजेडी बी मु0नं0 81/39 के किला नं0 1 ता 5, 18 ता 23 में कुल 2.6301 हैक्टर कमाण्ड व चक 8 केजेडी बी मु0नं0 123/11 के किला नं0 4 ता 25 में 5.4374 हैक्टर व मु0नं0 102/32 के किला नं0 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में 2.9589 हैक्टर कमाण्ड रकबा खातेदारी शुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी के रकबा चक 6 केजेडी बी मु0नं0 81/39 के किला नं0 1 ता 5, 18 ता 23 में 2.6301 हैक्टर के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सतार पुत्र मीरण खां है तथा रकबा चक 8 केजेडी बी मु0नं0 123/11 की 5.4374 हैक्टर व मु0नं0 102/32 की 2.9589 हैक्टर रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में अब्दुल सतार पुत्र मीरणखां दर्ज है। वादी के नाम से कृषि भूमि अलग–अलग दो चको में है तथा दोनो चको में वादी का नाम अलग है। वादी के उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में नाम अलग–अलग होने तथा नाम में भिन्नता होने के कारण वादी उक्त रकबा से संबंधित किसी प्रकार की सरकारी योजनाएं व सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। वादी के रकबा चक 6 केजेडी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम सतार पुत्र मीरण खां है तथा 8 केजेडी बी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अब्दूल सतार पुत्र मीरण खां है तथा वादी के समस्त फोटो पहचान के दस्तावेजो आधारकार्ड, पहचानपत्र, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड, राषनकार्ड, बैंक पासबुक आदि सभी दस्तावेजों में वादी का नाम अब्दूल सतार पुत्र मीरण खां है। वादी ने अपने नाम के रकबा 6 केजेडी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम अब्दुल सतार पुत्र मीरण खां दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी के समक्ष आवेदन किया तथा कहा कि उक्त दोनो चको में वादी का नाम अब्दूल सतार पुत्र मीरण खां एक समान किया जावे तब प्रतिवादी ने कहा कि आप नाम दुरूस्ती के लिए सक्षम न्यायालय से आदेष लेकर आओ जब तक कोई सक्षम अधिकारी का आदेष नहीं लाओगे तब तक आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती नहीं किया जावेगा। अतः वादपत्र पेष कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी के नाम का रकबा चक 6 केजेडी बी मु0नं0 81/39 के किला नं0 1 ता 5, 18 ता 23 में 2.6301 हैक्टर कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सतार पुत्र मीरण से दुरूस्त कर अब्दूल सतार पुत्र मीरण खां करने की घोषणा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, पैनकार्ड, बैक पास बुक की प्रति प्रस्तुत की। ग्राम पंचायत सामरदा नौसेरा की तस्दीक प्रस्तुत की जिसमें लिखा है कि सतार खां व अब्दुल सतार दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। चक 8 केजेडी बी मु0नं0 102/32 के दूसरे रकबे की जमाबंदी प्रस्तुत की उसमें प्रार्थी का नाम अब्दूल सतार पुत्र मीरण खां ही अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/ शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 6 केजेडी बी मु0नं0 81/39 के किला नं0 1 ता 5, 18 ता 23 में 2.6301 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम सतार पुत्र मीरण की जगह अब्दूल सतार पुत्र मीरण खां संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सतार पुत्र मीरण नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सतार

पुत्र मीरण नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम सतार पुत्र मीरण ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 222/2025

01. अमीन खां पुत्र खुदाबक्स जाति मुसलमान निवासी चक 1 एसडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला .....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–19.03.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के पिता खुदाबक्स पुत्र काबल खां के नाम से चक 1 एसडब्ल्युएम बी मु0नं0 200/26 के किला नं0 6,7, 14 ता 17 व मु0नं0 200/34 के किला नं0 2 ता 20 इसप्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 6.3225 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा बतौर बंदोबस्ती काष्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड था । जबकि वादी के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात उक्त रकबा जरिये विरासतन नामान्तरण वादी व उसके सहिस्सेदारों के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। उक्त विरासतन नामान्तरण में वादी का नाम अमीन खां पुत्र खुदाबक्स दर्ज हुआ था। उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों में सहवन से वादी का नाम अमीन खां के बजाय अजीम खां दर्ज हो गया था। उक्त रकबा की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के अनुसार ही बन्दोबस्ती खातेदारी क्रमांक 1099 दिनांक 15.06.2006 में वादी का नाम अजीम खां पुत्र खुदाबक्स हो गया था। तत्पष्चात उसी अनुसार त्रुटिपूर्ण वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था जो निरन्तर राजस्व रिकॉर्ड में चलता रहा था। वादी के समस्त फोटो पहचान व दस्तावेज जैसे आधारकार्ड, पैनकार्ड, जॉबकार्ड, बैंक पासबुक आदि समस्त दस्तावेजो में वादी का नाम अमीन खां पुत्र खुदाबक्स है जबकि वादी का उक्त राजस्व रिकॉर्ड में अजीम खां पुत्र खुदाबक्स होने से वादी को काफी असुविधा हो रही है। वादी के फोटो पहचान के दस्तावेजों में नाम अमीन खां पुत्र खुदाबक्स व राजस्व रिकॉर्ड में अजीम खां पुत्र खुदाबक्स होने से राजस्व रिकॉर्ड व फोटो पहचान के दस्तावेज का आपस में मिलान नहीं हो पा रहा है। फोटो पहचान के दस्तावेज व राजस्व रिकॉर्ड में नाम में अन्तर होने के कारण वादी को समस्त सरकारी सुविधाओं, डिग्गी अनुदान, एमएसपी फसल बीमा, किसान सम्मान विधि आदि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः घोषणात्मक वाद पेषकर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी के नाम का रकबा तहसील खाजूवाला चक 1 एसडब्ल्युएम बी मु0नं0 200/26 के किला नं0 6, 7, 14 ता 17 व मु0नं0 200/34 के किला नं0 2 ता 20 इसप्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 6.3225 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अजीम खां की जगह अमीन खां की घोषणा कर दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में नामान्तरण, खातेदारी, आधारकार्ड, पैनकार्ड, पासबुक की प्रति प्रस्तुत की। विरासतन नामान्तरण में प्रार्थी का नाम अमीन खां ही अंकित है। प्रार्थी के सहिस्सेदार भाई यासीन पुत्र खुदाबक्स ने शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसमें लिखा है कि प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं खाजूवाला चक 1 एसडब्ल्युएम बी मु0नं0 200/26 के किला नं0 6, 7, 14 ता 17 व मु0नं0 200/34 के किला नं0 2 ता 20 इसप्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 6. 3225 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम अजीम की जगह अमीन खां संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच अजीम नाम से विचाराधीन

हो या किसी सरकारी संस्था का अजीम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम अजीम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 34/2026

01. समीरा राम पुत्र बिषनाराम जाति मेघवाल निवासी लूण खां हाल चक 4 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–19.03.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से चक 4 केवाईडी मु0नं0 196/62 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर कमाण्ड रकबा खातेदारी शुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी के रकबा चक 4 केवाईडी मु0नं0 196/62 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम समेराराम पुत्र बिषनाराम है जो कि कम्प्यूटर लिपिकीय त्रुटि से गलत अंकन हो गया है। जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम समीरा राम पुत्र बिषनाराम है। वादी के उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गलत अंकन होने के कारण वादी उक्त रकबा से संबंधित किसी प्रकार की सरकारी योजनाएं व सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। वादी के उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नाम समेराराम पुत्र बिषनाराम अंकित है जोकि गलत नाम है। जबकि वादी का सही नाम समीरा राम पुत्र बिषनाराम है तथा वादी के समस्त फोटो पहचान के दस्तावेजो आधारकार्ड, पहचान पत्र, पैरकार्ड, जनआधार कार्ड, राषनकार्ड, बैंक पासबुक आदि सभी दस्तावेजों में वादी का नाम समीरा राम पुत्र बिष्नाराम है। वादी ने अपने नाम की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नाम समीरा राम पुत्र बिषनाराम दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी के समक्ष आवेदन किया तथा कहा कि मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे तब प्रतिवादी ने कहा कि आप नाम दुरूस्ती के लिये सक्षम न्यायालय से आदेष लेकर आओ जब तक कोई सक्षम अधिकारी का आदेष नहीं लाओगे तब तक आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त नहीं किया जायेगा। अतः वादपत्र पेषकर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी के नाम का रकबा चक 4 केवाईडी मु0नं0 196/62 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम समेराराम पुत्र बिषनाराम से दुरूस्त कर समीराराम पुत्र बिषनाराम करने की घोषणा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, पहचानपत्र, आधारकार्ड, जनआधार, पैनकार्ड, राषनकार्ड, मूलनिवास, जाति प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की। ग्राम पंचायत 5 केवाईडी तस्दीक प्रस्तुत की जिसमें लिखा है कि समीरा राम व समेराराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं खाजूवाला चक 4 केवाईडी मु0नं0 196/62 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम समेराराम की जगह समीरा राम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच समेराराम नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का समेराराम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम समेराराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई

तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 34/2026

01. समीरा राम पुत्र बिषनाराम जाति मेघवाल निवासी लूण खां हाल चक 4 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–19.03.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से चक 4 केवाईडी मु0नं0 196/62 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर कमाण्ड रकबा खातेदारी शुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी के रकबा चक 4 केवाईडी मु0नं0 196/62 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम समेराराम पुत्र बिषनाराम है जो कि कम्प्यूटर लिपिकीय त्रुटि से गलत अंकन हो गया है। जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम समीरा राम पुत्र बिषनाराम है। वादी के उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गलत अंकन होने के कारण वादी उक्त रकबा से संबंधित किसी प्रकार की सरकारी योजनाएं व सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। वादी के उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नाम समेराराम पुत्र बिषनाराम अंकित है जोकि गलत नाम है। जबकि वादी का सही नाम समीरा राम पुत्र बिषनाराम है तथा वादी के समस्त फोटो पहचान के दस्तावेजो आधारकार्ड, पहचान पत्र, पैरकार्ड, जनआधार कार्ड, राषनकार्ड, बैंक पासबुक आदि सभी दस्तावेजों में वादी का नाम समीरा राम पुत्र बिष्नाराम है। वादी ने अपने नाम की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नाम समीरा राम पुत्र बिषनाराम दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी के समक्ष आवेदन किया तथा कहा कि मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे तब प्रतिवादी ने कहा कि आप नाम दुरूस्ती के लिये सक्षम न्यायालय से आदेष लेकर आओ जब तक कोई सक्षम अधिकारी का आदेष नहीं लाओगे तब तक आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त नहीं किया जायेगा। अतः वादपत्र पेषकर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी के नाम का रकबा चक 4 केवाईडी मु0नं0 196/62 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम समेराराम पुत्र बिषनाराम से दुरूस्त कर समीराराम पुत्र बिषनाराम करने की घोषणा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, पहचानपत्र, आधारकार्ड, जनआधार, पैनकार्ड, राषनकार्ड, मूलनिवास, जाति प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की। ग्राम पंचायत 5 केवाईडी तस्दीक प्रस्तुत की जिसमें लिखा है कि समीरा राम व समेराराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं खाजूवाला चक 4 केवाईडी मु0नं0 196/62 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम समेराराम की जगह समीरा राम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच समेराराम नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का समेराराम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम समेराराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई

तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

भवानीसिंह बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट

मु.नं. एवं सन 71/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
24-03-26	प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अधिवक्ता श्री इमीचंद गोदारा द्वारा प्रस्तुत हुआ जिसे अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र का संक्षिप्त विवरण प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 1–2 एमडीएम वर्तमान चक 17 पीकेडी ए के खाता सं0 54 मु0नं0 22/46 के किला नं0 18 ता 25 में 08.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड (2.0232) विषेष आवंटन कृषि भूमि प्रार्थी भवानीसिंह पुत्र माधूदान जाति चारण निवासी बीकानेर के नाम से विषेष आवंटन श्रेणी में दिनांक 20.09. 1993 को हुआ था तथा उक्त विषेष आवंटन रकबा का कब्जा दिनांक 26.10.1993 को प्रार्थी ने प्राप्त कर लिया था। प्रार्थी के नाम उक्त कृषि भवानीसिंह पुत्र माधूदान जाति निवासी बीकानेर के नाम से अमलदरामद नामान्तकरण दर्ज शुद्धा है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भवानीसिंह NA माधोदान जाति चारण निवासी बीकानेर के राजस्व तहसील खाजूवाला चक 17 पीकेडी ए खाता सं0 54 मु0नं0 222/46 के किला नं0 18 ता 25 में 08.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड (0.0232 है0) विषेष आवंटन दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रकबा की ऑनलाईन जमाबंदी तैयार करते समय प्रार्थी का नाम भवानीसिंह NA माधोदान जाति चारण निवासी बीकानेर कर दिया जबकि पहचान के दस्तावेजों व मूल आवंटन आदेष, नामान्तकरण आदेष में ऑनलाईन राजसव रिकॉर्ड भी भवानी सिंह पुत्र माधूदान जाति चारण निवासी बीकानेर के नाम से थे। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पेषकर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भवानी सिंह NA माधोदान जाति चारण निवासी बीकानेर के स्थान पर भवानी सिंह पुत्र माधूदान जाति चारण निवासी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर दुरूस्त किये जाने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, आवंटन आदेष, चालान की प्रति प्रस्तुत की। प्रस्तुत आवंटन आदेष व नामान्तरण की प्रति में प्रार्थी का नाम भवानी सिंह पुत्र माधूदान अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।	

	पत्रावली अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत आवंटन आदेष व नामान्तकरण इत्यादि की प्रति में प्रार्थी का नाम भवानी सिंह पुत्र माधूदान अंकित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट व 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे स्वीकार किया जाता है एवं चक 17 पीकेडी ए खाता सं0 54 मु0नं0 222/46 के किला नं0 18 ता 25 में 08.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड (0.0232 है0) कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी का नाम भवानीसिंह NA माधेदान की जगह भवानी सिंह पुत्र माधूदान संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच भवानीसिंह NA माधेदान के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का भवानीसिंह NA माधेदान नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम भवानीसिंह NA माधेदान ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 2025/118

1. लिखमाराम पुत्र नारायणराम जाति नायक निवासी 2 पीबी हाल 19 बीएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थी

1. चैनाराम पुत्र छतूराम जाति मेघवाल निवासी 19 बीएलडी दन्तौर तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 17.04.26**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 19 बीएलडी मु0नं0 15/39 के किला नं0 11 में 0.2023 है0, 12 में 0.0506 है0 कुल तादादी 0.2529 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी दर्ज कागजात है जिसपर प्रार्थी काबिज काष्त है तथा उक्त रकबा खाजूवाला दन्तौर पक्की सड़क पर है और प्रार्थी उक्त भूमि पर उधोग धंधा स्थापित करने का विचार कर रहा है। चक 19 बीएलडी मु0नं0 15/39 के किला नं0 2, 9, 12, 19, 22 में खाजूवाला से दन्तौर पक्की डाकर सड़क है जो रिकॉर्ड में कटानषुदा रास्ता दर्ज कागजात नहीं है जो चालू है तथा प्रार्थी के किला नं0 12 में पूर्वी सीमा पर पक्की सड़क चल रही है इसके अलावा अन्य आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थी के पास नहीं है। रिकॉर्ड में उक्त किला नं0 2, 9, 12, 19, 22 अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है जिससे रकबा का संपरिवर्तन नहीं हो रहा है मौके पर 100 फीट रोड़ बनी हुई है लेकिन रिकॉर्ड में कटान नहीं होने से रास्ता रिकॉर्ड में दिख नहीं रहा है जिसे न्यायहित में कटान कर रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवष्यक है। जिसके लिए अप्रार्थी सं0 1 सहमत नहीं है। मौके पर 100 फीट रास्ता चल रहा है जो परंपरागत रास्ता है और राज्य सरकार ने मौके पर चल रहे परपंरागत रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कटान करने के आदेष दे रखे है जिसके लिए तहसीलदार खाजूवाला को प्रार्थी ने काफी बार निवेदन किया। लेकिन वो टालते ही गए तो थकहार कर न्यायालय की शरण में प्रार्थी आया है ताकि स्थाई न्याय मिल सके। प्रार्थी उक्त भूमि पर उधोग धंधा स्थापित करने का विचार कर रहा है लेकिन रिकॉर्ड में सड़क का कटान नहीं हाने के कारण भूमि का संपरिवर्तन नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर चक 19 बीएलडी मु0नं0 15/39 के किलानं0 2, 9, 12, 19, 22 में परंपरागत चल रही 75 फीट सड़क या केवल किला नं0 12 में पूर्वी पासे किला नं0 13 के चिपते 9–9 बिस्वा यानी 75 फीट चल रही सड़क का रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता मुताबिक नजरी नक्शा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी सं0 1 बावजूद नोटिस भिजवाने के गैरहाजिर। अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीदार खाजूवाला के पत्रांक/राजस्व/2025/323 दिनांक 20.11.25 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार हल्का पटवारी दंतौर की रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड चक 19 बीएलडी के मु0नं0 15/39 कि0नं0 1,10,11,20,21 के प्रत्येक में 0.0506 है0 व कि0 नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 0.0253 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। मु0नं0 15/39 के कि0नं0 16 ता 19 में 1.0116 है0, 20/1 में 0.2023 है0, 21/1 में 0.1770 है0, 22/2 में 0.2276 है0, 23/2 में 0.2276 है0, 24/1 में 0.2276 है0, 25/2 में 0.2276 है0 कुल 2.3013 है0 अ.क. रकबा अराजीराज दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त अराजीराज रकबे पर स्थगन राजस्व मण्डल का नोट अंकित है। मुताबिक रिकॉर्ड चक 19 बीएलडी मु0नं0 15/39 कि0नं0 1/2 में 2023 है0, 10/2 में 0.2023 है0 कुल 0.4046 है. मनोज कुमार पुत्र बहादुरचन्द जाति चितलांगिया निवासी 19 बीएलडी खातेदार व मु0नं0 15/39 में कि0नं0 11/2 में 0.2023 है0, 12/1 में 0.0506 है0 कुल 0.2529 है0 लिखमाराम पुत्र नारायणराम जाति नायक सा0 2 पीबीएम तहसील खाजूवाला खातेदार व मु0नं0 15/39 कि0नं0 12/2 में 0.2023 है0, 13 ता 15 में 0.7587 कुल 0.9610 है0 चैनाराम पुत्र छतूराम जाति मेघवाल सा0 19 बीएलडी तह0 खाजूवाला खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। चक 19 बीएलडी के मु0नं0

15/39 के कि0नं0 1, 10, 11, 20, 21 में खाजूवाला से दंतौर डामर सड़क बनी हुई है। डामर सड़क का रिकॉर्ड में अंकन नहीं है। उक्त डामर सड़क का पीडब्ल्यूडी विभाग से नोटिफिकेशन प्राप्त कर आगामी कार्यवाही की जानी उचित है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए व धारा 151 सीपीसी के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व **राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 में समस्या सं0 1 समाधान में लिखा है कि "राज्य में अनेक स्थायी रास्ते राजकीय और/व निजी भूमियों में से चालू है किंतु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है। स्थायी सार्वजनिक रास्ते वे हैं जो बारहमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध हैं। ऐसे रास्तों का राजस्व में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, एवं 86 के प्रावधानुसार किया जावेगा।**

यहाँ पक्षकार को इस निमित नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रति समन द्वारा दी जायेगी। इस रिपोर्ट पर निरीक्षण कर गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। निरीक्षण भू– अभिलेख नियम के मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा। तहसीलदार रास्ते के अंकन हेतु प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो उस पर आदेश देंगे। उपखण्ड अधिकारी के आदेश पर नामान्तरण के जरिये रास्तों का अंकन लाल स्याही से किया जायेगा। प्रार्थना पत्रों की बहुलताजन्य जटिलता निवारण हेतु यह उचित रहेगा कि एक गांव हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे। राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबन्दी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी " के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है। चूंकि प्रस्तुत नक्शा अनुसार किला नं0 12 में सड़क चलायमान है। अतः चक 19 बीएलडी मु0नं0 15/39 के किला नं0 12 में पूर्वी पासे किला नं0 13 के चिपते 9–9 बिस्वा यानी 75 फीट चल रही सड़क का रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज के आदेश किये जाते है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद की कार्यवाही सुनिशिचत करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

अतः तहसीलदार खाजूवला की रिपोर्ट नजरी–नक्शा के आधार पर व राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

इन्द्राज बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट

मु.नं. एवं सन 79/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
07-04-26	प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल, श्री सीताराम तेतरवाल द्वारा प्रस्तुत हुआ जिसे अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र का संक्षिप्त विवरण प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 5 केएलडी (सीएडी) तहसील खाजूवाला के खाता सं0 6 मु0नं0 236/38 के किला नं0 6 ता 10 प्रत्येक में 0.2529 है0 तादादी 1.2645 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि व वाके चक 5 केएलडी सीएडी तहसील खाजूवाला के खाता संख्या 66 का मु.नं. 236/38 के किला नं. 11 व 12 प्रत्येक में 0.2529 है., 13/1 में 0.1265 है. तादादी 0.6323 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि इस प्रकार दोनों मुरब्बों में कुल तादादी 1.8968 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रार्थी निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के नाम से वाके चक 5 केएलडी सीएडी तहसील खाजूवाला के खाता संख्या 6 का मुरब्बा नं. 236/38 के किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक	

	में 0.2529 है0 तादादी 1.2645 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में हल्का पटवारी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 बनाते समय लिपिकिय त्रुटि एवं सहवन से प्रार्थी का नाम इन्द्राज की जगह इन्द्रराज दर्ज कर दिया गया व खाता संख्या 66 के मुरब्बा नं. 236/38 के किला नं. 11 व 12 प्रत्येक में 0.2529 है., 13/1 में 0.1265 है. तादादी 0.6323 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में हल्का पटवारी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 बनाते समय लिपिकिय त्रुटि एवं सहवन से प्रार्थी का नाम इन्द्रात पुत्र फुसाराम की जगह इन्द्राज पुत्र तुलछी देवी पत्नी फूसाराम कर दिया, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त रकबा पर प्रार्थी का कब्जा लगातार आज दिन तक निर्बाध रूप से चला आ रहा है इस प्रकार उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फूसाराम दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थी के उपरोक्त रकबा चक 5 केएलडी सीएडी तहसील खाजूवाला के खाता संख्या 6 का मु.नं. 236/38 के किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक में 0.2529 है. तादादी 1.2645 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में प्रार्थी का नाम इन्द्राज की जगह इन्द्राज व खाता संख्या 66 के मुरब्बा नं. 236/38 के किला नं. 11 व 12 प्रत्येक में 0.2529 है., 13/1 में 0.1265 है. तादादी 0.6323 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र तुलछी देवी पत्नी फूसाराम की जगह प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फूसाराम दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के नाम का रकबा चक 5 केएलडी सीएडी तहसील खाजूवाला के खाता सं. 6 का मु.नं. 236/38 के किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक में 0. 2529 है. तादादी 1.2645 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में प्रार्थी का नाम इन्द्राज की जगह इन्द्राज व खाता संख्या 6 का मु.नं. 236/38 के किला नं. 11 व 12 प्रत्येक में 0.2529 है., 13/1 में 0.1265 है. 0. 1265 है. तादादी 0.6323 है. कमाण्ड भूमि में प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र तुलछी देवी पत्नी फूसाराम की जगह प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फूसाराम अंकन करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, बैयनामा, पैन कार्ड, पहचान पत्र, नामान्तकरण सं. 2 की प्रति प्रस्तुत की। प्रस्तुत बैयनामा व नामान्तरण की प्रति में प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फुसाराम अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है। पत्रावली अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत बैयनामा व नामान्तकरण इत्यादि की प्रति में प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फुसाराम अंकित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट व 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे स्वीकार किया जाता है एवं चक 5 केएलडी सीएडी तहसील खाजूवाला के खाता सं. 6 का मु.नं. 236/38 के किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक में 0.2529 है. तादादी 1.2645 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में प्रार्थी का नाम इन्द्राज की जगह इन्द्राज व खाता संख्या 6 का मु.नं. 236/38 के किला नं. 11 व 12 प्रत्येक में 0.2529 है., 13/1 में 0. 1265 है. 0.1265 है. तादादी 0.6323 है. कमाण्ड भूमि के राजस्व	

	रिकार्ड में प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र तुलछी देवी पत्नी फूसाराम की जगह इन्द्राज पुत्र फूसाराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच इन्द्रराज व इन्द्राज पुत्र तुलछी पत्नी फूसाराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का इन्द्रराज व इन्द्राज पुत्र तुलछी देवी पत्नी फूसाराम नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम इन्द्रराज व इन्द्राज पुत्र तुलछी देवी पत्नी फूसाराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 74/2026

01. गोविन्दराम पुत्र साजनराम जाति सांसी निवासी वार्ड नं. 05, चक 5 पी.एच.एम. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–07.04.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से चक 5 पी.एच.एम. ए के मुरब्बा नं. 119/34 में कुल 6.3225 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि में से 1/11 का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड में जरिये विरासतन दर्ज है। उक्त कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल कराते समय सहवन से मुझ प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में गोविन्द राम ही अंकित है। वादी अपने रकबा पटवारी हल्का के पास दस्तावेज बनवाने गया तो पटवारी हल्का ने कहा कि राजस्व रिकार्ड में गोमदराम नाम अंकित है जबकि मेरे समस्त दस्तावेज 10, 12 वी अंकतालिका व आधारकार्ड में गोविन्दराम अंकित है। वादी ने जानबूझकर अपने नाम का गलत अंकन नहीं करवाया, लिपिकिय त्रुटिवंश गोमदरात अंकन हो गया जिसके लिये वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध करवाना चाहता है। वादी अपने उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर गोमदराम की जगह गोविन्दराम की घोषणा व दुरूस्ती करवाना चाहता है। अतः घोषणात्मक वाद पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी के नाम का रकबा तहसील खाजूवाला का चक नं. 5 पी.एच.एम ए के मुरब्बा नं. 119/34 में कुल 6.3225 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि के 1/11 वा हिस्से गोमदराम की जगह गोविन्द राम की घोषणा कर दुरूस्त कर अंकन करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, 10 वी. कक्षा

मार्कशीट, 12 वीं कक्षा की मार्कशीट की प्रति व पुत्री/सहखातेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत की। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 5 पी.एच.एम. ए के मु0नं0 119/34 में कुल 6.3225 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि में से 1/11 वां हिस्सा के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम गोमदराम की जगह गोविन्दराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच गोमदराम नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का गोमदराम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम गोमदराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 07.04.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 77/2026

01. मोहरसिंह पुत्र श्री भादरराम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू हाल 4 पीकेएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :–09.04.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी/प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 3 एम.डी.एम. वर्तमान चक 4 पी.के.एम. के खाता संख्या 18 मुरब्बा नं. 185/1 के किला नं. 14 ता 18, 23 ता 25 में 8.00 बीघा कमाण्ड (2.0232 हैक्टेयर) व मुरब्बा नम्बर 185/9 के किला नं. 1 ता 2, 8 ता 12, 17, 20 ता 24 में कुल 13.00 बीघा (3.2877 हैक्टेयर) कमाण्ड/अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 21.00 बीघा (5.3109 हैक्टेयर) कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रार्थी के नाम मोहर सिंह पुत्र भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के भूमिहीन (पु.आ.) आवंटन हुई थी जिसका अमलदरामद मोहरसिंह पुत्र श्री भादर राम हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू भूमिहीन (पु.आ.) के नाम से राजस्व रिकार्ड में आवंटन हुआ था। उक्त आवंटन शुदा कृषि भूमि की सैल रजि. के खाता मुताबिक किस्त पेटे बकाया राशि जमा करवाकर उक्त कृषि भूमि की खातेदारी सनद पुस्तक संख्या 71 क्रम संख्या 21 दिनांक 02.03.2015 को जारी करवाकर नामान्तकरण संख्या 63 दिनांक 14.03.2015 को स्वीकृत करवा लिया था। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मेहरसिंह पुत्र श्री भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 4 पी.के.एम. के खाता संख्या 18 मुरब्बा नं. 185/1 के किला नं. 14 ता 18, 23 ता 25 में 8.00 बीघा कमाण्ड (2.0232 हैक्टेयर) व मुरब्बा नम्बर 185/9 के किला नं. 1 ता 2, 8 ता 12, 17, 20 ता 24 में कुल 13.00 बीघा (3.2877 हैक्टेयर) कमाण्ड/अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 21.00 बीघा (5.3109 हैक्टेयर) कमाण्ड/अनकमाण्ड

खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अधिनस्थ न्यायालय ने आधार जमाबन्दी से आनलाईन जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से मोहरसिंह पुत्र श्री भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के स्थान पर मेहरसिंह पुत्र श्री भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू कर दिया था, और आनलाईन जमाबन्दी अनुसार ही खातेदारी सनद जारी हो गई थी तथा खातेदारी नामान्तकरण संख्या 63 दिनांक 14.03. 2015 को भरते समय भी प्रार्थी का नाम मोहरसिंह पुत्र भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के स्थान पर मेहरसिंह पुत्र भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू कर दिया जबकि पहचान के दस्तावेजों व मुल आवंटन आदेश में मोहरसिंह पुत्र श्री भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के नाम से थे तथा खातेदारी सनद का नामान्तरण भी मोहरसिंह पुत्र श्री भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के नाम से भरकर स्वीकृत करना चाहिए था, इसलिए सहवन से दर्ज प्रार्थी का नाम मेहरसिंह पुत्र भादरराम हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के स्थान पर मोहर सिंह पुत्र भादरराम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू दुरूस्त करने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पहले संलग्न पहचान के दस्तावेजों परिचय पत्र, मुल निवास व अन्य दस्तावेजों व मुल आवंटन आदेश का अवलोकन नहीं किया गया इसलिए राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहवन से प्रार्थी का नाम मेहरसिंह पुत्र श्री भादरराम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के स्थान पर मोहरसिंह पुत्र भादरराम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू अधिनस्थ न्यायालय दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को कृषि भूमि से संबंधित कागजी कार्यवाही फार्मर आईडी व सरकारी सुविधा के रूप में मिलने वाले लाभ प्राप्त करने में काफी दिक्कतो व परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा इससे प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान हो सकता है। प्रार्थी के आवंटन आदेश एवं अन्य समस्त पहचान के दस्तावेजो जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, मुल निवास, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि में भी प्रार्थी का नाम मोहर सिंह पुत्र श्री भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू अंकित है, जो कि सही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 एल. आर. एक्ट व 88 आर.टी. एक्ट सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार का नाम मेहरसिंह पुत्र भादरराम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के स्थान पर मोहर सिंह पुत्र भादरराम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमानें का निवेदन किया हैं।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, आवंटन पत्रावली की प्रति प्रस्तुत की। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 3 एम.डी.एम. वर्तमान चक 4 पी.के.एम. के खाता संख्या 18 मुरब्बा नं. 185/1 के किला नं. 14 ता 18, 23 ता 25 में 8.00 बीघा कमाण्ड (2.0232 हैक्टेयर) व मुरब्बा नम्बर 185/9 के किला नं. 1 ता 2, 8 ता 12, 17, 20 ता 24 में कुल 13. 00 बीघा (3.2877 हैक्टेयर) कमाण्ड/अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 21.00 बीघा (5.3109 हैक्टेयर) कमाण्ड/अनकमाण्ड के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम मेहर सिंह पुत्र भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के स्थान पर मोहरसिंह पुत्र भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू में वादी/प्रार्थी का नाम मेहरसिंह की जगह मोहरसिंह संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी

न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच मेहरसिंह नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का मेहरसिंह से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम मेहरसिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 09.04.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 75/2026

01. रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल जाति रंगा (ब्राहम्ण) निवासी 23 के.वाई.डी. (ए) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट व सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक :–09.04.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी/प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 23 के.वाई.डी. ए के खाता संख्या 28 मुरब्बा नं. 79/60 के किला नं. 1 ता 25 में 24.10 बीघा कमाण्ड कुल 6.1960 हैक्टेयर खातेदार कृषि भूमि प्रार्थी के नाम रमेश पुत्र श्री शंकर लाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के विरास्तन नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 25.04.1994 व वसीयत नामान्तकरण संख्या 176 दिनांक 18.03.2016 को खातेदार स्वीकृत हुआ। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त कृषि भूमि खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/ वादी का नाम रमेश कुमार पुत्र श्री शंकर लाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के राजस्व तहसील खाजूवाला चक 23 के.वाई.डी. ए के खाता संख्या 28 मुरब्बा नं. 79/60 के किला नं. 1 ता 25 में 24.10 बीघा कमाण्ड (6.1960 हैक्टेयर) खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अधिनस्थ न्यायालय ने विरास्तन नामान्तकरण सख्यां 68 दिनांक 25.04.1994 व वसीयत नामान्तरण संख्या 176 दिनांक 18.03.2016 को भरते समय प्रार्थी का नाम रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के स्थान पर रमेश पुत्र श्री शंकर लाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर कर दिया जबकि पहचान के दस्तावेजो व विरास्तन दस्तावेज, मुल वसियत नामान्तकरण आदेश में रमेश कुमार

रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के नाम से भरकर स्वीकृत करना चाहिए था, इसलिए सहवन से दर्ज प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम रमेश कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के स्थान पर रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर दुरूस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पहले संलग्न पहचान के दस्तावेज परिचय पत्र, मुल निवास व अन्य दस्तावेजों व वसियत आदेश का अवलोकन ही नहीं किया, इसलिए राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहवन से प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम रमेश पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के स्थान पर रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर अधिनस्थ न्यायालय दुरूस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी का व प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को कृषि भूमि से संबंधित कागजी कार्यवाही फार्मर आईडी व सरकारी सुविधा के रूप में मिलने वाले लाभ प्राप्त करने में काफी दिक्कतो व परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा इससे प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान हो सकता है। प्रार्थी के विरास्तन व मुल वसियत एवं अन्य समस्त पहचान के दस्तावेजो जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मुल निवास, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि में भी प्रार्थी का नाम रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकरलाल रंगा अंकित है, जो कि सही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 एल. आर. एक्ट व 88 आर.टी. एक्ट सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार का नाम रमेश पुत्र श्री शंकरलाल के स्थान पर रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमानें का निवेदन किया हैं।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट, जमाबन्दी, विरास्तन नामन्तरकरण संख्या 68, वसियत ना.सं. 176 ,आधारकार्ड, पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत की। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड ऑनलाईन जमाबन्दी के चक 23 के.वाई.डी. ए का मु.नं. 79/60 का किला नं. 1 ता 25 का कुल रकबा 6.1960 है0 खाता संख्या 28 रमेश पुत्र शंकरलाल हि0पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 25 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी के नामा. सं. 176 की वसीयत के अनुसार रमेश पुत्र शंकरलाल दर्ज है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार रमेश कुमार रंगा करवाना चाहता है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 23 के.वाई.डी. ए के खाता संख्या 28 मुरब्बा नं. 79/60 के किला नं. 1 ता 25 में 24.10 बीघा कमाण्ड (6.1960 हैक्टेयर) खातेदार कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/वादी का व वादी के पिता का नाम रमेश पुत्र श्री शंकर लाल की जगह रमेश कुमार रंगा पुत्र शंकरलाल रंगा संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच रमेश पुत्र श्री शंकरलाल नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का रमेश पुत्र शंकरलाल से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी/वादी का व वादी के पिता का नाम रमेश पुत्र श्री शंकरलाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया

गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 09.04.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 2024/104

01. मालाराम पुत्र श्री जुगराम जाति ब्राह्मण निवासी सेराऊ हाल चक 17 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

.....प्रार्थी

01. हनुमानराम पुत्र श्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी जोलियांवाली तहसील व जिला जोधपुर हाल चक 17 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
02. श्रवण कुमार पुत्र श्री हेतराम जाति बिश्नोई निवासी चक 24 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
03. चन्दकला पुत्री लिच्छी राम जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर हाल चक 14 बी.डी. आबादी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
04. रामलाल पुत्र लिच्छी राम जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर हाल चक 14 बी.डी. आबादी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
05. विद्यादेवी लिच्छी राम जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर हाल चक 14 बी.डी. आबादी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
06. शेलेंदर पुत्र लिच्छी राम जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर हाल चक 14 बी. डी. आबादी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
07. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
–: निर्णय :– **दिनांक :–17.04.26**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक नं. 17 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 93/63 के किला नं. 16 ता 25 में कुल 2.2889 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के नाम से एक अन्य भूमि जो की राजस्व तहसील खाजूवाला का चक नं. 15 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 113/23 के किला नं. 1 ता 25 में कुल 6.1330 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी के राजस्व तहसील खाजूवाला के

चक नं. 93/63 की उक्त भूमि में कृषि डिग्गी बनी हुई है। उक्त डिग्गी से प्रार्थी अपनी भूमि चक 17 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 93/63 की भूमि व चक 15 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 113/23 की भूमि को सिंचित करता है व वर्तमान में मूंग व ग्वार की फसल का बिजान कर रखा है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि चक 15 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 113/23 की भूमि को सिंचित करने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की भूमि में से पाईप लाईन बिछानी पड़ती है व अप्रार्थीगण को असुविधा होने पर बार बार प्रार्थी को पाईप लाईन उठानी पड़ती है, जिससे प्रार्थी को भी बार बार परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 17 बी.डी. ए के मुरब्बा नं. 113/07 के किला नं. 1 ता 20 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है., 21/2, 22/2, 23/1, 24/1, 25/1 प्रत्येक में 0.2150–0.2150 है. कुल 6.1330 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक नं. 17 बी.डी. ए के मुरब्बा नं. 113/15 के किला नं. 5, 6, 14 ता 18 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 हैक्टेयर, 23/1, 24/2, 25/2 प्रत्येक में 0.2150–0.2150 है. कुल 2.4153 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि व अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक नं. 17 बी.डी. ए के मुरब्बा नं. 113/15 के किला नं. 7 ता 9 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है., 10/2 में 0.2276 है., 11/1 में 0.2276 है., 12 में 0.2529 है., 13 में 0.2529 है., 19 में 0.2529 है., 20/1 में 0.2276 है., 21/2 में 0.1897 है., 22 में 0.2150 है. कुल 2.6849 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का 1/4–1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी अपनी भूमि चक 17 बी.डी. बी में बनी कृषि डिग्गी से चक 15 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 113/23 में भूमिगत पाईप स्वीकृत करवाना चाहता हैं। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक 17 बी.डी. ए के मुरब्बा नं. 113/7 में कटानशुदा रास्ता किला नं. 21 ता 25 से चिपते हुए अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 की भूमि चक 17 बी.डी. ए के मुरब्बा नं. 113/15 के किला नं. 21, 22 कटानशुदा रास्ता किला नं. 21 ता 25 से चिपते हुए अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 की भूमि चक 17 बी.डी. ए के मुरब्बा नं. 113/15 के किला नं. 21, 22 कटानशुदा रास्ते के चिपते हुए अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि चक 17 बी.डी. ए के मुरब्बा नं. 113/15 के किला नं. 23 ता 25 कटानशुदा रास्ते के चिपते हुए प्रार्थी की भूमि चक 15 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 113/23 के किला नं. 21 से चिपता हैं। प्रार्थी को चक 17 बी.डी. ए के मुरब्बा नं. 113/07 व 113/15 के कटानशुदा रास्ते के चिपते 4 ईंच मोटी भूमिगत पाईप लाईन स्वीकृत की जाती हैं तो प्रार्थी को चक 15 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 113/23 की भूमि को सिंचित व पेयजल की व्यवस्था होने पर प्रार्थी को व राज्य सरकार को आबियाना में इजाफा होगा। प्रार्थी द्वारा चक 17 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 93/63 से चक 15 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 113/23 में अस्थाई पाईप लाईन लगाने से अप्रार्थीगण व प्रार्थी के बीच में बार बार विवाद होता हैं, इसलिए प्रार्थी की भूमि के लिये भूमिगत पाईप लाईन स्वीकृत की जाती है तो वाद विवाद से छुटकारा पाया जा सकता हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क व राजस्थान सरकार की यही मंशा है कि प्रत्येक जोत सिंचित हो व कोई अधिभारी अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिये किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर पाईप लाईन बिछाना चाहता है। प्रार्थी को उक्त पाईप लाईन स्वीकृत की जाती है तो प्रार्थी पाईप लाईन को कम से कम 3 फीट भूमिगत करते हुए अपने स्वयं के खर्चा से डालेगा, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को किसी भी प्रकार का उज्र व ऐतराज नहीं होगा इसलिए प्रार्थी उपरोक्त पाईप लाईन स्वीकृत करवाने का अधिकारी है, जिसमें अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए चक 17 बी.डी. ए के मुरब्बा नं.113/7 व 113/15 के किला नं. 21 ता 25 कटानशुदा रास्ते के चिपते भूमिगत लाईन स्वीकृत करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थीगण को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थीगण गैरहाजिर होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 ता 6 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीदार खाजूवाला के पत्रांक/भू.अ./2025/146 दिनांक 20.01.2026 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार हल्का पटवारी 14 बी.डी. की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड आनलाईन जमाबन्दी के अनुसार चक 17 बी.डी. बी के मुरब्बा नं. 93/63 के किला नं. 16 ता 25 में कुल 2.2889 है. कृषि भूमि प्रार्थी मालाराम पुत्र जुगराम जाति ब्राह्मण सा0 सेराऊ तहसील रतनगढ़ पुख्ता आवंटी खातेदार के नाम दर्ज है। इसी प्रार्थी के नाम से चक 15 बी.डी. बी के मु.नं. 113/23 के किला नं. 1 ता 25 में कुल 6.1330 है0 कृषि भूमि दर्ज है। प्रार्थी मु.नं. 93/63 में बनी डिग्गी से मु.नं. 113/23 में पाईपलाईन द्वारा सिंचाई करना चाहता हैं। चक 17 बी.डी. ए के मु.नं. 113/7 में किला नं. 1 ता 25 कुल 6.1330 है0 भूमि हनुमानराम पुत्र मालाराम जाति मेघवाल सा. जोलियावाली तहसील व जिला जोधपुर के नाम दर्ज है एवं मु0नं0 113/15 के किला नं. 7 ता 13, 19 ता 22 में कुल 2.6049 है0 भूमि विधा देवी पत्नी लिच्छी राम, चन्द्रकला, रामलाल, शैलेन्द्र पुत्र–पुत्री लिच्छी राम जाति जाट सा0 ठाकरी तहसील रायसिंहनगर के नाम दर्ज है। इसी मु.नं. 113/15 के किला नं. 5,6,14 ता 18 , 23 ता 25 कुल 2.4153 है. भूमि श्रवण कुमार पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई सा0 24 बी0बी. तहसील पदमपुर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर स्थगन आदि का नोट अंकित नहीं

है। प्रार्थी मु.नं. 93/63 से मु.नं. 113/7,15 के किला नं. 21 ता 25 सड़क/रास्ता के चिपते हुए भूमिगत पाईप लाईन डालकर मु.नं. 113/23 में ले जाना चाहता है। रास्ते के पास वर्तमान में कोई निमार्ण आदि नहीं है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए व धारा 151 सीपीसी के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमिगत पाईपलाइन नियमानुसार भूमि से 3 फीट नीचे नियमानुसार पाईपलाईन बिछाने की अनुमति दी जाती है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह अप्रार्थीगण की भूमि को पुनः उसी स्वरूप में सही करें जैसी पाईपलाईन बिछाने से पूर्व थी। तहसीलदार खाजूवाला को आदेशित किया जाता है कि यदि अप्रार्थीगण उक्त पाइपलाईन बिछाने हेतु सीमांकित या दर्शित लाईन नहीं देता है तो आप निकटतम रूट से पाईपलाईन बिछाने हेतु नियमानुसार सीमांकित करते हुवे, न्यायालय हाजा के आदेश की नियमानुसार पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 2026/79

01. इन्द्राज पुत्र फुसाराम जाति बिश्नोई निवासी 3 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....अप्राथी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट .
निर्णय दिनांक :—16.04.26

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल, श्री सीताराम तेतरवाल द्वारा प्रस्तुत हुआ जिसे अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र का संक्षिप्त विवरण प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 5 केएलडी (सीएडी) तहसील खाजूवाला के खाता सं0 6 मु0नं0 236/38 के किला नं0 6 ता 10 प्रत्येक में 0.2529 है0 तादादी 1.2645 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि व वाके चक 5 केएलडी सीएडी तहसील खाजूवाला के खाता संख्या 66 का मु.नं. 236/38 के किला नं. 11 व 12 प्रत्येक में 0.2529 है., 13/1 में 0.1265 है. तादादी 0.6323 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि इस प्रकार दोनों मुरब्बों में कुल तादादी 1.8968 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रार्थी निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के नाम से वाके चक 5 केएलडी सीएडी तहसील खाजूवाला के खाता संख्या 6 का मुरब्बा नं. 236/38 के किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक में 0.2529 है0 तादादी 1.2645 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में हल्का पटवारी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 बनाते समय लिपिकिय त्रुटि एवं सहवन से प्रार्थी का नाम इन्द्राज की जगह इन्द्रराज दर्ज कर दिया गया व खाता संख्या 66 के मुरब्बा नं. 236/38 के किला नं. 11 व 12 प्रत्येक में 0.2529 है., 13/1 में 0. 1265 है. तादादी 0.6323 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में हल्का पटवारी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 बनाते समय लिपिकिय त्रुटि एवं सहवन से प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फुसाराम की जगह इन्द्राज पुत्र तुलछी देवी पत्नी फूसाराम कर दिया, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त रकबा पर प्रार्थी का कब्जा लगातार आज दिन तक निर्बाध रूप से चला आ रहा है इस प्रकार उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फूसाराम दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थी के उपरोक्त रकबा चक 5 केएलडी सीएडी तहसील खाजूवाला के खाता संख्या 6 का मु.नं. 236/38 के किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक में 0.2529 है. तादादी 1.2645 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में प्रार्थी का नाम इन्दप्राज की जगह इन्द्राज व खाता संख्या 66 के मुरब्बा नं. 236/38 के किला नं. 11 व 12 प्रत्येक में 0.2529 है., 13/1 में 0.1265 है. तादादी 0.6323 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र तुलछी देवी पत्नी फूसाराम की जगह प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फूसाराम दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के नाम का रकबा चक 5 केएलडी सीएडी तहसील खाजूवाला के खाता सं. 6 का मु.नं. 236/38 के किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक में 0.2529 है. तादादी 1.2645 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में प्रार्थी का नाम इन्द्रराज की जगह इन्द्राज व खाता संख्या 66 का मु.नं.

236/38 के किला नं. 11 व 12 प्रत्येक में 0.2529 है., 13/1 में 0.1265 है. 0.1265 है. तादादी 0.6323 है. कमाण्ड भूमि में प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र तुलछी देवी पत्नी फूसाराम की जगह प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फूसाराम अंकन करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, बैयनामा, पैन कार्ड, पहचान पत्र, नामान्तकरण सं. 2 की प्रति प्रस्तुत की। प्रस्तुत बैयनामा व नामान्तरण की प्रति में प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फुसाराम अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत बैयनामा व नामान्तकरण इत्यादि की प्रति में प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फुसाराम अंकित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट व 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे स्वीकार किया जाता है एवं चक 5 केएलडी सीएडी तहसील खाजूवाला के खाता सं. 6 का मु.नं. 236/38 के किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक में 0.2529 है. तादादी 1.2645 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में प्रार्थी का नाम इन्द्रराज की जगह इन्द्राज व खाता संख्या 66 का मु.नं. 236/38 के किला नं. 11 व 12 प्रत्येक में 0.2529 है., 13/1 में 0.1265 है. 0.1265 है. तादादी 0.6323 है. कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र तुलछी देवी पत्नी फूसाराम की जगह इन्द्राज पुत्र फूसाराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त का आदेश किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच इन्द्रराज व इन्द्राज पुत्र तुलछी पत्नी फूसाराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का इन्द्रराज व इन्द्राज पुत्र तुलछी देवी पत्नी फूसाराम नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम इन्द्रराज व इन्द्राज पुत्र तुलछी देवी पत्नी फूसाराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 81/2026

01. अब्दूल खां पुत्र साहू खां जाति मुसलमान निवासी लूणखां हाल चक 7 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–17.04.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी व वादी के सहिस्सेदारान के नाम से चक 7 केएलडी के मु0नं0 18/10 के किलानं0 11 ता 20 में कुल 2.4532 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबा में वादी व वादी के सहिस्सेदारान को जरिये विरासतन/हकत्याग प्राप्त हुई है। वादी व वादी का परिवार ज्यादा पढा लिखा नहीं है। वादी व वादी के परिवार के नाम भूमि दर्ज विरासतन करते समय सहवन से वादी का नाम अधूरा अब्दू खां राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जबकि वादी का पूरा नाम अब्दूल खां है। वादी की उक्त भूमि विरासतन व हकत्याग का नामान्तरण दर्ज होने के बाद वादी द्वारा अपनी उक्त भूमि का खाता विभाजन व केसीसी के लिए राजस्व रिकॉर्ड पटवारी से लिया गया तो जानकारी में आया की उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अधूरा अब्दू खां दर्ज है। इसलिए ना तो वादी की उक्त भूमि का खाता विभाजन हो रहा है और ना ही उक्त भूमि पर केसीसी व अन्य राज्य सरकार व केन्द्र के राजस्व रिकॉर्ड में पहचान के दस्तावेजों के आधार पर घोषणात्मक दुरूस्ती करवाने के विधिक अधिकारी है। वादी अपने उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अब्दू खां की बजाय अब्दूल खां की घोषणा करवाकर दुरूस्त करवाना चाहता है। जिसका वादी विधिक अधिकारी है। अतः घोषणात्मक वादी पेशकर निवेदन किया है कि वादी के नाम से चक 7 केएलडी मु0नं0 18/10 के किला नं0 11 ता 20 में कुल 2.4532 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि में वादी के हिस्से आई 1/3 हिस्सा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अब्दू खां के बजाय अब्दूल खां की घोषणा कर दुरूस्त कर अंकन करने के आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, राशनकार्ड की प्रति व सहिस्सेदार मुमताज खां पुत्र साहू खां का शपथपत्र प्रस्तुत जिसके अनुसार अब्दू खां सहवन से उक्त भूमि में दर्ज हो गया था। अब्दू खां ही अब्दूल खां है। कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। अगर कोई अन्य व्यक्ति पाया जाता है तो तमाम जिम्मेदारी मुझ मिकर की होगी। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अब्दू खां से अब्दूल खां किया जाता है तो मेरी पूर्ण सहमती है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 7 केएलडी मु0नं0 18/10 के किला नं0 11 ता 20 में कुल 2.4532 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/वादी का नाम अब्दू खां की

जगह अब्दूल खां संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच अब्दू खां नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का अब्दू खां से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी/वादी का नाम अब्दू खां ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 17.04.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 25/2026

1. नरमजीत कौर पत्नी करनैल सिंह पुत्री गुरबक्स सिंह जाति मजहबी निवासी सलेमपुरा खोखरावाली तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

.....अपीलान्ट

बनाम

01. जगतारसिंह पुत्र भागसिंह जाति मजहबी निवासी 11 एच तहसील करणपुर नत्थूराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी 23 केवाईडी तहः खाजूवाला
02. मुख्त्यार कौर पुत्री भागसिंह जाति मजहबी निवासी चक 11 एच तहसील करणपुर हाल चक 26 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
03. लिला सिंह पुत्र भागसिंह जाति मजहबी निवासी चक 11 एच तहसील करणपुर हाल चक 26 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
04. सुखदेव कौर पुत्री भागसिंह जाति मजहबी निवासी चक 11 एच तहसील करणपुर हाल चक 26 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
05. ग्राम पंचायत 25 केवाईडी जरिये सरपंच पंचायत समिति खाजूवाला जिला बीकानेर
06. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

.... रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 17.04.26**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री विजयकुमार अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि अपीलांट के नाना भागसिंह पुत्र माणकसिंह जाति मजहबी निवासी 11 एच तहसील करणपुर पुख्ता आवंटी आवंटन हुई थी। विवादित भूमि चक 26 केवाईडी में मु0नं0 59/49 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 22.00 बीघा कमाण्ड 5.5640 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट के पिता के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। अपीलांट की माता मिल्खों व पिता गुरबक्स सिंह का अपीलांट की बचपन में देहान्त हो गया था। अपीलांट के नाना का देहान्त दिनांक 11.12.1980 को हो गया था। विवादित भूमि का विरासतन नामान्तरण अपीलांट की माता के वारिसान को छोड़कर रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 4 के नाम विरासतन नामान्तरण रिकॉर्ड दर्ज हो गया। अपीलांट के नाना भागसिंह के देहान्त हो जाने के बाद निम्न जायज वारिसान हैः– जगतारसिंह (पुत्र), मुख्त्यार कौर (पुत्री), लिला सिंह (पुत्र), सुखदेव कौर (पुत्री), मिल्खों (पुत्री फौत) एवं मिल्खों के निम्न जायज वारिस हैः– नरमजीत कौर (पुत्री) है। अपीलांट के नाना की आवंटित भूमि अपीलांट के नाना के देहान्त पश्चात रेस्पोडेन्ट के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर विरासतन नामान्तरण दर्ज रिकॉर्ड हुई। विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त है। उपरोक्त भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया लेकिन अपीलांट को विरासतन नामान्तरण दर्ज करने बाबत् ना तो कोई नोटिस मिला ना इसकी जांच की गई, स्व. भागसिंह पुत्र माणकसिंह कितने वारिस है बिना जांच किये पीठ पीछे निर्णय दिया गया इसलिए विरासतन नामान्तरण सं0 259 दिनांक 24.06.25 को निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट भागसिंह की दोहिती है व हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत अपीलांट भी उपरोक्त भूमि में वारिस होने के कारण हकदार है। दिनांक 24.06.25 को आदेश एकपक्षीय व पीठ पीछे दिया गया इस आदेश की जानकारी अपीलांट को नहीं थी व ग्राम पंचायत 25 केवाईडी के सरपंच द्वारा उक्त विरासतन ईन्तकाल को पूर्ण जानकारी होते हुए भी विरासतन नामान्तरण स्वीकार कर दिया जो कि खारिज योग्य है। रेस्पो0 सं0 1 व 3 बहुत ही शातिर व्यक्ति है जो अपीलांट के विरासतन नामान्तरण सं0 259 दिनांक 24.06.25 से वंचित रखकर विरासतन नामान्तरण दर्ज करवा लिया है। अपीलांट उक्त भूमि का फर्द खाता लेने के लिए हल्का पटवारी के पास गई तो हल्का पटवारी ने अपीलांट को बताया की आपकी माता के नाम हिस्से आई भूमि आपके नाम से कभी विरासतन दर्ज नहीं हुई है बल्कि इंतकाल सं0 259 दिनांक 24.06.25 से उक्त भूमि केवल रेस्पो0 सं0 1 ता 4 के नाम दर्ज हुई है। वर्तमान में चक 26 केवाईडी मु0नं0 59/49 के किला नं0 1 ता 25 में 5.5640 हैक्टर कमाण्ड पुख्ता आवंटी भूमि नामान्तरण सं0 259 दिनांक 24.06.25 को रेस्पो0 सं0 1 ता 4 के नाम दर्ज हुआ की प्रथम बार जानकारी अपीलांट को दिनांक 16.01.26 को हुई है। दिनांक 16.01.26 को अपीलांट पटवारी हल्का के पास गई तथा नामान्तरण सं0 259

की प्रमाणित नकल दिनांक 21.01.2026 को प्राप्त हुई तथा बिना किसी देरी करते हुए अपने वकील के पास आई अपील तैयार करवाकर दिनांक 22.01.26 को अपील पेश की जा रही है जो अन्दर मियाद है। रेस्पो0 सं0 1 ता 4 आपस में मामा–मौसी व भाणजी है जो कि नामान्तरण सं0 259 दिनांक 24.06.25 को निरस्त किया जावें। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार खाजूवाला के द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सं0 259 दिनांक 24.06.25 को निरस्त कर अपीलांट का रकबा का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने जरिये अधिवक्ता श्री हंसराज देहडू उपस्थित होकर अपीलांट की अपील स्वीकार करने के पक्ष में शपथपत्र प्रस्तुत किया है एवं साथ ही रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता श्री हंसराज देहडू साथ ही लिखित में प्रार्थनापत्र दिया गया है, उसमें भी उल्लेख किया है कि अपीलांट मिल्खों की एकमात्र वारिस है जिसका प्रश्नगत भूमि में विरासतन इंतकाल में 1/5 हिस्सा दर्ज होने से सहवन से रह गया है इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार कर विरासतन इंतकाल सं0 259 को खारिज कर पुनः 1/5–1/5 हिस्सा विरासतन इंतकाल दर्ज करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली पर सुना गया। सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट ने बताया कि उक्त जैरअपील आदेश एकतरफातोर पर पारित हुआ है और जानकारी के अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाना है।

दौराने बहस अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुवे अपील अपीलांट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है। रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने की सहमति देते हुवे निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रश्नगत रकबा अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 ता 4 के 1/5–1/5 हिस्सा बराबर विरासतन दर्ज के आदेश फरमावें।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व उभयपक्ष की बहस अनुसार उभयपक्ष लोक अदालत की भावना से अपील का निस्तारण करवाना चाहते है एवं पक्षकारों में आपसी सहमति बन गई है। उभयपक्ष अपील अपीलांट स्वीकार फरमाने हेतु सहमत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार के काबिल है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के विरासत नामान्तरण सं0 259/25 दिनांक 24.06.25 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस आशय से रिमान्ड की जाती है कि उभयपक्ष को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत् आदेश पारित करें तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

पुनाराम बनाम भंवरीदेवी वगैरह

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 173/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
28.04.26	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं0 1, 2 अधिवक्ता ने बहस हेतु निवेदन किया। पत्रावली में अप्रार्थी सं0 1, 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब आज शामिल मिसल हो चुका है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि उक्त वादगत भूमि में बंटवारा करवाना चाहते है एवं स्थगन आदेश नहीं होने पर अप्रार्थीगण अपना हिस्सा हस्तांतरण कर देगें और नए पक्षकार को पत्रावली में जोड़ना होगा जिससे वाद विवाद बढ़ेगें साथ ही वादगत भूमि पर कब्जा भी वादी का है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के पक्ष में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की एक नजीर रामजीलाल वगैरह बनाम हिम्मतसिंह वगैरह (Citation 2024(2)डीएनजे Rec 1372) प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वादपत्र के निस्तारण तक स्थाई करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं0 1,2 अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे हुए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया है। साथ ही निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं0 ने जरिये बैयनामा खरीद की है एवं नामान्तरण प्रक्रियाधीन है। नामान्तरण स्वीकृत होने के पश्चात खाता विभाजन किया जावे। क्योंकि मालिकाना हक अब अप्रार्थी सं0 2 के पास है व बाद बैयनामा के उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं0 2 ही काबिज काश्त है। अतः प्रार्थनापत्र नियमानुसार न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। चूंकि अप्रार्थी सं0 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में आने के बाद ही खाता विभाजन संभव है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा पत्रावली व जवाब प्रार्थनापत्र, उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू को साबित करने में असफल रहे है। अतः यह पत्रावली/प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है एवं दिनांक 21.04.255 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 28.04.26 सरे इजलास सुनाया गया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 2025/117

पत्रावली पेश हुई। मूलदावा अदमपैरवी अदमहाजिरी में खारिज हो चुका है। अतः यह पत्रावली भी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 2026/65

पत्रावली पेश हुई। मूलदावा विड्रॉ के आधार पर खारिज हो चुका है। अतः यह पत्रावली भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 2026/64

पत्रावली पेश हुई। वादी ने जरिये वकील प्रा0 पत्र बाबत् विड्रॉ पत्रावली पेश किया जो शा0 मि0। वादी अधिवक्ता ने पत्रावली विड्रॉ आदेश का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन अध्ययन किया। पत्रावली इसी स्तर पर विड्रॉ के आधार पर खारिज के आदेश किये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 2026/92

01. सन्तलाल पुत्र श्री उदाराम जाति जाट निवासी 3 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....अप्राथी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट .
निर्णय दिनांक :–04.05.2026

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल, श्री सीताराम तेतरवाल द्वारा प्रस्तुत हुआ जिसे अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र का संक्षिप्त विवरण प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये बैयनामा दिनांक 18.11.1988 को चतरू पुत्र चन्दू जाति जाट निवासी राजगढ़ ये उसका खातेदारी शुदा रकबा चक 3 एम.डब्ल्यू.एम. के मु.नं. 91/48 में किला नं. 20 ता 25 की 6.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी भूमि खरीद की थी। प्रार्थी के नाम से बैयनामा का नामान्तरण रिकार्ड में दिनांक 18. 06.1989 को नामान्तरण सं. 40 से दर्ज हो गया जिसकी प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है तथा उक्त रकबा पर प्रार्थी का खरीद के दिन से आज तक निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि की हल्का पटवारी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2063 बनाते समय लिपिकिय त्रुटि एवं सहवन से प्रार्थी के नाम के स्थान पर अराजीराज दर्ज कर दिया गया जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त रकबा पर प्रार्थी का कब्जा लगातार आज दिन तक निर्बाध रूप से चला आ रहा है। इस प्रकार उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी उक्त रकबा को अपने नाम दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थी उपरोक्त रकबा चक 3 एम.डब्ल्यू.एम. के मु.नं. 91/48 के किला नं. 20 ता 25 की 6.00 बीघा कमाण्ड के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज करवाना चाहता हूँ। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी के नाम का रकबा चक 3 एम.डब्ल्यू.एम. के मु.नं. 91/48 में किला नं. 20 ता 25 की 6.00 बीघा कमाण्ड के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अंकन करने के आदेश फरमानें का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट ली गई जिसमें हल्का पटवारी अनुसार मुताबिक प्रार्थना पत्र व आदेश के अनुसार जांच की गई व पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित रकबा चक 3 एम.डब्ल्यू.एम. के मु.नं. 91/48 कि.न. 20 ता 25 कुल 1.5174 हैक्टेयर (6 बीघा) अनकमाण्ड अराजीराज दर्ज रिकार्ड है व उक्त रकबा का संलग्न प्रमाणित राजस्व रिकार्ड व कार्यालय पटवारी हल्का मे उपलब्ध रिकार्ड से जांच में जाहिर आया कि उक्त मु.नं. 91/48 कि.नं. 20 ता 25 रकबा 1.5174 हैक्टेयर (6 बीघा) गिरदावरी संवत् 2044 से 2047 के कॉलम 5 में चतरू पुत्र चन्दू जाट सा0 राजगढ़ पु.आ. दर्ज था व इसी गिरदावरी के कॉलम नं. 37 में जरिये नोट ई.नं. 40 बेचान जरिये रजिस्ट्री सन्तलाल पुत्र उदाराम जाट साकिन मेउसर त. लूनकरणसर खातेदार अंकित हुआ। तत्पश्चात् गिरदावरी संवत् 2048–51, 52–55, 2056–59 में कॉलम 5 में संतलाल पुत्र उदाराम खातेदार का इन्द्राज है। ना0 सं0 40 निर्णय दिनांक 18.06.89 के कॉलम 9 ता 13 से उक्त रकबा सन्तलाल पुत्र उदाराम जाट सा0 मेऊसर तह0 लूणकरणसर विस्थापित हाल चक 5 एम.डब्ल्यू.एम. खातेदार स्वीकृत हुआ परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2063 में उक्त रकबा अराजीराज खाता में जोड़ा गया है तब से वर्तमान रिकार्ड में यह रकबा अराजीराज ही दर्ज रिकार्ड है। मौके पर प्रार्थी संतलाल ही काबिज है व उक्त रकबा में कोई विवाद नहीं है व उक्त रकबा पर कोई स्थगन या वाद विवाद विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में जमाबंदी अराजीराज, नामान्तकरण सं. 4, गिरदावरी विक्रम संवत्

2035 से 2059, आधारकार्ड, जमाबन्दी विक्रम सं. 2063 की प्रति प्रस्तुत की। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि गिरदावरी संवत् 2048–51, 52–55, 2056–2059 में कॉलम 5 में संतलाल पुत्र उदाराम खातेदार इन्द्राज है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट व 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे स्वीकार किया जाता है एवं चक 3 एम.डब्ल्यू.एम. के मु.नं. 91/48 के किला नं. 20 ता 25 की 6.00 बीघा कमाण्ड भूमि में अराजीराज की जगह सन्तलाल पुत्र श्री उदाराम जाति जाट निवासी 3 एम.डब्ल्यू.एम. किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त का आदेश किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद की कार्यवाही करें। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 84/2026

01. भोमाराम पुत्र श्री चावड राम जाति मेघवाल निवासी चक 7 के.एल.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–05.05.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के पिता के नाम से चक 7 के. एल.डी. के मुरब्बा नं. 153/17 में कुल 6.1960 हैक्ट. कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में त्रुटिवंश प्रार्थी के दादा का नाम पीरजी लिखा गया जबकि प्रार्थी के पिता को जब यह कृषि भूमि आवंटन हुई उस समय मूल पट्टे में चावड राम पुत्र भारताराम अंकित है। उक्त रकबे पर वादी लगातार कब्जा चला आ रहा है। वादी के पिता चावडराम अनपढ़ है। इसलिए उक्त गलत लिखे गये नाम का पता नहीं चला और चावड राम पुत्र पीरजी अंकन हो गया। वादी उक्त रकबे के पटवारी के पास गया तो पटवारी ने बताया की आपके दादा का नाम राजस्व रिकार्ड में पीरजी अंकन है। वादी के पिता चावड राम द्वारा जानबूझ कर अपने पिता का नाम गलत अंकन नहीं करवाया गया जिससे वादी को काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके लिये वादी राजस्व रिकार्ड में अपने दादा का नाम शुद्ध व दूरूस्त करवाना चाहता हैं। वादी के दादा का नाम पानी की पर्ची, मूल पट्टा में भारताराम नाम ही अंकन है। वादी अपने उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में दादा का नाम प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पीरजी की जगह भारताराम की घोषणा व दुरूस्त करवाना चाहता है। अतः घोषणात्मक वाद पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी के दादा का नाम रकबा तहसील खाजूवाला के चक 7 के.एल.डी. के मुरब्बा नं. 153/17 में कुल 6. 1960 हैक्टेयर कमाण्ड पुख्ता आवंटन भूमि में दादा का नाम पीरजी के बजाय भारताराम की घोषणा कर दुरूस्त कर अंकन करने का आदेश फरमावे का निवेदन किया गया है।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, पासबुक की प्रति, आवंटन आदेश प्रति व आबियाना रसीद प्रस्तुत जिसके अनुसार पीरजी सहवन से उक्त भूमि में दर्ज हो गया था। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 7 केएलडी मु0नं0 153/17 में कुल 6.1960 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/वादी के दादा का नाम पीरजी की जगह भारताराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच पीरजी नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का पीरजी से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी/वादी के दादा का नाम पीरजी ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार

खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 05.05.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2020/00031

01. लियाकत अली पुत्र श्री नादर खां जाति मुसलमान निवासी चक 1 पी.के.एम. माधोडिग्गी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

01. कादर खां पुत्र श्री मोहम्मद बक्श, जाति मुसलमान निवासी माधो डिग्गी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक :–04.05.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 203/40 तादादी 15 बीघा वाके चक 1 पी.के.एम. माधो डिग्गी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर में स्थित है। इस भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है और वादी इस जायदाद में बाल बच्चों सहित निवास कर रहा है और खेती बाड़ी कर रहा है। वादी ने इस भूमि पर बैंक से ऋण भी ले रखा है व जमाबन्दी में भी वादी का नाम बतौर खातेदार के नाम दर्ज है। वादग्रस्त जायदाद मुरब्बा नंबर 203/40 की 25 बीघा भूमि वाके चक 1 पी.के.एम. माधोडिग्गी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर मोहम्मद बक्श के नाम से रही है और मोहम्मद बक्श ने अपनी उक्त जायदाद 25 बीघा भूमि नादर खां को दिनांक 18.11.1999 को वसीयत कर दी थी और सब लोग अपनी अपनी जायदाद पर काबिज बैठे है। वसीयतनामा के आधार पर नादर खां का इन्तकाल नं. 18 दिनांक 20.12.2005 को दर्ज हो चुका है। नादर खां ने अपनी उक्त जायदाद जो जरिये वसीयत में मिली थी उस जायदाद में से 15 बीघा जमीन मुरब्बा नं. 203/40 की किला नं0 1 ता 15 खानी खातून को दिनांक 28.02.2012 को विक्रय कर दी व उसके आधार पर खानी खातून का नाम इन्तकाल नंबर 49 के तहत उसका नाम दर्ज हो गया, उसके बाद खानी खातून का स्वर्ग वास 26.12.2018 को हो गया और उसका विरासतन इंतकाल नादर खां व लियाकत के नाम से दर्ज हुआ। उसके बाद नादर खां ने जो खानी खातून के विरासतन इंतकाल में 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि मुरब्बा नंबर 203/40 के हिस्से में आई वो जायदाद अपने हिस्से की जरिये विक्रय पत्र के आधार पर वादी का नाम इंतकाल दर्ज हो गया। इस प्रकार वादी मुरब्बा नं. 203/40 के किला नं. 1 ता 15 कुल 15 बीघा भूमि वाके चक 1 पी.के.एम. का तन्हा मालिक व काबिज हुआ। वादी अपनी जायदाद पर स्टैच्यू टेरी टीनेन्ट के तहत काबिज चला आ रहा है और खातेदार, काश्तकार है। प्रतिवादी का वादग्रस्त जायदाद से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उसका मौके पर कब्जा है। प्रतिवादी ने एक झूठी एफ.आई.आर. थाना पुलिस खाजूवाला में दिनांक 17.02.2020 को न्यायालय के मार्फत धारा 156 (3) के तहत वादी के पिता नादर खां वगैरह के खिलाफ दर्ज करवाई है तथा वसीयत को झूठी बताई है, जबकि उसी मामले को लेकर पूर्व मे एक एफ. आई.आर0 कादर खां के सगे भाई अर्थात् प्रतिवादी के सगे भाई नवाब ने नादर खां के विरूद्ध दिनांक 01.03.2007 को थाना पुलिस खाजूवाला में अंतर्गत धारा 156(3) सीआर.पी.सी. के तहत न्यायालय के मार्फत दर्ज करवाई थी और उस मामले में थाना पुलिस खाजूवाला ने नवाब खां के साथ साथ प्रतिवादी के भी बयान लिये थे और मामले में एफ. आर. लगा दी थी और एफ.आर. मंजूर भी हो गई अब इसी तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी सं. एक ने झूठी एफ. आई.आर. दर्ज करवाई है और अब प्रतिवादी आये दिन पुलिस वालो को लेकर वादी को व उसके पिता को धमका रहा है कि जायदाद पर कब्जा करेगा, जिस पर वादी ने कहा कि यह जायदाद उसने जरिये विक्रय पत्र खरीद की है। वह उस जायदाद का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी वादी को उसकी इस जायदाद से बेदखल नहीं कर सकता, इसके अलावा प्रतिवादी उसके भाई ने पूर्व में सन् 2007 में एम झूठी एफ.आई.आर दर्ज करवाई थी जिसमें एफ.आर. लग चूकी है, दुबारा एफ.आई.आर. हो नहीं सकती। न्यायालय में गलत शपथ पत्र देकर मुकदमा दर्ज करवाया है और उस पूर्व की एफ.आई.आर में प्रतिवादी के बयान भी हुये

हुवे है और एफ. आर. भी लगी हुई है और उसमें प्रतिवादी ने वसीयत को भी सही माना है। दुबारा मामला हो नहीं सकता, धारा 197 सीआर.पी.सी. की कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि एक ही मामले में पहले कार्यवाही हो चुकी है अब न्यायालय द्वारा एफ.आर. मंजूर की जा चुकी है, पुनः एफ.आई.आर. हो नहीं सकती। इस पर प्रतिवादी ने कहा कि वो पंहुचा हुआ व्यक्ति है,

वादी/प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 23 के.वाई.डी. ए के खाता संख्या 28 मुरब्बा नं. 79/60 के किला नं. 1 ता 25 में 24.10 बीघा कमाण्ड कुल 6.1960 हैक्टेयर खातेदार कृषि भूमि प्रार्थी के नाम रमेश पुत्र श्री शंकर लाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई. डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के विरास्तन नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 25.04. 1994 व वसीयत नामान्तकरण संख्या 176 दिनांक 18.03.2016 को खातेदार स्वीकृत हुआ। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त कृषि भूमि खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/ वादी का नाम रमेश कुमार पुत्र श्री शंकर लाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के राजस्व तहसील खाजूवाला चक 23 के.वाई.डी. ए के
खाता संख्या 28 मुरब्बा नं. 79/60 के किला नं. 1 ता 25 में 24.10 बीघा कमाण्ड (6.1960 हैक्टेयर) खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अधिनस्थ न्यायालय ने विरास्तन नामान्तकरण सख्यां 68 दिनांक 25.04.1994 व वसीयत नामान्तरण संख्या 176 दिनांक 18.03.2016 को भरते समय प्रार्थी का नाम रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के स्थान पर रमेश पुत्र श्री शंकर लाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर कर दिया जबकि पहचान के दस्तावेजो व विरास्तन दस्तावेज, मुल वसियत नामान्तकरण आदेश में रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के नाम से भरकर स्वीकृत करना चाहिए था, इसलिए सहवन से दर्ज प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम रमेश कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के स्थान पर रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर दुरूस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पहले संलग्न पहचान के दस्तावेज परिचय पत्र, मुल निवास व अन्य दस्तावेजों व वसियत आदेश का अवलोकन ही नहीं किया, इसलिए राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहवन से प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम रमेश पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के स्थान पर रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर अधिनस्थ न्यायालय दुरूस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी का व प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को कृषि भूमि से संबंधित कागजी कार्यवाही फार्मर आईडी व सरकारी सुविधा के रूप में मिलने वाले लाभ प्राप्त करने में काफी दिक्कतो व परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा इससे प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान हो सकता है। प्रार्थी के विरास्तन व मुल वसियत एवं अन्य समस्त पहचान के दस्तावेजो जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मुल निवास, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि में भी प्रार्थी का नाम रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकरलाल रंगा अंकित है, जो कि सही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 एल. आर. एक्ट व 88 आर.टी. एक्ट सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार का नाम रमेश पुत्र श्री शंकरलाल के स्थान पर रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमानें का निवेदन किया हैं।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट, जमाबन्दी, विरास्तन नामन्तरकरण संख्या 68, वसियत ना.सं. 176 ,आधारकार्ड, पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत की। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड ऑनलाईन जमाबन्दी के चक 23 के.वाई.डी. ए का मु.नं. 79/60 का किला नं. 1 ता 25 का कुल रकबा 6.1960 है0 खाता संख्या 28 रमेश पुत्र शंकरलाल हि0पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 25 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी के नामा. सं. 176 की वसीयत के अनुसार रमेश पुत्र शंकरलाल दर्ज है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार रमेश कुमार रंगा करवाना चाहता है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 23 के.वाई.डी. ए के खाता संख्या 28 मुरब्बा नं. 79/60 के किला नं. 1 ता 25 में 24.10 बीघा कमाण्ड (6.1960 हैक्टेयर) खातेदार कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/वादी का व वादी के पिता का नाम रमेश पुत्र श्री शंकर लाल की जगह रमेश कुमार रंगा पुत्र शंकरलाल रंगा संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच रमेश पुत्र श्री शंकरलाल नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का रमेश पुत्र शंकरलाल से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी/वादी का व वादी के पिता का नाम रमेश पुत्र श्री शंकरलाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 09.04.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
अपील संख्या :– 17/2025

1. जुगल किशोर पुत्र जेठमल जाति चांडक निवासी दम्माणी चौक के पास बीकानेर (राज.) जरिये मुख्तयारआम श्रीनाथ पुत्र जेठमल चांडक बीकानेर

.... अपीलांट

बनाम

1. 1/1 गुलाम मोहम्मद पुत्र मो0 हुसैन 1/2 सरदार पुत्र मो0 हुसैन 1/3 मैमुना पुत्री मो0 हुसैन
2. अलादाद पुत्र मीरा जाति मुसलमान सहू, निवासी चक 6 पीएचएम खाजूवाला
3. हनीफ खां पुत्र मीरा जाति मुसलमान सहू, निवासी 6 पीएचएम खाजूवाला
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

.... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक 04.05.26**

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि विवादित भूमि चक 2 केडल्ब्यूएम बी मु0नं0 77/5 के 16.00 बीघा, मु0नं0 77/6 के 08.00 बीघा व मु0नं0 77/14 के 01.00 बीघा कुल 25.00 बीघा में स्थित है। पूर्व में विवादित भूमि के बन्दोबस्ती खातेदार मीरा व मोहम्मद हुसैन थे। सन् 1967 में विवादित खेत का मौखिक इकरार बय अपीलांट के हक में करके कब्जा अपीलांट को दे दिया था। भूमि पर कब्जा व काश्त अपीलांट के हक में करके कब्जा अपीलांट को दे दिया था। भूमि पर कब्जा व काश्त अपीलांट का चलता रहा। मीरा व मोहम्मद हुसैन ने दिनांक 22.07.1971 को रिजस्टर्ड बैयनामा भी करवा दिया। कब्जा भूमि पर अपीलांट का चला आ रहा था। इसप्रकार मीरा व मोहम्मद हुसैन ने एक दावा सं0 41/80 अनवानी मोहम्मद हुसैन मीरा बनाम जुगलकिशोर सहायक उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर में किया जो कब्जे के अभाव में नाकाबिल चलने के कारण अपीलांट को विड्रा करना पड़ा। दौराने दावा भूमि पर कब्जे के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा तक प्रदान नहीं की गई फिर भी कानून को हाथ में लेकर विपक्षी ने विवादित खेत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जिसका बेदखली का दावा जैरकार है। मीरा व मोहम्मद हुसैन ने मुन्सिफ न्यायालय बीकानेर में बेचवान को निरस्त करवाने का दावा किया। उसका निर्णय दिनांक 18.01.1994 को हुआ, व दावा निरस्त हुआ। डिस्ट्रिक जज बीकानेर से भी दिनांक 18.03.1998 को उनकी अपील निरस्त हुई। व अन्त में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से भी उनकी अपील दिनांक 25.11.03 को निरस्त हुई इसप्रकार अपीलांट कानूनी तौर पर खातेदार हो गया। कुछ अज्ञात कारणो से माननीय तहसीलदार खाजूवाला ने कानून के विपरीत, क्षेत्राधिकार क दुरूपयोग करते हुए गैर कानूनी तरीक से व एकप्रकार से इनडायरेक्टली तौर पर विपक्षीगण के हितो का ध्यान रखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय को एकप्रकार से अमान्य, नाकाबिल Executable करार करते हुए नजरसानी के माध्यम से पूर्व इन्तकाल नं. 39 दिनांक 03.02.06 का निर्णय दिनांक 13.06.06 से निरस्त कर दिया। तहसीलदार जी खाजूवाला ने उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 25.11.03 पर टिप्पणी करते हुए

उसको एक प्रकार से अमान्य करार दिया है जिनका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट किया है जिसकी अलग से कार्यवाही की जाएगी। माननीय तहसीलदार के कथन को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने निर्णय में कब्जा दर्ज किया जावे व उप निवेशन कानून के तहत सही है या नहीं, इसका निश्चय नहीं किया। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा हाई कोर्ट, जोधपुर के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए ऐसा लिखना शोभनीय नहीं माना जा सकता। वास्तव में उन्होंने हाई कोर्ट के निर्णय में लिखी बातो को देखते हुए भी गलत तथ्य लिखे हैं कि क्रेता जमीन से बाहर है, कतई गलत लिखा है आगे यह लिखना कि उच्च न्यायालय ने विक्रय पत्र सही ठहराया है व अर्थ निकालते हुए लिखा कि ''जिसका अर्थ नहीं भी'' प्रार्थी के पक्ष में कब्जा दर्ज किया जावे। तहसीलदार जी निर्णय को पढ़कर भी अजीब तथ्य लिख रहें है। निर्णय दिनांक 25.11.03 में स्पष्ट लिखा है कि भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा था व बाद में बेदखल किया उसका दावा चल रहा है। जहां तक भूमि में अपीलांट का राईट व टाईटल व इन्टरेस्ट फाईनली तय हो गये। बैनामे को माननीय हाई कोर्ट ने सही माना। बैनामे में यह तथ्य स्पष्ट लिखा है कि खरीददार अपना नाम पटवार व रिकॉर्ड राजस्व में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। रिकॉर्ड ऑफ राईट्स में सही नाम दर्ज कराने हेतु नामान्तरणकरण का प्रार्थना पत्र भी दिया। इसीलिये पूर्व में भी नामान्तरणकरण सही दर्ज किया गया या विवादग्रस्त भूमि में अपना हक घोषित करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता। निर्णय में आगे लिखा है कि बेचवान 22.07.1971 का है व वादग्रस्त भूमि के मीरा व मौहम्मद हुसैन बन्दोबस्ती काश्तकार है। आगे यह लिखना कि ''तत्सयम प्रचलित उपनिवेशन'' अधिनियम 1954 की धारा 13 के अनुसरण में विक्रेता को भूमि की अनुमति सक्षम अधिकारी से ही लेनी चाहिए। प्रकरण में स्वीकृती नहीं ली गई व आगे लिखना स्वीकृति बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जा सकती है व हाई कोर्ट ने विक्रय दस्तावेज फर्जी नहीं होकर सही बताया हैं। आगे लिखना कि उपनिवेशन कानून के तहत कानून सहमत है या नहीं, इसका विनिश्चय नहीं किया गया है आदि तथ्य लिखकर पूर्व इन्तकाल निरस्त किया है व इस प्रकार हाई कोर्ट के निर्णय को इनडायरेक्ट सही नहीं माना। हाई कोर्ट के फैसले को इसप्रकार टिप्पणी करना शोभनीय किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता। माननीय हाई कोर्ट जोधपुर ने अपने विस्तृत निर्णय 25.11.03 समस्त तथ्य इस स्पष्ट किये हैं व अन्त में लिखा है कि The Court below after considering the legal provision held that the sale deed id not hit by the provision of low then this court need not to interfere किन्तु माननीय तहसीलदार जी हाई कोर्ट के फैसले कि टिप्पणी कर रहें हैं व उसका विश्लेषण कर रहे हैं जो उचित नहीं है। तहसीलदार जी ने स्वतः ही उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 13 की स्वीकृति लेनी चाहिए थी का लिखा। धारा 13 लागू ही नहीं होती। कानून का सही अध्ययन व विश्लेषण किया होता तो ऐसा अमान्य तथ्य लिखते ही नहीं, किन्तु ऐसा लिखकर अपीलांट के पक्ष में किया गया बेचवान को गलत बताने का प्रयास किया गया। अधिनस्थ न्यायालय यह तथ्य भूल गई कि दावा रेस्पोडेन्टान ने किया था, उनके द्वारा दावे में इन तथ्यों पर जिनको तहसीलदार जी स्वयं उठा रहें हैं, उनके द्वारा नहीं दिये गये, क्योंकि कानूनी रूप से कोई उल्लघंन हुआ ही नहीं, ना ही माना जा सकता है। जब बेचवान को सही माना है व मीरा व मोहम्मद हुसैन का भूमि से कोई हक व इन्टरेस्ट नहीं रहा तो अपीलांट का नाम रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कराना न्यायसंगत था ताकि रिकॉर्ड ऑफ राईट्स सही बनें। भूमि के समस्त अधिकार में अपीलांट में निहित हो चुके हैं। नामान्तरकरण का इन्द्राज सिर्फ वितीय उद्देश्य से होते हैं ताकि राज्य सरकार को कोई आर्थिक नुकसान न हो। विपक्षी का भूमि में कोई अधिकार इन्टरेस्ट रहा ही नहीं, उनके द्वारा लगान आदि देने का प्रश्न ही नहीं उठता जिसका भूमि हक हिस्सा, इन्टरेस्ट अन्तिम सबसे तय हो गया है। उसका अब तहसीलदार जी नामान्तकरण कर नहीं रहे। इस प्रकार लेण्ड होल्डर तहसीलदार का स्वयं

द्वारा राज्य सरकार का नुकसान किया जा रहा है यह कतई शोभनीय नहीं है। इस पर गंभीरता से गौर करना न्यायसंगत है। प्राईवेट फरीक तो परस्पर कोई विरोध नहीं कर रहे किन्तु माननीय तहसीलदार जी राज्य सरकार को वितिय नुकसान पहुंचाते हुए स्वतः ही कार्यवाही कर रहें है। मीरा के मरने के बाद उसके वारिसों के नाम इन्तकाल हुआ व भूमि रहन बैंक को रखी आदि तथ्य नजरसानी का आधार नहीं है। व्यथित व्यक्ति एतराज करे, जो नहीं किया गया। कानूनन विपक्षी ऐतराज कर नहीं सकता। बैंक से गलत तथ्य बताकर कर्ज लिया है तो बैंक उनसे व उनके जामिन से वसूल करेगी। एक प्रकार से उनकी सहायता नजरसानी के माध्यम से हुई है। अदालत मातहत का यह लिखना है कि अभियान से अत्याधिक भीड़ आदि में त्रुटियों के साथ पारित हुआ। कार्य ज्यादा होने का मान भी लिया जावे तो अपनी जिम्मेदारी दुसरों पर डाली नहीं जा सकती। जबकि कोई गलती हुई नहीं। किसी भी स्थिति में यह नजरसानी का आधार नहीं है। अभियान सिर्फ दिनांक 01.02.06 का ही था। उस दिन निर्णय किया नहीं गया। बाद में दिनांक 03.02.06 को आर. आई की रिपोर्ट हुई। तहसीलदार जी ने हाई कोर्ट जोधपुर के निणर्य दिनांक 25. 11.03 का अवलोकन कर व अपनी खुद कलम से ''स्वीकृत'' लिखकर इन्तकाल तस्दीक किया है। नामान्तरकरण राजस्व अभियान के बाद किया है। तहसीलदार जी द्वारा सही तथ्य नहीं लिखे है। अपीलांट ने भूमि का नामान्तरणकरण करवाने हेतु प्रार्थना पत्र मय उच्च न्यायालय जोधपुर का निर्णय दिनांक 25.11.03 व बैयनामा दिनांक 22.07.1971 दिनांक 18.08.04 को दी। इस पर न जाने किन कारणों से इस प्रार्थना पत्र को जैरकार रखा। अपीलांट ने पुनः एक प्रार्थना पत्र पर दिनांक 30.04.05 को प्रार्थना पत्र 18.08.04 की नकल संलग्न कर पुनः तथ्यों को स्पष्ट करते हुए नामान्तरणकरण हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार खाजूवाला को प्रस्तुत की। माननीय तहसीलदार जी ने ''Rev'' लिखकर अपने हस्ताक्षर दिनांक 03.05.05 को कर दी है व उसी दिन ओ.के. को फारवर्ड कर दी गई फिर भी नामान्तरणकरण न जाने किन कारणों से नहीं किया गया। अन्त में दिनांक 01.02.06 को राजस्व शिविर कालूवाला के समक्ष मय बयनामा दिनांक 22.07.1997 की नकल संलग्न करते हुए प्रस्तुत की। पूर्व में दिनांक 18.08.04 के प्रार्थना पत्र के साथ जो जेरकार थी व जिसके साथ निर्णय हाईकोर्ट व नकल बैयनामा लगाया था उस निर्णय के साथ पटवारी जी ने निर्णय की पालना में नामान्तरणकरण दर्ज करने हेतु रिपोर्ट करी। आर.आई. ने दिनांक 03.02.06 को रिपोर्ट कर दी। तहसीलदार जी ने सब हालात देखते हुए नामान्तरणकरण स्वीकृत कर दिया। ''स्वीकृत'' उनकी खुद कलम से लिखा। तहसीलदार जी को बैनामा व निर्णय हाई कोर्ट का व अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.04 जैरकार होने का पूर्ण ज्ञान था। फिर भी तहसीलदार खाजूवाला ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, खाजूवाला ब्रांच को बेचानकर्ता के वारीसान के पक्ष में बैंक से ऋण लेने के लिए विवादित कृषि भूमि जो विक्रय की जा चुकी थी, के विक्रेताओं के नाम से भूमि के स्वामित्व का गलत प्रमाण पत्र खाजूवाला द्वारा जारी किया गया व विक्रेताओं के वारिसान के द्वारा बैंक से फर्जी लोन लेने में सहयोग किया। अपीलांट द्वारा दिनांक 18.08. 04 को प्रार्थना पत्र वास्ते दर्ज करने दिया था वह जेरकार था। हालात स्पष्ट थे कि भूमि अपीलांट को बेच दी गई है व हाई कोर्ट जोधपुर का निर्णय भी हो चुका है। फिर भी गलत प्रमाण–पत्र जारी किया व इन्तकाल नं. 33 दिनांक 08.08.05 को रहन का इन्तकाल दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार अपीलांट के जायज हकुकों पर आघात हुआ। अन्त में अपीलांट ने जन अभाव अभियोग समिति, बीकानेर को दिनांक 01.06.06 को यह तथ्य उनके सामने लाये। यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार जी को भेजा। इस कार्यवाही को उनकी नाराजगी होना प्रतीत होता है। बाद में नजरसानी में यह आदेश हुआ। लेण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 86 के अन्तर्गत कोर्ट को रिव्यु (पुर्नवलोकन) करने के अधिकार प्रदान किये गये है। किन्तु उसमें स्पष्ट प्रावधान है किः– Provided That : 1. No order shall be varied

unless notic has been given to the parties interested to appear and be heard in support of such order. 2. No order affecting any quest or right between private parties shall be revised except in the appilication of a party to the proceding no appilication for the revieue of such order shall enterined unless it is made within ninety days from the passing of the order. पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को बिना नोटिस दिये व कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश दिया गया है जो कानूनन शून्य बिना अधिकार गैर कानूनी होने के अलावा प्राकृतिक नियमों के भी विरूद्ध है। जो तथ्य लिखकर आदेश दिया गया है। नाकाबिल गौर है व इसी आधार पर आदेश निरस्त किया जावे। नजरसानी का आदेश नजरसानी के कारणों की परिधि में नहीं आता। नजरसानी कब, कैसे व किन कारणों से होती है उन पर गौर नहीं किया गया। तहसीलदार जी ने आदेश में नजरसानी को मियाद में लेने के जो तर्क दिये सही नहीं, नजीर लागू नहीं होती। अन्य उज्रात व अनियमिताऐं बरवक्त प्रस्तुत की जावेंगी मीरा की मृत्यु के बाद मीरा के वारिसान नियामत बेवा, फातमा, अजमत नाता, अलादाद, हनीफ खां के नाम तस्दीक हुआ। बाद में दस्तबरदारी के जरिये भूमि अकेले अलादाद, हनीफ खां, पिसरान मीरा में 1/2 हिस्सा, मोहम्मद हुसैन 1/2 हिस्सा के नाम हुआ। इसका इन्तकाल नं. 23 तारीख 05.03.2002 को हुआ। मीरा की पुत्री नियामत का देहान्त हो चुका है। फातम, अजमत, नाता ने दस्तबरदारी के जरिये अपने भाईयों अलादाद, हनीफ खां के पक्ष में छोड़ दिया। नामान्तरणकरण भी हो गया। इस प्रकार वे उनका भूमि में कोई इन्टरेस्ट, हक आदि नहीं है। इसलिए गैर जरूरी फरीक है। इसलिए उनको पार्टी नहीं बनाया गया। अपील काबिल समाआत न्यायालय पूर्ण स्टॉम्प पर तहरीर व निर्णय का सर्वप्रथम ज्ञान 13. 07.06 को हुआ। अपील तारीख ज्ञान से अवधि में है। निर्णय बिना नोटिस दिया गया। अपीलांट की इस भूमि की बाबत् एक अपील अनवानी जुगलकिशोर बनाम मोहम्मद हुसैन व वारिसान मीरा अपील राजस्व अधिकारी बीकानेर में जैरकार है व तारिख पेशी 21.07.06 है अब 11.09.06 है । के बारे में एडवोकेट श्री विजय चन्द वडेर से मिलने गये उन्होंने कहा कि अपील तामिल के लिए है व रेस्पोडेन्टान पर तहसील की मार्फत तामील करवानें का प्रयास करें, ताकि निर्णय शीघ्र हो सके। दौराने बातचीत के वकील जी ने भूमि के नामान्तरणकरण के बारे में पुछा। अपीलांट ने बताया इस विषय में कई प्रार्थना पत्र दिये गये व अन्त में कालूवाला शिविर में दिनांक 01.02.06 को नामान्तरणकरण के विषय में प्रार्थना– पत्र दिया था। उन्होंने इस विषय में पूर्ण जानकारी के लिए कहा व हिदायत दी कि यदि नामान्तरणकरण तस्दीक हो गया है तो उसकी नकल लावें। दौराने अपील बहस उसकी जरूरत पड़ सकती है । इस पर अपीलांट दिनांक 13.07.06 को तहसील खाजूवाला गया व नामान्तरणकरण के बारे में पता करने अपीलांट के वकील मदन मोहन रंगा तहसील के दफ्तर गये। वहां दफ्तर के बाबू से पूछा तो कहा गया कि इन्तकाल अपीलांट के नाम दिनांक 03.02.06 को तस्दीक हो गया था किन्तु तहसीलदार जी ने स्वतः ही नजरसानी के माध्यम से अपने आदेश दिनांक 13.06.06 के जरिये निरस्त कर दिया। अपीलांट को आदेश जेर अपील का सर्वप्रथम ज्ञान इसा प्रकार हुआ व इससे पूर्व नहीं था। उसी समय नकल लेने का प्रार्थना पत्र एडवोकेट श्री मदनमोहन जी ने दिया। नकल आदेश प्राप्त होने के बाद अपीलांट बीकानेर आया। आदेश के विरूद्ध कार्यवाही हेतु वकीलों से कानूनन राय ली। राय अलग–अलग थी। यह राय दी गई थी कि उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.11.03 पर टिप्पणी की गई है व न्यायालय के निर्णय का उल्लघंन है। अतः हाई कोर्ट सीधे जाकर कार्यवाही करें। अपीलांट इस पर दिनांक 17.07. 06 को हाई कोर्ट, जोधपुर गया वहां पर समस्त तथ्यों को देखकर यही कहा गया कि हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लघंन है। उन्त में यही राय दी गई कि उच्च न्यायालय में तो अन्त में भी आ सकते हो किन्तु न्याय के विचार से प्रथम अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही करें। अपीलांट को इस कार्यवाही में करीब एक सप्ताह लग गया। अपीलांट फिर

खाजूवाला जाकर वकील श्री मदनमोहन जी रंगा से सम्पर्क किया। अपील न्यायालय में दायर करने की प्रार्थना की। वकील सा. ने दो दिन बाद कहा कि मुकदमें में कई कानूनी उलझे हुए प्रश्न हो गये हैं, बाकानेर जाकर राय लेकर अपील पत्र तैयार किया जावेगा। वह दिनांक 21.07.06 को बीकानेर आये व उन्होंने वकील से परामर्श कर अपील पत्र तैयार कर अपील अतिशीघ्र व तत्परता से प्रस्तुत की जा रही है। हालांकि अपील में कोई मियाद का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि आदेश बिना बुलाये दिया गया प ज्ञान तारिख से अपील अवधि में है। फिर भी एतिहातन धारा 5 कानून मियाद एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश तहसीलदार खाजूवाला दिनांक 13.06.2006 को निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। तामिल पश्चात रेस्पोडेट सं0 1 गैरहाजिर रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो0 सं0 2, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीराम जाखड़ उपस्थित आए। पत्रावली पर सुना गया। दौराने बहस अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि बैयनामा आज दिनांक तक कायम है और माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर ने भी उक्त बैयनामा को सही माना है इसलिए बैयनामा का इंतकाल दर्ज होने के बाद नजरसानी के माध्यम से निरस्त नहीं किया जाना न्यायासंगत नहीं है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर के निर्णय आ चुके है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाने हेतु निवेदन किया है। रेस्पो0 सं0 2, 3 अधिवक्ता श्री मनीराम जाखड़ ने दौराने बहस निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज योग्य है क्योंकि विवादित नामान्तरण की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में हल्का पटवारी द्वारा जो नामान्तरण सं0 39 भरा गया है उसके खाना सं0 6 व 8 की प्रविष्टियां बैयनामा अनुसार मिलान नहीं होती है। मूल खातेदार मीरा व मोहम्मद हुसैन के देहान्त के बाद अपीलाधीन भूमि मीरा व मोहम्मद हुसैन के वारिसान के नाम नामान्तरण सं0 20 से दर्ज हो गई, जिसकी अपील किसी भी पक्षकार द्वारा नहीं की गई, इसके पश्चात कुछ सह खातेदारों द्वारा अपना हक त्याग किया गया जिस रिलिज डीड का नामान्तरण सं0 23 दर्ज हुआ और उसके पश्चात अपीलाधीन भूमि नामान्तरण सं0 33 के द्वारा स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खाजूवाला के रहन दर्ज हो गई। अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील में जो नामान्तरण सं0 39 हल्का पटवारी द्वारा भरा गया है वह दिनांक 22.07.1971 के बैयनामा के आधार पर अर्थात 36 वर्ष बाद नामान्तरण भरा गया है जो विधि विरूद्ध है। नामान्तरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया गया है जबकि ऐसा कोई आदेश अपीलांट ने माननीय न्यायालय में प्रसतुत नहीं किया है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में दिनांक 22.07. 1971 के बैयनामा को कूटरचित होना नहीं पाया है अर्थात सही ठहराया है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर ने अपने निर्णय में अपीलाधीन भूमि का कब्जा अपीलांट को दिलवाने व अपीलांट के नाम से नामान्तरण दर्ज करने संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.06.2006 में बैयनामा 22.07.1971 के आधार पर नामान्तरण सं0 39 को तस्दीक किया था। उस भूल को सुधार कर अपने निर्णय स्पष्ट करते हुए नामान्तरण सं0 39 को निरस्त फरमाया है जो सही है इसलिए अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आए है। अपीलांट द्वारा एक वाद माननीय न्यायालय में 1983 से अपीलाधीन भूमि से रेस्पोडेन्ट को बेदखल करने का प्रस्तुत कर रखा है जो आज भी विचाराधीन है जिससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है जिसका विवरण अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भी किया है इसलिए अपीलांट को अपने अधिकारों के निर्धारण के लिए स्वत्व की घोषणा का वाद लाना चाहिए। नामान्तरण की कार्यवही वित्तिय एवं सरसरी कार्यवाही है जिससे

हक व अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। नामान्तरण की कार्यवाही से स्वत्व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। अपीलाधीन भूमि रेस्पो0 की बन्दोबस्ती भूमि है। तत्समय प्रचलित उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 13 के अनुसरण में विक्रेता को भूमि विक्रय की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेनी चाहिए थी चूंकि इस प्रकरण में विक्रय की स्वीकृति नहीं ली गई है। इसलिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही विक्रय दस्तावेज स्वीकार कर क्रेता के पक्ष में भूमि हस्तांतरित हो सकती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में केवल यह स्थापित किया है कि विक्रय दस्तावेज फर्जी नहीं होकर सही है। उपनिवेशन कानूनों के तहत कानून सम्मत है या नहीं इसका विनिश्चय नहीं किया गया है इसप्रकार नामान्तरण सं0 39 विवादित था जिसके निर्णय दिनांक 13.06.2006 के आदेश की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होने के कारण अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। इसके पक्ष में रेस्पो0 अधिवक्ता ने दृष्टान्त डीएनजे 2024(1)रेवेन्यु पेज 561 प्रस्तुत की। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

पत्रावली व प्रस्तृत दृष्टान्त का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में मुख्य बिन्दूओं पर गौर किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से ही प्रतीत हो रहा है कि नामान्तरण विवादित था एवं पत्रावली में संलग्न रिव्यू आदेश के अवलोकन अनुसार पक्षकारों को सुनकर ही रिव्यू प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया गया है। हालांकि बैयनामा सही होने के बावजूद नामान्तरण कब्जा के अभाव में किया जा सकता है अथवा नहीं इस बिन्दू पर जाने से पहले प्रकरण में मुख्यतः जहां प्रश्न क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का हो वहां यह देखा जाना आवश्यक है कि पेश की अपील न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार में है या नहीं और उक्त अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है जो अधीनस्थ न्यायालय ने रिव्यू प्रार्थनापत्र अपीलांट जुगलकिशोर के प्रार्थनापत्र को शामिल किया गया है इसप्रकार उभयपक्ष को पक्ष रखने का अवसर मिला है एवं सुना गया है। उक्त विवादित नामान्तरण में निर्णय पारित किया है ऐसे आदेश की अपील सुनने का अधिकार धारा 75 (1) एफ के अन्तर्गत माननीय संभागीय आयुक्त को है और इसप्रकार के निर्णय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय संभागीय आयुक्त को है। इसप्रकार रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त इस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व के अवलोकन व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपील अपीलांट इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं होने के कारण गुणावगुण पर निर्णय किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.05.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

ओमप्रकाश बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः—प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट मु.नं.एवं सन 107/2026

समर्पित भूमि को राजस्व में रिकॉर्ड गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
05.05.26	प्रार्थी का प्रार्थना समर्पित भूमि को राजस्व में रिकॉर्ड गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत् प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 20 केजेडी मु0नं0 25/42 के किला नं0 1, 2/2, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7 ता 14, 15/2, 16/1, 17 ता 24, 25/2 में कुल तादादी 5.5890 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि को अकृषि औधोगिक ईण्ट भट्टा प्रयोजनार्थ हेतु सपरिवर्तन करवाना चाहता है जिसके लिये प्रार्थी ने भारतीय काग्रेस नियमानुसार अपनी उपरोक्त भूमि में से चक 20 केजेडी मु0नं0 25/42 के किला नं0 15 में 0.0759 है, 16 में 0.0759 है0, 25 में 0.0759 हैक्टर कुल तादादी 0.2277 हैक्टर अर्थात चौड़ाई 49.5 फीट गुणा लम्बाई 495 फीट कुल 25402.5 वर्गफीट भूमि के लिए गैर मुमकिन रास्ता हेतु राजहक में निःशुल्क समर्पण कर रास्ता हेतु समर्पण कर दिया गया है। तहसीलदार खाजूवाला महोदय द्वारा आदेश क्रमांक/तखा/राजस्व/26/274 दिनांक 09.04.26 को उक्त भूमि को अराजीराज में घोषित के आदेश प्रदान कर दिये थे तथा बाद हल्का पटवारी द्वारा उक्त आदेश अनुसार उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अराजीराज घोषित कर दिया गया है। जो वर्तमान में अराजीराज है। अब प्रार्थी द्वारा की गई निःशुल्क समर्पण भूमि को अराजीराज से राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता में अंकन करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा ईंट भट्टा प्रयोजना में निःशुल्क समर्पण की गई भूमि जो वर्तमान में अराजीराज है का राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता अंकन करवाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। प्रकरण धारा 251 ए आरटीएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार खाजूवाला के समर्पण आदेश क्रमांक 274 दिनांक 09.04.26 व समर्पण आदेष की पालना में स्वीकृत नामान्तरण सं0 104 दिनांक 18.04.26, आधारकार्ड, जमाबंदी आदि का अवलोकन किया गया। अवलोकनानुसार प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित चक 20 केजेडी मु0नं0 25/42 के किला नं0 15 में 0.0759 है, 16 में 0.0759 है0, 25 में 0.0759 हैक्टर कुल तादादी 0.2277 हैक्टर अर्थात चौड़ाई 49.5 फीट गुणा लम्बाई 495 फीट कुल 25402.5 वर्गफीट भूमि के लिए गैर मुमकिन रास्ता हेतु समर्पण किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है। अतः उक्त चक 20 केजेडी मु0नं0 25/42 के किला नं0 15 में 0.0759 है, 16 में 0.0759 है0, 25 में 0.0759 हैक्टर कुल तादादी 0.2277 हैक्टर अर्थात चौड़ाई 49.5 फीट गुणा लम्बाई 495 फीट कुल 25402.5 वर्गफीट भूमि के लिए गैर मुमकिन रास्ता समर्पण भूमि(अराजीराज) को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेष की प्रति तहरीर जारी कर भिजवाई जावें।	

	पत्रावली फैसलषुमार होकर दाखिलदफ्तर हो। आदेश आज सरे इजलास सुनाया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 2026/103

01. देवीलाल पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी ततारसर हाल चक 38 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
02. महावीर प्रसाद पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी ततारसर हाल चक 38 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–05.05.26

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र/प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादीगण व वादी के सहिस्सेदारान के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 38 केवाईडी मु0नं0 160/51 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर अनकमाण्ड व मु0नं0 160/53 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर अनकमाण्ड इसप्रकार दोनो मुरब्बों में कुल 12.6450 हैक्टर अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें वादीगण प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त कृषि भूमि वादीगण को जरिये विरासतन नामान्तरण सं0 174 से प्राप्त हुई है। जिसमें वादीगण के पिता का नाम आदूराम अंकित है। जो कि सही व सत्य है। उसके बाद हमारे सहिस्सेदार भाई गोपीराम का देहान्त हो गया। हमारे सहिस्सेदार भाई गोपीराम के देहान्त होने के पश्चात हमारे भाई के हिस्से का विरासतन नामान्तरण दर्ज किया गया। जिसका विरासतन नामान्तरण सं0 219 दर्ज करते समय सहवन से वादीगण के पिता का नाम अंकित करना रह गया। उसके बाद नामान्तरण सं0 219 को राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज करते समय हल्का पटवारी द्वारा सहवन से वादीगण के पिता का नाम आदूराम की बजाय गोपीराम अंकित कर दिया गया। जो कि आज दिनांक तक अनवरत चला आ रहा है। वादीगण ने अपनी भूमि के रिकॉर्ड की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। वादीगण अपने–अपने नाम से फार्मर आई.डी. बनवाने के लिये गये तब वादीगण को पता चला की राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम सही नाम आदूराम की बजाय गोपीराम अंकित है। जबकि वादीगण के पिता का सही नाम आदूराम ही है और जब वादीगण ने अपने विरासतन नामान्तरण की नकल प्राप्त की तो उसमें भी वादीगण के पिता का नाम आदूराम ही अंकित था। लेकिन हल्का पटवारी द्वारा विरासतन नामान्तरण सं0 219 भरते समय वादीगण के पिता का नाम दर्ज ही नहीं किया तथा उसी अनुसार जब जमाबंदी में नाम अंकित किया गया तो वादीगण के पिता का नाम सहवन से आदूराम की जगह गोपीराम कर दिया गया। जो अधीनस्थ न्यायालय दुरूस्त होने योग्य है। वादीगण के पिता का सही नाम आदूराम है तथा वादीगण के तमाम दस्तावेजों में भी वादीगण के पिता का नम आदूराम ही अंकित है तथा उक्त भूमि के पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड विरासतन नामान्तरण सं0 174 में भी वादीगण के पिता का नाम आदूराम ही अंकित है तथा वादीगण अपने पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने के विधिक अधिकारी है तथा मामला काबिले दुरूस्ती के है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम गलत होने के कारण वादीगण को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम गलत अंकन होने के कारण वादीगण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की सरकारी योजनाओं, अनुसार

आदि का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है ना ही वादीगण को बैंक द्वारा केसीसी ऋण दिया जा रहा है तथा ना ही वादीगण की फार्मर आई.डी. का रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है। जिसकारण वादीगण को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान हो रहा है। जिसका आंकलन रूपयो–पैसों में नहीं किया जा सकता है। इसप्रकार अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू वादीगण के पक्ष में है। वादीगण अपने नाम के उपरोक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर गोपीराम की बजाय आदूराम की घोषणा व दुरूस्त करवाना चाहता है। मामला काबिले दुरूस्ती के है तथा वादपत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में प्रस्तुत है। अतः घोषणात्मक वाद पेशकर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादीगण के नाम का रकबा चक 38 केवाईडी मु0नं0 160/51 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हक्टर अनकमाण्ड व मु0नं0 160/53 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर अनकमाण्ड इसप्रकार दोनो मुरब्बों में कुल 12.6450 हैक्टर अनकमाण्ड कृषि भूमि में वादीगण के हिस्से की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम गोपीराम के बजाय आदूराम की घोषणा कर दुरूस्त कर अंकन करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी ने वादपत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, जमाबंदी, इंतकाल, इत्यादि की प्रति प्रस्तुत किया है। उक्त इंतकाल में वादी के पिता का नाम आदूराम ही अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। वादी अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी का वादपत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 38 केवाईडी मु0नं0 160/51 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हक्टर अनकमाण्ड व मु0नं0 160/53 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 हैक्टर अनकमाण्ड इसप्रकार दोनो मुरब्बों में कुल 12.6450 हैक्टर अनकमाण्ड कृषि भूमि हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम गोपीराम के बजाय आदूराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादीगण के पिता का नाम गोपीराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादीगण के पिता का नाम गोपीराम नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी/प्रार्थी के पिता का नाम आदूराम ही लागू होगा। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार पालना/अमलदरामद करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.05.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2020/00031

01. लियाकत अली पुत्र श्री नादर खां जाति मुसलमान निवासी चक 1 पी.के.एम. माधोडिग्गी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

01. कादर खां पुत्र श्री मोहम्मद बक्श, जाति मुसलमान निवासी माधो डिग्गी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक :–04.05.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 203/40 तादादी 15 बीघा वाके चक 1 पी.के.एम. माधो डिग्गी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर में स्थित है। इस भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है और वादी इस जायदाद में बाल बच्चों सहित निवास कर रहा है और खेती बाड़ी कर रहा है। वादी ने इस भूमि पर बैंक से ऋण भी ले रखा है व जमाबन्दी में भी वादी का नाम बतौर खातेदार के नाम दर्ज है। वादग्रस्त जायदाद मुरब्बा नंबर 203/40 की 25 बीघा भूमि वाके चक 1 पी.के.एम. माधोडिग्गी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर मोहम्मद बक्श के नाम से रही है और मोहम्मद बक्श ने अपनी उक्त जायदाद 25 बीघा भूमि नादर खां को दिनांक 18.11.1999 को वसीयत कर दी थी और सब लोग अपनी अपनी जायदाद पर काबिज बैठे है। वसीयतनामा के आधार पर नादर खां का इन्तकाल नं. 18 दिनांक 20.12.2005 को दर्ज हो चुका है। नादर खां ने अपनी उक्त जायदाद जो जरिये वसीयत में मिली थी उस जायदाद में से 15 बीघा जमीन मुरब्बा नं. 203/40 की किला नं0 1 ता 15 खानी खातून को दिनांक 28.02.2012 को विक्रय कर दी व उसके आधार पर खानी खातून का नाम इन्तकाल नंबर 49 के तहत उसका नाम दर्ज हो गया, उसके बाद खानी खातून का स्वर्ग वास 26.12.2018 को हो गया और उसका विरासतन इंतकाल नादर खां व लियाकत के नाम से दर्ज हुआ। उसके बाद नादर खां ने जो खानी खातून के विरासतन इंतकाल में 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि मुरब्बा नंबर 203/40 के हिस्से में आई वो जायदाद अपने हिस्से की जरिये विक्रय पत्र के आधार पर वादी का नाम इंतकाल दर्ज हो गया। इस प्रकार वादी मुरब्बा नं. 203/40 के किला नं. 1 ता 15 कुल 15 बीघा भूमि वाके चक 1 पी.के.एम. का तन्हा मालिक व काबिज हुआ। वादी अपनी जायदाद पर स्टैच्यू टेरी टीनेन्ट के तहत काबिज चला आ रहा है और खातेदार, काश्तकार है। प्रतिवादी का वादग्रस्त जायदाद से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उसका मौके पर कब्जा है। प्रतिवादी ने एक झूठी एफ.आई.आर. थाना पुलिस खाजूवाला में दिनांक 17.02.2020 को न्यायालय के मार्फत धारा 156 (3) के तहत वादी के पिता नादर खां वगैरह के खिलाफ दर्ज करवाई है तथा वसीयत को झूठी बताई है, जबकि उसी मामले को लेकर पूर्व मे एक एफ. आई.आर0 कादर खां के सगे भाई अर्थात् प्रतिवादी के सगे भाई नवाब ने नादर खां के विरूद्ध दिनांक 01.03.2007 को थाना पुलिस खाजूवाला में अंतर्गत धारा 156(3) सीआर.पी.सी. के तहत न्यायालय के मार्फत दर्ज करवाई थी और उस मामले में थाना पुलिस खाजूवाला ने नवाब खां के साथ साथ प्रतिवादी के भी बयान लिये थे और मामले में एफ. आर. लगा दी थी और एफ.आर. मंजूर भी हो गई अब इसी तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी सं. एक ने झूठी एफ. आई.आर. दर्ज करवाई है और अब प्रतिवादी आये दिन पुलिस वालो को लेकर वादी को व उसके पिता को धमका रहा है कि जायदाद पर कब्जा करेगा, जिस पर वादी ने कहा कि यह जायदाद उसने जरिये विक्रय पत्र खरीद की है। वह उस जायदाद का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी वादी को उसकी इस जायदाद से बेदखल नहीं कर सकता, इसके अलावा प्रतिवादी उसके भाई ने पूर्व में सन् 2007 में एम झूठी एफ.आई.आर दर्ज करवाई थी जिसमें एफ.आर. लग चूकी है, दुबारा एफ.आई.आर. हो नहीं सकती। न्यायालय में गलत शपथ पत्र देकर मुकदमा दर्ज करवाया है और उस पूर्व की एफ.आई.आर में प्रतिवादी के बयान भी हुये

हुवे है और एफ. आर. भी लगी हुई है और उसमें प्रतिवादी ने वसीयत को भी सही माना है। दुबारा मामला हो नहीं सकता, धारा 197 सीआर.पी.सी. की कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि एक ही मामले में पहले कार्यवाही हो चुकी है अब न्यायालय द्वारा एफ.आर. मंजूर की जा चुकी है, पुनः एफ.आई.आर. हो नहीं सकती। इस पर प्रतिवादी ने कहा कि वो पंहुचा हुआ व्यक्ति है,

वादी/प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 23 के.वाई.डी. ए के खाता संख्या 28 मुरब्बा नं. 79/60 के किला नं. 1 ता 25 में 24.10 बीघा कमाण्ड कुल 6.1960 हैक्टेयर खातेदार कृषि भूमि प्रार्थी के नाम रमेश पुत्र श्री शंकर लाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई. डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के विरास्तन नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 25.04. 1994 व वसीयत नामान्तकरण संख्या 176 दिनांक 18.03.2016 को खातेदार स्वीकृत हुआ। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त कृषि भूमि खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/ वादी का नाम रमेश कुमार पुत्र श्री शंकर लाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के राजस्व तहसील खाजूवाला चक 23 के.वाई.डी. ए के
खाता संख्या 28 मुरब्बा नं. 79/60 के किला नं. 1 ता 25 में 24.10 बीघा कमाण्ड (6.1960 हैक्टेयर) खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अधिनस्थ न्यायालय ने विरास्तन नामान्तकरण सख्यां 68 दिनांक 25.04.1994 व वसीयत नामान्तरण संख्या 176 दिनांक 18.03.2016 को भरते समय प्रार्थी का नाम रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के स्थान पर रमेश पुत्र श्री शंकर लाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर कर दिया जबकि पहचान के दस्तावेजो व विरास्तन दस्तावेज, मुल वसियत नामान्तकरण आदेश में रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के नाम से भरकर स्वीकृत करना चाहिए था, इसलिए सहवन से दर्ज प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम रमेश कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के स्थान पर रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर दुरूस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पहले संलग्न पहचान के दस्तावेज परिचय पत्र, मुल निवास व अन्य दस्तावेजों व वसियत आदेश का अवलोकन ही नहीं किया, इसलिए राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहवन से प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम रमेश पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के स्थान पर रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर अधिनस्थ न्यायालय दुरूस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी का व प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को कृषि भूमि से संबंधित कागजी कार्यवाही फार्मर आईडी व सरकारी सुविधा के रूप में मिलने वाले लाभ प्राप्त करने में काफी दिक्कतो व परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा इससे प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान हो सकता है। प्रार्थी के विरास्तन व मुल वसियत एवं अन्य समस्त पहचान के दस्तावेजो जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मुल निवास, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि में भी प्रार्थी का नाम रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकरलाल रंगा अंकित है, जो कि सही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 एल. आर. एक्ट व 88 आर.टी. एक्ट सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार का नाम रमेश पुत्र श्री शंकरलाल के स्थान पर रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमानें का निवेदन किया हैं।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट, जमाबन्दी, विरास्तन नामन्तरकरण संख्या 68, वसियत ना.सं. 176 ,आधारकार्ड, पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत की। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड ऑनलाईन जमाबन्दी के चक 23 के.वाई.डी. ए का मु.नं. 79/60 का किला नं. 1 ता 25 का कुल रकबा 6.1960 है0 खाता संख्या 28 रमेश पुत्र शंकरलाल हि0पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 25 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी के नामा. सं. 176 की वसीयत के अनुसार रमेश पुत्र शंकरलाल दर्ज है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार रमेश कुमार रंगा करवाना चाहता है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 23 के.वाई.डी. ए के खाता संख्या 28 मुरब्बा नं. 79/60 के किला नं. 1 ता 25 में 24.10 बीघा कमाण्ड (6.1960 हैक्टेयर) खातेदार कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/वादी का व वादी के पिता का नाम रमेश पुत्र श्री शंकर लाल की जगह रमेश कुमार रंगा पुत्र शंकरलाल रंगा संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच रमेश पुत्र श्री शंकरलाल नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का रमेश पुत्र शंकरलाल से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी/वादी का व वादी के पिता का नाम रमेश पुत्र श्री शंकरलाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 09.04.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)